# लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

**चौथा सत्र**

**(चौदहवीं लोक सभा)**

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....58.....
Dated.....19/12/05...

(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

मूल्य: पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 20, गुरुवार, 24 मार्च, 2005/3 चैत्र, 1927 (शक)

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 301 और 316, 302 और 303 | 1-37 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 304 से 315 और 317 से 320 | 38-53 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3281 से 3457 | 53-250 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 250-255 |
| **राज्य सभा से संदेश** | 255 |
| **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति** | |
| तीसरा प्रतिवेदन | 255 |
| **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति** | |
| चौथा प्रतिवेदन | 256 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | |
| वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री ऑस्कर फर्नांडिस | 256-258 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | |
| इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने में हुए अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम | 258 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 258 |
| श्री रामविलास पासवान | 258-263 |
| श्री गुरूदास दासगुप्त | 263-265 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 266-271 |
| **कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | 271-283 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 283 |
| (एक) झारखंड में जोड़ा - बड़बील - चायबासा - टाटानगर मार्ग का उन्नयन किए जाने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री बागुन सुम्बरुई | 283-284 |

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) कर्नाटक में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी ..... 284-285

(तीन) डाक विभाग में निरीक्षकों के लिए प्रोन्नति के अवसरों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद ..... 285

(चार) आरक्षित वनों से लुप्त होते हुए बाघों के संरक्षण के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटिल ..... 285

(पांच) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की माधोगढ़ तहसील में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ..... 286

(छह) राजस्थान सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित की गई जातियों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई ..... 286

(सात) गुजरात में सूरत हवाई अड्डे को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा ..... 286-287

(आठ) उत्तर प्रदेश में बरेली में रेलवे स्क्रैप निपटान यूनिट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार ..... 287

(नौ) तमिलनाडु में कन्याकुमारी में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन ..... 287-288

(दस) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में केन्द्रीय सहायता से मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया ..... 288

(ग्यारह) रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी ..... 288-289

(बारह) दक्षिण-पूर्व रेलये के खड़गपुर डिवीजन में "गैंगमैन" के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा ..... 289

(तेरह) वैशाखी के पावन दिन 13 अप्रैल, 2005 को अमृतसर - लाहौर - ननकाना साहिब को जोड़ने वाली प्रस्तावित बस सेवा शुरु किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन ..... 289-290

(चौदह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक यूथ होस्टल और खेल स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी ..... 290

(पन्द्रह) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए "गुड फ्राइडे", जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है, के दिन कार्य करना अनिवार्य न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस ..... 291

**नियम 193 के अधीन चर्चा**

देश में प्राकृतिक आपदाएं ..... 291

श्री शिवराज वि. पाटील ..... 291-329

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ..... 329**

**गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प-विचाराधीन ..... 329-378**

कृषि क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय ..... 329

डा. चिन्ता मोहन ..... 329-333

श्री हन्नान मोल्लाह ..... 333-339

श्री गुरजीत सिंह राणा ..... 339-342

श्री कैलाश मेघवाल ..... 342-349

श्री मोहन सिंह ..... 349-352

श्री भर्तृहरि महताब ..... 352-356

श्री राम कृपाल यादव ..... 356-363

श्री अवतार सिंह भडाना ..... 363-365

श्री बची सिंह रावत "बचदा" ..... 365-370

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ..... 371-374

श्री खारबेल स्वाईं ..... 374-376

श्री शैलेन्द्र कुमार ..... 376-378

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित**

(एक) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2005

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ..... 379

(दो) युवा कल्याण विधेयक, 2005

श्रीमती कृष्णा तीरथ ..... 379

(तीन) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005

श्रीमती कृष्णा तीरथ ..... 380

(चार) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005
(धारा 304 आदि का संशोधन)

श्रीमती कृष्णा तीरथ ..... 380

(पांच) त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक, 2005

श्री खगेन दास ..... 381

(छह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2005
(धारा 8 का संशोधन)

श्री मोहन सिंह ..... 381

(सात) साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

श्री अजित सिंह ..... 382

(आठ) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004 – विचाराधीन ..... 382

**विचार करने के लिए प्रस्ताव**

श्री भर्तृहरि महताब ..... 282-385

श्री पवन कुमार बंसल ..... 385-389

श्री कैलाश मेघवाल ..... 389-392

श्री हन्नान मोल्लाह ..... 393-399

श्री सी.के. चन्द्रप्पन ..... 399-405

डा. राजेश मिश्रा ..... 405-410

श्री शैलेन्द्र कुमार ..... 410-414

श्री आलोक कुमार मेहता ..... 415-419

डा. टोकचोम मैन्या ..... 419-422

श्री खारबेल स्वाईं ..... 422-426

श्री गिरिधर गमांग ..... 426-428

**अनुबंध-I**

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ..... 429-430

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ..... 430-436

**अनुबंध-II**

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ..... 437

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ..... 438

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

## लोक सभा

**गुरुवार, 24 मार्च, 2005/3 चैत्र, 1927 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री मुन्शी राम, प्रश्न संख्या 301।

*[हिन्दी]*

**पहाड़ी राज्यों में टी.वी. टावरों का कार्यकरण**

***301. श्री मुन्शी राम:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्यों में प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु टी.वी. टावरों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां टी.वी. टावर पूरी तरह से कार्यरत नहीं हैं;

(ग) क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 में ऐसे क्षेत्रों में नए टी.वी. टावर लगाने की किसी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

*[अनुवाद]*

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) आधुनिक ट्रांसमीटरों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदा नौ टी.वी. ट्रांसमीटरों के प्रतिस्थापन/उन्नयन की स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। दसवीं योजना स्कीमों के एक हिस्से के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ट्रांसमीटरों को आधुनिक ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में कुल 344 टी.वी. ट्रांसमीटरों में से 13 ट्रांसमीटर (नागालैंड-3, अरुणाचल प्रदेश-5, जम्मू और कश्मीर-5) के इस समय उपस्करों में खराबी और चोरी आदि के कारण कार्यशील न होने की सूचना मिली है। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण तीन अन्य ट्रांसमीटर (त्रिपुरा-2, मेघालय-1) आंशिक रूप से कार्यशील हैं।

(ग) और (घ) हालांकि वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई है तथापि, नौवीं योजना स्कीमों के एक हिस्से के रूप में अम्बास्सा (त्रिपुरा) में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है और इसके वर्ष 2005 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ङ) दूरदर्शन द्वारा के यू बैंड प्रसारण सेवा (फ्री-टु-एयर डी.टी. एच.) शुरू किए जाने से इसके 33 टी.वी. और 12 रेडियो चैनलों के समूह को एक लघु आकार की डिश रिसीव यूनिट की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूरे देश में देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर में कवरेज के भावी विस्तार हेतु डी.टी.एच. और स्थलीय प्रसारण के सम्बन्धित गुण-दोषों की सरकार जांच कर रही है।

***अनुबंध***

| राज्य | परियोजना |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला |
| | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कुल्लू |
| जम्मू - कश्मीर | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, श्रीनगर (डी.डी.-1 |
| | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, श्रीनगर (डी.डी. न्यूज) |
| | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, श्रीनगर (कशीर चैनल) |
| | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कारगिल |
| मणिपुर | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, उखरूल |
| उत्तरांचल | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, पिथौरागढ़ |

*[हिन्दी]*

**श्री मुंशी राम:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक ट्रांसमीटरों को प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना है, बशर्ते उनको लगाने के लिए संसाधन उपलब्ध हों। भारत का चीन से मिला हुआ क्षेत्र उत्तरांचल है। इसके चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टीहरी, उत्तरकाशी आदि इलाकों में दुरदर्शन की हालत खराब है। यहां कोई भी चैनल सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता है। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने उनके लिए कोई लक्ष्य रखा है या उसके लिए कोई कार्य चल रहा है? इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में 344 ट्रांसमीटरों में से 13 ट्रांसमीटर खराब बताए हैं। उनको कब तक ठीक किया जाएगा? उनको ठीक करने की क्या योजना है और वे कितने समय से खराब हैं, इसके बारे में मंत्री जी बताएं?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, इन्होंने कुछ खास इलाकों के बारे में जानकारी मांगी है। मैं वह नहीं दे पाऊंगा। मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं कि मैं इस जानकारी को माननीन सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। 344 ट्रांसमीटरों में से 13 काम नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं और उन सभी कारणों को दूर किया जा रहा है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन्हें यथाशीघ्र दुरुस्त किया जाएगा इस संबंध में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** किसी क्षेत्र विशेष के बारे में मत पूछिए क्योंकि माननीय मंत्री के लिए उसका उत्तर देना संभव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुंशी राम:** अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2004-05 में पहाड़ी क्षेत्रों में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि चीन की सीमा से लगा हमारा क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक नया माध्यम है, दूरदर्शन डी.टी.एच. का माध्यम, जो अद्भुत और मुफ्त सेवा है। पर्वतीय क्षेत्रों में 'टेरोस्ट्रीयल नेटवर्क' के माध्यम से प्रसारण में कठिनाई है क्योंकि प्रत्येक बड़ी पहाड़ी का छाया क्षेत्र होता है। अतएव जिन क्षेत्रों की ये बात कर रहे हैं वहां हम राज्य सरकारों और अन्य विभागों के माध्यम से मुफ्त में 'डिजीटल रिसीवर' वितरित करने के बारे में सोच सकते हैं। यह एक व्यवहार्य विकल्प है। इस समय हमारी राय यही है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुंशी राम:** अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका प्रश्न हो गया है। आपने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है।

**श्री रामदास आठवले:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 316 आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं, श्री रामदास आठवले के प्रश्न सं. 316 को इससे संबध करता हूं जो आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जाने के ऐसे ही मामलों से जुड़ा हुआ है।

*[हिन्दी]*

**आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांसमीटर लगाना**

***316. श्री रामदास आठवले:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक विशेष रूप से आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लगाए गए तथा कार्यरत टी.वी. ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण कई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(ङ) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

*[अनुवाद]*

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) देश में 1400 टी.वी. ट्रांसमीटरों में से 831 टी.वी. ट्रांसमीटर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कोई परियोजना लम्बित नहीं है। तथापि, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय 14 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

*अनुबंध*

*आदिवासी क्षेत्रों (जनजातीय उप योजना जिले) और पहाड़ी क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांसमीटर*

| राज्य | जनजातीय उप योजना जिले में ट्रांसमीटरों की संख्या | पहाड़ी क्षेत्रों में टीवी ट्रांसमीटरों की संख्या | कॉलम सं. 2 और 3 दोनों सहित टीवी ट्रांसमीटरों की संख्या | जनजातीय उप योजना और पहाड़ी क्षेत्रों में टीवी ट्रांसमीटरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 5 | | | 5 |
| आन्ध्र प्रदेश | 32 | | | 32 |
| अरुणाचल प्रदेश | | 49 | | 49 |
| असम | 22 | 2 | | 24 |
| छत्तीसगढ़ | 27 | | | 27 |
| दमन एवं दीव | 1 | | | 1 |
| गोआ | | 2 | | 2 |
| गुजरात | 33 | | | 33 |
| हिमाचल प्रदेश | 12 | 54 | 12 | 54 |
| जम्मू-कश्मीर | | 131 | | 131 |
| झारखण्ड | 16 | | | 16 |
| कर्नाटक | 13 | 34 | 13 | 34 |
| केरल | 19 | 31 | 19 | 31 |
| मध्य प्रदेश | 34 | | | 34 |
| महाराष्ट्र | 53 | 48 | 21 | 80 |
| मणिपुर | 6 | 8 | 6 | 8 |
| मेघालय | | 10 | | 10 |
| मिजोरम | | 8 | | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| नागालैण्ड | | 14 | | 14 |
| उड़ीसा | 61 | | | 61 |
| राजस्थान | 22 | | | 22 |
| सिक्किम | 8 | 8 | 8 | 8 |
| तमिलनाडु | 27 | 29 | | 56 |
| त्रिपुरा | 9 | 9 | 9 | 9 |
| उत्तर प्रदेश | 1 | | | 1 |
| उत्तरांचल | | 53 | | 53 |
| पश्चिम बंगाल | 28 | 3 | 3 | 28 |
| योग | 429 | 493 | 91 | 831 |

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** अध्यक्ष महोदय, आदिवासी और महाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, यह बात सही है। मगर उसके बावजूद भी बहुत-सी जगहों पर ट्रांसमीटर लगाने का काम अभी किया जाना बाकी है। पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की मांग है कि एक पावरफुल ट्रांसमीटर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में लगाए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव-क्षेत्र पूरा पहाड़ी एरिया है। वहां भी ट्रांसमीटर लगाने की मांग की जाती रही है, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय आप कब तक लेंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, जिन खास क्षेत्रों की ये बात कर रहे हैं उसकी जानकारी मैं इन्हें पत्र के माध्यम से दूंगा।

आपक कृपया उत्तर से नोट कर लें कि पूरे देश में 1400 टी.वी. ट्रांसमीटरों में से 831 आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। अतएव पहले से ही 50 प्रतिशत से अधिक ट्रांसमीटर इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में अन्तर है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और इस प्रकार के अन्य राज्यों के कई क्षेत्र भी शामिल हैं। अतएव इन क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अपने उत्तर को दुहराते हुए मैं कहूंगा कि हमारे विचार से डी.टी.एच. माध्यम एक आदर्श उपाय है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** अध्यक्ष जी, मेरे एरिया में मूल आदिवासी रहते हैं। इसलिए मेरी सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि मेरे एरिया के मूल आदिवासियों के क्षेत्र में प्राथिमकता के आधार पर ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना जरूरी है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जो मूल आदिवासी क्षेत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसमीटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इस दृष्टि से क्या वे जल्दी कदम उठाएंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जनजातीय लोगों और आदिवासियों का ध्यान सबसे पहले रखा जाना चाहिए, किन्तु ऐसे इलाकों में मेरे ख्याल से राज्य सरकारों को टी.वी. सेट और 'डिजीटल रिसीवर' बांटना चाहिए। मेरे विचार से भारत सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से इस काम को करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, खासतौर से जानकारी चाहता हूं और उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्रों की समस्याएं एक जैसी होती हैं। इसलिए सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र भी पहाड़ी क्षेत्रो के समान ही हैं। रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही, पहाड़ी और रेगिस्तानी, सीमावर्ती क्षेत्र हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सीमा से लगते राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, सीमावर्ती क्षेत्र हैं। उनमें ज्यादातर विदेशी चैनल देखे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछली लोक सभा में भी आया था और उस समय भी सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे, ताकि दूसरे देशों, पड़ोसी देशों के ट्रांसमीटर से प्रसारित कार्यक्रम उस क्षेत्र में न दिख सकें, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनका पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच काफी समानता है। अत: इस प्रकार के क्षेत्रों में दूरदर्शन की पहुंच अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए, हमने डी.टी.एच. प्लेटफार्म के बारे में सोचा है। इन क्षेत्रों में भी डी.टी.एच. प्लेटफार्म एक अद्भुत समाधान है क्योंकि आपको डिजिटल गुणवत्ता मिलेगी और आपको विभिन्न प्रकार के निजी टी.वी. चैनल मिलेंगे। अत: मैं माननीय अध्यक्ष से भी यह पूछना चाहता हूं कि वह यह देखें कि क्या माननीय संसद सदस्य एम.पी. लैड्स के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को वितरित किए गए डिजिटल रिसीवर प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री बीर सिंह महतो:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, बागमुंडी, झाला और बहरामपुर में काफी बांग्लाभाषी रहते हैं। उन्हें बंगाली कार्यक्रम देखने का अवसर नहीं मिलता है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में है।

**श्री बीर सिंह महतो:** रांची उस क्षेत्र के काफी निकट है। अत: उनके लिए टेलीविजन पर केवल हिन्दी कार्यक्रम उपलब्ध हैं। मैंने इस मुद्दे को सभा में अनेक बार उठाया है और माननीय मंत्री ने मुझे यह सूचित किया था कि डिश एंटीना या केबल नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। ये उपकरण काफी महंगे हैं और आम आदमी उन्हें नहीं खरीद सकता है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पुरुलिया एल.पी.टी. केन्द्र को एच.पी.टी. केन्द्र में उन्नत करने पर विचार कर रही है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ बांग्लाभाषी क्षेत्रों को भी कवर किया जा सके।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** माननीय सदस्य ने कतिपय क्षेत्रों का उल्लेख किया है और आपने पुरुलिया का। जैसा कि मैंने पहले कहा है, दूरदर्शन का डी.टी.एच. प्लेटफार्म, सारे संसार का एक अनूठा प्लेटफार्म है। संसार में केवल डी.टी.एच. प्लेटफार्म ही फ्री-टू-एयर है। यह भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक वरदान है। दिल्ली में तेलुगू लोग रहते हैं और हैदराबाद में पंजाबी। यदि हमारे पास एक डिजिटल रिसीवर हो तो सारे चैनल देखे जा सकते हैं। अत: केवल यही एकमात्र समाधान है। अन्यथा, यदि मुझे भारत के सारे क्षेत्रों को कवर करना हो तो मुझे 5,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वित्तीय कमी के इन दिनों में यह एक कठिन काम है। इसी कारण मैंने इस मार्ग को चुना।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमीशन से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा स्टेट तकरीबन हिली है। प्लेन और हिली एरिया में हमारे जितने टीवी चलते हैं, खास कर जो पहाड़ी क्षेत्रों में चलते हैं, वहां एक तो प्रोग्रामिंग पूरी नहीं होती और जो आती भी है, वह भी ठीक से दिखाई नहीं देती। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारा जो स्टेशन उधमपुर, कठुआ, डोडा और पूंछ-राजौरी है, वहां जो कश्मीर का प्रोग्राम चलता है, वह जम्मू, कठुआ तक नहीं आता और जम्मू का कठुआ तक नहीं जाता है, बाहर की बात तो छोड़िए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसे कब लिंक कर रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, जम्मू और कश्मीर के संबंध में हम एक विशेष पैकेज पर विचार कर रहे हैं। मैं विशेष पैकेज के एक भाग के रूप में इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री छेवांग थुपस्तन:** अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी शत-प्रतिशत हिली है और वहां 97 प्रतिशत से ऊपर पापुलेशन एस.टी. की है। अभी मंत्री जी ने कहा कि हिली एरियाज में टावर लगाने का डिसएडवांटेज यह है कि ये जिस तरह वहां लगाते हैं, उससे कवरेज पूरा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन पर कार्य करने वाले जो लोग हैं, वे अपने लिए आसान से आसान साइड चुनते हैं। जितने टावर मेरी कांस्टीट्यूएंसी में इंस्टाल हुए हैं, अगर साइट सलैक्शन प्रोपर होता तो वहां सौ प्रतिशत कवरेज हो सकता था। अब चूंकि नहीं हुआ है, वहां पर डिमांड्स हैं और यह सरहदी इलाका भी है। प्रोपेगेंडा की दृष्टि से, पाकिस्तान और चीन की तरफ से उन्हें काउंटर करने के लिए हमारा टी.वी. टेलीकास्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने इस बारे में लिखा भी था तो मुझे जवाब मिला कि अभी एक्सपेंशन प्रोग्राम बंद है। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि जो डी.टी.एच. आया है, उसका सहारा लेना चाहिए, लेकिन सब गरीब लोग डी.टी.एच. नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सेंसटिव इलाकों में टी.वी. टावर लगाने के काम को रिव्यू करेंगे तथा लद्दाख क्षेत्र में और लगाने की जहमत करेंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** यद्यपि मैं इस प्रश्न की सराहना करता हूं, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि वे स्थलीय माध्यम के माध्यम से सारे पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करने में आ रही भारी कठिनाई समझें। मैं सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि डिजिटल रिसीवर खरीदने में गरीब वर्ग की सहायता करें।

**श्री रूपचन्द पाल:** महोदय, डी.टी.एच. सेवाओं में विदेशी निवेश द्वारा सांस्कृतिक हमला करने के बारे में काफी विवाद है। अब, श्री रूपर्ट मर्डोक भारत में हैं। मैं समझता हूं कि कल उनकी माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इन नई सेवाओं से भारतीय दर्शकों पर किस प्रकार हमला होगा और इससे वर्तमान फ्री-टू-एयर डी.टी.एच. सेवाएं किस प्रकार प्रभावित होंगी?

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, मीडिया मालिकों के साथ बैठक करना एक सामान्य कार्यालयी काम है। किसी भी अनुरोध पर विचार करते समय कानून और नियमों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है। दूरदर्शन डी.टी.एच. प्लेटफार्म का इरादा निजी डी.टी.एच. कंपनियों की बाजार में मांग को कम करना है।

मैं इस अवसर पर आपको और आपके माध्यम से सारी सभा को यह बताना चाहता हूं कि 33 टी.वी. चैनलों के अतिरिक्त अब हम 17 और नए चैनल जोड़ने जा रहे हैं। अत: अब 50 टी.वी. चैनल फ्री होंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री प्रभुनाथ सिंह। जब आपकी बारी आई तो आप यहां पर नहीं थे। आपने अपना हाथ उठाया था और फिर आप चले गए।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** गलती हो गई, अध्यक्ष जी।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस भावना की प्रशंसा करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** अध्यक्ष जी, हालांकि यह पहाड़ी इलाकों से संबंधित सवाल है, लेकिन मंत्री जी की विद्वता पर हमें भरोसा है। हम इन पहाड़ी इलाकों के साथ समतल इलाकों की भी आपसे चर्चा कर देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हम आपकी इजाजत से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह पूरी तरह मंत्री महोदय पर निर्भर है। वह बहुत ही सहयोगी मंत्री हैं। आप समतल क्षेत्र को यथासंभव पर्वतीय क्षेत्र के साथ जोड़कर प्रश्न कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** ओब्जैक्शन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब इसके पहले एन.डी.ए. की सरकार थी तो पहाड़ी इलाकों में और समतल इलाकों में भी कई स्थानों पर शिलान्यास हुए, उद्घाटन भी हुए और ग्रामीण इलाकों की कठिनाई को महसूस करते हुए उसी समय बिहार में भी दरभंगा में, मशरख में और कई जगहों पर इस बारे में सोचा गया। जहां तक हमको याद है, जो आपके पहले मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने एक पत्र मशरख के सम्बन्ध में हमें लिखा था। पत्रांक 212/132/2003/बी.डी. के माध्यम से उन्होंने

उत्तर दिया था कि प्रोजैक्शन उपकरणों की आपूर्ति तथा 30 मीटर ऊंचे प्रोजैक्शन एंटीना स्थापित करने का आदेश दे दिया गया है। उसका उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन उस उद्घाटन के बावजूद वहां पर प्रसारण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। हम यह महसूस करते हैं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तथा माननीय मंत्री जी हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं कि क्या पहले जो उद्घाटन हो गये हैं, उन पर आप कार्रवाई करेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** सरकार सतत संस्था है। मैं अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए बाध्य हूं। उनका यथासंभव सम्मान किया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय:** समतल क्षेत्रों से संबंधित कोई और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। केवल पर्वतीय क्षेत्रों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

*...(व्यवधान)*

**डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** मैं हिमाचल प्रदेश से हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र लगभग पूरी तरह से पर्वतीय है। सरकार ने अच्छा काम किया है। हमारे पास ट्रांसमीटर हैं, लेकिन अधिकांश कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर हैं। इस क्षेत्र में अनेकानेक फलोद्यान हैं और सेब किसान तथा सब्जि किसान भी यहां बहुत हैं। हमें अच्छे प्रसारण की जरूरत है। यद्यपि शिमला दूरदर्शन का निश्चित रूप से उन्नयन किया गया लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। ये फीडर ट्रांसमीटर पर्वतीय सीमा के बाहर-बाहर स्थित हैं खासकर खारा पत्थर क्षेत्र और रोहरू क्षेत्र में हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के भीतरी क्षेत्रों में उन्नयन की आवश्यकता है।

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है: क्या आपके पास इन कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों का उन्नयन करके इन्हें अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर बनाने का है ताकि आर्किड के किसान स्पष्ट टी.वी. कार्यक्रम देख सकें?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने अभी-अभी कहा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** जिन विशेष बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं उनकी जांच कराऊंगा। लेकिन यदि वे कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों का अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर के रूप में उन्नयन की मांग कर रहे हैं, तो मुझे भय है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वह इसका जबाव दे चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे भय है यह वित्तीय रूप से एक निषिद्ध प्रस्ताव है। मैं वचन नहीं दे सकता। यदि थोड़े-बहुत उन्नयन की संभावना है तो हम इसकी जांच करेंगे।

**श्री खोरेन रिजीजू:** मैं माननीय मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि निश्चित रूप से टॉवर खड़े करना और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्रबंध करना निश्चित रूप से कठिन कार्य है। लेकिन यह सच है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। यहां दिया गया वक्तव्य भी यह सिद्ध करता है कि मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए, सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, वे सफल नहीं हुए हैं। मेरे राज्य के लोग देशभर के कार्यक्रम देखते हैं। वे चीन के कार्यक्रम भी देखते हैं यद्यपि वे उनकी भाषा नहीं समझते।

मेरा प्रश्न यह है: क्या सरकार अक्षम ट्रांसमीटर टॉवरों पर ध्यान देने और इन क्षेत्रों में अधिक सेवा प्रदान करने के लिए कुछ अन्य प्रयास करेगी?

**अध्यक्ष महोदय:** एक ही प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है। मैं समझता हूं बार-बार एक ही प्रश्न पूछे जाने से यह मुद्दा चर्चा का रूप धारण कर चुका है।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, पूरी विनम्रता के साथ मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि यह कहना कि दूरदर्शन का प्रयास विफल रहा है, ठीक नहीं होगा आप उत्तर में यह नोट कर सकते हैं कि 344 टी.वी. ट्रांसमीटरों में से केवल 13 ही कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। इसलिए, अधिकांश ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। कृपया इस संबंध में आप अपना अनुभव/जानकारी में सुधार करें।

जहां तक विशेष मुद्दे की बात है, हम इसकी जांच करायेंगे।

**प्रो. चन्द्र कुमार:** अध्यक्ष महोदय, किन्नौर क्षेत्रों में, उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों के माध्यम से चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत स्पष्ट देखे जा सकते हैं जबकि हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम और दूरदर्शन के कुछ अन्य कार्यक्रम इन क्षेत्रों में इतने स्पष्ट नहीं हैं और इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इन क्षेत्रों में इन उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित करेंगे जहां लोगों

को अपने क्षेत्रों से संबंधित जानकारी मिल सके। कांगड़ा जिले में, असापुरी स्थित ट्रांसमीटर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। क्या आपका विचार उक्त क्षेत्र में इस ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, जहां तक कांगड़ा ट्रांसमीटर का संबंध है, शिकायत पर तत्काल ध्यान दिया जायेगा। लेकिन जो कुछ है उसको देखते हुए इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में यह बहुत कठिन हो चुका है; इसलिए, मैं अब भी यही सिफारिश करूंगा कि डी.टी.एच. के डिजिटल रिसीवर एक बड़ा समाधान हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं। इसलिए, अब हम प्रश्न संख्या 302 पर आते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हिली एरिया से ही संबंधित है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप पर्वतीय क्षेत्र में शिफ्ट कर लें।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने 'पहाड़ी क्षेत्र' कहा है न कि 'हिन्दी क्षेत्र'।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, वह मैदानों की बात करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, जो भारत-चीन के सीमावर्ती इलाके हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यही प्रश्न पहले भी पूछा गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** अध्यक्ष महोदय, भारत-चीन के पहाड़ी राज्यों के ट्रांसमिशन के उन्नयन या अपग्रेड करने की बात हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लहान से लेकर भारत - नेपाल के सीमावर्ती और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो नेपाल में भी हैं, जो सुदुर देहात में हैं, फुलपएस जहां एल.पी.टी. लगा हुआ है, क्या उसको एच.पी.टी. में बदलने का या उन्नयन करने का कोई प्लान है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। यह पांचवीं बार इसे दोहरा रहे हैं।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार एक एल.पी.टी. की लागत एक करोड़ रु. है जबकि एक एच.पी.टी. की लागत 10 करोड़ रु. है तथा इस स्तर पर उन्नयन वित्तीय रूप से अकलमंदी नहीं होगा। इसलिए मैं डी.टी.एच. रूट के लिए अनुरोध करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** अगर सभी चाहेंगे तो मैं श्री सलीम को अनुमति दे दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम:** महोदय, मैं एक अत्यंत तकनीकी प्रश्न पूछूंगा।

जमीनी सिग्नल प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली इस प्राकृतिक अड़चन को दूर करने के लिए केबल टी.वी. की संकल्पना उभर कर सामने आई है। पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों से माननीय सदस्य प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन कम आबादी वाले क्षेत्रों में सिग्नल कम आता है। डी.टी.एच. हमारी प्रौद्योगिकीय खोज है और माननीय मंत्री इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं।

इसके अतिरिक्त प्रसारण के लागत संबंधी घटक, "नैरो-कास्टिंग" की आवश्यकता है क्योंकि इसी कारण समाचारपत्रों के तो आपको जिले-वार संस्करण मिल जाते हैं तथा इसी कारण आपको एफ.एम. रेडियो भी मिल जाते हैं। टेलीविजन में भी इस "नैरो कास्टिंग" की आवश्यकता है। डी.टी.एच. सेटेलाइट चैनल उपलब्ध कराएगा - यह अलग मामला है कि यह फ्री टू एयर है या पैड चैनल है। परन्तु चिन्ता का विषय यह है कि कार्यक्रम की विषय वस्तु इन पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा दूर दराज के क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा लोकाचार का द्योतक नहीं है। यदि आप संसद सदस्य निधियों या राज्य सरकार के माध्यम से या रियायती दरों पर वहां डी.टी.एच. पहुंचाएं तो भी आपके द्वारा दिए जाने वाले सेटेलाइट चैनल से वहां के लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी।

**अध्यक्ष महोदय:** आप बेहतर विषय वस्तु चाहते हैं।

**मोहम्मद सलीम:** माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे जिससे हमारे लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सिग्नल मिल सके?

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** मेरे विचार से माननीय सदस्य ने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सच है कि दूरदर्शन डी.टी.एच. प्लेटफार्म केवल राष्ट्रीय चैनल प्रदान करता है तथा क्षेत्रीय विषय वस्तु में दिलचस्पी बढ़ रही है जिसे इन्होंने 'नैरो-कास्टिंग' कहा है। मैं पूरे पहलू पर विचार कर रहा हूं। अभी तुरंत मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** अध्यक्ष जी, मेरा रत्नागिरि क्षेत्र पूरा पहाड़ी एरिया है। पूरे रत्नागिरि क्षेत्र में दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाते।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** वह इस पर विचार करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या आप दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम रत्नागिरि के नागिरकों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे?

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी:** महोदय रतनागिरि में जो समस्या इन्होंने बताई है मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। परन्तु चूंकि इन्होंने इसका उल्लेख सभा में किया है इस पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय:** ग्यारह माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न सं. 302 पर चलते हैं।

**रेलवे सुरक्षा कोष**

***302. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क) रेलवे सुरक्षा कोष स्थापित करने का क्या प्रयोजन है;**

**(ख) क्या उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;**

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कोष से कितनी राशि खर्च की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना मुख्यत: केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त डीजल उपकर एवं पेट्रोल उपकर के रूप में प्राप्त रेलों के हिस्से की धनराशि जिसका ऊपरी सड़क पुल एवं निचले सड़क पुलों के निर्माण, समपारों पर चौकीदार तैनात करने सहित उन्हें उन्नत बनाने जैसे सड़क से संबंधित रेलवे कार्यों के लिए उपयोग किया जाना है, को चैनलबद्ध करने के लिए की गई थी।

(ख) और (ग) जी हां, चूंकि निधि में एक सुनिश्चित मात्रा में धन का अंत:प्रवाह होता है, जो व्यपगत भी नहीं होता है, अत: इसमें संरक्षा से संबंधित कार्यों को शामिल करने के लिए जोर दिया गया है, जब से इस निधि की स्थापना की गई है, तब से इस निधि से 87 ऊपरी सड़क पुल तथा निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है, 651 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं और इसकी शुरुआत से 1112 समपारों का अंतर्पाशन किया गया है। इसके अलावा, 701 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने से संबंधित कार्य तथा समपारों के अंतर्पाशन से संबंधित 900 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा, 436 ऊपरी सड़क पुल तथा निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोष से खर्च की गई राशि इस प्रकार है:-

| वर्ष | खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| 2001-02 | 140.32 |
| 2002-03 | 164.07 |
| 2003-04 | 166.19 |

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने चालाकी से रेलवे सेफ्टी के संबंध में वर्ष 2001-2002 में खर्चा तो दिखा दिया है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या चालाकी का मतलब इंटैलीजैंस होता है?

**श्री रघुनाथ झा:** जी हां।

**अध्यक्ष महोदय:** फिर आप इंटैलीजैंस शब्द बोलिए।

**श्री रघुनाथ झा:** अध्यक्ष महोदय, कितना रुपया मिला और कितना अनस्पैंट रह गया, इसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इनको वर्ष 2001-02 में 532.31 करोड़ रुपया मिला, 140.32 करोड़ रुपया खर्च किया और 392.3 करोड़ रुपया अनस्पैंट रह गया। वर्ष 2002-03 में 658.77 करोड़ रुपया मिला, 164.8 करोड़ रुपया खर्च किया और 494.69 करोड़ रुपया अनस्पैंट रह गया। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी के उत्तर में फिगर्स लिखी हुई हैं, फिर आप पढ़कर क्यों बता रहे हैं?

**श्री रघुनाथ झा:** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो रुपया खर्च किया है, उसे अपने उत्तर में दिखाया है लेकिन जो रुपया अनस्पैंट रह गया है, उसे नहीं दिखाया है। रेलवे की भिन्न-भिन्न कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटी ने रेलवे की सेफ्टी के लिए, अनमैंड क्रासिंग को मैंड करने के लिए, रेलवे में डिवाइसेज लगाने के लिए जिससे कोई एक्सीडैंट न हो, सिगनल बनाने के लिए इनको पैसा दिया था। क्या इतना पैसा बचाकर रखना विभाग का निकम्मापन साबित नहीं करता? इतना पैसा बचाकर रख लिया और सब जगह काफी एक्सीडैंट्स हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** वह पूछ रहे है कि आपने इसका व्यय क्यों नहीं किया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री जी यह पूछ रहे है कि आपने इसे खर्च क्यों नहीं किया।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** यह आदत छोड़ी जानी चाहिए। इस आदत का निराकरण करना होगा।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमने क्यों नहीं खर्च किया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रश्न काल है। प्रश्न पूछने का तथा उत्तर देने का एक तरीका है। मैं सभा के सभी पक्षों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या बोल रहे हैं

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या हाउस में मजाक चल रहा है?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह हाउस ऑफ पीपल्स है। आप लोक सभा में चुनकर आए हैं तो आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या लाखों वोटर्स ने हमें यहां गपशप करने के लिए भेजा है?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री उदय सिंह:** महोदय, पूरक प्रश्न बहुत अधिक हैं। जिन लोगों के प्रश्न सूची में हैं उनके साथ अन्याय है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सही कह रहे हैं लेकिन आप लोग अपने बीच चर्चा क्यों नहीं करते हैं। ग्यारह पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के बाद भी टिप्पणियां की जा रही हैं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप कृपया स्थान ग्रहण करेंगे? कृपया आइए तथा मुझे सलाह दीजिए कि इसे कैसे करना है।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है कि हमने खर्च न की गई धनराशि इसमें नहीं दिखाई है। उन्होंने गत वर्ष के दौरान इस निधि से खर्च की गई धनराशि के बारे में पूछा है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह निधि दिनांक 01-04-2001 से रेलवे बोर्ड द्वारा की गई पहल के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आई है। सरकार ने भी डीजल तथा पेट्रो कर संग्रहण से रेलवे सुरक्षा निधि के लिए सड़क सुरक्षा निधि का एक हिस्सा आबंटित करने का निर्णय लिया था। तद्नुसार, रेलवे में इस निधि का सृजन हुआ।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा:** यह पार्लियामैंट में पास हुआ है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** रघुनाथ जी, यह सही नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री झा, आपको माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा:** अध्यक्ष महोदय, आपने हमें कहा कि उत्तर में फिगर्स दी गई है। मंत्री जी कह रहे हैं कि पार्लियामैंट में पास हुआ है और हमने वोट दिया है। इन्होंने डीजल पर सेस लगाने की बात भी कही है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह जरूर बोला है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे लगता है कि माननीय सदस्य वो काम नहीं कर रहे हैं जो हमारा देश हमसे चाहता है, तो मैं यह कहता ही रहूंगा।

**श्री आर. वेलु:** इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय को कितनी भी धनराशि खर्च करने में कोई हिचक नहीं है। यह खर्च न की गई धनराशि से संबन्धित प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न राज्य सरकारों के साथ आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की लागत में हिस्सेदारी भी है। राज्य सरकारों को आवश्यक रूप से प्रस्ताव भेजने होंगे। उन्हें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने, नि:शुल्क भूमि देने तथा दोनों तरफ पहुंच मार्ग देने की सहमति देनी होगी। इस मामले में यह कुछ बातें शामिल हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हम धनराशि खर्च करने को तैयार हैं। वस्तुत: मैं यह कहूंगा कि 2001-02 में अंत तक हमारे पास 392 करोड़ रुपये का अंतिम शेष है जिसका माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया है। यद्यपि डीजल उपकर से इस निधि को आबंटित यह पूरी धनराशि नहीं है। रेलवे के अंशदान वाले "विकास निधि" से इस धनराशि में से कुछ धनराशि आगे लायी गई है। राज्य सरकारों द्वारा दिये गए प्रस्तावों पर यथासंभव धनराशि खर्च करने के बाद वर्ष 2001-2002 में हमारे पास 392 करोड़ रुपये का अंतिम शेष है। इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 में अंतिम शेष 494 करोड़, वर्ष 2003-2004 में अंतिम शेष 764 करोड़ रुपये है। लेकिन हम अंतिम शेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निधि से खर्च की गई धनराशि के बारे में है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आप अपने राज्य में जाइए तथा राज्य सरकार से आवश्यक औपचारिकताओं, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, सहित प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध कीजिए।

दूसरी बात यह कि इस वर्ष आबंटन 711 करोड़ रुपये का है। इस धनराशि में से हमने 300 करोड़ रुपये समपारों के लिए तथा 411 करोड़ रुपये आर.ओ.बी. के लिए आबंटित कर दिये हैं। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि हम धनराशि हमारे काम में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे स्थिति को समझें। यह मेरा उनसे अनुरोध है।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993-94 से लेकर वर्ष 1997-98 तक 14 हजार एक्सीडैंट्स हुए। हमारा कहना है कि रेलवे बोर्ड ने संसद को गुमराह किया है क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें 3197 और 2187 एक्सीडैंट बताये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के किस अधिकारी ने यह

काम किया है? मैं यह फिगर अपनी तरफ से न कहकर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कह रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है। इन्होंने पार्लियामैंट को गुमराह किया है। 14 हजार एक्सीडैंट्स की जगह इनके विभाग ने सिर्फ 5 हजार के आस-पास ही एक्सीडैंट्स दिखाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा बताने के बीछे कौन से कारण हैं?

*[अनुवाद]*

इसी के साथ 'बी' भाग में मैं जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों के दौरान बिना गार्ड वाले समपारों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा कितने लोगों की मृत्यु हुई। बिना गार्ड वाले कितने समपारों पर गार्ड लगाने का लक्ष्य रखा गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितनों पर गार्ड लगाए गए हैं? मंत्रालय द्वारा तय किए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप इनका हमें जवाब दें।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग आंकड़ों में अंतर से सम्बिन्धत है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं आंकड़ों को एकत्रित करूंगा और उन्हें अलग से दूंगा तथा यदि कोई त्रुटि है तो मैं मिलाने का प्रयास करूंगा तथा सही उत्तर दूंगा।

दूसरा बिन्दु बिना गार्ड वाले समपारों के बारे में हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। उन्हें जवाब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है।

**श्री आर. वेलु:** चौकीदार रहित फाटकों के संबंध में, हम रेल सुरक्षा कोष के गठन के बाद से 651 चौकीदार रहित फाटकों पर चौकीदार रखने में समर्थ हुए हैं।

पुनः 701 चौकीदार रहित फाटकों पर चौकीदार रखने को मंजूरी दी जा चुकी है और उनका कार्य प्रगति पर है। उसके अलावा 1,247 चौकीदार रहित फाटकों की पहचान की गई है जहां चौकीदार रखे जाने हैं। समस्या धनराशि की है। एक फाटक पर चौकीदार रखने की लागत लगभग 12 लाख रुपए है। पुनः टी.पी.ए. (ट्रेन-व्हीकल यूनिट) के आधार पर यदि ट्रेन व्हीकल यूनिटों की संख्या 6000 से अधिक है, तो ऐसे चौकीदार रहित फाटकों का वर्गीकरण चौकीदार रखने हेतु किया जाना है और तदनुसार हम कार्य कर रहे हैं। अब, मैं माननीय सदस्य से यह अपील करूंगा कि, यदि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि वह भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास क्षेत्र से अंशदान कर सकते हैं तो उनका स्वागत है। यह भी एक संभावना है और हम इसके प्रति काफी गंभीर हैं।

**श्री अनन्त कुमार:** महोदय, रेल सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय रेल और भारत सरकार रेल अंडर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज एवं समपारों पर करोड़ों रुपए व्यय कर रही है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रेल का विचार रेल सुरक्षा के संबंद में गत वर्ष किए गए कार्य से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट अथवा क्रियान्वयन रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुत करने का है।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, इस प्रश्न की हम अवश्य जांच करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वह आपको सूचित करेंगे।

**श्री अनंत कुमार:** महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। यह सुझाव नहीं है। यह एक विशिष्ट प्रश्न है कि क्या भारतीय रेल का विचार क्रियान्वयन रिपोर्ट अथवा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुत करने का है। उन्हें 'हां' या 'नहीं' कहना चाहिए। उसमें जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, मेरा कहना है कि यह एक मान्य सुझाव है। मैं इसपर विचार करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने इसमें "बहुत अच्छा" शब्द जोड़ा है। अब प्रो. राम गोपाल यादव बोलेंगे।

*[हिन्दी]*

**प्रो. राम गोपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, ये प्रभुनाथ सिंह जी, मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अनुपूरक प्रश्न दिया जा चुका है। वह नहीं चाहते कि कोई अन्य व्यक्ति अनुपूरक प्रश्न रखे।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** मान्यवर, हम इन्हें सलाह दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। सलाह आप निजी तौर पर दें।

*[हिन्दी]*

**प्रो. राम गोपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस अनमैन्ड क्रॉसिंग और आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी. का जिक्र किया गया है। इन दोनों बातों से संबंधित मेरा सवाल है। मेरे प्रश्न का आधा हिस्सा आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी. से संबंधित है और दूसरा हिस्सा अनमैन्ड क्रॉसिंग के बारे में है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपना प्रश्न तुरंत रखें।

*[हिन्दी]*

**प्रो. राम गोपाल यादव:** आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट यह प्रस्ताव करती है कि हम रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए आधा पैसा देने के लिए तैयार हैं तो क्या माननीय मंत्री जी या उनका विभाग उस चिन्हित स्थान पर आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. बनाने की अनुमति प्रदान करेगा? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग एक पिकुलिअर केस है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। सम्भल से मुरादाबाद जब जाते हैं तो उस रूट पर एक रेल क्रॉसिंग पड़ता है, उस पर फाटक भी बना हुआ है लेकिन वहां आदमी न होने की स्थिति में ऐसा होता है कि जब गाड़ी जाती है तो फाटक से पहले रुकती है। फिर ट्रेन से ड्राईवर या उसका सहयोगी फाटक को बंद करता है, फिर गाड़ी निकलती है और उसके बाद गाड़ी रुकती है, फिर ड्राईवर या उसका आदमी गाड़ी से उतरता है और फिर फाटक को खोलता है।

*[अनुवाद]*

यह प्रक्रिया गत कई वर्षों से जारी है। मैंने इस मुद्दे को उस सभा में भी इसलिए उठाया था परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। क्या आप कृपया केवल अंशकालिक व्यक्ति की व्यवस्था करेंगे? यहां हमेशा ऐसा हो रहा है।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, प्रश्न के पहले भाग का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। जब कभी भी कोई राज्य सरकार पचास प्रतिशत लागत को पूरा करने और एक लाइन से ज्यादा टी.यू.बी. के साथ समपारों पर अन्य सभी औपचारिकताओं का परीवेक्षण करने के प्रस्ताव करती है तो हम मंजूरी देने के लिए तैयार हैं और हमारी तरफ से कोई हिचिकचाहट नहीं है।

जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, ऐसे कुछ रेल खण्ड है जहां केवल एक या दो रेलगाड़ियां चलती हैं। रात्री रेलगाड़ियों की कम संख्या के कारण, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत ही कम रेलगाड़ियां हैं जो फाटक के पहले रुकती हैं और चौकीदार बाहर आकर फाटक बंद करता है और वापस चला जाता है।

**अध्यक्ष महोदय:** पूरी प्रक्रिया का वर्णन यहां करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको यह अनुभव है।

**श्री आर. वेलु:** मैं माननीय सदस्य से पुन: यह अपील करता हूं कि यदि वह इसपर चौकीदार रखने के इच्छुक हैं, तो उनके अंशदान का स्वागत है। उनके मामले की जांच की जाएगी।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप जो बोल रहे हैं, आपकी कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही है। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री ए. कृष्णास्वामी:** माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से हमें यह ज्ञात होता है कि रेल सुरक्षा कोष का उपयोग रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडरब्रिज के निर्माण के लिए किया जा रहा है। अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर, वरिष्ठ नागरिक जोकि, फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने और चलने में असमर्थ हैं, पटरियों को पार कर रेलगाड़ियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं जिससे दुर्घटना - मौतें होती रहती हैं। चूंकि यह सुरक्षा संबंधी पहलु है, क्या मंत्रालय के पास विमानपत्तनों की तरह महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर सुविधा उपलब्ध कराने का है?

**श्री आर. वेलु:** रेल सुरक्षा कोष ऐसी आवश्यकताओं के लिए नहीं है। यह केवल रेल ओवर ब्रिजों के निर्माण और चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार रखने के लिए है।

**श्री ए. कृष्णास्वामी:** यह प्रश्न सुरक्षा से संबंधित है।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, आपके माध्यम से, मैंने उक्त प्रश्न का जवाब दे दिया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं नहीं जानता कि क्यों हर कोई रेल मंत्री बनना चाहता है जबकि ये सभी को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते।

**श्री ए. कृष्णास्वामी:** महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

**श्री आर. वेलु:** उनके प्रश्न का दूसरा भाग सुविधाओं के बारे में है या सुविधाओं के अन्तर्गत आता है, जबकि यह प्रश्न एफ.ओ.बी. के निर्माण से संबंधित है, इसलिए, उसे लेकिन इस रेलवे सुरक्षा कोष के अन्तर्गत नहीं बल्कि अलग से लेना पड़ेगा।

**श्री सांताश्री चटर्जी:** क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया है, कि पश्चिम बंगाल में 436 रेल उपरि पुलों में से कितने निर्माणाधीन हैं? यह मेरे प्रश्न का भाग 'क' है। मेरे प्रश्न का भाग 'ख' इस प्रकार है कि क्या रेल प्राधिकारी पश्चिम बंगाल से प्राप्त रेल उपरि पुल और रेल अधोगामी पुल संबंधी किसी प्रस्ताव पर 2:1 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर विचार कर रहे हैं? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं, मंत्री जी?

**अध्यक्ष महोदय:** जो आप कह रहे हैं उसे मंत्रीजी समझ रहे हैं, कृपया, अपना प्रश्न पूछिए। 50:50 की हिस्सेदारी का सुझाव देने की बजाय आप 2:1 का सुझाव दे रहे हैं।

**श्री सांताश्री चटर्जी:** यह पश्चिम बंगाल सरकार का सुझाव है।

**श्री आर. वेलु:** क्या आप अपना प्रश्न दोहराएंगे?

**श्री सांताश्री चटर्जी:** 436 रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों में से पश्चिम बंगाल में कितने पुल निर्माणाधीन हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** वह उत्तर कैसे दे सकते हैं? वह किसी राज्य के बारे में कैसे बता सकते हैं?

**श्री आर. वेलु:** सामान्यत: हम राज्यवार कार्य नहीं करते हैं, फिर भी, मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में विवरण दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इसे उन्हें अलग से भेज दीजिएगा।

**श्री आर. वेलु:** मैं उन्हें उत्तर भेज सकता हूं।

जहां तक उनके प्रश्न के इससे भाग का संबंध है तो नीति के अनुसार अनुपात 50:50 का है, यदि प्रस्ताव आता है तो हम उसकी जांच करेंगे।

**श्री सांताश्री चटर्जी:** क्या आपको पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है?

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, रिप्लाई बाद में भेज दीजिए।

**श्री मित्रसेन यादव:** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने प्रस्ताव आपके विचाराधीन हैं और अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका प्रश्न क्या है?

*[हिन्दी]*

**श्री मित्रसेन यादव:** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. के कितने प्रस्ताव आपके विचाराधीन हैं और अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है?

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न काल अपना महत्व खो चुका है।

**श्री आर. वेलु:** उत्तर प्रदेश के मामले में 26 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए है और कई कार्यों की स्वीकृति हेतु पहचान की गई है और जिन्हें अभी स्वीकृति नहीं मिली है वे लगभग 266 हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा:** मान्यवर, जब से रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना हुई है उसमें से कितनी राशि खर्च या उपयोग हुई है और इस निधि की स्थापना से लेकर अब तक इन्होंने कितने आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. बनवाए हैं, इसकी संख्या इसमें दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस तरह की कोई विशिष्ट योजना है जिसके माध्यम से हिन्दुस्तान में जितने महत्वपूर्ण जनपद और ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे दिल्ली देश की राजनैतिक राजधानी है।

मुम्बई आर्थिक राजधानी है, काशी हिन्दुस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि इन विशिष्ट जगहों पर सर्वेक्षण के माध्यम से यह यह पता लगाए कि कहां-कहां पर आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. बनाने की आवश्यकता है और क्या सरकार उन्हें बनाने का प्रयास करेगी?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, जैसा मैंने कहा है इन सभी की पहचान कर ली गई है। जहां कहीं एक लाख ट्रैन-व्हीकल यूनिटें हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। चाहे यह वाणिज्यिक केन्द्र हो या पर्यटन केन्द्र हो या चाहे कुछ भी हो। यदि राज्य सरकार आगे आती है तो सरकार उन्हें स्वीकृति देने हेतु पहले ही कदम उठा चुकी है। उदाहरण के लिए जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है यदि उसे प्राथमिकता दी गई है और हमारे पास भेजा गया है तो हम अनिवार्य रूप से उस पर विचार करेंगे और स्वीकृति प्रदान करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री भर्तृहरि महताब, यह सातवां और अन्तिम अनुपूरक प्रश्न है।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव:** बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपको यह नहीं मिलेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव:** महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है...*(व्यवधान)*

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह बहुत ही जायज समस्या है जिसे इस प्रश्न में उठाया गया है, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उत्तर दिया है कि 87 रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों को पूरा कर लिया गया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** पैंतालीस मिनटों में हमने केवल दो प्रश्न ही किए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको अगले प्रश्न में अनुमति दूंगा।

*[हिन्दी]*

सबका नम्बर आएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब:** लगभग 436 रेल उपरि पुल और रेल अधोगामी पुल निर्माण की प्रक्रिया में हैं...*(व्यवधान)* यदि हम गणना करें तो लगभग 50 प्रतिशत धन जिसका निवेश राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है वह लगभग 3000 करोड़ रुपये है।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव:** महोदय, क्या आप नाराज हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** मैं बिलकुल नाराज नहीं हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री भर्तृहरि महताब:** रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपये रखे हुए है जिनका निवेश किया जा रहा है। लेकिन मुख्य आरोप संबंधित राज्यों के विरुद्ध है कि ये अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं और यही कारण हैं कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, आगे स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1252 सम्पार है जहां रेल उपरि पुल और रेल अधोगामी पुलों का निर्माण किया जाना है। इस पर ध्यान देते हुए आपको इन 1252 रेल सम्पारों हेतु रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों के लिए लगभग 15,000 करोड़ की धनराशि की जरूरत होगी जिसमें रेलवे का हिस्सा 7500 करोड़ रुपये होगा। आप पेट्रोल और डीजल से संबंधित उपकर का भुगतान सड़क सुरक्षा निधि के लिए करते हैं। प्रति वर्ष, स्थिर रूप से आपको 400 करोड़ रु. मिलते हैं। क्या आपका सड़क सुरक्षा निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि को 400 करोड़ रु. से बढ़ाकर 800-900 करोड़ रु. करने का इरादा है या आपने इस धनराशि को बढ़ाने का कोई प्रयास किया है? यदि आपने कोई प्रयास किया है तो वह क्या है? क्या आपने पेट्रोल और डीजल संबंधी किसी भी भुगतान करने से छूट प्राप्त करने के लिए सरकार या वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए।

**श्री भर्तृहरि महताब:** अंत में, महोदय, क्या आपका इरादा राज्यों पर 50 प्रतिशत निर्भर रहने के बजाय इसे एकल एजेंसी के तौर पर लेने का है? यदि आपको यह छूट मिल जाए तो क्या आपका इरादा इसे एकल एजेंसी के तौर पर लेने का है ताकि इन रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का कार्य समय पर पूरा किया जा सके?

**अध्यक्ष महोदय:** यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए।

**श्री आर. वेलु:** यह एक अति विधिमान्य प्रश्न एवं सुझाव है। महोदय, मुख्य बात यह है कि क्या हमने सड़क सुरक्षा निधि से हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार से सम्पर्क किया है? वास्तव में स्थायी समिति ने दो सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव इस समय आबंटित किए जा रहे 700 करोड़ रु. के बजाय

900 करोड़ रु. के बढ़े हुए हिस्से के बारे में है। दूसरा सुझाव भी छूट देने का है कि हम प्रति वर्ष लगभग 300 करोड़ रु. का भुगतान 4500 करोड़ रु. के डीजल पर डीजल उपकर के रूप में अपने अंशदान के तौर पर कर रहे हैं। जिसे यहां अपने मित्र पेट्रोलियम मंत्री से खरीद रहे हैं। अत: हम इन दो सुझावों को विचारार्थ सरकार अर्थात योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के सम्मुख रख रहे हैं।

दूसरी बात निष्पादन के लिए एकल एजेंसी की नियुक्ति के बारे में है? यह एक विधिमान्य सुझाव है। परंतु तब धन की कमी है और नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। तब राज्य सरकारों के पास जाने और 50 प्रतिशत आदि की मांग करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे विचार से, यह दोनों सुझाव स्वागत योग्य हैं। हम इनकी जांच करेंगे और इन्हें सरकार के सामने रखेंगे?

**रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना**

+

*303. **श्री उदय सिंह:**

**श्री राजेश वर्मा:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को रेलगाड़ियों में अपराधियों से निपटने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के बाद से रेलगाड़ियों में अपराध की दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या रेलवे सुरक्षा बल रेलगाड़ियों में उचित सेवाएं प्रदान नहीं करता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे सुरक्षा बल को रेलगाड़ियों में अपराध रोकने हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी के रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) जी हां। रेलवे पर अपराधों को नियंत्रित करने हेतु सरकार के प्रयासों में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से रेलवे को सक्षम बनाने के लिए रे.सु.ब. अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों को बहुत-सी गाड़ियों में मार्ग रक्षण हेतु और यात्री क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। जुलाई, 2004 से रेल अधिनियम में संशोधन करते हुए गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले छोटे-मोटे अपराधों जैसे खरते की जंजीर खींचना, छत पर यात्रा करना, दलाली करना, बिना टिकट यात्रा करना, अनधिकृत प्रवेश आदि (धारा 150 एवं 152 के अंतर्गत तोड़-फोड़ संबंधी मामलों को छोड़कर) से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय दंड संहिता, रेल अधिनियम और देश के अन्य कानूनों के तहत जघन्य अपराधों यथा तोड़-फोड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना आदि सहित हत्या, डकैती, लूट-पाट, बलात्कार आदि से निपटने के लिए राज्य पुलिस (राजकीय रेलवे पुलिस) को अधिक संख्या में कर्मचारी और समय मिल सकें।

(ख) और (ग) जी हां। जनवरी से जून, 2004 तक की अवधि की तुलना में जुलाई से दिसंबर 2004 तक की अवधि के दौरान गाड़ियों और रेल परिसरों में डकैती, लूट-पाट, चोरी और यात्रियों के सामान की चोरी आदि के मामलों में कमी आई है। बहरहाल, अन्य संज्ञेय मामले जैसे हत्या/हत्या करने के प्रयास, अपहरण के मामलों में मामूली सी वृद्धि हुई है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| अपराध | जनवरी से जून 2004 | जुलाई से दिसंबर 2004 |
|---|---|---|
| डकैती | 82 | 50 |
| लूट-पाट | 201 | 198 |
| यात्रियों के सामान की चोरी | 6066 | 5542 |
| हत्या और हत्या करने के प्रयास | 179 | 186 |
| अपहरण | 37 | 44 |
| कुल संज्ञेय अपराध | 10,431 | 10,643 |

(घ) और (ङ) जी नहीं। जुलाई, 2004 से, रेल सुरक्षा बल भारतीय रेलों पर प्रभावित गाड़ियों में राज्य सरकारों के समन्वय से प्रतिदिन औसतन 1,217 मार्गरक्षण पार्टियों, जिनके लिए औसतन 3,712 कर्मचारी तैनात किये जाते हैं, की व्यवस्था कर रहा है। इसके अतिरिक्त रोजाना 2,705 कर्मचारियों की तैनाती कर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा औसतन 480 स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये तैनातियां गाड़ियों और रेल परिसरों में तैनात राजकीय रेल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त हैं। रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए अपराधियों को संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को अपराध संबंधी विस्तृत रिपोर्ट के साथ मामला दर्ज करने के लिए और आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। अतिरिक्त सेवाएं मुहैया करवाने के लिए रेल सुरक्षा बल के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए छः माह का समय काफी कम है। वर्दी में सुरक्षा कर्मियों की बढ़ी हुई मौजूदगी के कारण अधिक मामले प्रकाश में आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट की जा रही है और उन्हें दर्ज किया जा रहा है।

(च) से (ज) रेल सुरक्षा बल को अतिरिक्त सड़क वाहनों से सुसज्जित किया जा रहा है जिसमें 48 बसें, 152 जीप और 119 मोटरसाइकिलें जिनकी कुल लागत 9 करोड़ रुपए है, शामिल हैं। 4 करोड़ रुपए से अधिक लागत के संचार उपकरण जिनमें 5 वाट के 3142 वाकी टाकी और 25 वाट के 123 वी.एच.एफ. सेट शामिल हैं, मुहैया कराए जाने हैं। इस संबंध में धनराशि अनुमोदित कर दी गई है और मामला प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त ठोस एवं असरदार हथियार (3.02 करोड़ रुपए की लागत से 5.56 एम.एम. की 1000 इनसास राइफलें) मुहैया कराए गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 इनसास राइफलें और 5000 कारबाइनें जिनकी कुल लागत 3.58 करोड़ रुपए है, खरीद जा रही हैं।

1 जुलाई 2004 से पहले 5-1-2004 से 26-4-2004 तक रेल सुरक्षा बल कार्मिकों को री-ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि उनको सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें जानकारी हो सके। इसके अलावा, एक पेशेवर एजेंसी के तहत, कस्टमर केअर में भी रेलवे के अन्य वाणिज्यिक एवं परिचालनिक कार्मिकों के साथ रेल सुरक्षा बल के पर्यवेक्षणीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

**श्री उदय सिंह:** धन्यवाद, महोदय। मैं केवल एक अनुपूरक पूछकर सदन की सहायता करने का प्रयास करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री उदय सिंह:** माननीय मंत्री जी मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं खंबे के पीछे हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह टीका-टिप्पणियां ऐसे समय पर चल रही है जब सभा में बैठक के एक अति महत्वपूर्ण हिस्से प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है। इन प्रश्नों के माध्यम से, व्यक्ति कार्यपालिका की जवाबदेही तय करते हैं। यह सिर्फ किसी प्रकार प्रश्न पूछने और नहीं पूछने का मामला बनता जा रहा है। अनेक सदस्य चाहेंगे कि प्रश्न पूछे जाएं। कम से कम अध्यक्षपीठ का तो कुछ आदर कीजिए क्या आप ऐसी टीका-टिप्पणियां जारी रखकर इस सभा की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं? मुझे यह सब बातें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है?

**श्री उदय सिंह:** महोदय, मुझे माननीय मंत्रीजी से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह अत्यंत भयभीत करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम 'पुलिस रेलवे' की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम हजारों राइफलें खरीदने की बात कर रहे हैं, लगभग ऐसा लगता है कि रेलगाड़ियों से केवल आतंकवादी यात्रा कर रहे हैं। भारत में रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की आंखों में डर साफ दिखाई देता है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका प्रश्न क्या है?

**श्री उदय सिंह:** प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी, सरकार आज के समय में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे? मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि बोगियों और रेलगाड़ी चालक के बीच संप्रेषण न हो तो अपराध घटित होते समय बोगियों में ताला लगाया जा सकता है? क्या वे उपलब्ध प्रौद्योगियों का लाभ उठाएंगे या वे केवल राइफलों और बंदूकों पर निर्भर रहेंगे?

**श्री आर. वेलु:** हमने प्रश्न के उत्तर में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा दिया है। यह ब्यौरा रेलगाड़ियों में तथा स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक सुरक्षा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए हो सकता है। खैर, बोगियों को ताला लगाने की प्रौद्योगिकी प्रयोग करने संबंधी सुझाव स्वागतयोग्य सुझाव है और हम इसकी जांच करेंगे। परंतु तत्पश्चात् इससे हम सभी सुविधाओं सहित अपने रेलवे सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे ताकि सम्भावित घटनाओं से निपटा जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

**श्री उदय सिंह:** मैं इसे समाप्त करता हूं। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश वर्मा:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के (ख) तथा (ग) खंड के उत्तर में बताया है कि रेल में होने वाले अपराधों में कमी आई है, लेकिन आखिर में आपने स्वीकार किया है कि हत्या के मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। मैं माननीय राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य संगीन मामले जो हत्या और अपहरण से संबंधित हैं, उनमें वृद्धि के क्या कारण हैं और उन्हें कम करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि जिन अन्य अपराधों में कमी आई है वे यात्रियों से संबंधित हैं। ये अपराध हैं: हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण आदि जो कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण सामने आ रहे हैं। आप भी आंकड़ों से यही देखते हैं कि यह जो अपराध - हत्या, अपहरण आदि हो रहे हैं वह चलती रेलगाड़ियों में नहीं हो रहे हैं बल्कि अधिकतर अपराध रेलवे स्टेशनों पर हो रहे हैं। इसका कारण भावकों के गुटों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी है। अतः, आप इसे इस विषय से नहीं जोड़ सकते हैं।

दूसरी तरफ, रेलवे संरक्षा अधिनियम 1957 और रेलवे संरक्षा अधिनियम 1989 में संशोधन के बाद रेलवे सुरक्षा बल को लगभग 26 छोटे अपराधों से स्वयं निपटने के लिए और अधिक शक्तियां दी गई हैं। इससे सहायता मिली है और इसके परिणामस्वरूप अपराध पीड़ित यात्री अपराधों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसीलिए यह उपबंध है। हमने माननीय सदस्य के सुझाव पर पूरा ध्यान दिया है। वास्तव में, इससे सरकार मजबूत होगी। पुनः ये बातें राज्य पुलिस और आई.पी.सी. से जुड़ी है। हम इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ समन्वय बैठकें कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन देता हूं।

**श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) में अनुकम्पा के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है। नैतिक आधार पर भी, इस प्रकार हम रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ बना सकते हैं।

**श्री आर. वेलु:** महोदय, आज भारतीय रेल अनुकम्पा के आधार पर सबसे अधिक नौकरियां प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष हम 7,000 से 8,000 व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करते हैं। माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत है। यदि वह वर्ष-वार ब्यौरा आदि चाहती हैं तो मैं उन्हें और अधिक ब्यौरा दे दूंगा। हम रेलवे सुरक्षा बल में व्यापक स्तर पर भर्ती कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** अध्यक्ष महोदय, रेलगाड़ियों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मंत्रालय ने जो उपाय किए हैं, मुझे लगता है वे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। आज मुंबई में जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें लाखों यात्री सफर कर रहे हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हमने देखा है और अखबार में भी आया है कि ज्यादातर महिलाएं, जो लोकल ट्रेन में सफर करती हैं, उनके चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है और एक अपंग लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना लोकल ट्रेन में घटी है। मैं साफ तौर पर माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम उठाने जा रही है?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, हमने रेलवे सुरक्षा बल में 66,000 कार्मिकों को भर्ती किया है। हम महिला कार्मिकों को भी आर.पी.एफ. में भर्ती कर रहे हैं। अब उन्हें सुरक्षा कार्यों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने उन्हें प्रशिक्षण दिया है जिससे कि महिला आर.पी.एफ. कार्मिक महिला डिब्बों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें।

*[हिन्दी]*

**श्री विजय कृष्ण:** अध्यक्ष महोदय, रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को जानकारी होगी कि दानापुर रेल मंडल के अन्तर्गत

बक्सर से सीतारामपुर तक सभी रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षा गृह को रेलवे सुरक्षा बल के लोगों ने कब्जे में कर रखे हैं। यहां तक कि औरतों को पखाना जाने में भी दिक्कत होती है और अन्य प्रतीक्षा गृह भी कब्जे में हैं। क्या सरकार रेलवे सुरक्षा बलों के जवानों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था करेगी? क्या अलग से कार्यालय की व्यवस्था करेगी? सभी स्टेशनों में लगभग यही स्थिति है, क्या सरकार कब्जा किए हुए स्थान को कब्जा से मुक्त कराएगी?

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, अब हमने कार्यक्रम में आर.पी.एफ. कार्मिकों के लिए पृथक सुविधाएं प्रदान कर दी है। उन मामलों की अवश्य जांच की जायेगी और उन्हें खाली करवाने के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री राजनरायन बुधौलिया:** अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि जनवरी से जून, 2000 तक की अवधि की तुलना में जुलाई, 2000 के दौरान गाड़ियों और रेल परिसरों में डकैती, लूटपाट, चोरी, यात्रियों के सामान की चोरी आदि मामलों में कमी आई है लेकिन हत्या, हत्या के प्रयासों और अपहरण के मामलों में वृद्धि हुई है।

**अध्यक्ष महोदय:** समय पूरा हो रहा है।

**श्री राजनरायन बुधौलिया:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन गंभीर मामलों की वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय करने जा रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. वेलु:** महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले ही माननीय सदस्यों को उत्तर दे दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, जघन्य अपराध वैयक्तिक शत्रुता के कारण स्टेशनों पर होते हैं। हमने राज्य पुलिस को भी इन मामलों से निपटने के लिए प्रेरित किया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ इनमें कमी आएगी।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### प्रसार भारती को प्रसारण अधिकार देना

***304. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती का कतिपय क्षेत्रों में प्रसारण के संबंध में एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार से प्रसार भारती के उक्त एकाधिकार को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (घ) भारत में स्थलीय टेलीविजन प्रसारण इस समय केवल प्रसार भारती द्वारा किया जा रहा है जबकि उपग्रह के जरिए टेलीविजन प्रसारण प्रसार भारती और निजी प्रसारकों दोनों के द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारत में निजी स्थलीय टेलीविजन प्रसारण सेवा की शुरुआत करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों से निवेश और उपयुक्त नीति और लाइसेंसिंग ढांचे पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2005 को "निजी स्थलीय टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से संबंधित मुद्दे" पर केवल एक परामर्श पत्र जारी किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अभी तक अपनी सिफारिशें तैयार नहीं की हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही सरकार इस बारे में विचार करेगी।

*[अनुवाद]*

### भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

***305 श्री किन्जरपु येरननायडु:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित भारत-ईरान गैस पाइपलाइन का रूट चार्ट क्या है;

(ख) क्या ईरान भारतीय सीमा पर गैस का एक डिलीवरी बनाने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त पाइपलाइन से घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) पाकिस्तान के रास्ते ईरान से भारत तक की गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव चर्चा के आरंभिक चरण में है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर, हमारे अनुमत स्थल पर, पाइपलाइन द्वारा गैस की सुपुर्दगी के लिए ईरान और भारत के बीच और पाकिस्तान के रास्ते ईरान से पारेषण के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच अलग से दो बैक-टु-बैक करार किए जाने प्रस्तावित हैं। पाइपलाइन के मार्ग, सुपुर्दगी स्थल आदि सहित परियोजना के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। सिद्धांत रूप में ईरान से पाइपलाइनों के राष्ट्रीय नेटवर्क तक लिंक आपूर्तियां प्रस्तावित हैं किन्तु विशिष्ट आपूर्तियों पर अभी कार्य किया जाना है।

(ङ) और (च) भारत के अंदर विपणन व्यवस्थाएं, भारत-पाकिस्तान सीमा के लिए आपूर्ति ब्यौरों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद की जाएंगी।

*[हिन्दी]*

**रेलवे स्टेशनों की स्थापना**

***306. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री वी.के. दुग्मर:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशन की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के सामने क्या बाधाएं आ रही हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) नए स्टेशन की स्थापना के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, परियोजनाओं के भाग के रूप में या परिचालनिक दृष्टिकोण से मौजूदा लाइनों पर और परिचालनिक, इंजीनियरिंग और अर्थक्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जनता और विकास केंद्रों की मांग को पूरा करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना की जाती है।

**विदेशों में तेल एवं गैस अन्वेषण संबंधी परियोजनाएं**

***307. श्री सीता राम यादव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में तेल एवं गैस अन्वेषण संबंधी परियोजनाओं के लिए ठेके प्रदान करने की मौजूदा नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय तेल कंपनियां जैसे ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) विदेश में इक्विटी तेल और गैस प्राप्त करने और विदेश में अन्वेषण रकबे और उत्पादन परिसंपत्तियां प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। इन कंपनियों के वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर और मिस्र में तेल परियोजनाओं में प्रतिभागित हित हैं।

भारतीय तेल कंपनियों को विदेश में इक्विटी तेल प्राप्त करने के उनके प्रयासों में मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल राजनय संबंधी परामर्शदायी समिति गठित की है जिसमें उन देशों और क्षेत्रों के विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ सम्मिलित हैं जिनके साथ तेल कंपनियों की परस्पर बातचीत करने की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**रेलपथों का विद्युतीकरण**

***308. श्रीमती अनुराधा चौधरी:**

**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के दौरान कुल कितने किलोमीटर लंबे रेलपथ का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति प्रतिशतता के रूप मं धीमी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समय पर कार्य पूरा न होने के कारण लागत राशि में कितनी वृद्धि हुई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल अर्थात् 2003-04 में 350 मार्ग किमी. लक्ष्य की तुलना में 504 मार्ग किमी. का विद्युतीकरण किया गया।

(ख) जी नहीं। 2004-05 के लिए लक्ष्य 375 मार्ग किमी. है जिसे हासिल कर लिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे में रोजगार**

***309. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार तथा वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलगाड़ियों की संख्या, उनकी आवृति तथा अन्य संबंधित कार्यों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद रेल कर्मचारियों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों में वर्ग-वार उन पदों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए सिफारिशें की गई थीं तथा इसके अनुसरण में कितने उम्मीदवार नियुक्त किए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा रेलवे में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अब तक क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष-वार और समूह-वार विवरण इस प्रकार है:-

| निम्नलिखित तिथियों को | समूह "क" | समूह "ख" | समूह "ग" | समूह "घ" | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2002 | 7664 | 6577 | 890004 | 606514 | 1510759 |
| 31-03-2003 | 7326 | 6295 | 869965 | 588264 | 1471850 |
| 31-03-2004 | 7921 | 6369 | 860077 | 567154 | 1441521 |

(ग) भारत सरकार में जनशक्ति को सही आकार देने में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के अनुरूप ही भारतीय रेलों ने जनशक्ति को सही आकार देने की कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, रेलवे अपनी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं में आधुनिक तकनीक यथा भाप कर्षण को समाप्त करना, आधुनिक रेलपथ संरचना और सिगनल प्रणाली, उन्नत परिचालनिक पद्धतियां, उच्च क्षमता वाले चल स्टॉक के प्रयोग, कंप्यूटरीकरण आदि को अपना रही है। इससे कतिपय क्रिया-कलापों में जनशक्ति की आवश्यकता में कमी आ रही है जबकि नए क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता होने पर पुनः प्रशिक्षण, पुनः तैनाती और भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। रेलवे उत्तम कोटि की प्रक्रियाओं का विकास करने और उन्हें लागू करने के लिए बेंचमार्किंग नीतियों का भी उपयोग कर रही है जिससे कार्यकलापों की तुलना में जनशक्ति को सही आकार देने में मदद मिलेगी।

(घ) रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा पैनल में लिए गए और वास्तव में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वर्ष-वार और समूह-वार संख्या इस प्रकार है:-

| वर्ष | समूह "ग" | समूह "घ" | कुल | वास्तविक संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 7457 | कुछ नहीं | 7457 | 4615 |
| 2002-03 | 3993 | 78 | 4071 | 3817 |
| 2003-04 | 14137 | 2655 | 16792 | 3851 |

(ङ) नई लाइनों/खंडों के खोलने से, नई उत्पादन इकाइयों को खोलने से और अनुरक्षण सुविधाओं या चल स्टाक संबंधी अवसंरचनाओं के द्वारा रेलवे में रोजगार के सीधे अवसरों का सृजन होता है। इसलिए, नौकरियां, परिचालनिक और व्यावसायिक अवसरों जिनका रेलवे द्वारा पूरा लाभ उठाया जाता है, पर आधारित होती हैं।

**पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात**

***310. डा. चिन्ता मोहन:**

**श्रीमती जयाप्रदा:**

**क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार, कितनी मात्रा निर्यात की गई;

(ग) उक्त निर्यात में सरकारी तथा निजी कंपनियों की कितनी-कितनी भागीदारी है;

(घ) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में पेट्रोल और डीजल की किन दरों पर बिक्री की गई है; और

(ङ) विदेशी तथा घरेलू बाजार में इन उत्पादों की बिक्री दरों में कितना अंतर है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान सा.क्षे. उपक्रम और निजी कंपनियों द्वारा निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा निम्नवत् है:

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

| उत्पाद | सा.क्षे.उ. | निजी कंपनियां |
|---|---|---|
| पेट्रोल | 78 | 2286 |
| नाफ्था | 2250 | 125 |
| एच.एस.डी. | 1004 | 4852 |
| स्नेहक/एल.ओ.बीज | 1 | 0 |
| ईंधन तेल | 1405 | 0 |
| वैकुम गैस आयल | 54 | 43 |
| ए.टी.एफ. | 906 | 1116 |
| एस.के.ओ. | 0 | 11 |
| िफार्मेट | 307 | 0 |
| बिटुमन | 33 | 0 |
| पैराफिन मोम | 9 | 0 |

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एक निविदा प्रक्रिया के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं। घरेलू बाजार में बेचे जा रहे पेट्रोल और डीजल की दरें और विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल और डीजल की दरें तुलनीय नहीं हैं क्योंकि:

(क) निर्यात के रास्ते बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित दैनिक मूल्य पर आधारित है।

(ख) विदेशों को निर्यात एफ.ओ.बी. (पोतपर्यन्त नि:शुल्क)/ सी. एंड एफ. (लागत और भाड़ा) आधार पर होता है और उत्पादन और अन्य स्थानीय उद्ग्रहणों के भुगतान के बिना होता है जबकि घरेलू बाजार में बिक्री में उत्पादन/सीमा शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय उद्ग्रहण और परिवहन शामिल होते हैं।

*[अनुवाद]*

**रेल परियोजनाएं**

***311. श्री सुग्रीव सिंह:**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने रेलवे को उसकी आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत करने से पूर्व अपनी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए रेलवे पर कुछ शर्तें लगाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग**

***312. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वाहनों में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग सुगम बनाने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(घ) सरकार द्वारा उनका क्रियान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में जनवरी, 2005 में एक अंतर-मंत्रालायीन कार्यबल का गठन किया है।

कार्यबल को आवश्यकता के अनुसार बैठक करनी होती है और सरकार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सूचित करना होता है। सतत् प्रकृति का होने के नाते, कार्यबल द्वारा सरकार को कोई एक बारगी रिपोर्ट भेजना परिकल्पित नहीं है।

**ओ.एन.जी.सी. द्वारा अखननीय कोयले का उपयोग**

***313. श्री अधीर चौधरी:**

**श्री निखिल कुमार:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. का विचार तरल ईंधन एवं ईंधन गैस हेतु भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अखननीय कोयले का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. ने देश में उन स्थानों की पहचान की है जहां अखननीय कोयला उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखननीय कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी कितनी सस्ती साबित होगी और इससे देश में ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति होगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.) के लिए 25-11-2004 को स्कोचिंस्की इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग-नेशनल माइनिंग रिसर्च सेंटर (एस.आई.एम.-एन.एम. आर.सी.), मास्को के साथ एक सहयोग करार (ए.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ए.ओ.सी. की परिकल्पना निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की है:

- तकनीकी ज्ञान और यू.सी.जी. से संबंधित प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान।
- यू.सी.जी. प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता का विकास और उपयोग।
- विभिन्न भूगर्भीय, जल विज्ञान संबंधी और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए क्षेत्र प्रदर्शनियों के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित करना।
- प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से प्रक्रिया की वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करना।

(ग) और (घ) ए.ओ.सी. पर हस्ताक्षर होने पर यू.सी.जी. प्रायोगिक परियोजनाओं के हाथ में लेने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण एस.आई.एम.-एन.एम.आर.सी. के साथ परामर्श से किया जाएगा।

(ङ) गैस की लागत, कोयले की पर्तों की गहराई, मोटाई, गुणवत्ता आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर है। परियोजना प्राथमिक/प्रारंभिक चरण में है और सही सही रूप से मूल्य इंगित करना अपरिपक्व होगा।

**राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को सुरक्षा प्रदान करना**

***314. श्री डी. विट्ठल राव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय विमान मार्गों पर निजी एयरलाइनों को उड़ान भरने की अनुमति देने के निर्णय से राष्ट्रीय विमान कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कितनी हानि होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर राष्ट्रीय विमान कंपनियां भारत को/से प्रचालन कर रही अनेक विदेशी एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में प्रचालन करती हैं। जबकि निजी एयरलाइनों को अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति देते समय, हमारे राष्ट्रीय वाहकों के हितों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देशों में अनेक सुरक्षा उपाय समाहित किए गए है। अन्य पात्र अनुसूचित वाहकों को यातायात अधिकार आबंटित किए जाने से पहले एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की प्रचालनिक योजनाओं पर यथोचित रूप से विचार किया जा रहा है। खाड़ी मार्गों को तीन वर्ष की अवधि के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के लिए आरक्षित रखा गया है। अन्य मार्गों पर, एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की ओर से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इन्हें पात्रताएं प्रदान की गई है तथा इसके पश्चात् शेष बची पात्रताएं ही निजी एयरलाइनों को आबंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिन मार्गों पर निजी एयरलाइनों को प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दी गई है, उनमें से अधिकांश मार्गों पर यातायात बहुत ज्यादा है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे आकलन के अनुसार इन मार्गों पर और अधिक उड़ानें होने से पर्याप्त संख्या में यातायात अप्रत्यक्ष वाहकों से स्थानान्तरित होकर प्रत्यक्ष वाहकों को मिलेगा। इस प्रकार इन मार्गों पर सभी एयरलाइनों के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक अवसर सुलभ रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय वाहक भी इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए लीज पर/अधिग्रहित विमानों से अपने बेड़े का विस्तार कर रहे हैं। उपरोक्त के मद्देनजर निजी एयरलाइनों को खाड़ी देशों को छोड़कर अन्य मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दिए जाने के निर्णय से हमारे राष्ट्रीय वाहकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

*[हिन्दी]*

**बच्चों को गोद लेना**

***315. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध रूप से बच्चे गोद लेने से संबंधित कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध रूप से बच्चे गोद लिए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार):** (क) और (ख) हाल में, गैर-कानूनी दत्तकग्रहण की ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) भारत सरकार ने गैर-कानूनी दत्तकग्रहण को रोकने के उद्देश्य से देश में दत्तकग्रहण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 22-06-2004 को अंत:देशीय दत्तकग्रहण दिशा-निर्देश, 2004 अधिसूचित किए हैं।

*[अनुवाद]*

**कैट-तीन ए प्रणाली के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देना**

***317. श्री असादूदीन ओवेसी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 2005 के **टाइम्स ऑफ इंडिया** अखबार में "बेटर फ्लाइट स्लाटिंग केन मिनिमाइज फाग इफेक्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइन्स ने अपने पॉयलटों को कैट-तीन ए प्रणाली का प्रयोग करके विमान उड़ानें हेतु प्रशिक्षित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोहरे से बचने हेतु कैट-तीन ए प्रणाली का प्रयोग करने के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) चालू सत्र के दौरान कोहरे के कारण उड़ानें रद्द होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रत्येक कोहरा अवधि के दौरान कम दृश्यता वाली स्थितियों में प्रचालनों के लिए दिशानिर्देश जारी करती है, जिनमें अन्य मामलों के साथ हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा कम दृश्यता वाली स्थितियों में उड़ान भरने व उतरने के लिए कैट-IIIए तथा कैट-II प्रणालियों में प्रशिक्षित पायलटों को वरीयता दी जाती है। एयरलाइनें कैट-IIIए इन्स्ट्रूमैण्ट लैण्डिंग सिस्टम का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से अपने प्रशिक्षित पायलटों की सर्वश्रेष्ठ उपयुक्तता उपलब्ध कराने के लिए उड़ान स्लॉटों का अनुरोध करती हैं ताकि कोहरे के विपरीत प्रभाव तथा यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया जा सके। तथापि, अनेक एयरलाइनों के सभी पायलट कौट-IIIए आई.एल.एस. के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं और इसलिए वे इस प्रणाली का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाई हैं।

(ग) और (घ) 21 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स के 52 तथा एअर इंडिया के 56 पायलटों को प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें कैट-IIIए प्रणाली का उपयोग के लिए अनुमोददित किया गया।

(ङ) और (च) एयरलाइनों ने अपने पायलटों को कैट-IIIए आई.एल.एस. प्रणाली में प्रशिक्षण देने पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त, कोहरे के दौरान, इस प्रणाली का उपयोग किए जाने से पूर्व पायलटों का प्रशिक्षण तथा कैट-IIIए आई.एल.एस. के प्रयोग के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उनको प्राधिकृत किया जाना अनिवार्य है।

(छ) कोहरे के कारण उड़ानों को रद्द किए जाने से एयरलाइनों को हुई वास्तविक हानि का उल्लेख उनके वित्तीय विवरण में नहीं किया जाता।

*[हिन्दी]*

**टी.वी. धारावाहिकों के प्रसारण हेतु मानदंड**

***318. श्री संतोष गंगवार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न दूरदर्शन चैनलों पर धारावाहिकों के प्रसारण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्धारित मानदंडों में कोई परिवर्तन किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय कितने टी.वी. धारावाहिक विभिन्न दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण हेतु मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं; और

(ङ) इन धारावाहिकों को कब तक समय आवंटित किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि "प्रायोजित श्रेणी" और "कमीशंड श्रेणी" के अंतर्गत टी.वी. धारावाहिकों के प्रसारण हेतु बाहरी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने, कार्यवाही करने और अनुमोदित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं। ये दिशा-निर्देश दूरदर्शन की वेबसाइट www.ddindia.com पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि क्रमश: प्रायोजित/कमीशंड/अधिप्राप्ति श्रेणियों में प्रस्तावों को विनियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रायोजित, कमीशंड और अधिप्राप्ति श्रेणियों के अंतर्गत धारावाहिकों के चयन की प्रक्रिया विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों/चैनलों का एक सतत् कार्यकलाप है और यह सम्बन्धित केन्द्र/चैनल की कार्यक्रम अपेक्षाओं, समय स्लॉटों और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

*[अनुवाद]*

**विदेशी चैनल**

***319. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
**श्री बीर सिंह महतो:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे विदेशी चैनलों और प्रत्येक के द्वारा घोषित वित्तपोषण के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विदेशी चैनल में कितना-कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है;

(ग) क्या कुछ विदेशी चैनलों ने सरकार के मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) विदेशी चैनलों के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) भारत से अपलिंक करने की जिन कम्पनियों को अनुमति दी गई है और जिनके पास उनकी प्रदत्त इक्विटी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के भिन्न-भिन्न घटक हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, मार्च, 2003 में प्रदत्त इक्विटी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम अनुमत प्रतिशतता को घटाकर 26% करने के पश्चात् तत्कालीन मौजूदा समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों को 25 मार्च, 2004 तक दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने के लिए कहा गया था। इस अंतिम तारीख को आगे 31 मार्च, 2005 तक बढ़ा दिया गया है।

***विवरण***

| क्र.सं. | कम्पनियों का नाम | कुल प्रदत्त इक्विटी की कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ए.टी.एन इण्टरनेशनल लि. | 0.76% |
| 2. | ब्रॉडकास्ट बर्ल्डवाइड लि. | 6.97% |
| 3. | कॉक्सवेन टेक्नोलॉजीज लि. | 10.15% |
| 4. | इण्टेलीविजन लि. | 6.44% |
| 5. | जैन स्टूडियोज लि. | 22.088% |
| 6. | जीवन टेलीकास्टिंग कारपोरेशन लि. | 25.94% |
| 7. | मीडिया कण्टेंट एंड कम्युनिकेशंस सर्विस (इण्डिया) प्रा. लि. | 26% |
| 8. | न्यू दिल्ली टेलीविजन लि. | 3.04% |
| 9. | स्काई (बी) बंगला प्रा. लि. | 0.5% |
| 10. | श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क लि. | 0.25% |
| 11. | सॉफ्टवेयर ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि. | 24% |
| 12. | तनु हत्थकेयर लि. | 1.66% |
| 13. | टेलीविजन ऐटीन इंडिया लि. | 6.01% |
| 14. | टी.वी. टुडे नेटवर्क लि. | 6.20% |
| 15. | जी टेलीफिल्म्स लि. | 46.34% |

**एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ के अनुबंध समाप्त करना**

***320. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों का संचालन करने वाले लोगों के अनुबंध समाप्त करने तथा उन्हें कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे बूथों का संचालन करने वाले अधिकांश व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग तथा बेरोजगार हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या के मानवीय पहलू को देखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) कुछ मौजूदा एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के ठेके 27-4-2005 को समाप्त हो रहे हैं जिसके पश्चात ये बूथ मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न कोटि के व्यक्तियों को आबंटित किए जाएंगे।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) 11-3-2005 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्तियों को, जो वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ चला रहे हैं और जिनके ठेके समाप्त हो रहे हैं, अपने ठेके जारी रखने दिए जाएं और उनके ठेकों की अवधि 27-4-2007 को बीत जाने के पश्चात् बढ़ा दी जाए बशर्ते कि उनका कार्य संतोषजनक हो।

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

**3281. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में और अधिक निवेश के लिए केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार ने बहुत कम निवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न स्थानों/राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव आवश्यकता-आधारित परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रस्ताव सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इस बारे में निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

(ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002-03, जो एक प्रकाशित दस्तावेज है तथा प्रतिवर्ष संसद में रखा जाता है, के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच (5) उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय केरल राज्य में स्थित थे। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य 61 उद्यमों के कार्यालय/संयंत्र भी केरल में स्थित हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 66 उद्यमों की सकल परिसंपत्ति 31-3-2003 तक 22677.71 करोड़ रुपए थी।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[हिन्दी]*

## पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

**3282. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) देश में स्थापित पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां निट भविष्य में नए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय के पास नए पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास तीन नए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है तथा प्रस्ताव पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय 88 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम/ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिलों, जहां पर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं, के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहमति से पंचायती राज मंत्रालय जयपुर में आयोजित सातवें गोलमेज सम्मेलन, जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण-II में देखी जा सकती है, में "प्रशिक्षण" के संदर्भ में बनाए गए कार्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य कर रहा है।

*विवरण-I*

*ग्रामीण विकास मंत्रालय*
*(प्रशिक्षण अनुभाग)*

**विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची:**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | जिला | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1. श्रीकलाहस्ती | |
| | | 2. वारांगल | |
| | | 3. बापतला | जिला-गुंटूर |
| | | 4. समलकोटा | जिला-पूर्वी गोदावरी |
| | | 5. राजेन्द्रनगर | जिला-हैदराबाद |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1. पासीघाट | |
| 3. | असम | 1. जोरहाट | |
| | | 2. जॉयसागर | |
| | | 3. काहीकोची | |
| | | 4. हैलाकांडी | |
| 4. | बिहार | 1. गया | |
| | | 2. सहरसा | |
| | | 3. मुजफ्फरपुर | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1. चांदकुरी | जिला-रायपुर |
| 6. | गुजरात | 1. जूनागढ़ | |
| | | 2. दीसा | |
| | | 3. नवासरी | |
| 7. | हरियाणा | 1. नीलोखेड़ी | जिला-करनाल |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1. मशोबरा | जिला-शिमला |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 1. आर.एस. पुरा, जम्मू | |
| | | 2. बड़गाम | जिला-श्रीनगर |
| 10. | झारखण्ड | 1. जसीडीह | जिला-संथाल परगना |
| | | 2. हजारी बाग | |
| 11. | कर्नाटक | 1. गुलबर्गा | |
| | | 2. सिरसी | |
| | | 3. मैसूर | |
| | | 4. गौरीपेट | जिला-कोलार |
| | | 5. मांड्या | |
| 12. | केरल | 1. कोट्टाराकारा | |
| | | 2. मन्नुती | जिला-त्रिचूर |
| | | 3. तालीपरम्बा | जिला-कन्नूर |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1. उज्जैन | |
| | | 2. भोपाल | |
| | | 3. मुल्ताई | |
| | | 4. जबलपुर | |
| | | 5. इंदौर | |
| | | 6. नौगांव | जिला-छत्तरपुर |
| | | 7. ग्वालियर | |
| 14. | महाराष्ट्र | 1. परभनी | |
| | | 2. जलना | |
| | | 3. बुलदाना | |
| | | 4. कोसबाद हिल | जिला-थाणे |
| | | 5. गरगोटी | जिला-कोल्हापुर |
| | | 6. के. बाम्डा | जिला-कोल्हापुर |
| | | 7. मंजरी फार्म | जिला-पुणे |
| | | 8. अमरावती | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 1. नांग्सदर | |
| 16. | मिजोरम | 1. पुकपुई | |
| 17. | नागालैण्ड | 1. तेनसेंग | |
| | | 2. फेक | |
| 18. | उड़ीसा | 1. भुवनेश्वर | |
| | | 2. क्योंझर | |
| | | 3. भवानीपटना, | जिला-कालाहाण्डी |
| 19. | पंजाब | 1. बटाला | |
| | | 2. नाभा | |
| 20. | राजस्थान | 1. डूंगरपुर | |
| | | 2. अजमेर | |
| | | 3. मंदौर | जिला-जोधपुर |
| 21. | तमिलनाडु | 1. टी कुल्लूपट्टी | जिला-मदुराई |
| | | 2. एस.वी. नगरम | जिला-सम्बुवरयार |
| | | 3. भवानी सागर | जिला-पेरियार |
| | | 4. पट्टुकोट्टाई | जिला-तंजावुर |
| | | 5. कृष्णागिरी | जिला-धरमपुरी |
| 22. | उत्तरांचल | 1. रुद्रपुर | जिला-ऊधमसिंह नगर |
| | | 2. हवलबाग | जिला-अल्मोड़ा |
| | | 3. पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी | जिला-नैनीताल |
| | | 4. गुरुकुल कांगड़ी | जिला-हरिद्वार |
| | | 5. पौड़ी गढ़वाल | |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 1. यक्षी का तालाब | जिला-लखनऊ |
| | | 2. बाकेवार | जिला-इटावा |
| | | 3. बड़ौत | जिला-बागपत |
| | | 4. बिचपुरी | जिला-आगरा |
| | | 5. चिरगांव | जिला-झांसी |
| | | 6. धोरीघाट | जिला-मऊ |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | | 7. बुलंदशहर | |
| | | 8. फैजाबाद | |
| | | 9. कालाकंकर | जिला-प्रतापगढ़ |
| | | 10. मैनपुरी | |
| | | 11. खुर्जा | जिला-बुलंदशहर |
| | | 12. चारगांव | जिला-गोरखपुर |
| | | 13. रायबरेली | |
| | | 14. गाजीपुर | |
| | | 15. बदायूं | |
| | | 16. अफीम-की-कोठी | जिला-प्रतापगढ़ |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 1. कूच बिहार | |
| | | 2. वर्द्धवान | |
| | | 3. दिघा | जिला-मिदनापुर |
| | | 4. रायगंज | |
| विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल सं. | | 88 | |

***विवरण-II***

*पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का सातवां गोलमेज सम्मेलन जयपुर, 17-19 दिसम्बर, 2004*

**सूचना प्रौद्योगिकी सहित ई-गर्वनेन्स**

1. पंचायतों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार) की निवेश हेतु एक महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में पहचान की गई है। जिससे वे प्रदान किये गये अपने संवैधानिक और विधायी कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा सकें।

2. **सूचना प्रौद्योगिकी की मुख्य रूप से आवश्यकता है:-**

   i. स्वयं पंचायतों के लिए निर्णय लेने के सहायक प्रणाली के रूप में,

   ii. पारदर्शिता, नागरिक सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के सहायक के रूप में,

   iii. नागरिकों को सेवाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने के एक साधन के रूप में,

   iv. पंचायतों के आन्तरिक प्रबन्धन तथा कार्यक्षमता में सुधार के साधनके रूप में,

   v. पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के साधन के रूप में,

   vi. ई-खरीद का एक माध्यम

इस परिप्रेक्ष्य में, गोलमेज सम्मेलन विशिष्ट रूप से निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताय करता है।

**प्रक्रिया को पुन: प्रारम्भ करना**

3. सभी राज्य, उनके द्वारा पहले ही की जा रही गतिविधियों सहित, पंचायतों को अन्तरित किये गये कार्यों के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्यान्वयन, लोगों को जानकारी देने, सेवाएं प्रदान करने तथा जानकारी प्रौद्योगिकी सुसज्जित वातावरण में पंचायत

प्रतिनिधियों को सूचना के प्रसार आदि को ध्यान में रखते हुए, एक समयबद्ध प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेंगे।

4. इस प्रक्रिया में, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों तथा ऐजेन्सियों द्वारा उठाये गये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यों की पुनरावृति को रोका जायेगा,

5. संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के सम्बन्ध में, पंचायतों के कार्यक्षेत्र पर विचार करते हुए स्थानीय स्तर पर उठाये गये सभी ई-गर्वनेन्स को समुचित पंचायती राज संस्थाओं के साथ मुख्य बिन्दु के रूप में अभिसारित किया जए।

**डाटा स्वामित्व**

6. पुनः तैयार की गई ऐसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करना सम्भव हो सकेगा कि पंचायत स्तर पर एकत्र किये गये आंकड़ों का स्वामित्व प्रथम दृष्टि में उसी स्तर पर रहें क्योंकि कोई भी प्रणाली तभी स्थाई रह सकती है जब आंकड़ों का इस्तेमाल करने वालों को यह महसूस हो कि प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों पर उसका स्वामित्व है।

7. आंकड़ों के स्वामित्व के साथ, पंचायतें सूचना प्रौद्योगिकी सहित बहुसेवा केन्द्रों, जो पंचायतों के दायरे में आने वाले कार्यों सहित लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित सेवाएं प्रदान करते हैं, को चलाने, आउटसोर्स करने अथवा स्थान प्रदान करने का कार्य भी कर सकती हैं।

8. केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किये जाने वाले सामुदायिक सेवा केन्द्र, पंचायत कार्यालयों में स्थित हों ताकि पंचायतों की सेवाएं इन साझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा सकें।

**प्रशिक्षण**

9. सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर क्रमानुसार ढंग से स्टाफ और पंचायती राज सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच होनी चाहिए,

10. "एडुसेट" सहित इसरो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेटेलाईट सम्पर्कता द्वारा दिये गये अवसरों का उपयोग प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है,

11. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते समय, प्रयोक्ता-अनुकूल डिजाईन की दिशा में विचार किया जाये जिससे अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी।

**सॉफ्टवेयर**

12. राज्यों द्वारा समुचित कस्टमाईजेशन के लिए साझा सॉफ्टवेयर प्रयोग पैकेज का विकास करने को तरजीह दी जायेगी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) जो सरकारी निकाय के रूप में देश के सभी जिलों में स्थित है और जिसने पहले ही पंचायतों के लिए सॉफ्टवेयर काफी सॉफ्टवेयर विकसित किये हैं, पर प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रदाता के रूप में विचार किया जा सकता है,

13. यह सिफारिश की जाती है कि एन.आई.सी. सभी स्तरों पर अपने-आप को मजबूत बनायें और पंचायत के सभी स्तरों पर ई-गर्वनेन्स समाधान विकसित करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया के साथ पंचायत सूचना प्रभाग बनाकर समर्पित स्टाफ प्रदान करें। इसमें एन.आई.सी. के जिला सूचना कार्यालय को मजबूती प्रदान करना शामिल होगा ताकि जिला योजना समिति तथा पंचायतों को समर्थन दिया जा सके।

14. पंचायती राज मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल एक व्यापक सूचना केन्द्र बनेगा, जो पंचायतों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को सूचनाओं का आदान-प्रदान, अनुभवों तथा श्रेष्ठ परम्पराओं से आपस में जोड़ेगा। प्रथम कदम के रूप में, सभी राज्य सरकारें अपने वर्तमान पंचायत राज वेबसाइट और पोर्टल को राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के साथ तत्काल जोड़ें और उनकी सामग्री को राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल को भेजें और सभी जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम पंचायतों को पोर्टल के साथ जोड़ने में सुविधा प्रदान की जा सकती है। सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा इस सामग्री का नियमित रूप से अद्यतन किया जा सकता है,

15. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही विकसित सोफटवेयर समाधान का रखरखाव पंचायती राज मंत्रालय अथवा इसके द्वारा नामित संस्थान द्वारा किया जायेगा ताकि अन्य राज्यों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सके,

16. सोफ्टवेयर का विकास, भारतीय भाषाओं के इन्टरफेस सहित, मुख्य रूप से ओपन सोर्स सोफ्टवेयर में किया जायेगा ताकि प्रतियां बनाने और लाइसेंसिंग की लागत को कम किया जा सके।

**हार्डवेयर**

17. राज्यों को हार्डवेयर के लिये सम्मिलित मानक बनाने की दिशा में विचार करना चाहिये और प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा पारदर्शी खरीद हेतु एक प्रणाली लानी चाहिये,

18. हार्डवेयर की प्राप्ति के लिए निधियां विभिन्न संसाधनों से इकट्ठी करनी चाहिये इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

i. बहुपक्षीय वित्त पोषित परियोजनाओं में उपलब्ध आधारभूत निधियां,

ii. पंचायतों की अपनी आय,

iii. डाटाबेस बनाने तथा रखरखाव करने के लिये वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियां,

iv. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाये तथा प्रबन्धन किये जाने वाले फण्ड से प्राप्त निधियां,

v. संसद सदस्य तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधियां,

vi वार्षिक खरीद पर आधारित प्रणाली पर आधारित खरीद,

19. देश में बिजली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हार्डवेयर खरीदते समय कम्प्यूटर प्रणाली के लिए विश्वसनीय तथा बाधा रहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले ऊर्जा यंत्रों तथा वह प्रणाली जिसमें कम ऊर्जा खर्च हो, को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

**आधारभूत सुविधायें तथा सम्पर्कता**

20. सिफारिश की जाती है कि एन.आई.सी. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य वाइड एरिया नेटवर्क निधियों के प्रयोग से सभी स्तरों पर पंचायतों को जोड़ने के लिए अपने संचार नेटवर्क **निकनेट** का और विस्तार करें,

21. राज्य सरकारें सभी पंचायतों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में सेटेलाइट आधारित सम्पर्कता प्रदान करने के लिए इसरो से सम्पर्क कर सकती हैं, प्रारम्भिक आधारभूत लागत एक आधारभूत निधि द्वारा वहन करने पर विचार किया जा सकता है जिसका संचालन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

**योजना का संचालन**

22. पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता प्रदान करने को, विद्युत, दूरसंचार तथा सड़कें जैसी आधारभूत राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करने के समान ही महत्ता दी जायेगी।

23. भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए, एन.आई.सी. तथा अन्य समाधान प्रदाताओं सहित, पंचात संस्थानों का सूचना प्रौद्योगिकी स्वचालन से सुसज्जित करने के लिए मिशन मोड/ अधिकारिता समिति मोड बनाना।

**क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण**

1. सभी पंचायती राज संस्था कार्मिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों तक संचार सुविधा पहुंचाना:-

i. ग्राम पंचायत सदस्य,

ii. मध्यवर्ती पंचायत सदस्य,

iii. जिला पंचायत सदस्य,

iv. राष्ट्रीय, राज्य, जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के सभी संबंधित अधिकारी; और

v. सभी स्तरों पर स्थायी समिति के सदस्य,

2. मीडिया, राजनीतिक दलों, विधान सभाओं में प्रतिनिधी, नागरिक, सामाजिक संगठन तथा नागरिकों को सुग्राही बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं।

3. ग्राम सभा सदस्यों को जुटाने के लिए विशेष अभियान।

4. महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों और साथ ही पंचायती राज प्रणाली में पहली बार प्रवेश करने वालों को विशेष प्रशिक्षण।

5. पेसा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण को इस तरह से डिजाइन किया जाए ताकि जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक रीति रिवाज और विशेष आवश्यकताओं को उचित सम्मान दिया जा सके।

6. प्रशिक्षण एवं बातचीत को केवल एक बार की बात नहीं माना जाना चाहिए अपितु यह स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास

की भावना को बढ़ाने वाली एक निरन्तर और आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रशिक्षण को पहले और बाद के चुनावों को कवर करना चाहिए। एक वर्ष के भीतर समयबद्ध तरीके से सभी प्रतिनिधियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा जानकारी उपलब्ध कराना।

7. उन पंचायत सदस्यों के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है उनके चुने जाने के तत्काल बाद एक कार्यात्मक साक्षरता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

8. पंचायतों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रति स्वामित्व की भावना के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण सामग्री और तंत्र को डिजाइन करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इस दिशा में प्रशिक्षण संस्थानों के शाखी निकायों में पंचायत सदस्यों के लिए ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हों।

9. प्रशिक्षण की सामग्री में कार्यनीतिक एवं तकनीकी पहलू पर जोर और यह बहु-स्टेक होल्डर परामर्शदात्री कार्यशालाओं से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए जो व्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए जिससे प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा सामग्री का डिजाइन तैयार करने में मदद मिलेगी।

10. एक न्यूनतम कोर पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो सभी राज्यों में समान हो और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों। कोर पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए;-

i. ग्राम स्वराज के माध्यम से पूर्ण स्वराज का सपना

ii. भारत के संविधान से प्रोद्भूत धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा मानव अधिकार के सिद्धान्त

iii. लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय

iv. मानव विकास की स्थिति

v. गरीबी उन्मूलन

vi. भागीदारी योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी

vii. सूचना एवं पारदर्शिता का अधिकार

viii. सामाजिक लेखा परीक्षा और

ix. पंचायती राज को कवर करने वाले नियम तथा विनियम

11. नौकरशाही के सभी स्तरों सहित पंचायती राज के माध्यम से शासन की प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के बीच सामाजिक समानता तथा न्याय के मुद्दे को पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया में अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

12. विषयवार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

i. मानव संसाधन प्रबन्ध

ii. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध

iii. आपदा प्रबन्ध

iv. वित्तीय प्रबन्ध, स्वयं के संसाधन प्रबन्ध तथा लेखांकन सहित

v. मूलभूत मानव आवश्यकताएं प्रदान करने में क्षेत्रीय एप्रोच

13. प्रशिक्षण कार्यनीति समावेशी और संवादपूर्ण और विभिन्न हस्तक्षेप का मिला जुला रूप होनी चाहिए:

i. आमने-सामने का सहभागी प्रशिक्षण

ii. जानकारी पूर्ण दौरे

iii. सहकर्मियों का प्रशिक्षण/सहकर्मियों से सीखना

iv. उपग्रह प्रशिक्षण, और

v. रेडियो/केसेट्स/फिल्मस

vi. संचार के परम्परागत साधन

vii. समाचार पत्रिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों का अद्यतन सार

viii. पंचायतों के लिए संसाधन केन्द्र तथा सहायता केन्द्र

14. प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों के वास्तविक अनुभवों के अनुरूप होनी चाहिए। इसे फीडबैक एवं प्रभाव आकलन के आधार पर विकसित करना जारी रखना चाहिए। प्रशिक्षण एक दो तरफा प्रक्रिया बननी चाहिए ताकि फीडबैक से प्रशिक्षण की सामग्री और प्रक्रिया को सुधारने में मदद मिल सके, और साथ ही पंचायत और सरकारी कार्यप्रणाली में व्यवस्थित परिवर्तन लाए जा सकें।

15. राज्यों को प्रशिक्षण, नेटवर्क एवं समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि अनुभवों को बांटने, एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे की सामग्री तक पहुंच पाने में मदद मिल सके। राज्यों को राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग को संस्थागत बनाना चाहिए।

16. प्रशिक्षण से निर्वाचित प्रतिनिधियों को परिसंघ/समूह बनाने तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण एवं विकास के लिए अपनी मांगों को उठाने में सुविधा प्रदान करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए।

17. प्रशिक्षित सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों को आगे प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से राज्य के भीतर तथा बाहर दोनों जगह एक दूसरे से सीखने को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाना चाहिए।

18. प्रशिक्षण में अन्य पंचायतों में दौरे के माध्यम से श्रेष्ठ प्रथाओं की जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए।

19. सभी मुक्त विश्वविद्यालय की इग्नू से समझौता कर सकते हैं और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एस.आई.आर.डी.) और प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में लगी हुई अन्य समान संस्थाओं के साथ सम्पर्क बना सकते हैं।

20. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इग्नू जैसे संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के साथ काम कर रहे सचिवालय तथा तकनीकी स्टाफ के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीखने के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के औपचारिक प्रमाणन से जुड़े होने चाहिए।

21. लोकतंत्र में शिक्षा और पंचायतों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक भूमिका को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

22. पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से कम से कम समय में पंचायत क्षमता निर्माण निधि बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी जो इन उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित केन्द्रीय अंतरण के कुछ प्रतिशत को शामिल करेगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों को भी भावधिक प्रशिक्षण के लिए पंचायत क्षमता निर्माण निधि बनानी चाहिए।

23. विशिष्ट उद्देश्यों, समय सीमा तथा संसाधनों सहित सभी पी.आर.आई. कार्मिकों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए।

24. सभी तक सूचना की पहुंच सुनिश्चित करने के सहित राज्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकों के प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय प्रशिक्षण संसाधनों तथा कॉमनवेल्थ द्वारा विकसित मैन्युअलों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भंडार तैयार कर सकता है। लिंग, गरीबी, जन संचार आदि के मुद्दों के प्रशिक्षण में मास्टर मॉड्यूल्स विकसित किए जा सकते हैं।

25. प्रशिक्षण के परिणामों का आकलन करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सामने आने वाली आवश्यकताओं को सूचित करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन समय-समय पर कराए जाने चाहिए।

26. राज्यों को एस.आई.आर.डी. तथा जिला ब्लॉक तथा उनसे नीचे के स्तर पर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन की दिशा में कार्य करना चाहिए।

27. संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायत सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय एक एस.आई.आर.डी. अथवा संस्थानों के एक समूह की पहचान करेगा जो प्रशिक्षण शुरू कर सके।

**शस्त्रों/गोला-बारूदों/रक्षा उपकरणों का निर्यात**

**3283. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
**श्री वाई.जी. महाजन:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निर्यात किए गए शस्त्रों/गोलाबारूदों और रक्षा उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक):** (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने मुख्यत: एशिया और अफ्रीका के देशों को 45.22, 93.69 और 58.67 (फरवरी, 2005 तक) अमरीकी डालर (मिलियन) के हेलिकाप्टर, हेलिकाप्टर और वायुयान के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, राइफलों और तोपों के अतिरिक्त-हिस्से पुर्जों, वस्त्र मदों, पैराशूट और अनुषंगियों, वैमानिकी सामान, संचार उपस्करों, नाइट विजन उपकरणों, बोल्लार्ड पुल टग, संघटकों और उप प्रणालियों आदि जैसे अपने कुछ उत्पादों का निर्यात किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 100 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेने, डिफेंस एक्सपो और एयरो इंडिया नामक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करना, भारतीय दूतावासों के जरिए भारतीय रक्षा उत्पादों के संबंध में सूचियों और सी.डी. का वितरण, निर्यात के लिए आर्डर प्राप्त करने में विदेशों में स्थित भारत के मिशनों की अंतर्ग्रस्तता को गतिशील करना तथा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों/आगंतुकों के साथ ट्रेड संबंधी पूछताछ करने के साथ-साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करना भी शामिल है।

*[अनुवाद]*

**अधिकारी रैंक से नीचे के भूतपूर्व कर्मियों को लाभ**

**3284. श्री टी.के. हमजा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशक (डी.जी.आर.) के पास अपने नाम दर्ज कराने के बाद स्वायत्त निकायों में अधिकारी रैंक से नीचे के जिन भूतपूर्व कर्मियों को पुन: रोजगार में लगाया गया है, वे लोग सभी लाभों के पात्र हैं जैसा कि डी.जी.आर. के माध्यम से प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा स्वायत्त निकायों में अधिकारी रैंक से नीचे के भूतपूर्व कर्मियों को पुन: रोजगार में लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक):** (क) से (ग) पुनर्वास महानिदेशक द्वारा स्वायत्त निकायों को प्रायोजित किए गए अफसर रैंक से नीचे के भूतपूर्व कार्मिक अपने रोजगार में संबंधित स्वायत्त निकाय के नियमों के अंतर्गत देय वेतन तथा भत्ते प्राप्त करते हैं। अफसर रैंक से नीचे के भूतपूर्व कार्मिकों द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले वेतन तथा भत्ते, यथालागू राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित अर्ध कुशल श्रमिक के संबंध में लागू वेतन तथा भत्तों के अनुरूप होते हैं।

*[हिन्दी]*

**अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं**

**3285. श्री वी.के. ढुम्मर:**

**श्री काशीराम राणा:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों को राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार एवं गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई और जारी की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के मामलों के ब्यौरे की सूचना क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार द्वारा धनराशि के उपयोग की उचित निगरानी हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने स्वायत्त प्राधिकरण-केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) के माध्यम से अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए शिशु गृहों की सहायता योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, 6 वर्ष तक की आयु के परित्यक्त/अनाथ/निराश्रित शिशुओं व बच्चों की देखरेख के लिए देश के भीतर संस्थागत देखभाल व देश में दत्तकग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास हेतु गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले संगठनों की अनुदान-सहायता राशि की उपयोगिता पर प्रगति व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) भी रिपोर्टिंग सिस्टम और परियोजनाओं का सीधे तौर पर वास्तविक निरीक्षण द्वारा अनुदान के समुचित उपयोग की मानीटरी करती है।

*[अनुवाद]*

**एच.ए.एल. द्वारा हेलीकाप्टरों/हल्के विमानों का उत्पादन**

**3286. श्री जुएल ओराम:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा उत्पादित हेलीकाप्टरों/हल्के विमानों की भिन्न-भिन्न मॉडल क्या हैं;

(ख) क्या लातिन अमरिकी देशों में उनमें से कुछ हेलीकाप्टरों/विमानों की बहुत मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लातिन अमरिकी बाजारों के दोहन हेतु क्या प्रयास किए गए?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक):** (क) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्नत हल्के हेलिकाप्टर (ए.एल.एच.) चीता/चेतक/ लांसर हेलिकाप्टर तथा हल्की श्रेणी के डार्नियर 228 परिवहन विमानों का विनिर्माण करता है। यह मध्यम तथा भारी श्रेणियों के लड़ाकू विमानों का भी उत्पादन करता है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों के लिए संभावित बाजार के रूप में दक्षिण अमरीकी देशों की पहचान की है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विभिन्न लातिन अमरीकी देशों को उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों की आपूर्ति हेतु तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। कुछ लातिन अमरीकी देशों के शिष्टमंडलों ने एयरो इंडिया 2005 में उन्नत हल्के हेलिकाप्टर में अपनी रुचि व्यक्त की है।

(घ) रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, विपणन की सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक देशों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों के संबंध में अंग्रेजी तथा स्पेनिश भाषाओं में विवरणिकाएं और फिल्म के रूप में प्रोत्साहन सामग्री निर्णयकर्ताओं को वितरण करने हेतु विभिन्न लातिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशनों को भेजी गई हैं।

*[हिन्दी]*

**प्राथमिकता के आधार पर रैक दिया जाना**

**3287. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सोया उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर रैक प्रदान किए जाने के संबंध में रतलाम रेल मंडल के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कार्य-बल और मशीनों का उपयोग न किया जाना**

**3288. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों को कलपुर्जों का काम दिए जाने के कारण आई.सी.एफ. के कर्मचारी और मशीनें अप्रयुक्त अथवा बेकार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा कार्य बल और मशीनों का पूरा-पूरा उपयोग करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र**

**3289. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड.सी.सी.) की संख्या और नाम क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनको राज्य-वार और स्थान-वार कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ख) क्या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को उनके कार्य-निष्पादन के अनुपात में अनुदान प्रदान किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्य-निष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेड.सी.सी.)

विद्यमान हैं, (1) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.जेड.सी.सी.), पटियाला, (2) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.सी.जेड.सी.सी.), इलाहाबाद, (3) उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ई.जेड.सी.सी.), दीमापुर, (4) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यू.जेड.सी.सी.), उदयपुर, (5) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एस.जेड.सी.सी.), तंजावुर, (6) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एस.सी.जेड.सी.सी.), नागपुर और (7) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (ई.जेड.सी.सी.), कोलकाता। संस्कृति मंत्रालय ने उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान जारी किए:-

**2001-2002**

एन.जेड.सी.सी., पटियाला, 1.23 करोड़ रु.

एन.सी.जेड.सी.सी., इलाहाबाद, 60.02 लाख रु.

एन.ई.जेड.सी.सी., दीमापुर, 62.56 लाख रु.

डब्ल्यू.जेड.सी.सी., उदयपुर, 74.78 लाख रु.

एस.जेड.सी.सी., तंजावुर, 35.55 लाख रु.

एस.सी.जेड.सी.सी., नागपुर, 55.18 लाख रु.

ई.जेड.सी.सी., कोलकाता, 52.83 लाख रु.

**2002-2003**

एन.जेड.सी.सी., पटियाला, 2.17 करोड़ रु.

एन.सी.जेड.सी.सी., इलाहाबाद, 66.28 लाख रु.

एन.ई.जेड.सी.सी., दीमापुर, 5.54 करोड़ रु.

डब्ल्यू.जेड.सी.सी., उदयपुर, 62.60 लाख रु.

एस.जेड.सी.सी., तंजावुर, 51.26 लाख रु.

एस.सी.जेड.सी.सी., नागपुर, 58.00 लाख रु.

ई.जेड.सी.सी., कोलकाता, 1.41 करोड़ रु.

**2003-2004**

एन.जेड.सी.सी., पटियाला, 2.18 करोड़ रु.

एन.सी.जेड.सी.सी., इलाहाबाद, 1.05 करोड़ रु.

एन.ई.जेड.सी.सी., दीमापुर, 6.11 करोड़ रु.

डब्ल्यू.जेड.सी.सी., उदयपुर, 92.41 लाख रु,

एस.जेड.सी.सी., तंजावुर, 1.08 करोड़ रु.

एस.सी.जेड.सी.सी., नागपुर, 77.75 लाख रु.

ई.जेड.सी.सी., कोलकाता, 1.02 करोड़ रु.

(ख) जी, हां।

(ग) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए अनदानों से उनके संबंधित क्षेत्रों के कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके कार्यकलापों का विस्तार करने में सहायता मिली है।

(घ) कार्यक्रमों और कार्यकलापों के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति जेड.सी.सी. 5.00 करोड़ रु. की कायिक निधि (कॉरपस फंड) प्रदान की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने प्रत्येक जेड.सी.सी. को पहले ही 2 करोड़ रु. का अंशदान कर दिया है और शेष 3 करोड़ रु. को जेड.सी.सी. के निष्पादन में सुधार लाने के लिए वार्षिक योजना 2005-2006 के दौरान देने का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

## अम्बेडकर और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की गतिविधियां

**3290. डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 के दौरान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं गतिविधियों के कार्यकरण के संबंध में स्थिति रिपोर्ट का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2004-05 के दौरान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे कार्यकलाप और कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-*

**डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**

- जनपथ पर डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना
- 26, अलीपुर रोड में डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना
- सामाजिक सूझबूझ तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार

- सामाजिक परिवर्तन के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
- बाबा साहेब के विचारों तथा आदर्शों पर अनुसंधान शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डा. अम्बेडकर पीठ
- हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर के एकत्रित कार्यों का प्रकाशन
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना
- डा. अम्बेडकर का जीवन और मिशन पर सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और मेले का आयोजन
- प्रतिवर्ष 14 अप्रैल तथा 6 दिसम्बर को डा. अम्बेडकर का क्रमश: जन्म समारोह और महापरिनिर्वाण दिवस मनाना
- हिन्दी में एक मासिक पत्रिका सामाजिक न्याय संदेश का प्रकाशन
- डा. अम्बेडकर चिकित्सा योजना
- डा. अम्बेडकर सामाजिक समता केन्द्र योजना
- महान संतों के जन्म समारोहों को मनाना

**मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान**

निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सम्पूर्ण देश में गैर-सरकारी संगठनों को निधियों की स्वीकृति प्रदान करना:

(i) विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालेजों की स्थापना और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(ii) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए संस्थानों में प्रयोगशाला उपस्कर तथा फर्निचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(iii) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित/सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए बालिका होस्टल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(v) व्यावसायिक/तकनीकी कालेजों के लिए भवनों का निर्माण/विस्तार और उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

2. मेधावी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय पुरस्कर योजना।

3. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार योजना।

4. शैक्षिक मानक में सुधार के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षकों के लिए सेवाकालिन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

**स्टेशनों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधाएं**

**3291. श्री अतीक अहमद:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद फूलपुर और आस-पास के अन्य रेलये स्टेशनों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. सुविधाओं की अनुमति प्रदान करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय विशेष रूप से इलाहाबाद फूलपुर और आस-पास के स्टेशनों पर स्टेशन-वार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त स्टेशनों पर उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या नए उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) इस समय इलाहाबाद और समीपस्थ स्टेशनों पर कार्य कर रहे एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों की संख्या नीचे दी गयी है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | इलाहाबाद | 10 बूथ |
| (ii) | प्रयाग | 01 बूथ |
| (iii) | नैनी | 01 बूथ |

फूलपुर और अन्य समीपस्थ स्टेशनों पर बूथों का आबंटन प्रक्रियाधीन है।

*सी.ओ.सी.ओ.जे.आर.ओ. खुदरा बिक्री केन्द्र*

**3292. श्री श्रीचन्द कृपलानी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक आधुनिकीकृत किए गए कंपनी ओन्ड कंपनी आपरेटेड (सी.ओ.सी.ओ.) और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों (जे.आर.ओ.) का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ बिक्री केन्द्रों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बिक्री केन्द्रों के वित्तीय कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**प्लेटफार्म का स्थानान्तरण**

**3293. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय नागपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार नागपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या-1 से नैरो गेज प्लेटफार्म को दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे मोलीबाग डिपो तक स्थानांतरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) नागपुर में दो विकास कार्य किए जा रहे हैं:-

(i) 10.92 करोड़ रु. की लागत से 26 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म के विस्तार हेतु यार्ड की रिमॉडलिंग और (ii) 1.22 करोड़ रु. की लागत से मौजूदा 2.44 मीटर चौड़े ऊपरि पैदल पुल को चौड़ा करना तथा पूर्व बलित सीमेंट कंक्रीट (आर.सी.सी.) रैम्पों और सीढ़ियों की व्यवस्था करना।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*निजी कंपनियों को विभिन्न मदों का आउटसोर्सिंग*

**3294. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडीग्रेटिड कोच फैक्ट्री द्वारा कोचों/बोगियों के निर्माण के लिए कई मदों का निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंटीग्रेटिड कोच फैक्ट्री ऐसी मदों के निर्माण की स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निजी कंपनियों को कितनी मदों का आउटसोर्स किया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) बाहर से मंगाई जाने वाली कतिपय मदों का विनिर्माण विगत में सवारी डिब्बा कारखाने (सडिका) में किसी न किसी स्तर पर किया जा रहा था जबकि अन्य मदें वे हैं जिनकी गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए या तो उत्पादन प्रक्रिया में या अभिकल्प में परिवर्तन को अपनाया जाता है।

(ग) उत्पादन लक्ष्य के लिए आवश्यकता के साथ-साथ इंसेंटिव-वर्किंग सहित उत्पादन क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए आउट-सोर्सिंग की जाती है।

(घ) बाहर से मंगाई जाने वाली कुछ मदों में सवारी डिब्बों के लिए शायिकाएं, फाईबर ग्लास पूर्वबलित प्लास्टिक (एफ.आर.पी.), मॉड्यूलर प्रसाधन पार्टिशन फ्रेम, कोल्ड रोल्ड फोरमड सोल छड़ें कैंट रेल पटरियां और ट्रफ फ्लोर बोगी फ्रेम, कंट्रोल क्यूबिकल, सीटों और शायिकाओं के आरोहन के लिए ब्रैकेट, सामान रैक आदि शामिल हैं।

*[हिन्दी]*

**सूरत टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाना**

**3295. श्री काशीराम राणा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य को कब तक शुरू होने और पूरा किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अप्रैल और दिसम्बर, 2004 में डी.डी.-I और डी.डी. न्यूज हेतु सूरत में स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की क्षमता को क्रमशः 10 कि.वा. और 5 कि.वा. तक बढ़ा दिया गया था।

*[अनुवाद]*

**सेना द्वारा जब्त किए गए हथियार**

**3296. श्री सुव्रत बोस:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सेना द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पकड़े गए/जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है तथा उनके प्रयोग/निपटान के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है;

(ख) इन हथियारों के उचित नियंत्रण तथा इनके दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है कि ये हथियार इन राज्यों में किस प्रकार पहुंचे; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा 15 मार्च, 2005 तक, सेना/असम राइफल की सैन्य टुकड़ियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से बरामद/जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| वर्ष | हथियारों की संख्या |
|---|---|
| 2003 | 915 |
| 2004 | 712 |
| 2005 (15 मार्च, 2005 तक) | 260 |

सेना तथा असम राइफल द्वारा बरामद/जब्त हथियारों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ जब्ती ज्ञापन पर पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया जाता है। जब्त किए गए हथियारों को असम राइफल की अभिरक्षा में अथवा सेना के नामजद शस्त्रागार में उस समय तक रखा जाता है जब तक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में इन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है। न्यायालय की कार्यवाही के संपन्न होने के बाद, जब्तशुदा हथियारों को असम की नारंगी छावनी में जमा करा दिया जाता है। तदोपरांत, ऐसे हथियारों को केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर को भेज दिया जाता है। अप्रयोज्य हथियारों को नष्ट कर दिया जाता है जबकि प्रयोज्य हथियारों को इस्तेमाल हेतु विभिन्न यूनिटों को जारी कर दिया जाता है। कुछ गैर-सेवा पैटर्न के हथियार, व्यक्तिगत आवेदन तथा हथियार-लाइसेंस की अधिप्राप्ति के आधार पर भुगतान करने पर सेवा कार्मिकों को भी जारी किए जाते हैं।

आसूचना एजेंसियों के मूल्यांकन से यह पता चला है कि विभिन्न स्रोतों से जिनमें कुछेक पड़ोसी देशों में स्थित स्रोत भी शामिल हैं, गैर-कानूनी तौर पर तस्करी करके हथियार पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाए जाते हैं, जिसके आधार पर सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसे हथियारों के प्रवाह को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

**पट्टे के आधार पर विमान प्राप्त करना**

**3297. श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स बोर्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय प्रचालन के लिए 12 बड़े विमानों की ड्राई री-लीजिंग को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयरलाइन्स की इन-हाऊस समिति ने कतिपय अंतरराष्ट्रीय मार्गों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, हां। निदेशक मण्डल ने बारह विशालकाय विमानों को 5 वर्ष अथवा 3 वर्ष की अवधि के लिए, जिससे पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया भी जा सकता है, ड्राई लीज पर लेकर विमान बेड़े में शामिल किए जाने हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। इन विमानों को यू.के., यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, हांगकांग तथा मलेशिया मार्गों पर लगाए जाने की योजना है।

**क्रय वरीयता नीति**

**3298. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उपक्रमों की क्रय वरीयता नीति को और आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, जिसका अवसान होना वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) से (ग) सरकार ने वर्तमान क्रय अग्रिमानता नीति को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31-3-2005 तक बढ़ा दिया है। इस नीति को और आगे बढ़ाने/जारी रखने से सम्बन्धित मामलों की जांच के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है।

**राष्ट्रीय विमान सेवाओं में निवेश**

**3299. मो. मुकीम:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार को भारत में राष्ट्रीय विमान सेवाओं में निवेश के लिए वरजिन एयरलाइन्स तथा कुछ अन्य विमान कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, नहीं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विमान परिवहन सेवाओं (अन्तर्देशीय एयरलाइन्स) के मामले में विदेशी एयरलाइनों द्वारा किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**आयुध कारखानों में संवर्ग समीक्षा**

**3300. श्री राकेश सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे हिंदी अनुवादकों/अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयुध कारखानों में उक्त आदेश के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, नहीं। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से ऐसे कोई आदेश/अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**इटली के मंत्री की भारत यात्रा**

**3301. श्री के.एस. राव:**

**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली सरकार के सांस्कृतिक धरोहर एवं क्रियाकलाप मंत्री ने हाल ही में भारत यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (घ) इटली सरकार के सांस्कृतिक विरासत एवं कार्यकलाप मंत्री ने इटली के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल के भाग के रूप में भारत का दौरा किया था। भारत और इटली के बीच संरक्षण और पुनरुद्धार के क्षेत्र में सहयोग, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कलाकार मंडलियों के आदान-प्रदान, आदि सहित सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया गया। अजंता एलोरा गुफाओं के चित्रों के संरक्षण संबंधी सहयोग पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

**कल्याण कार्यक्रमों का प्रसारण**

**3302. श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित वर्ग के श्रोताओं में लोकप्रिय करने के लिए डी.ए.वी.पी. के माध्यम से कुछ रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा गैर तेल क्षेत्र में निवेश**

**3303. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन निकट भविष्य में गैर तेल क्षेत्र में किसी बड़े निवेश की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जहां इंडियन आयल कार्पोरेशन निवेश की योजना बना रहा है तथा इस प्रकार के निवेश के क्या कारण हैं; और

(ग) गैर तेल क्षेत्र की परियोजनाओं को आरंभ करने की समय-सीमा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की निकट भविष्य में गैर-तेल क्षेत्र में कोई बड़ी शुरुआत करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रायगढ़ रेलवे टर्मिनल परियोजना**

**3304. श्री ए. साई प्रताप:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायगढ़ (छत्तीसगढ़) रेलवे टर्मिनल परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य आरंभ होने में हुए, विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) रायगढ़ (छत्तीसगढ़) रेलवे टर्मिनल के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रायगढ़ टर्मिनल के लिए कोई स्वीकृत कार्य नहीं है। बहरहाल, रायगढ़ के गर्त लाइन की व्यवस्था करने का कार्य है। योजना की विस्तृत रूप रेखा और कार्य के अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) रायगढ़ में गर्त लाइन की व्यवस्था के लिए विस्तृत अनुमान और योजना की स्वीकृति मिलने के बाद इस कार्य को पूरा करने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

(ङ) रायगढ़ में गर्त लाइन कार्य की मूल प्रत्याशित लागत 1.20 करोड़ रुपए है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस कार्य के लिए 1.01 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

*[अनुवाद]*

**एल.पी.जी. सिलेंडरों पर मीटर लगाना**

**3305. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम भार वाले सिलेंडरों की दुष्प्रणाली पर रोक लगाने के लिए एल.पी.जी. सिलेंडरों पर मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्राहक संतोष स्तरों में वृद्धि करने और उपभोक्ताओं को सुपुर्द एल.पी.जी. सिलेंडरों का उचित वजन सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा बाजारों में तेल विपणन कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटरों

को यह परामर्श दिया है कि वे स्प्रिंग वाला तराजू प्रदान करें जिससे ग्राहक सिलेंडर में एल.पी.जी. का वजन सही होने की जांच कर सकें। तेल विपणन कंपनियों ने यह योजना देश के मुख्य बाजारों में लागू की है।

**दिल्ली में केबल आपरेटर**

3306. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर.के. पुरम नई दिल्ली में केबल आपरेटर उपभोक्ताओं की मांग के बावजूद डी.डी.-लोकसभा तथा डी.डी. राज्य सभा फ्री-टू-एयर चैनल नहीं दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि दिल्ली के सभी केबल ऑपरेटर इन चैनलों का प्रसारण करें?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**पुरुषोत्तमपुर में हॉल्ट स्टेशन का निर्माण**

3307. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के नरकटियागंज-रक्सौल रेलवे सेक्शन में पुरुषोत्तमपुर में हॉल्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाये जाने पर ही हाल्ट स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

*[अनुवाद]*

**आई.पी.ओ. के माध्यम से धनराशि एकत्र करना**

3308. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आई.पी.ओ.) जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं कि आई.पी.ओ. के माध्यम से जुटाई गई धनराशि केवल नए विमानों की खरीद तथा इन एयरलाइन्सों के अन्य पूंजीगत खर्चों पर व्यय की जाए?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के लिए इनीशियल पब्लिक आफरिंग का मुद्दा विचार-विमर्श के प्रारंभिक चरण में है।

**विदेशियों द्वारा सुनामी से प्रभावित बच्चों को गोद लेना**

3309. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशियों ने दक्षिण भारत में सुनामी से प्रभावित बच्चों को गोद लेने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिशा-निर्देशों के बावजूद विदेशी अभिभावकों द्वारा बाल यौन शोषण किये जाने के मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय बच्चों को अपनाने के लिए विशेषत: विदेशियों के लिए निर्धारित किए गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय बाल दत्तकग्रहण संशोधित दिशा-निर्देश, 1995 के अनुसार, विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण की

प्रक्रिया विनियमित की जाती है। ये दिशा-निर्देश कारा (केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी) की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. अडोपशंसइंडिया,निक.इन पर उपलब्ध है।

**सचल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां**

**3310. श्री विजय कृष्ण:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश से विशेषकर प्रतापगढ़ जिले से सचल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों की स्वीकृति में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में संसद सदस्यों से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) प्रतापगढ़ जिले में वृद्ध व्यक्तियों के लिए सचल स्वास्थ्य देखभाल ईकाइयों की स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में सदस्य से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

**गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता**

**3311. श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शिक्षा केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र, फोटोकॉपी स्टूडियों, प्रिंटिंग और कम्पोजिंग केन्द्र इत्यादि को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) राजस्थान और अन्य राज्यों में वर्ष 2004-05 के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को उक्त विकास केन्द्रों को चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित भवनों के निर्माण और आवश्यक फर्नीचर/उपकरणों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

*विवरण-I*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा केन्द्र, कंप्यूटर केन्द्र, फोटोग्राफी स्टूडियों और कम्पोर्जिंग केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | शिक्षा केन्द्र | | | कंप्यूटर केन्द्र | | | फोटोग्राफी स्टूडियों | | | प्रिंटिंग और कम्पोजिंग केन्द्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1292.62 | 1624.12 | 1438.80 | 85.10 | 15.97 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.86 | 1.86 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 12.66 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 42.05 | 62.50 | 72.74 | 4.82 | 3.94 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 |
| 4. | बिहार | 220.45 | 215.13 | 206.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | चंडीगढ़ | 2.09 | 2.01 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 15.81 | 20.36 | 61.66 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | दादर और नगर हवेली | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 298.12 | 405.57 | 362.42 | 11.17 | 23.17 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 9. | गोआ | 24.07 | 24.28 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | गुजरात | 63.66 | 71.07 | 49.70 | 2.41 | 3.18 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | हरियाणा | 33.21 | 78.77 | 56.78 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.09 | 4.10 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 21.10 | 18.31 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 1.64 | 2.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 0 |
| 14. | झारखंड | 5.27 | 14.86 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| 15. | कर्नाटक | 769.94 | 929.25 | 1044.19 | 30.03 | 1.88 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3.26 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | केरल | 288.86 | 311.36 | 319.49 | 2.70 | 2.16 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.86 | 2.96 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 120.47 | 147.75 | 162.84 | 19.24 | 26.28 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| 18. | महाराष्ट्र | 211.78 | 299.38 | 326.30 | 30.31 | 28.12 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 22.98 | 17.08 |
| 19. | मणिपुर | 53.83 | 72.61 | 71.78 | 3.40 | 0.78 | 0 | 0.85 | 1.70 | 2.54 | 0 | 1.52 | 3.16 |
| 20. | मेघालय | 60.10 | 49.60 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | मिजोरम | 25.07 | 25.17 | 19.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | नागालैंड | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | उड़ीसा | 254.80 | 404.84 | 508.95 | 64.10 | 9.01 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 3.90 | 2.18 |
| 24. | पांडिचेरी | 5.85 | 6.13 | 7.75 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | पंजाब | 72.26 | 83.61 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | राजस्थान | 208.95 | 291.87 | 271.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | सिक्किम | 1.93 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | तमिलनाडु | 146.33 | 238.70 | 184.16 | 24.03 | 6.96 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 8.99 | 7.09 |
| 29. | त्रिपुरा | 13.56 | 42.28 | 28.69 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 918.03 | 740.46 | 706.51 | 20.98 | 5.68 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.39 | 4.36 |
| 31. | उत्तरांचल | 39.27 | 75.87 | 54.92 | 2.94 | 1.81 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.40 | 4.08 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 351.88 | 374.17 | 341.40 | 7.14 | 9.67 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 11.81 | 10.95 |
| | कुल | 5578.97 | 6647.94 | 6521.08 | 308.37 | 148.38 | 95.62 | 3.56 | 1.70 | 2.54 | 68.11 | 68.24 | 63.20 |

*विवरण-II*

*वर्ष 2004-05 के दौरान भवनों के निर्माण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा*

(रुपए लाख में)

| क्रम. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | संगठन का नाम | परियोजना का नाम | निर्मुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | डेवलपमेंट एवं वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दि ब्लाइन्ड | नए भवन का निर्माण | 4.50 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड | नए भवन का निर्माण | 4.50 |
| 3. | चंडीगढ़ | सोसाइटी फॉर दि केयर ऑफ दि ब्लाइंड | नए भवन का निर्माण | 8.50 |
| 4. | राजस्थान | सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान | हॉस्टल का निर्माण | 4.50 |
| 5. | राजस्थान | सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड | स्कूल भवन का निर्माण | 4.50 |
| 6. | राजस्थान | तपोवन मनोविकास विद्यालय | हॉस्टल का निर्माण | 2.50 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | गूंगे बहरों का विद्यालय | हॉस्टल का निर्माण | 4.50 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति | भवन का निर्माण | 3.50 |
| 9. | पं. बंगाल | परिपूर्णता हाफ वे होम | भवन का निर्माण | 5.00 |
| | | | कुल | 42.00 |

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल लाइनों का विद्युतीकरण**

**3312. मोहम्मद शाहिद:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ऐसी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) क्या मेरठ से गाजियाबाद की रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के विद्युतीकरण में हो रहे विलम्ब सहित इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत गैर-विद्युतीकरण रेल लाइनें इस प्रकार है:-

(i) दिल्ली-रोहतक

(ii) गाजियाबाद-मेरठ

(iii) गाजियाबाद-हापुड़

(iv) दिल्ली-रेवाड़ी

(ग) जी नहीं।

(घ) अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों को फिलहाल विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**130 एम.एम. वाली गन का उन्नयन**

**3313. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **रक्षा मंत्री** 130 एम.एम. गनों के बारे में 2-12-2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 130 एम.एम. गन के उन्नयन के ठेके में हुई कोई वित्तीय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ठेके को रद्द करने और इजरॉयल के मैसर्स 'सोलटम' से घाटे की वसूली करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इजरॉयल के मैसर्स 'सोलटम' द्वारा 130 एम.एम. की गनों के उन्नयन में हुई त्रुटि को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या तब से 130 एम.एम. की गनों के उन्नयन के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) 130 मि.मी. तोपों के उन्नयन संबंधी मामले को कथित अनियमितताओं की जांच करने हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) कुछ मामूली तकनीकी समस्याएं थीं और उन्हें विक्रेता द्वारा अपने खर्चे पर दूर कर दिया गया था।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

**नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना**

**3314. श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में इस समय जोन-वार कितने नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनको नियमित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जोन-वार कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**पंचायती राज के उद्देश्य**

**3315. श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने यह माना है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य हासिल नहीं हुए हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा किए गए अपने अध्ययन में केरल और कर्नाटक से संबंधित सरकारी आंकड़ों को अव्यावहारिक बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक ने अपने उक्त अध्ययन में किन मुद्दों के संबंध सुझाव दिए हैं और सुझावों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा योजना तैयार की है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं जिसमें बजटीय स्वायत्तता के लिए की गई सिफारिश भी शामिल है। यह सुझाव दिया गया है कि स्थानीय शासन के पास अपने कर्मचारियों की सेवा लेने, उन्हें छोड़ने और उनके लिए क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित करने की शक्तियां होनी चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बिना इसके स्थानीय शासनों के लिए अपने बजटों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा और यह बजट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार, ये शक्तियां उस दोहरी जिम्मेदारी को समाप्त कर देंगी, जो स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के बीच उस सरकारी इकाई, जिसके लिए वे काम करते हैं, के प्रति जवाबदेही तथा सरकार के स्तर, जो कार्य स्थल पर उनकी दक्षता निर्धारित करती है के बीच द्वंद्व उत्पन्न करती है। ग्रामीण स्थानीय सरकारों द्वारा सेवा सुपुर्दगी के कारगर कार्यान्वयन में उनके अधिकारियों की जवाबदेही की जरूरत होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि ग्राम

पंचायतों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी सिफारिश इसलिए की गई है कि ग्राम पंचायतें लोगों से सबसे अधिक नजदीक रहती हैं और ये लोगों की प्राथमिकताओं एवं जरूरतों का बेहतर ढंग से पता लगा सकती हैं और उनका निवारण कर सकती हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और संसाधनों के साथ लंबी अवधि के लक्ष्य दिये जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जन-संसाधनों का इस्तेमाल करने, अपने स्वयं के स्टाफों की भर्ती करने तथा उन्हें छोड़ने और निजी, गैर-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र जिन्हें भी वे उपयुक्त पाते हैं, से तकनीकी सहायता, ठेकेदार या अन्य सेवाएं लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। योजना, बजट, निधि और परिसंपत्तियां उनके लिए मानी जानी चाहिए और उच्च स्तरीय पंचायतों को उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।

(ख) इस रिपोर्ट में केरल तथा कर्नाटक के संबंध की गई टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ये प्रमुख बिन्दु जिन पर विश्व बैंक ने इस अध्ययन में सुझाव दिए हैं, नीचे दिए अनुसार हैं:-

(i) राज्य सरकारों को जिलों और खण्डों की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

(ii) ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iii) स्थानीय बजटीय स्वायत्तता को मजबूत किया जाना।

(iv) संपत्ति कर की संरचना में सुधार लाना।

(v) संपत्ति कर की वसूली में सुधार लाना।

(vi) उपयोगिता शुल्क और प्रभार की वसूली में सुधार लाना।

(vii) कर आधार को विस्तृत करना।

(viii) अंतरण की नई व्यवस्था करना।

(ix) राज्य वित्त आयोग को मजबूत बनाना।

(x) स्थानीय वित्त के लिए एक सूचना प्रणाली बनाना।

(xi) लेखों और जवाबदेही में सुधार लाना।

(xii) लेखा परीक्षा पद्धति में सुधार लाना।

विश्व बैंक ने निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया है:-

I. एक राजकोषीय विकेन्द्रीकरण योजना बनाना जिसमें सभी आवश्यक घटक शामिल हों तथा जो सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित हो।

II. सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसकी निगरानी के लिए राज्य सरकार की क्षमता और सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय सरकारों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में निवेश आरंभ करना।

III. स्थानीय सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली तय करना।

IV. व्यय संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना।

V. समानता लाने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए और स्थानीय सरकार की क्षमता उपयुक्त स्तर पर पहुंच जाने के बाद, स्थानीय सरकारों को और अधिक स्वायत्तता देने के लिए अंतरण प्रणाली पुनः तैयार करना।

VI. स्थानीय सरकार के राजस्व जुटाने के अवसरों में सुधार लाना।

(घ) सरकार विश्व बैंक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के बारे में अच्छी तरह जानती है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने और उन्हें स्व-शासन की संस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि विषय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में संविधान के भाग-IX का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्य-योजना तैयार करने हेतु सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जुलाई से दिसम्बर, 2004 तक के दौरान सभी सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। लगभग 150 बिन्दुओं का एक सेट तैयार किया गया और उसे जयपुर में सातवें गोलमेज सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अब मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारियों के साथ कम्पेंडियम में दिए गए कार्रवाई हेतु बिन्दुओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दौरा करने की प्रक्रिया शुरू की है। आशा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के साथ पठित भाग IX के प्रावधानों के कार्यान्वयन के आधार को मजबूती प्रदान करेगा तथा सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरशः और अधिक अनुरूप बना सकेगी।

***विवरण***

*रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियां*

विश्व बैंक ने रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

- भारत के मामले में अंतर सरकारी संबंधों का अधिकांशतः श्रेणीबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाए जिसमें जिलों और खण्डों के पास कर लगाने का कोई अधिकार न हो और खर्च कम करने की स्वायत्तता हो। कर्नाटक और केरल दोनों सामान्यतः उच्चस्तरीय सरकारों के लिए व्यय करने वाले एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायतों के पास कर लगाने के कुछ स्वतंत्र अधिकार हैं और व्यय संबंधी निर्णयों के बारे में कुछ विवेकाधिकार हैं।

- कर्नाटक में औसतन 5000 व्यक्तियों के पीछे एक ग्राम पंचायत है। केरल में औसतन 25,000 व्यक्तियों के पीछे एक ग्राम पंचायत है।

- केरल सरकार ने अनुदान की रूपरेखा और ग्राम पंचायतों को अधिकारिता के रूप में विकेन्द्रीकरण की एक संरचना तैयार की है। कर्नाटक ऐसी स्थिति में और अधिक सजग है जबकि राज्य सरकार के पास राजकोषीय संबंधी निर्णय लेने की शक्तियों का संतुलन है। न तो किसी दृष्टिकोण से स्थानीय सरकारों को प्रभावी रूप से सशक्त करने का उद्देश्य हासिल हुआ है। और न ही ऐसा लगा कि स्थानीय सरकार को खर्च करने अथवा राजस्व जुटाने में पर्याप्त रूप से दुरुस्त बनाया जा सका है, यद्यपि केरल का तौर-तरीका अधिक विकसित है। हालांकि पाई गई प्रणालीबद्ध कमियों के कुछ पहलुओं में दोनों राज्यों के बीच महत्वपूर्ण भेद हैं लेकिन एक ही तरह के दोष भी हैं।

- दोनों राज्यों में कमजोर, पुरानी और खराब वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां हैं। संभवतः कर्नाटक के अनुभव में असफलता के सबसे प्रमुख कारण रहे हैं - स्थानीय निर्णय लेने वालों के लिए सही मायनों में प्राधिकार तथा क्षमता की बहुत सीमित सुपुर्दगी और केरल की निराशा मुख्यतः इसके विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पश्चात के वर्षों में राज्य वित्त के विघटन के कारण है।

- दोनों राज्यों की अंतर सरकारी अंतरण की प्रणाली बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में, ग्रामीण स्थानीय सरकारों का कुल खर्च राज्य खर्च के 20% के बराबर है, जिसमें से 52% जिला पंचायतों पर, 44% तालुका पंचायतों पर तथा 4% ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च किया जा रहा है। कर्नाटक में, ग्राम पंचायतों का ग्रामीण स्थानीय सरकार के खर्च में केवल एक छोटा हिस्सा है तथा वे अपने निजी संसाधनों में केवल नाममात्र राशि जुटा पाते हैं। इसके विपरीत केरल में राज्य व्यय का 18% खर्च स्थानीय सरकारी स्तर पर किया जाता है जिसका 22% भाग जिला पंचायत स्तर पर, 18% मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर तथा 66% ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च किया जाता है।

- वास्तविक राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की एक प्रमुख अड़चन वह सीमित व्यय विवेकाधिकार है जो स्थानीय सरकारों को दिया गया है। कर्नाटक में जिला पंचायत तथा तालुका पंचायत स्तर पर योजनागत तथा योजनेतर निधियों, दोनों में बहुत कम विवेकाधिकार दिया जाता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा विशेष प्रयोग जैसे वेतन, निवेश खरीद, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं आदि के लिए निश्चित किया जा रहा है। इसकी तुलना में, ग्राम पंचायतों, को खर्च के लिए अधिक विवेकाधिकार दिया गया है क्योंकि उनके पास राजस्व के अपने निजी संसाधन होते हैं। इस तरह से, कर्नाटक में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि जिला और खण्ड पंचायतें उच्च स्तरीय सरकारों की वितरण एजेंट मात्र हैं।

- कर्नाटक में स्थानीय नागरिक सेवा स्थानीय नियंत्रण से बाहर है। भर्ती करने, नौकरी से निकालने और मुआवजा तय करने का कार्य उच्च स्तरीय सरकारों के पास है। केरल में, कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता तो है, परन्तु और बहुत कुछ किया जाना शेष है।

**II. वर्तमान प्रणाली की समस्याएं**

- व्यय दायित्व का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। व्यय के अस्पष्ट निर्धारण के कारण प्रयासों का दोहराव, सेवाएं

प्रदान करने में नेतृत्व संभालने में कुछ असफलता, समन्वय समस्याएं तथा जबावदेही के मामले में स्थानीय जनसंख्या की तरफ से कतिपय अनिश्चितताएं हैं।

- स्थानीय सरकारों का अपने बजट पर नियंत्रण कम है। कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों में जिला पंचायतों और तालुक पंचायत की तुलना में बेहतर कार्य किया है क्योंकि वे अपने निजी संसाधनों में राजस्व जुटा पाए थे।

- प्रति व्यक्ति आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए व्यय का स्तर कर्नाटक में 68.5 रु. और केरल में उससे थोड़ा अधिक (राशि का उल्लेख नहीं है) है। यद्यपि, पंचायतों पर राज्य और केन्द्रीय सरकार की ओर से एजेंसी कार्य करने पर जोर दिया जाता है, इसलिए उनका व्यय संबंधी कार्य बढ़ता है परंतु उनकी अपनी राजस्व स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं होती।

- अंतरण प्रणाली जटिल है और उल्लिखित नीतिगत उद्देश्यों के प्रति असंगत है। कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को आवंटित सीमित अनुदान प्रति ग्राम पंचायत बराबर राशि के आधार पर दिए जाते हैं। इन अनुदानों के वितरण में समानता का कोई साक्ष्य नहीं है, वास्तव में गरीबी उपशमन अनुदान तक भी पंचायतों को गरीब परिवारों पर अधिक ध्यान देते हुए अधिक मात्रा में नहीं दिए जाते।

- केरल में योजनागत अनुदान और प्रायोजित योजना मिल कर राज्य योजना का लगभग 35-40% तक है। केरल के राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की अत्यंत उल्लेखनीय विशेषता ग्राम पंचायतों के अंतरण के स्वरूप में असीमित अनुदान का बड़ा हिस्सा है जो 1998-99 में 82.3% था। प्रतिशतता और प्रति व्यक्ति दोनों रूप में यह कर्नाटक की अपेक्षा असीमित निधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वास्तव में भारत में यह असीमितता अभूतपूर्व है जिससे किसी अन्य राज्य में पंचायतों को उपलब्ध असीमित अंतरण की मात्रा में वृद्धि होती है।

- दोनों राज्यों में ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे राजस्व प्रयास कमजोर हैं। किसी भी राज्य में स्थानीय सरकारें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1% के बराबर राजस्व जुटाती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कुछ ग्राम पंचायतों ने राज्य द्वारा अनुमत उच्चतम संपत्ति कर लगाने का विकल्प अपनाया है। खराब प्रवर्तन प्रक्रिया, कमजोर प्रशासनिक प्रक्रिया अर्थात् पूर्ण टैक्स रोल का रखरखाव, कर के लिए अधिक सकारात्मक आधार की आवश्यकता, करदाताओं द्वारा स्थानीय सरकारों को कर देने में कम लाभ दिखाई पड़ना, संशोधित राजस्व सृजन के लिए कोई पुरस्कार/दण्ड व्यवस्था नहीं होना जैसे अनेक कारण कमजोर राजस्व निष्पादन कार्य के लिए दिए गए हैं।

- कर्नाटक में संपत्ति कर की वसूली दर बहुत कम है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि केरल में विदेशी पूंजी बहुत आती है और निर्माण कार्य भी बहुत अधिक होता है अतः प्रति व्यक्ति संपत्ति कर वसूली काफी अधिक होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रति व्यक्ति संपत्ति कर और प्रति व्यक्ति राजस्व महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से बाजारों तक ले जाने वाले विभिन्न कारणों (अर्थात् प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र की सड़क लम्बाई, कोल-तार सड़क का अनुपात, जनता में सेवा सुपुर्दगी का बोध, यानि जल की उपलब्धता इत्यादि) से संबंधित है।

- कर्नाटक में लेखा-प्रणाली बहुत समय से पुरानी चल रही है, विघटन का खतरा बना हुआ है तथा वार्षिक लेखा परीक्षाएं लंबित होती जा रही हैं। रजिस्टर एवं लेखा-पुस्तिकाओं से यह पता नहीं चल पाता कि निधियों में कितनी वृद्धि हुई है और कहां-कहां हुई है। लेखा संहिताओं में कोई एकरूपता नहीं है। ग्राम पंचायतें अभी भी अपनी पुराने पंचायत लेखा नियमों पर निर्भर हैं और तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों के पास कोई निर्धारित लेखा नियम नहीं हैं। किसी को भी दिन-प्रतिदिन के अथशेष के बारे में जानकारी नहीं है। बजट व्यवस्था नैमित्तिक कार्य बन गई है, नीतिगत प्रयोजनों के लिए विश्लेषण अथवा सलाह का अभाव है। इसी प्रकार, केरल में पंचायत निधियां तीन गुणा हो गयी हैं और 1996-97 से राज्य सरकार के अनुदानों में नौ गुणा वृद्धि हुई है और पुरानी प्रणाली पर दबाव पड़ रहा है और नई प्रणालियां अभी बननी हैं। समुदाय के प्रति पंचायतों को जवाबदेह बनाने हेतु जनयोजना अभियान में लागू किए गए तौर तरीकों को अभी भी उपयुक्त बनाया जाना है। इनमें सामाजिक लेखा-परीक्षा, लाभार्थी समितियों का सृजन, सूचना पहलकदमियों का अधिकार, सिटिजन चार्टर्स और ओंबड्समैन शामिल है।

- स्थानीय वित्त पर पर्याप्त जानकारी की कमी।

**तुलसी संग्रहालय का उन्नयन**

**3316. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डा. शंकर दयाल शर्मा राज्य स्वतंत्रता संग्रहालय के विकास और उन्नयन के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और इस कार्य के संबंध में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार द्वारा कितना प्रतिशत शेयर वहन किया जायेगा;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सतना जिले के तुलसी संग्रहालय और महेश्वर के देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय के उन्नयन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा यथाप्रस्तुत प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 102.00 लाख रु. है। भारत सरकार द्वारा वीथि के निर्माण, प्रकाशन, उपस्कर की खरीद, प्रलेखन तथा संग्रहालय पुस्तकालय के लिए कुल 50 लाख रु. की राशि अनुमोदित की गई है। शेष राशि संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाएगी।

(घ) और (ङ) तुलसी संग्रहालय सतना जनपद के लिए नई वीथि के निर्माण और प्रदर्शन कार्यों के प्रयोजन से कुल दस लाख रु. की राशि मंजूर की गई है। महेश्वर में देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति की 25-11-04 को आयोजित बैठक में रखा गया था। विशेषज्ञ समिति ने उक्त प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं की।

**युवकों को सैन्य प्रशिक्षण**

**3317. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
**श्री ए.के. मूर्ति:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**पारसी समुदाय के पर्सनल लॉ में परिवर्तन**

**3318. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से पारसी समुदाय के पर्सनल लॉ में परिवर्तन संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा**

**3319. श्री एम. शिवन्ना:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कन्नड़ को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, हां।

(ख) किसी भी भारतीय भाषा के श्रेण्य (क्लासिकल) दर्ज के दावे की जांच करने के लिए भाषा विज्ञान विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। यह समिति इस संबंध में सरकार को परामर्श देगी।

**पेट्रोल पंपों पर फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट्स**

**3320. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फास्ट फूड कंपनियों को पेट्रोल पंप परिसर में फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर फास्ट फूड कंपनियों से प्राप्त हुए उत्तर का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन्यें कंपनियों (ओ.एम.सीज) के, अपने पेट्रोल पंप परिसरों में तैयार खाद्य रेस्तरां स्थापित करने के लिए अनुमति देने के, अपने स्वयं के मानक होते हैं। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों पर प्रत्याय, ग्राहक सेवाएं, ब्रांड छवि आदि शामिल हैं। ओ.एम.सीज ने अब तक डोमिनस पिज्जा, कैफे काफी डे, निरूलास कार्नर हाउस, बास्किल राबिन्स आदि जैसी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं।

**कोलकाता विमानपत्तन पर एयरोब्रिज का निर्माण**

**3321. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यातायात में हाल ही में हुई वृद्धि से निपटने के लिए कोलकाता विमानपत्तन की वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोलकाता विमानपत्तन पर और अधिक एयरोब्रिज के निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइनों/ यातायात की आवश्यकताओं के मद्देनजर हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। भीड़-भाड़ वाले घंटों के दौरान 500 तक यात्रियों की व्यवस्था करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर में एक नए प्रस्थान भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। नए अन्तरराष्ट्रीय प्रस्थान भवन का डिजाइन तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पार्किंग बे के निर्माण, गौण रनवे का पुनर्संतहीकरण तथा विस्तार किए जाने की भी योजना है। दो अतिरिक्त इन-कॉन्टेक्ट पार्किंग बे तथा 2 अतिरिक्त रिमोट पार्किंग बे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इस कार्य के अक्तूबर, 2005 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 700 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर, घरेलू टर्मिनल भवन में कनेक्टिंग कोरिडोर सहित दो अतिरिक्त एयरोब्रिजों तथा 350 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन में एक अतिरिक्त एयरोब्रिज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त कार्यों के लिए वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों में एक लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों के लिए क्रमश: 10 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस कार्य के पूरा होने में कार्य सौंपे जाने के बाद लगभग 12 महीनों का समय लगने का अनुमान है।

**रेल सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना**

**3322. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के अन्तराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में रेल सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) भारतीय रेल के पास अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के परिसर में रेल सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इस प्रस्ताव पर वर्ष 2002-2003 में विचार किया गया था। बहरहाल, तत्कालीन रेलमंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में इस प्रकार का केन्द्र न खोलने का विनिश्चय किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों में अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु सुरक्षा व्यवस्था**

**3323. श्री राजेन गोहेन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों विशेषकर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु क्या प्रभावी व्यवस्था की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में हो रही आपराधिक और आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर रेलगाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने तथा वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने के नाते, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा राज्य/केन्द्र शासित सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। बहरहाल, अपराधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने की दृष्टि से रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया है तथा राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में तैनात किया जा रहा है। अब सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल औसतन 1217 गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियां तथा राजकीय रेलवे पुलिस औसतन 2102 गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों की व्यवस्था करती है। इसमें से 12 मार्गरक्षण पार्टियां राजधानी एक्सप्रेस और 17 मार्गरक्षण पार्टियां शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रतिदिन मुहैया कराई जाती है। सभी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में मार्गरक्षण मुहैया नहीं कराया जाता है। अपराध की प्रवृत्तियों और प्रभावित गाड़ियों के अनुसार ही मार्गरक्षण पार्टियां तैनात की जाती है।

(ख) और (ग) राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठकों के साथ-साथ रेलवे और राज्य सरकारों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय बैठकों में भी अपराध की प्रवृत्तियों की आवधिक समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है और राज्य सरकारों और रेलवे के समन्वय से व्यवस्था में फेरबदल किया जाता है तथा तैनाती व्यवस्थित की जाती है। आसूचना एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि धमकियों की आशंका और आसूचनाओं के आधार पर समन्वित उपाय किए जा सकें। कार्रवाई करने योग्य आसूचना पर रेलवे और आसूचना एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, अपराधों पर नियंत्रण पाने हेतु राज्य सरकारों को प्रभावी सहयोग देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल में रिक्तियों को भरा जा रहा है और अतिरिक्त सड़क वाहन तथा संचार उपस्कर मुहैया कराए जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**चेन्नई में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का क्रियान्वयन**

**3324. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) को चेन्नई सहित कुछ महानगरों में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में भी इसे लागू करने हेतु कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) इस समय केवल चेन्नै में लागू है।

(ख) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टी.वी. चैनलों के प्रसारण व वितरण से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 01-10-2004 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संबोधनीयता (कैस), कीमत निर्धारण तथा टी.वी. चैनलों के वितरण में प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन जैसे मुद्दों के बारे में प्रावधान हैं। इस समय इन सिफारिशों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कैस को कार्यान्वित करने का मुद्दा इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयादेश हेतु लंबित है।

**गेल और सेल के बीच समझौता ज्ञापन**

**3325. श्री गुरजीत सिंह राणा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु स्टील अथारिटी

आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) जी हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 3.563 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम. एस.सी.एम.डी.) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए, 10-2-2005 को सेल के साथ, गैस की उपलब्धता की शर्त पर शीर्ष करार (एच.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

*[हिन्दी]*

**नैनपुर रेलवे अस्पताल को स्थानांतरण किया जाना**

**3326. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे में नैनपुर स्थित अस्पताल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या उक्त अस्पताल के कर्मचारियों को भी वहां से स्थानांतरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड का आधुनिकीकरण**

**3327. श्री जोवाकिम बखला:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं/ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड का प्रचालन दिनांक 31-03-2002 से ही बंद है तथा उसके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए अलग कर दिया गया है। सरकारी परिसमापक ने दिनांक 31-07-2003 को कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। सरकारी परिसमापक द्वारा कंपनी का अधिग्रहण करने से पूर्व कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उठायी गयी निवल हानियां निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | निवल हानि (रुपये करोड़ में) |
|---|---|
| 2000-01 | 929.04 |
| 2001-02 | 696.40 |
| 2002-03 (अलेखापरीक्षित) | 1417.58 |

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी. और कैमरे लगाया जाना**

**3328. श्री प्रदीप गांधी:**
**श्रीमती नीता पटैरिया:**
**श्री थावर चन्द गेहलोत:**
**श्री वीरेन्द्र कुमार:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए मुख्य रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी. और कैमरे लगाने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन-किन रेलवे स्टेशनों को चुना गया है तथा इस कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) जोनल रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरों के संबंध में रेलवे वार स्थिति नीचे दी गई है:-

| रेलवे/स्टेशन | कुल व्यय लाख रु. में |
|---|---|
| **उत्तर पश्चिम रेलवे** | 10.33/-रु. |
| जयपुर, जोधपुर | |
| अजमेर और बीकानेर | |
| **पश्चिम रेलवे** | 123.77/-रु. |
| चर्चगेट, मुंबई | |
| बांदा, वडोदरा, अहमदाबाद | |
| रतलाम, इंदौर, भावनगर | |
| बोटाड और वेरावाल | |
| **दक्षिण रेलवे** | 11.07/-रु. |
| चेन्नै | |
| **दक्षिण पश्चिम रेलवे** | 28.56/-रु. |
| बेंगलोर | |
| **दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे** | 10.00/-रु. |
| बिलासपुर | |
| **पूर्वोत्तर सीमा रेलवे** | 17.19/-रु. |
| गुवाहाटी और दीमापुर | |
| **पूर्वोत्तर रेलवे** | 22.58/-रु. |
| गोरखपुर लखनऊ | |
| **दक्षिण मध्य रेलवे** | 56.18/-रु. |
| आगरा, झांसी, ग्वालियर और सिथोली | |

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे गैर-सरकारी संगठन**

**3329. श्री परसुराम माझी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे उन गैर-सरकारी संगठनों के अलग-अलग नाम क्या हैं जो मंत्रालयों से अनुदान/निधियां प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या विवेकाधिकार के अधीन अनुदान/सहायता के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन का कोई अनुरोध मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) भारत सरकार अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान/निधियां निर्मुक्त करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित/चलाए जा रहे गैर-सरकारी संगठनों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे द्वारा मुआवजा**

**3330. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान उन मुकदमों की कुल संख्या कितनी है जिनमें उपभोक्ता न्यायालयों ने रेलवे को यात्रियों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) रेलवे द्वारा यात्रियों को लौटाये जाने वाले पैसे का समय पर भुगतान किए जाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) 2004-05 के दौरान (फरवरी, 2005 तक) 74 मामलों में उपभोक्ता न्यायालयों ने यात्रियों को धन वापसी के लिए रेलवे को निदेश दिए हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप में 2,64,041/-रु. की राशि अदा की गई।

(ग) रेलवे द्वारा किए गए/किए जा रहे निवारक उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) क्षेत्रीय रेलों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर यात्रियों को धन वापसी के मामले की सतत् मॉनीटरिंग।

(ii) उपभोक्ता न्यायालय मामलों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय और मंडलीय मुख्यालयों पर अलग कक्ष स्थापित किए गए हैं।

(iii) धन वापसी नियमों को उदारीकृत किया गया है।

**अबोहर फाजिल्का रेल लाइन का निर्माण**

**3331. श्री जोरा सिंह मान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अबोहर-फाजिल्का रेल लाइन परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस परियोजना के कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मुख्य पुलों के लिए मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है और भूमि अधिग्रहण के लिए पंजाब राज्य सरकार के पास 6.20 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं।

(ख) फरवरी, 05 के अंत तक इस परियोजना पर 6.47 करोड़ रु. (अनंतिम) व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना**

**3332. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे राजस्थान में और अधिक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि राजस्थान में बीकानेर, अनुपगढ़ और नाथद्वारा में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को स्थापित करने हेतु पिछले दो वर्ष के दौरान विभिन्न मंचों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) बीकानेर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापनाधीन है। राजस्थान में कोई दूसरा उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

दूरदर्शन द्वारा फ्री-टु-एयर डी.टी.एच. सेवा शुरू किए जाने से इसके 33 टी.वी. और 12 रेडियो चैनलों के समूह को एक लघु आकार की डिश रिसीव यूनिट की सहायता से राजस्थान सहित पूरे देश में रिसीव किया जा सकता है। स्थलीय नेटवर्क के और विस्तार के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**अम्बेडकर नेशनल फाउन्डेशन हेतु वित्तीय सहायता**

**3333. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** अहमदाबाद स्थित अम्बेडकर भवन काम्प्लेक्स हेतु वित्तीय सहायता के बारे में 19-08-2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3190 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद में डा. बाबासाहेब अम्बेडकर नेशनल फाउन्डेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया में ले लिया गया है तथा इस प्रस्ताव हेतु मांगी गयी वित्तीय सहायता जारी कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक कार्रवाई किए जाने तथा वित्तीय सहायता जारी किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (घ) अहमदाबाद में डा. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की गई है और निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी हैं क्योंकि यह परियोजना, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती है।

*[हिन्दी]*

**क्लबों पर आया खर्च**

**3334. श्री मनसुखभाई डी. वसावा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के उच्च अधिकारियों के परिवार के सदस्यों हेतु चलने वाले क्लब सरकारी खर्च पर चलते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्लबों पर कितना खर्च आया है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि सशस्त्र बलों के जवान भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर सकें?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)**: (क) सशस्त्र सेनाओं के उच्चाधिकारियों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी व्यय पर कोई क्लब नहीं चलाया जा रहा है। अफसरों के इस्तेमाल के लिए संस्थानों का प्रबंधन, सदस्यों के अंशदान से न-लाभ न-हानि आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक, उनके लिए निर्धारित संस्थानों में, सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

*[अनुवाद]*

**सुनामी लहरों के कारण प्रभावित क्षेत्र**

**3335. श्री सनत कुमार मंडल:**

**श्री अनन्त कुमार:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में सुनामी लहरों से प्रभावित क्षेत्रों का कोई अन्वेषण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सुनामी के कारण क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/संग्रहालयों की राज्यवार और स्थानवार संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्मारकों और संग्रहालयों की मरम्मत/पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी)**: (क) जी, हां। मामल्लापुरम तट (चैन्ने) पर सुनामी लहरों से तीन नक्काशियां प्राप्त हुई हैं। ये (i) आले में बाघ तथा एक देवता तथा उसके पार्श्व में अर्ध देवताओं की आकृति (ii) एक हाथी तथा एक घोड़े की आकृति की नक्काशी जिसके शीर्ष पर गोलाकार आला है तथा (iii) कीर्तिमुख (शेर का चेहरा) की आकृति दर्शाते हैं।

नक्काशियां शैल संस्तर पर खोदी गई हैं तथा शैली की दृष्टि से ये पल्लव काल की हैं।

(ख) और (ग) सुनामी लहरों के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों में से कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। तथापि, तमिलनाडु के दो स्मारकों की अहाता दीवार तथा बाड़ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसका मरम्मत कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है। इन स्मारकों के नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं:-

1. तटीय मंदिर (शोर टेम्पल), मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु
2. टाइगर गुफाएं, मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु।

*[हिन्दी]*

**प्रसार भारती को निधियां**

**3336. योगी आदित्यनाथ:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रसार भारती पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार प्रसार भारती को पर्याप्त निधियां आवंटित नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी)**: (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ऋण, अर्जित राजस्व अर्थात् आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई.ई.बी.आर.) और प्रसार भारती द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | अनुदान ऋण | आ.अति. व.सं.* | योग | व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 1,113.81 | 711.90 | 1,825.71 | 1,629.27 |
| 2002-03 | 1,238.39 | 686.06 | 1.924.45 | 1,766.93 |
| 2003-04 | 1,131.19 | 671.27 | 1,802.46 | 1,663.77 |
| योग | 3,483.39 | 2,069.23 | 5,552.62 | 5,059.97 |

*आ.अति.ब.सं.-आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन

अधिकतम संभव सीमा तक धनराशि प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती ने अपने वाणिज्यिक व्यापार के जरिए अर्जित राजस्व का सहारा लिया है।

**पेट्रो टेक 2005 पर किया गया खर्च**

**3337. श्री सूरज सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा जनवरी, 2005 में पेट्रो टेक 2005 पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या पेट्रो टेक 2005 आयोजित करने में वित्तीय अनियमितताओं का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) छठा अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन और प्रदर्शनी "पेट्रोटेक-2005" का आयोजन 15-19 जनवरी, 2005 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियों के प्रायोजन के तहत आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा किया गया था।

इस आयोजन में अनुमानित व्यय 8.15 करोड़ रुपये हुआ था और इससे 10.40 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त हुआ है। ओ.एन.जी.सी. ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों के भागीदारी शुल्क के प्रति 58.80 लाख रुपये और प्रदर्शनी के लिए 54.14 लाख रुपये का व्यय किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुदान]*

**नई डी.टी.एच. नीति**

**3338. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु "नई डी.टी.एच. नीति" बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नीति कब तक बनाई जाएगी?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) मार्च, 2001 में, सरकार ने डी.टी.एच. सेवा स्थापित व संचालित करने के लिए निजी पार्टियों द्वारा डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए थे। इन दिशा-निर्देशों में एफ.आई.आई./ एन.आर.आई./ओ.सी.बी. सहित किसी भारतीय संस्था को अधिकतम 20% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 49% तक की विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति दी गयी है। मंत्रालय किसी नई नीति के निरूपण की परिकल्पना नहीं कर रहा है।

**शालीमार में दक्षिण-पूर्व रेल टर्मिनल**

**3339. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शालीमार में दक्षिण-पूर्व रेल टर्मिनल का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो शालीमार में कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) 24 सवारी डिब्बों वाले दो प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया है। अस्थायी बस/टैक्सी स्टैण्ड और कार पार्किंग क्षेत्र मुहैया कराया गया है। अंडूल रोड फ्लाईओवर से मौजूदा शालीमार टर्मिनल तक अलग से पहुंच मार्ग की व्यवस्था करने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति हो रही है। अभी तक कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

**रेलवे पुलिस, कुलियों और दलालों द्वारा श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार**

**3340. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली और पंजाब के स्टेशनों पर रेलवे पुलिस कुलियों और दलालों के हाथों बिहार और पूर्वी राज्यों के श्रमिकों के साथ बिना किसी कारण के उत्पीड़न, पैसा छीनने, उन्हें बर्थ दिलाने के लिए धन ऐंठने, उनके पैसा

देने से मना करने पर पीटने के रूप में बड़े पैमाने पर हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाएंगे;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु किसी कृतिक बल का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली और पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली थी।

बहरहाल, 18-8-2003 को उत्तर रेलवे के पठानकोट-जालंधर खंड पर मुकेरियां और ऊंचीबस्सी स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 3074 हिमगिरी एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बे में 13 सदाशयी यात्रियों से राजकीय रेलवे पुलिस/पठानकोट के गाड़ी मार्गरक्षण पार्टी द्वारा पैसे और सामान छीनने के एक मामला रिपोर्ट किया गया था। इस संबंध में, राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन/जालंधर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 99/2003 दिनांक 18-8-2003, भारतीय दंड संहिता की धारा 382/34 के तहत गाड़ी मार्गरक्षण पार्टी के विरुद्ध एक केस दर्ज कराया गया था।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं:-

1. जब कभी ड्यूटी में ढिलाई के कारण यात्रियों के उत्पीड़न की रिपोर्ट प्राप्त होती है, राजकीय रेलवे पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं और निवारक उपायों पर चर्चा की जाती है तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

2. राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे के पर्यवेक्षकों द्वारा रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में नियमित और औचक जांचें की जाती हैं।

3. जब कभी यात्रियों के उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है, यदि इसमें राजकीय रेलवे पुलिस का कर्मचारी कथित रूप से दोषी पाया जाता है तो राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ मामले पर कार्रवाई की जाती है।

4. सीटों को हथियाने से बचाने के लिए, रेकों को वाशिंग लाइनों से प्लेटफार्मों तक ताला बंद करके लाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## एअर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने हेतु रणनीति

**3341. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी यूनियनों ने प्रबंधन की रणनीति को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो एअर इंडिया का स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) विमानन क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, एअर इंडिया ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं उनमें शामिल हैं: (i) सभी बी-747-400 विमानों की प्रथम तथा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में सोने के लिए फ्लैट बिस्तर तथा स्लम्बरेट्स प्रतिस्थापित किए गए; (ii) सभी श्रेणियों के कुछ ड्राई लीज विमानों में वैयक्तिक टी.वी. उपलब्ध कराए गए हैं; (iii) ए-310-300 और बी-747-400 विमानों के अंदर के भाग को पुन: सुसज्जित करने में, सीटों, कारपेटों और पर्दों को बदलना, गैलरी और प्रसाधनों का उन्नयन, इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली आदि का उन्नयन आदि शामिल हैं; (iv) प्रथम और एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों की सुख सुविधा किटों का उन्नयन; (v) बोर्ड पर ड्यूटी फ्री सेल का विस्तृत विकल्प दिया जाना; (vi) भारत/यू.एस.ए./भारत और भारत/यू.के./भारत के मार्गों पर ई-टिकट प्रणाली का लागू किया जाना; (vii) अन्य एयरलाइनों के साथ इंटर एयरलाइन के माध्यम से चैक-इन, ताकि नेटवर्क के जरिये यात्रियों को अपने मूल स्थान से गंतव्य तक चेक-इन करना सुगम हो; (viii) मुंबई में महाराजा

लाउंज का उन्नयन; (ix) जहाज में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की बारीकी से मॉनीटरिंग करना तथा उसे और बेहतर करना।

एअर इंडिया ने लीज पर 18 विमान पहले ही ले लिए हैं तथा विमानों की खरीद किए जाने तक अपनी विस्तार अपेक्षाओं की क्षमता को पूरा करने के लिए 12 और विमान लेने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है।

उपरोक्त के अलावा, एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने अपनी नई सहायक एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए बी-737-800 किस्म के 18 विमानों और एअर इंडिया के 50 विमानों को अर्जित करने के लिए एक विमान बेड़ा अर्जन योजना को भी अनुमोदित किया है। एअर इंडिया एक्सप्रैस के लिए 18 बी-737-800 डब्ल्यू विमानों को लेने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ) अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एअर इंडिया द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में कर्मचारियों को विश्वास में लेने हेतु प्रबंधन द्वारा हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**नई हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन का निर्माण**

**3342. श्री आलोक कुमार मेहता:**
**श्री सीताराम सिंह:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व-मध्य रेल जोन के अंतर्गत नई हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(घ) इस रेल लाइन परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)**: (क) और (ख) कार्य के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। वैशाली यार्ड और हाजीपुर छोर से 6 कि.मी. लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 325 करोड़ रु. है। परियोजना के लिए 2005-06 के दौरान 1 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

**स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को निधियां**

**3343. डा. राजेश मिश्रा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निधियों के राज्य-वार आवंटन के आधार पर विभिन्न राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकार करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**देवंगाना एयरोड्रोम**

**3344. श्री श्यामा चरण गुप्त:** क्या **नागर विमानन मंत्री** अधूरा देवंगाना एयरोड्रोम के बारे में 2 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवंगाना एयरोड्रोम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) एयरोड्रोम का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)**: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा देवंगाना एरोड्रोम के निर्माण के लिए किसी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक निजी संस्थान को कुछ निबन्धन एवं शर्तों के अधीन 10 वर्ष के लिए पट्टे पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि पर एक हवाई पट्टी, सम्बद्ध सुविधाओं तथा

एप्रोच रोड का निर्माण करने के लिए अनुमति दी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

*[अनुवाद]*

**रूसी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम**

**3345. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एच.ए.एल.) का विचार हलके लड़ाकू हैलीकॉप्टर बनाने के लिए विभिन्न रूसी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सड़क ऊपरि पुल का निर्माण**

**3346. श्री गुरुदास कामत:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कांदीविल्ली में रक्षा भूमि पर बनाए जाने वाले सड़क ऊपरि पुल के लिए खुदाई और भूमिगत कंक्रीट का कार्य कराने हेतु विस्तार प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क ऊपरि पुल का निर्माण पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, नहीं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने कांदीविल्ली (पूर्व) में सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए केंद्रीय आयुध डिपो, मलाड में 14860.30 वर्ग मीटर रक्षा भूमि ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

(ख) से (घ) निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसी कि सूचना मिली है, कार्य प्रगति पर है।

**संग्रहालय का रखरखाव**

**3347. श्री एस.के. खादरवेनथन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन स्थानों और किन-किन राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा कौन से संग्रहालयों का संरक्षण किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक संग्रहालय के रखरखाव पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई और 2005-06 में कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संग्रहालयों में ए.एस.आई. द्वारा किया जा रहा रखरखाव संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा अनुरक्षित स्थल संग्रहालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) खर्च की गई और आवंटित राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) पुरातत्वीय संग्रहालयों का अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध संसाधनों के तहत समुचित रूप से किया जाता है।

***विवरण-I***

| क्र.सं. | राज्य | स्थान | संग्रहालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | जिला गुन्टूर | 1. अमरावती |
| | | जिला चित्तूर | 2. चन्द्रगिरि |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | जिला मेडक | 3. | कोंडापुर |
| | | जिला गुन्टूर | 4. | नागार्जुनकोंडा |
| 2. | असम | जिला गोलपाड़ा | 5. | सूर्य पहाड़ |
| 3. | बिहार | जिला भागलपुर | 6. | विक्रमशिला |
| | | जिला गया | 7. | बोधगया |
| | | जिला नालंदा | 8. | नालंदा |
| | | जिला वैशाली | 9. | वैशाली |
| 4. | दिल्ली | दिल्ली | 10. | पुरातत्व संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली |
| | | दिल्ली | 11. | इन्डियन वार मेमोरिअल म्युजियम, लाल किला, दिल्ली |
| | | दिल्ली | 12. | पुराना किला संग्रहालय, पुराना किला, नई दिल्ली |
| | | दिल्ली | 13. | स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली |
| | | दिल्ली | 14. | सलीमगढ़ संग्रहालय |
| 5. | गुजरात | तालुका ढोलका, जिला अहमदाबाद | 15. | लोथल |
| 6. | गोवा | उत्तर गोवा | 16. | वेल्हा गोवा संग्रहालय, गोवा |
| 7. | हरियाणा | जिला कुरुक्षेत्र, थानेसर | 17. | शेख चिल्ली का मकबरा |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | जिला कांगड़ा | 18. | कांगड़ा किला |
| 9. | कर्नाटक | जिला बागलकोट, एहोल | 19. | एहोल |
| | | बीजापुर | 20. | बीजापुर |
| | | जिला बागलकोट, बदामी | 21. | बादामी |
| | | जिला हासन, हेलेबिडु | 22. | हेलेबिडु |
| | | जिला होसपेट | 23. | हम्पी (कमलापुर) |
| | | श्रीरंगपटनम, दरिया दौलत बाग | 24. | टीपू सुल्तान महल |
| 10. | केरल | जिला कोची, कर्नाकुलम | 25. | मत्तनचेरी महल |
| 11. | मध्य प्रदेश | जिला रायसेन | 26. | सांची |
| | | जिला अशोक नगर, चंदेरी | 27. | सिंहपुर महल |
| | | जिला ग्वालियर | 28. | ग्वालियर |
| | | जिला छतरपुर खजुराहो | 29. | खजुराहो |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | उड़ीसा | जिला पुरी | 30. कोणार्क |
| | | जिला जाजपुर | 31. रत्नागिरी |
| 13. | पंजाब | जिला रोपड़ | 32. रोपड़ |
| 14. | राजस्थान | जिला हनुमानगढ़ | 33. कालीबंगन |
| 15. | तमिलनाडु | जिला चेन्नई | 34. फोर्ट सेंट जार्ज |
| 16. | उत्तर प्रदेश | जिला वाराणसी | 35. सारनाथ संग्रहालय |
| | | जिला लखनऊ | 36. रेजीडेंसी संग्रहालय, लखनऊ |
| | | जिला आगरा | 37. ताजमहल परिसर |
| 17. | उत्तरांचल | जिला अल्मोड़ा, जगेश्वर | 38. जगेश्वर |
| 18. | पश्चिम बंगाल | जिला मुर्शिदाबाद | 39. हजारदुआरी महल संग्रहालय |
| | | जिला कूच बिहार | 40. कूच बिहार महल |
| | | जिला पुर्बा, मेदिनीपुर | 41. तामलुक |

*विवरण-II*

राशि लाख रुपए में

| क्र.सं. | राज्य का नाम | संग्रहालय का नाम | आवंटित धनराशि | | | किया गया व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1. अमरावती | 9.80 | 12.80 | 17.00 | 7.76 | 12.69 | 14.00 |
| | | 2. कोंडापुर | | | | | | |
| | | 3. चन्द्रगिरी | 1.50 | 7.00 | 12.00 | 1.50 | 7.00 | 12.00 |
| | | 4. नागार्जुनकोंडा | 13.50 | 19.50 | 20.00 | 13.38 | 19.49 | 20.00 |
| 2. | असम | 5. सूर्य पहाड़ | 11/2004 | में खोला गया | 4.00 | | | 3.65 |
| 3. | बिहार | 6. बोधगया | 5.90 | 11.00 | 10.00 | 5.90 | 10.76 | 4.10 |
| | | 7. नालन्दा | 17.88 | 14.00 | 13.00 | 17.85 | 14.00 | 10.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. वैशाली | 9.60 | 11.00 | 10.00 | 9.52 | 10.61 | 8.50 |
| | | 9. विक्रमशीला | 6.60 | 9.00 | 8.00 | 6.60 | 9.00 | 9.00 |
| 4. | दिल्ली | 10. पुरातात्विक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली | 2.00 | 2.75 | 7.00 | 1.81 | 1.48 | 0.24 |
| | | 11. भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली | 4.45 | 3.00 | 6.00 | 4.32 | 2.34 | 3.00 |
| | | 12. पुराना किला संग्रहालय, पुराना किला, नई दिल्ली | 2.00 | 25.00 | 4.00 | 1.94 | 20.61 | 3.50 |
| | | 13. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 8.22 | 3.60 |
| | | 14. सलीमगढ़ संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 3.59 | 2.71 | 2.42 |
| 5. | गुजरात | 15. लोथल | 1.65 | 7.00 | 8.00 | 1.63 | 6.43 | 6.32 |
| 6. | गोवा | 16. वेल्हा गोवा | 8.60 | 11.70 | 10.00 | 8.59 | 11.70 | 8.13 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 17. कांगड़ा किला | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .85 | 1.00 |
| 8. | हरियाणा | 18. शेख चिल्ली का मकबरा | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.30 | 3.18 |
| 9. | कर्नाटक | 19. ऐहोल | 12.25 | 19.60 | 20.00 | 12.21 | 19.60 | 19.42 |
| | | 20. बादामी | | | | | | |
| | | 21. बीजापुर | 19.44 | 10.46 | 9.10 | 18.23 | 10.46 | 6.92 |
| | | 22. हेलेविड्डू | 4.80 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 9.98 | 9.70 |
| | | 23. कमलापुर (हम्पी) | 13.60 | 13.60 | 13.00 | 13.60 | 13.60 | 11.00 |
| | | 24. टीपू सुल्तान | 2.85 | 8.00 | 7.00 | 2.85 | 8.00 | 6.40 |
| 10. | केरल | 25. मत्तनचेरी महल | 3.00 | 8.00 | 9.20 | 3.00 | 7.99 | 9.00 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 26. सांची | 2.90 | 12.10 | 10.00 | 2.86 | 12.00 | 5.90 |
| | | 27. चंदेरी | 4.00 | 10.85 | 8.00 | 4.00 | 10.84 | 7.16 |
| | | 28. ग्वालियर | 10.75 | 22.12 | 16.00 | 10.03 | 21.98 | 11.53 |
| | | 29. खजुराहो | 9.20 | 9.50 | 10.00 | 9.08 | 9.31 | 5.43 |
| 12. | उड़ीसा | 30. कोणार्क | 4.60 | 9.90 | 10.00 | 3.10 | 9.85 | 8.96 |
| | | 31. रत्नागिरि | 2.60 | 6.40 | 7.00 | 2.60 | 6.40 | 6.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | पंजाब | 32. रोपड़ | 4.85 | 5.85 | 6.00 | 4.85 | 5.85 | 5.31 |
| 14. | राजस्थान | 33. कालीबंगन | 3.50 | 6.50 | 8.00 | 3.28 | 6.50 | 7.75 |
| 15. | तामिलनाडु | 34. फोर्ट सेंट जार्ज चैन्ने | 6.00 | 12.75 | 18.00 | 6.00 | 12.75 | 10.95 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 35. सारनाथ | 25.58 | 28.00 | 14.00 | 25.58 | 28.00 | 14.00 |
| | | 36. रेजीडेंसी संग्रहालय, लखनऊ | 3.00 | 15.29 | 6.00 | 3.00 | 15.19 | 6.00 |
| | | 37. ताज महल परिसर | 3.50 | 4.00 | 8.00 | 3.20 | 3.73 | 2.30 |
| 17. | उत्तरांचल | 38. जगेश्वर | सितम्बर, 03 में खोला गया | 4.00 | 4.00 | सितम्बर, 03 में खोला गया | 4.00 | 3.22 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 39. हजारदुरैय पैलेस | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 15.46 | 18.00 | 15.02 |
| | | 40. कोच बिहार | 7.00 | 12.00 | 6.20 | 12.00 | 9.21 | |
| | | 41. तमलक | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 6.56 | 6.93 |

वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तावित बजट 950.00 लाख रुपए है जिसे आवश्यक तथा सुधार/उन्नयन के अनुसार संग्रहालयों में वितरित किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**नई रेलवे लाइनों के लिए धनराशि**

**3348. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान नई रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु धनराशि के आबंटन में थोड़ी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**रेल परियोजनाएं**

**3349. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
**श्री मुनव्वर हसन:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री राजेन्द्र कुमार:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई;

(ख) राज्यवार विशेषकर गुजरात में कितनी परियोजनाएं पूरी की गईं और कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लंबित रहने के मुख्य कारण क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में क्रमशः कुल 9, 13 और 39 परियोजनाएं शामिल की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पांच परियोजनाएं जिनकी अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा है, को छोड़कर सभी 240 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। पांच लम्बित परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजना से संबंधित इन परियोजनाओं हेतु वर्ष 2004-05 के लिए कुल 383,37 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं के आने वाले वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

***विवरण***

*कुल 88 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। रेलवे की भाषा में लम्बित परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिन्हें बजट में इस प्रावधान के साथ शामिल किया गया था कि इन्हें अपेक्षित स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। इस समय इस प्रकार की 5 लम्बित परियोजनाएं हैं। बजट 2004-05 के अनुसार, 240 परियोजनाएं प्रगति पर हैं जिनमें लम्बित परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-*

| क्र.सं. | राज्य | कार्य की संख्या | पूरा किया गया | लम्बित परियोजनाओं सहित अधिशेष प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 27 | 7 | 20 |
| 2. | असम और पूर्वोत्तर राज्य | 12 | 2 | 10 |
| 3. | बिहार | 47 | 15 | 32 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 10 | 5 | 5 |
| 5. | दिल्ली | 4 | 0 | 4 |
| 6. | गुजरात | 14 | 5 | 9 |
| 7. | हरियाणा | 7 | 0 | 7 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3 | 0 | 3 |
| 9. | जम्मू-काश्मीर | 3 | 1 | 2 |
| 10. | झारखंड | 11 | 3 | 8 |
| 11. | कर्नाटक | 22 | 4 | 18 |
| 12. | केरल | 14 | 2 | 12 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 10 | 1 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | महाराष्ट्र | 27 | 8 | 19 |
| 15. | उड़ीसा | 25 | 6 | 19 |
| 16. | पंजाब | 7 | 1 | 6 |
| 17. | राजस्थान | 15 | 4 | 11 |
| 18. | तमिलनाडु | 25 | 6 | 19 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 47 | 14 | 33 |
| 20. | उत्तरांचल | 3 | 1 | 2 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 45 | 15 | 30 |

नोट: एक से अधिक राज्य में पड़ने वाली परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में दर्शायी गयी है।

**गैस एजेंसियों का खोला जाना**

**3350. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
**मो. मुकीम:**
**श्री बीर सिंह महतो:**
**श्री कैलाश बैठा:**
**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**
**श्री राजेन्द्र कुमार:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस एजेंसी के आबंटन और स्थान के चयन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कंपनीवार और स्थानवार कितनी गैस एजेंसियां खोली गई;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गैस एजेंसियां खोलने हेतु सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुरूप एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करती हैं। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए मानदंड और प्रक्रिया ओ.एम.सीज द्वारा समय समय पर विज्ञापन/चयन के समय विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों और अप्रैल, 2004-फरवरी, 2005 के दौरान ओ.एम.सीज द्वारा खोली गई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों का राज्यवार ब्यौरा संबंधित तेल कंपनी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध होता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने ओ.एम.सीज को अपने वाणिज्यिक दृष्टकोणों के अनुसार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू किया जाना व्यवहार्य स्थानों की पहचान, विज्ञापनों के जारी किए जाने, साक्षात्कारों के आयोजन, गोदाम, शोरूम के लिए भूमि प्राप्त करने की उम्मीदवार की योग्यता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। इन घटकों के मद्देनजर, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू किए जाने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया है। तथापि, सरकार ने ओ.एम.सीज को अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है।

*विवरण*

*अप्रैल, 2001-फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान देश में ओ.एम.सीज द्वारा स्थापित एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा।*

| तेल कंपनी का नाम | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | अप्रैल, 2004 से फरवरी, 2005 तक |
|---|---|---|---|---|
| आई.ओ.सी.एल. | 462 | 240 | 234 | 252 |
| एच.पी.सी.एल. | 213 | 76 | 95 | 137 |
| बी.पी.सी.एल. | 313 | 105 | 94 | 135 |
| आई.बी.पी. | 29 | 10 | 9 | 15 |
| योग | 1017 | 431 | 432 | 539 |

**नाहुर रेलवे स्टेशन का निर्माण**

**3351. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे, मुम्बई के हाल्ट स्टेशन, नाहुर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस रेलवे स्टेशन के कब तक चालू होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) रेलवे ने अक्तूबर, 2003 में निर्माण के लिए अपेक्षित 942.60 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 40 लाख रु. जमा करा दिए हैं। रेलवे को भूमि नहीं सौंपी गई है। इससे अन्य कार्यों की प्रगति रुकी हुई है।

(ग) तल्य में मिट्टी संबंधी कार्य, रीटेनिंग वाल के निर्माण, छोटे पुलों और नए डायवर्जन का संपर्क कार्य पूरा हो गया है।

(घ) डायवर्जन अप्रैल, 2005 के दूसरे सप्ताह में चालू किए जाने का प्रस्ताव है। प्लेटफार्म, ऊपरी पैदल पुल के निर्माण और डायवर्जन के शुरू होने बाद किए जाने वाले अन्य संबद्ध कार्यों को मार्च, 2006 के अंत तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) मार्च, 2006।

**सात्रिय नृत्य एवं संगीत को बढ़ावा**

**3352. डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम का सात्रिय नृत्य एवं संगीत का रूप लुप्त होने के कगार पर है; और

(ख) यदि हां, तो सात्रिय नृत्य एवं संगीत को बढ़ावा देने व उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) असम का सात्रिय नृत्य और संगीत लुप्त होने के कगार पर नहीं है। संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी ने 2001-02 से सात्रिय नृत्य और संबद्ध परंपराओं की सहायता की एक विशेष परियोजना भी शुरू है जिसमें असम में (i) सात्रिय वार्षिक उत्सव, (ii) प्रख्यात गुरुओं के तहत सात्रिय नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iii) असम में चुनिन्दा सात्रिय कलाकारों का वित्त पोषण, (iv) असम के बाहर सात्रिय कलाकारों को प्रायोजित करने तथा (v) अनुसंधान, प्रलेखन और प्रकाशन आदि के लिए सहायता का प्रावधान है।

*[हिन्दी]*

**हेलीकाप्टरों की कमी**

**3353. श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में ऐसे हेलीकाप्टरों की कमी है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर तथा निम्नतम तापमान पर उड़ान भर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन हेलीकाप्टरों को कब तक खरीदे जाने और सेना को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) से (ग) यद्यपि, सेना के पास बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टोही तथा प्रेक्षक

की भूमिका के लिए हेलीकॉप्टरों की कमी नहीं है, किंतु ये हेलीकॉप्टर पुराने हैं तथा वर्तमान संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं। 12वीं योजना के अंत तक इन हेलीकॉप्टरों को प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है। हल्के-फुल्के उपयोग के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को क्रमिक रूप से सेना में शामिल किया जा रहा है।

**अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन**

**3354. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
**श्री बीर सिंह महतो:**

**क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने तथा भगदड़ की घटनाओं को और यात्रियों को होने वाली असुविधा का परिहार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) कुछ ऐसे स्टेशन जहां त्यौहारों, मेले और रैलियों के दौरान अतिरिक्त यातायात संभालना अपेक्षित होता है, पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो जाती है। ये स्टेशन अधिकांशत: वे स्टेशन हैं जो महत्वपूर्ण कस्बों और तीर्थ स्थलों को सेवित करते हैं।

(ग) रेलवे स्टेशनों का विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण और नए टर्मिनलों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसा स्टेशनों की कोटि, यातायात वृद्धि, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

**आधुनिक हथियार/हथियार प्रणाली का विकास**

**3355. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

**क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) में आधुनिक हथियार और हथियार प्रणाली विकसित करने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आधुनिक हथियारों और हथियार प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उच्च प्रौद्योगिकी शस्त्र प्रणालियों तथा प्लेटफार्मों के स्वदेशी विकास में लगा हुआ है। कभी-कभी इनके समय पर पूरा होने में निम्नलिखित कारणों से विलंब होता है:-

- प्रौद्योगिकीय जटिलताएं।
- प्रौद्योगिकीय निषेध/प्रतिबंध तथा विभिन्न नियंत्रण व्यवस्थाएं।
- देश के भीतर अवसंरचना की अनुपलब्धता।
- विस्तारित तथा लंबे समय तक चलने वाले प्रयोक्ता परीक्षण।
- मध्यावधि में प्रयोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन तथा वृद्धि।

(ग) सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में आधुनिक शस्त्र प्रणालियों तथा शस्त्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:-

- बहु-स्तरीय समीक्षा तंत्र के माध्यम से वित्तीय तथा तकनीकी प्रगति की समय पर समीक्षा तथा निगरानी सुनिश्चित करना।
- परियोजना को यथाशीघ्र पूरा किए जाने के प्रति सेनाओं की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा संयुक्त वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले प्रौद्योगिकी निर्धारण एवं मूल्यांकन करना।
- प्रयोक्ता सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पादन एजेंसियों के बीच समूह बैठकों के माध्यम से सहयोग तथा बेहतर समन्वयन को बढ़ावा देना।
- विकास तथा उत्पादन के लिए 'समवर्ती इंजीनियरी' तथा 'संयुक्त उद्यम' का दृष्टिकोण अपनाना।

*[अनुवाद]*

**गुजरात में विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति**

**3356. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु कुल कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी गैस की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) गुजरात राज्य में विद्युत परियोजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा-कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) गुजरात में विद्युत परियोजनाओं को कुल गैस आबंटन 8.24 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) है जिनमें 4.31 एम.एम.एस.सी.एम.डी. स्थिर आधार पर और 3.93 फाल बैक आधार पर शामिल है। इस आबंटन के मुकाबले राजसहायताप्राप्त गैस की आपूर्ति 3.92 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ग) प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में, एल.एन.जी. के रूप में या दूसरे देशों से पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात या एन.ई.एल.पी. स्रोतों से प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना शामिल है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात में विद्युत क्षेत्र, दहेज टर्मिनल से पहले ही आर.एल.एन.जी. प्राप्त कर रहा है। गेल ने गुजरात में विद्युत क्षेत्र को लगभग 0.80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. आर.एल.एन.जी. की आपूर्ति के लिए संविदा की है।

**टिकट किराए में खान-पान प्रभार शामिल किया जाना**

**3357. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन रेलगाड़ियों में टिकट किराए में खान-पान प्रभार सम्मिलित किया जाता है और किराए में खान-पान प्रभार का प्रतिशत कितना है;

(ख) व्यंजन सूची की मदों के चयन में कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किराए और खान-पान प्रभार में प्रतिवर्ष क्रमशः कितनी वृद्धि की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) प्रत्येक जोड़ी स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन दोनों दिशाओं के लिए पृथक् रूप से अधिसूचित किए गए निम्नलिखित इकाई खान-पान प्रभारों को सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के टिकट किराए में खान-पान प्रभारों में शामिल किया जाता है:-

| सेवा | वाता 2/3टी/ सीसी (रु. में) | प्रथम/एक्जीक्यूटिव श्रेणी (रु. में) |
|---|---|---|
| प्रातःकालीन चाय/ स्वागत पेय/ अल्पाहार | 13.75 | वाता. प्रथम और एक्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए विभाजन प्रभार वाता. 2/3 टि/सीसी श्रेणी के संशोधित प्रभारों का 1½ गुणा होंगे। |
| नाश्ता | 41.25 | |
| लंच | 82.50 | |
| हाई-टी/शाम की चाय | 41.25 | |
| डिनर | 82.50 | |

उपरोक्त इकाई खानपान प्रभारों को वर्ष 1999 में आखिरी बार अधिसूचित किया गया था, जो प्रत्येक व्यंजन की कच्ची सामग्री की लागत, कीमतों, ईंधन और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर्मचारी लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर परिकलित किए गए थे। राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के व्यंजन सूची क्षेत्रीय रेलों के वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड स्तर के अधिकारियों वाली समिति द्वारा सुझाए गए थे जिन्हें रेलवे बोर्ड वित्त की सहमति के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) चूंकि उल्लिखित प्रत्येक सेवा के इकाई मूल्य के कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः विगत तीन वर्षों में किराए/भोजन प्रभारों में प्रतिवर्ष कोई वृद्धि नहीं हुई है।

*[हिन्दी]*

**उड़ानों का रद्द किया जाना**

**3358. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार महीनों के दौरान दिल्ली-जयपुर-जोधपुर मार्ग पर एलाइंस एयर की उड़ानें कितनी बार रद्द की गई तथा किन उक्त उड़ानों के समय में कितनी बार परिवर्तन किया गया है;

(ख) उड़ानों को रद्द किए जाने तथा उनके समय में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) नवम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान उड़ान संख्या सी.डी.-7471 को चार बार रद्द किया गया तथा 46 बार विलम्ब से उड़ाया गया और उड़ान संख्या सी.डी.-7272 को 2 बार रद्द किया गया तथा 12 बार विलम्ब से उड़ाया गया था। इन उड़ानों के कार्यक्रम को दिनांक 28 जनवरी, 2005 को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया था:

सी.डी.-7471 दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-दिल्ली।

सी.डी.-7472 मुम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-मुम्बई।

दिनांक 17 फरवरी, 2005 से 28 फरवरी, 2005 तक उड़ान संख्या सी.डी.-7471 की आवृत्ति प्रतिदिन की उड़ानों से घटा कर इसे सप्ताह में 4 बार कर दिया गया था। दिनांक 3 मार्च, 2005 से प्रचालन के पूर्ववर्ती कार्यक्रम को बहाल कर दिया गया था तथा अब इन उड़ानों का प्रचालन दैनिक आधार पर निम्नानुसार किया जा रहा है:-

सी.डी.-7471 दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-मुम्बई।

सी.डी.-7472 मुम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली।

(ख) और (ग) इन सेवाओं में विलम्ब तथा इनके कार्यक्रम में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हुआ था:

- दिसम्बर में सुनामी संबंधी प्रचालनों के कारण विमानों की कमी हो जाना।
- कर्मीदल की कमी।
- दिनांक 16 तथा 18 फरवरी, 2005 को कोलकाता में 2 बी-737 विमानों को लगाने के कारण विमान की कमी।
- इंजीनियरिंग तथा परिणामगत कारण।

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि उड़ानों के विलम्ब तथा उनके रद्द होने के जो कारण थे, वे एयरलाइनों के नियंत्रण से परे थे तथा इसलिए इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती।

*[अनुवाद]*

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नाफ्था और गैस क्रैकर कांपलेक्स की स्थापना**

**3359. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 4500 करोड़ रुपये के निवेश से मंगलौर के निकट नाफ्था और गैस क्रैकर कांपलेक्स की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और इस कांपलेक्स को चालू करने के लिए संभावित समय सीमा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) अपने मुख्य दक्षता के क्षेत्रों पर संकेन्द्रण करने के अतिरिक्त आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) नाफ्था गैस क्रेकर परिसर सहित उत्पादन पूर्व और उत्पादनोंपरांत एकीकरण द्वारा अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है। इस संदर्भ में ओ.एन.जी.सी. ने ओ.एन.जी.सी. की मूल्यवर्धन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित संरचना के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए मंगलौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके लिए अपेक्षित व्यवहार्यता अध्ययन प्राथमिक चरण पर हैं।

**क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डी.एफ.पी.) एवं गीत और नाटक प्रभाग को बंद किया जाना**

**3360. श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डी.एफ.पी.) एवं गीत और नाटक प्रभाग को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किसी अन्य मीडिया यूनिट के कर्मचारियों की संख्या कम करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (घ) सचिवों की समिति ने दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को हुई इसकी बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव किया कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग को बन्द कर दिया जाए और फोटो प्रभाग, प्रकाशन विभाग और फिल्म प्रभाग के आकार को काफी हद तक कम कर दिया जाए। विभिन्न मुद्दों और विकल्पों की विस्तृत जांच पूरा होने के बाद सचिवों की समिति के समक्ष इस मामले पर फिर विचार किए जाने का प्रस्ताय है। इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**गैर-महानगरीय विमानपत्तनों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु निधियां**

**3361. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन्नयन एवं आधुनिकीकृत गैर-महानगरीय विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में गैर-महामगरीय विमानपत्तनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा विशेष निधियां प्रदान की गई है ताकि यात्रा संबंधित अवसंरचना में सुधार किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टर्मिनल भवन, रनवे, एप्रन तथा तकनीकी ब्लाक से संबंधित विकास कार्यों द्वारा कुल 26 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन किया गया है तथा सी.एन.एस./ए.टी.एम. परियोजनाओं का कार्य पूरा करने 44 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों का अधुनिकीकरण किया गया है।

(ख) और (ग) गैर-मेट्रो हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण के कार्य का वित्तपोषण सामान्यत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक संसाधनों से किया जाता है किन्तु पूर्वोत्तर तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए निधियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

**रेलगाड़ियों में धूम्रपान और शराब पीना**

**3362. श्रीमती भावना पुंडलिकाराव गवली:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों के यात्री रेलगाड़ियों विशेष रूप से वातानुकूलित कोचों में खुलेआम धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक सामने आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) रेलगाड़ियों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए तथा यात्रियों को धूम्रपान/शराब पीने के विरुद्ध शिक्षित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ यात्री गाड़ियों में धूम्रपान और मद्यपान करते हैं, किन्तु इस संबंध में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) धूम्रपान और मद्यपान करने पर दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सवारी डिब्बे में इस आशय के नोटिस लगाने के साथ विभिन्न मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार करके यात्री जनता को शिक्षित किया जाता है।

**कम लागत वाली विमान कंपनियों के लिए दिशानिर्देश**

**3363. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने *नो फ्रिल* विमान कंपनियों/कम लागत वाली विमान कंपनियों द्वारा उड़ान शुरू करने के लिए कोई दिशानिर्देश तथा प्रवेश मानक बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपनी उड़ान आरंभ करने के लिए कितने निजी कम लागत विमान प्रचालनों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) उन हवाई क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां निजी विमान कंपनियों को उनके प्रचालन शुरू करने की स्वीकृति दी गई है;

(ङ) क्या कम लागत वाली निजी विमान कंपनियों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विमान सेवा प्रचालन अनिवार्य किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) जी, नहीं। नो फ्रिल एयरलाइंस कंपनियों/कम लागत वाली एयरलाइन कंपनियों के लिए अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।

(ग) एयरलाइनें वाणिज्यिक विवेक के आधार पर रियायती किराये पेश करती हैं।

(घ) से (च) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर नियमन करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आर.डी.जी.) बनाए हैं। मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रचालकों द्वारा श्रेणी-I (अर्थात् मुख्य मार्गों) पर लगाई गई विमान क्षमता का कम से कम 10% श्रेणी-II (अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप को/से/में) पर लगाया जाना अपेक्षित होता है, और श्रेणी-II के मार्गों पर इस प्रकार लगाई गई क्षमता का 10% विशिष्टतया उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप के भीतर प्रचालित की जाने वाली सेवाओं अथवा उनके हिस्सों पर लगाया जाएगा। प्रचालक से श्रेणी-I के मार्गों पर लगाई गई क्षमता का कम से कम 50% श्रेणी-III (अर्थात् गैर-मुख्य मार्गों) पर लगाया जाना भी अपेक्षित है। सरकार द्वारा बनाए गए मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

### पार्सल बुकिंग केन्द्र

**3364. डा. के.एस. मनोज:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग सेवा केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान बन्द किए गए ऐसे केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) इनके बन्द किए जाने की फलस्वरूप कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ङ) इसके फलस्वरूप बेरोजगार बने कुलियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार ने इन कुलियों के पुनर्वास/पुनर्नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (छ) पार्सल बुकिंग सेवा केन्द्र रेलों द्वारा बंद नहीं किए गए हैं। बहरहाल, जनता के बृहतर हित में और यात्रा करने वाली जनता की सुविधा और संरक्षा के लिए गाड़ियों के समय पालन का रख-रखाव और पार्सलों के ट्रांजिट समय में कमी के लिए बुकिंग और पार्सल यातायात की ढुलाई को फरवरी, 2004 में युक्तिसंगत बनाया गया था। इस यौक्तिकीकरण में मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनका मध्यवर्ती स्टेशनों पर पांच (5) मिनट से कम का ठहराव समय होता है, द्वारा पार्सलों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी गई है ताकि पार्सलों की अधि ढुलाई से बचा जा सके और गाड़ियों का समय पालन बनाए रखा जा सके। यह प्रतिबंध साधारण यात्री गाड़ियों के लिए लागू नहीं होता। यह यौक्तिकीकरण तीव्र और बेहतर सेवाएं मुहैया कराने वाली विभिन्न गाड़ियों द्वारा छोर से छोर तक संचलन के माध्यम से पार्सलों के समग्र ट्रांजिट समय में कमी करने के लिए किया गया है। वास्तव में, क्षतिपूर्ति संबंधी दावों से बचने से अप्रत्यक्ष बचत होती है, जो पार्सलों की बुकिंग और ढुलाई की पूर्ववर्ती प्रणाली की आवश्यक विशेषता बन गई थी। बहरहाल, सामान को युक्तिकरण के दायरे से अलग रखा गया है। इसलिए कुलियों की परिणामी बेरोजगारी का प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### आवासीय क्षेत्र में पीए.एन.जी. की आपूर्ति

**3565. श्री गिरधारी लाला भार्गव:**

**श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में आवासी कालोनियों विशेष रूप से केन्द्र सरकार की कालोनियों में पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या इस कंपनी को गोल मार्केट तथा लक्ष्मीबाई नगर की रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों से उनकी कालोनियों में पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कालोनियों को रसोई गैस की पाइप द्वारा आपूर्ति कब तक मिलने की संभावना है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान पी.एन.जी. की आपूर्ति के लिए आई.पी.एल. द्वारा किन अन्य क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) से अनापत्ति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की कालोनियों को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) कनेक्शन प्रदान करती है।

(ख) से (घ) आई.जी.एल. को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी निवासी कल्याण संघ, डी.आई.जेड. क्षेत्र, सेक्टर 2, गोल मार्केट से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आरंभिक अग्रिम के साथ प्रस्ताव पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के परामर्श की, सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्रतीक्षा है। आई.जी.एल. को सी.पी.डब्ल्यू.डी. से औपचारिक पुष्टि के बाद कार्य पूरा करने में लगभग 9 से 10 महीने लगने की संभावना है। जहां तक लक्ष्मी बाई नगर निवासी कल्याण संघ का संबंध है, आई.जी.एल. ने सूचित किया है कि संभवतः उन्हें ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान पाइप वाली गैस की आपूर्ति सी.पी.डब्ल्यू.डी. क्षेत्रों जैसे एंड्रयूज गंज विस्तार और आर.के.पुरम, (सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 7) में प्रदान की गई है। इसके अलावा, पी.एन.जी. आपूर्ति मयूर विहार फेस-1, पटपड़गंज, रोहिणी (सेक्टर 9, 13, और 14), सोम विहार, वसंत कुंज के पाकेटों आदि की निजी कालोनियों में प्रदान की गई है। पी.एन.जी. कनेक्शनों के बारे में काम वसंत कुंज के कतिपय बचे पाकेटों के अलावा एशियाड गांव, कालीबाड़ी मार्ग/बाबा खड़ग सिंह मार्ग में प्रगति पर है।

**अध्यापकों को प्रशिक्षण**

**3366. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल अपोर्चूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 में यह प्रावधान है कि केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित अध्यापक ही विकलांग बच्चों को पढ़ा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक क्रियान्वयन की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**पेट्रोल पंपों का स्वचालन**

**3367. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल पेट्रोल पंपों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कुल कितने पेट्रोल पंपों को स्वचालित बनाया गया है;

(ग) क्या सभी पेट्रोल पंपों को स्वचालित बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) 1-1-2005 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के देश में 25,283 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) थे। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*विवरण*

*1 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2,200 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 40 |
| 3. | असम | 395 |
| 4. | बिहार | 1,005 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 335 |
| 6. | गुजरात | 1,427 |
| 7. | गोवा | 78 |
| 8. | हरियाणा | 1,093 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 187 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 230 |
| 11. | झारखंड | 493 |
| 12. | कर्नाटक | 1,478 |
| 13. | केरल | 1,153 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1,161 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2.331 |
| 16. | मणिपुर | 38 |
| 17. | मेघालय | 76 |
| 18. | मिजोरम | 14 |
| 19. | नागालैंड | 37 |
| 20. | उड़ीसा | 552 |
| 21. | पंजाब | 1,767 |
| 22. | राजस्थान | 1,667 |
| 23. | सिक्किम | 18 |
| 24. | तमिलनाडु | 2,160 |
| 25. | त्रिपुरा | 35 |
| 26. | उत्तरांचल | 281 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3,169 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1,351 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5 |
| 30. | चंडीगढ़ | 44 |
| 31. | दादर और नगर हवेली | 7 |
| 32. | दमन और दीव | 11 |
| 33. | दिल्ली | 377 |
| 34. | पांडिचेरी | 68 |
| | कुल योग | 25283 |

*[हिन्दी]*

**फ्लाइंग क्लब**

**3368. श्री अजीत जोगी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार के स्वामित्व वाले फ्लाइंग क्लबों तथा निजी पार्टियों के स्वामित्व वाले फ्लाइंग क्लबों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्लबों के सदस्य बनने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सदस्यता हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पूर्व-चरित्र की सत्यता की जांच की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) देश में 39 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें से भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 27 संस्थान आते हैं और 11 संस्थान प्राइवेट पार्टियों के स्वामित्व में हैं। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, उड़ान प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ख) किसी फ्लाइंग क्लब की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को फ्लाइंग क्लब द्वारा उपलब्ध कराए गए अपेक्षित फार्म को भरना अनिवार्य है।

(ग) और (घ) जी, हां। उड़ान प्रशिक्षण प्रारंभ करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से संबंधित उड़ान क्लब/संस्थान द्वारा सदस्यों के पूर्ववृत्त की जांच करवाई जाती है।

*[अनुवाद]*

**पिंक सिटी एक्सप्रेस को रद्द किया जाना**

**3369. श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में रेवाड़ी-रींगस से होते हुए दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली पिंक सिटी एक्सप्रेस अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके बाद रेलगाड़ी पुनः चलाई गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को इसके पुराने समय पर पुनः चलाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) कम लोकप्रियता के कारण 25-11-1996 से पिंक सिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तत्कालीन पिंक सिटी एक्सप्रेस के यात्रियों को बड़े आमान की लाइन वाले मार्ग पर 2015/2016 नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस और 2413/2414 दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस द्वारा और मीटर आमान की लाइन वाले मार्ग पर 9943/9944 दिल्ली-सराय रोहिल्ला-चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस द्वारा सेवित किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) न तो परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है और न वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है।

**सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना**

**3370. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी कमाण्डर को प्रशिक्षण देने में एयरलाइन द्वारा अनुमानतः कितनी लागत वहन की जाती है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों एयरलाइनों में आज की तारीख तक विद्यमान विमान बेड़ों तथा पायलटों की संख्या कितनी है तथा विद्यमान विमान बेड़ों को चलाने के लिए एयरलाइन-वार कितने पायलटों की आवश्यकता होती है;

(ङ) क्या इन विमान कंपनियों द्वारा उड़ान भरने के अंतरराष्ट्रीय मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है? और

(च) यदि नहीं, तो इन मानकों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) एअर इंडिया में कमाण्डर को दिए जाने वाले कुल प्रशिक्षण में आने वाली अनुमानित लागत लगभग 90 लाख रुपए हैं। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, मौजूदा आवश्यकताओं तथा मानकों के अनुसार आरंभिक भर्ती से कमाण्डर स्तर तक एक पायलट के प्रशिक्षण पर इन-हाऊस लागत 67 लाख रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में एअर इंडिया के बेड़े में विमानों की कुल संख्या 36 हैं। 640 पायलटों की मानक जनशक्ति की आवश्यकता की तुलना में पायलटों की कुल संख्या 503 हैं।

एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में 61 विमान है। इस विमान बेड़े के संचालन के लिए अपेक्षित पायलटों की संख्या 631 है जबकि वर्तमान में उपलब्ध पायलटों की संख्या 568 हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति**

**3371. श्री राजेन्द्र कुमार:**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी/प्रसार भारती में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आरक्षित पांच प्रतिशत कोटे के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो 2003 से अब तक उक्त कोटे के अंतर्गत समूह "ग" तथा "घ" श्रेणियों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) वर्ष 2003 से अब तक आकाशवाणी और प्रसार भारती में अनुकम्पा आधार पर समूह 'ग' में तीन व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। समूह 'घ' में नियुक्त व्यक्तियों के बारे में आकाशवाणी केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि यह सूचना केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखी जाती है।

*[अनुवाद]*

**लेखन सामग्री की खरीद**

**3372. श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** लेखन सामग्री की खरीद के बारे में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3699 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तत्पश्चात् सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस जानकारी के कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करने का काफी काम शामिल है, अत: आश्वासन पूरा करने में और समय लगेगा।

**रक्षा भूमि में अवैध निर्माण**

**3373. श्री अधीर चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि पर किए गए किसी अवैध निर्माण का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए क्या कदम उठाया गया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, हां। कानपुर छावनी में रक्षा भूमि पर 12 अनधिकृत निर्माण देखे गए हैं। ये निर्माण अतिरिक्त रिहायशी कमरों और हॉलों आदि के रूप में हैं।

(ख) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए छावनी बोर्ड तथा रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

**विवरण**

*कानपुर छावनी में अप्राधिकृत निर्माण के मामलों का ब्यौरा*

| क्रम सं. | जी.एल.आर. सर्वे नं./ मकान नं. | चूककर्ता का नाम | भूमि की श्रेणी | अप्राधिकृत निर्माण का स्वरूप | उद्देश्य (रिहायशी/ वाणिज्यिक) | निर्माण की तिथि | धारा 184/ 185/256 के तहत जारी नोटिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | बी नं. 112 | पीर बक्स | बी-3 | पक्का-एक बेसमेंट, एक हॉल तथा सीढ़ी | रिहायशी | 22-4-04 | जी, हां |
| 2. | जी नं. 4/36 एम.पी. | विजय कुमार | बी-3 | पक्का-तीन कमरे, एक रसोईघर, एक शौचालय और स्नानघर तथा एक बैठकखाना | रिहायशी | 22-4-04 | जी, हां |
| 3. | बी नं. 112 छावनी | तौफीक | बी-3 | पक्का-स्लैब से ढकी हुई सीढ़ी सहित एक हॉल | रिहायशी | 22-4-04 | जी, हां |
| 4. | बी. नं. 112 छावनी | शाह आलम | बी-3 | पक्का-तीन कमरे, एक शौचालय तथा स्नानघर, एक रसोईघर, गलियारा, सीढ़ी और बालकनी | रिहायशी | 22-4-04 | जी, हां |
| 5. | मकान नं. 76 एम.पी. | कालेखां | बी-3 | पक्का-चार कमरे और एक गलियारा | रिहायशी | 18-6-04 | जी, हां |
| 6. | मकान नं. 475 एम.पी. | उमेशी तिवारी | बी-3 | पक्का-दो कमरे | रिहायशी | 18-6-04 | जी, हां |
| 7. | मकान नं. 489 एम.पी. | राजाराम | बी-3 | पक्का-आर.सी.सी. स्लैब से आधा ढका हुआ | रिहायशी | 18-6-04 | जी, हां |
| 8. | मकान नं. 368 एच.जी. | मो. इस्हाक | बी-3 | पक्का-सात कमरे और एक हॉल, एक रसोईघर एक स्नानघर, एक डब्ल्यू सी, एक गलियारा, एक बरामदा। | रिहायशी | 25-6-04 | जी, हां |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मकान नं. सी/18 के.एम. | जुम्मन अली | बी-3 | पक्का-छह कमरे, एक रसोईघर, एक स्टोर, एक डब्ल्यू.सी. और स्नानघर, एक सीढ़ी। | रिहायशी | 25-6-04 | जी, हां |
| 10. | एफ/26 पार्ट खपड़ा मोहाल | रामनिवास रस्तोगी | बी-3 | पक्का-दो कमरे, एक रसोईघर, दो शौचालय और तीन स्नानघर, एक स्टोर | रिहायशी | 9-7-04 | जी, हां |
| 11. | मकान नं. जी-1 पी.के.एम. | बंसी मनोहर कपूर | बी-3 | पक्का-चार कमरे, बरामदा, छज्जा, गलियारा। | रिहायशी | 9-7-04 | जी, हां |
| 12. | सर्वे नं. 520 भाग | महासचिव आई. एन.डी.डब्ल्यू. फेडरेशन | बी-3 | पक्का-तीन हॉल, तीन कमरे, एक स्टोररूम, एक टॉयलेट एक गलियारा। | रिहायशी | 10-3-04 | जी, हां |

**वेतन ढांचे में विसंगतियां**

**3374. श्री पी. करुणाकरन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती में वेतन ढांचे में विसंगतियों को दूर करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान/वेतन ढांचे में उन्नयन/असमानता को दूर करने के मुद्दे पर स्टाफ एसोसिएशन और व्यक्तिगत कर्मचारियों से समय-समय पर बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और उनकी नियमानुसार जांच की जाती है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*विभिन्न स्टाफ एसोसिएशनों से उनके वेतनमान के उन्नयन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों से सम्बन्धित*

| क्र.सं. | पदनाम | मौजूदा वेतनमान | मांगा गया वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | उद्घोषक ग्रेड-IV | 5000-8000/-रुपये | 6500-105000/-रुपये |
| 2. | अवर श्रेणी लिपिक | 3050-4590/-रुपये | 3250-4900/-रुपये |
| 3. | प्रवर श्रेणी लिपिक | 4000-6000/-रुपये | 4500-7000/-रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | प्रधान लिपिक/सहायक | 5000-8000/-रुपये | 6500-10500/-रुपये |
| 5. | प्रशासनिक अधिकारी | 6500-10500/-रुपये | 7500-12000/-रुपये |
| 6. | स्टेनो ग्रेड-III | 4000-6000/-रुपये | 5000-8000/-रुपये |
| 7. | स्टेनो ग्रेड-II | 5000-8000/-रुपये | 6500-10500/-रुपये |
| 8. | स्टेनो ग्रेड-I | 5500-9000/-रुपये | 7450-11500/-रुपये |
| 9. | वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक | 6500-10500/-रुपये | 8000-13500/-रुपये |
| 10. | रिपोर्टर (मॉनीटरिंग)/प्रधान निजी सचिव | 6500-10500/-रुपये | 10000-15200/-रुपये |
| 11. | हिन्दी अधिकारी | 6500-10500/-रुपये | 7500-12000/-रुपये |
| 12. | हिन्दी अनुवादक | 5000-8000/-रुपये | 6500-10500/-रुपये |
| 13. | चपरासी | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 14. | फर्राश | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 15. | सफाईवाला | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 16. | फर्राश-सह-सफाईवाला | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 17. | प्रधान सफाईवाला | 2610-3540/-रुपये | 4300-6500/-रुपये |
| 18. | माली | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 19. | प्रधान सुरक्षा गार्ड | 3050-4590/-रुपये | 5000-8000/-रुपये |
| 20. | सुरक्षा गार्ड | 2550-3200/-रुपये | 4000-6000/-रुपये |
| 21. | स्टुडियो गार्ड | 2610-3540/-रुपये | 4300-6500/-रुपये |
| 22. | स्टुडियो परिचारक | 2650-4000/-रुपये | 4500-7000/-रुपये |
| 23. | दफ्तरी | 2610-3540/-रुपये | 4300-6500/-रुपये |
| 24. | पुस्तकालय परिचारक | 2650-4000/-रुपये | 4500-7000/-रुपये |
| 25. | होस्टल परिचारक | 2650-4000/-रुपये | 4500-7000/-रुपये |
| 26. | रिकार्ड सार्टर | 2610-3540/-रुपये | 4300-6500/-रुपये |
| 27. | वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर | 3050-4590/-रुपये | 5000-8000/-रुपये |
| 28. | कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर | 2610-3540/-रुपये | 4300-6500/-रुपये |

*[हिन्दी]*

**जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों का ठेका देना**

**3375. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:**

**श्री प्रदीप गांधी:**

**श्री रामस्वरूप कोली:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा संचालित "जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों" पर ठेका श्रमिकों की नियुक्ति तथा इन केन्द्रों के संचालन बिक्री आदि के संबंध में हो रही अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली थीं। इस अवधि में मध्य प्रदेश राज्य में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के 2 जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्य ठेकेदार की नियुक्ति के संबंध में 2 शिकायतें मिली थीं।

(ग) जांच के बाद दोनों शिकायतों को तथ्यरहित पाया गया।

**फीस में वृद्धि**

**3376. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से फीचर फिल्मों, विज्ञापन फिल्मों आदि के संबंध में अपना प्रमाणपत्र जारी करने हेतु ली जाने वाली फीस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणन शुल्क ढ़ांचे में 150% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। तथापि, सरकार को इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लेना है।

**वापसी यात्रा टिकट बुकिंग कार्यालय**

**3377. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटली:**

**श्री इलियास आजमी:**

**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उन स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों, जहां पर वापसी यात्रा टिकट की कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा उपलब्ध है, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में अन्य स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा के माध्यम से वापसी यात्रा टिकट उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) 18-3-2005 की स्थिति के अनुसार उन रेलवे स्टेशनों और बुकिंग कार्यालयों, जहां से वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। किसी भी गाड़ी में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक की वापसी यात्रा का आरक्षण किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र से करवाया जा सकता है। कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है। धन की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष कई संख्या में नए स्थानों में ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। उन सिटी बुकिंग कार्यालयों, जहां सरकार का वापसी यात्रा आरक्षण सुविधा को विस्तारित करने का प्रस्ताव है, की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण-I**

*महाराष्ट्र राज्य में उन रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों, जहां 18-3-2005 की स्थिति के अनुसार वापसी यात्रा आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, की सूची।*

| क्रम सं. | स्थल |
|---|---|
| 1. | हरीसंस सी.टी.एस.पी.एल. |
| 2. | महावीर |
| 3. | मीनाक्षी सी.टी.एस.पी.एल. |
| 4. | आई.एन.एस. हमला |
| 5. | पंढरपुर |
| 6. | सिवनी |
| 7. | शेगांव |
| 8. | वाशिम |
| 9. | हिंगलोई डेक्कन |
| 10. | तुमसर रोड |
| 11. | मैनपुर |
| 12. | मुलुंड (मुंबई) |
| 13. | मुंबई सी.एस.टी. |
| 14. | ठाणे |
| 15. | संतरा मार्केट (नागपुर) |
| 16. | नासिक |
| 17. | जलगांव |
| 18. | शंकर सेठ (पुणे) |
| 19. | पनवेल (मुंबई) |
| 20. | चेम्बूर |
| 21. | महाराष्ट्र एसेम्बली |
| 22. | बायकुला |
| 23. | बारामती |
| 24. | सेवाग्राम |
| 25. | भंडारा रोड रेलवे स्टेशन |
| 26. | बांद्रा टर्मिनल |
| 27. | नंदुरबार |
| 28. | दादर |
| 29. | आनंदपुर ट्रस्ट |
| 30. | चिपलूण |
| 31. | कल्याण |
| 32. | पुणे |
| 33. | नागपुर |
| 34. | भुसावल |
| 35. | रविवार पेठ (पुणे) |
| 36. | देवलाली |
| 37. | धुले |
| 38. | बल्लारशाह |
| 39. | मुंबई सेंट्रल |
| 40. | विरार (मुंबई) |
| 41. | रत्नागिरी |
| 42. | कुडाल |
| 43. | नेवी नगर, कोलाबा |
| 44. | कुर्डुवाडी |
| 45. | बालाघाट |
| 46. | शिरडी |
| 47. | जेड.टी.एस. (भुसावल) |
| 48. | यवतमाल |
| 49. | लातूर |
| 50. | आई.एन.एस. शिवाजी लोणावला |
| 51. | बनेरा |
| 52. | मलकापुर |

| क्रम सं. | स्थल |
|---|---|
| 53. | नेरल |
| 54. | बेलापुर |
| 55. | दौंड |
| 56. | हिंगनघाट |
| 57. | उस्मानाबाद |
| 58. | करजत |
| 59. | घोड़ाडोंगरी |
| 60. | अलीबाग |
| 61. | परली वैजनाथ |
| 62. | लोकमान्य तिलक टर्मिनल |
| 63. | सोलापुर |
| 64. | बेलापुर सी.बी.ओ. |
| 65. | अमरावती |
| 66. | मनमाड |
| 67. | सांगली |
| 68. | मिरज |
| 69. | कोल्हापुर |
| 70. | लोणावला |
| 71. | डेक्कन जिमखाना (पुणे) |
| 72. | नासिक सी.बी.ओ. |
| 73. | पुणे छावनी |
| 74. | अजनी |
| 75. | वर्धा |
| 76. | अहमदनगर |
| 77. | घाटकोपर (मुंबई) |
| 78. | चिंचवड |
| 79. | वाशी |
| 80. | अंबरनाथ |
| 81. | चंद्रपुर |
| 82. | डोंबिवली (मुंबई) |
| 83. | मांडला फोर्ट |
| 84. | सातारा |
| 85. | कराड |
| 86. | थिविम |
| 87. | अकोला |
| 88. | खडकी |
| 89. | भांडुप |
| 90. | नांदेड़ |
| 91. | जालना |
| 92. | औरंगाबाद |
| 93. | परभनी |
| 94. | इतवारी (नागपुर) |
| 95. | गोंदिया |
| 96. | चर्चगेट (मुंबई) |
| 97. | बोरिवली (मुंबई) |
| 98. | अंधेरी (मुंबई) |
| 99. | सहार एयरपोर्ट (मुंबई) |
| 100. | भायंदर (मुंबई) |
| 101. | वसई रोड (मुंबई) |
| 102. | मलाड (मुंबई) |
| 103. | पालघर |
| 104. | चालीसगांव |
| 105. | खोपोली |
| 106. | उल्हास नगर |
| 107. | वर्तक नगर, ठाणे |
| 108. | अचलपुर |

| क्रम सं. | स्थल |
|---|---|
| 109. | दहाणू रोड |
| 110. | मानखुर्द |
| 111. | वाडसा |
| 112. | बोईसर |
| 113. | रोहा |
| 114. | भिवंडी |
| 115. | टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई) |

*उत्तर प्रदेश राज्य में उन रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों, जहां 18-3-2005 की स्थिति के अनुसार वापसी यात्रा आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, की सूची।*

| क्र.सं. | स्थल |
|---|---|
| 1. | खोरासान रोड |
| 2. | गढ़मुक्तेश्वर |
| 3. | ऊना |
| 4. | शिकोहाबाद |
| 5. | ऊंचाहार |
| 6. | झंगाई |
| 7. | बनारस टाऊन |
| 8. | आलम नगर |
| 9. | विंध्याचल |
| 10. | बेलथरा रोड |
| 11. | बदोही |
| 12. | गोरखपुर |
| 13. | बादशाहनगर |
| 14. | बहराईच |
| 15. | बलिया |
| 16. | इलाहाबाद स्टेशन दूसरा प्रवेश द्वार |
| 17. | मेरठ सिटी |
| 18. | रूड़की रेलवे स्टेशन |
| 19. | हापुड़ |
| 20. | सुल्तानपुर |
| 21. | शाहजहांपुर |
| 22. | प्रतापगढ़ |
| 23. | मंडुआडीह |
| 24. | इलाहाबाद सिटी |
| 25. | नौतनवां |
| 26. | इलाहाबाद |
| 27. | फैजाबाद |
| 28. | आगरा कैण्ट |
| 29. | उरई |
| 30. | रेणुकूट |
| 31. | गोमती नगर |
| 32. | कासगंज |
| 33. | लखीमपुर खीरी |
| 34. | बलरामपुर |
| 35. | लक्सर |
| 36. | हरदोई |
| 37. | लखनऊ विधानसभा |
| 38. | जौनपुर |
| 39. | मेरठ कैण्ट |
| 40. | शामली |
| 41. | फतेहपुर |
| 42. | नजीबाबाद |
| 43. | आई.आई.टी. कानपुर |
| 44. | गोविंदपुरी |

| क्रम सं. | स्थल |
|---|---|
| 45. | उन्नाव |
| 46. | अकबरपुर |
| 47. | अयोध्या |
| 48. | बिजनौर |
| 49. | अमरोहा |
| 50. | बुलंदशहर |
| 51. | निहालगढ़ |
| 52. | अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि. |
| 53. | हाथरस किला |
| 54. | खलीलाबाद |
| 55. | सी.सी.एम.ओ./गोरखपुर |
| 56. | कानपुर अनवरगंज |
| 57. | नौगढ़ |
| 58. | चंदौसी रेलवे स्टेशन |
| 59. | टुंडला |
| 60. | बाराबंकी |
| 61. | ईटावा |
| 62. | बबीना |
| 63. | ललितपुर |
| 64. | चित्रकूट |
| 65. | फिरोजाबाद |
| 66. | मऊ |
| 67. | गोण्डा |
| 68. | देवरिया सदर |
| 69. | बस्ती |
| 70. | रावतपुर |
| 71. | इज्जतनगर |
| 72. | लखनऊ सिटी |
| 73. | वालाणसी सिटी |
| 74. | ईदगाह |
| 75. | मानिकपुर |
| 76. | चोपान |
| 77. | कानपुर |
| 78. | मुजफ्फर नगर |
| 79. | अमेठी |
| 80. | सारनाथ |
| 81. | डल्लीगंज रेलवे स्टेशन |
| 82. | आनंदनगर |
| 83. | पिलखुवा |
| 84. | आजमगढ़ |
| 85. | फर्रूखाबाद |
| 86. | पीलीभीत |
| 87. | सीतापुर |
| 88. | गाजीपुर सिटी |
| 89. | लखनऊ |
| 90. | नोएडा |
| 91. | वाराणसी |
| 92. | गाजियाबाद |
| 93. | अलीगढ़ |
| 94. | राय बरेली |
| 95. | मुरादाबाद |
| 96. | बरेली |
| 97. | कानपुर स्टेशन दूसरा प्रवेश द्वार |
| 98. | प्रयाग |
| 99. | सहारनपुर |
| 100. | देवबंद |

| क्रम सं. | स्थल |
|---|---|
| 101. | डी.एल.डब्ल्यू. वाराणसी |
| 102. | आर.डी.एस.ओ. (लखनऊ) |
| 103. | मोदीनगर |
| 104. | एण्ट्री |
| 105. | रूड़की विश्वविद्यालय |
| 106. | मिर्जापुर |
| 107. | चंदौसी जेड.टी.सी. |
| 108. | नैनी |
| 109. | रामपुर |
| 110. | झांसी |
| 111. | मथुरा जं. |
| 112. | राजा की मंडी |
| 113. | बांदा |
| 114. | आगरा फोर्ट |
| 115. | मुगलसराय |
| 116. | चुन्नार जं. |
| 117. | वृंदावन स्टेशन |
| 118. | खुर्जा जं. |
| 119. | शाहगंज |
| 120. | पडरौना |
| 121. | बुदौन |
| 123. | कन्नौज |
| 124. | मथुरा कैण्ट |
| 125. | फतेहगढ़ |
| 126. | महोबा |
| 127. | अनपरा |
| 128. | मुरादनगर |
| 129. | फतेहपुर सीकरी |
| 130. | गोरखपुर कैण्ट |
| 131. | ऐशबाग रेलवे स्टेशन |

***विवरण-II***

*18-3-2005 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में उन रेलवे स्टेशनों और सिटी बुकिंग कार्यालयों, जहां वापसी यात्रा की आरक्षण संबंधी सुविधा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, से संबंधित सूची।*

**महाराष्ट्र**

| क्र.सं. | स्थल |
|---|---|
| 1. | बुलढाणा |
| 2. | अमलनेर |
| 3. | शाहबाद |
| 4. | कोपरगांव |
| 5. | बीड |
| 6. | गडचिरौली |

**उत्तर प्रदेश**

| क्र.सं. | स्थल |
|---|---|
| 1. | सलेमपुर रेलवे स्टेशन |
| 2. | सीतापुर सिटी |
| 3. | रॉबर्टसगंज रेलवे स्टेशन |
| 4. | सुरईमनपुर |
| 5. | युसुफपुर |
| 6. | नोएडा दूसरा स्थल |
| 7. | लखनऊ विश्वविद्यालय (एस.ए.टी.) |
| 8. | बनारस हिंदु विश्वविद्यालय |
| 9. | शक्तिनगर |
| 10. | सेवराहा |

| क्र. सं. | स्थल |
|---|---|
| 11. | मानक नगर |
| 12. | हजरतगंज |
| 13. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय |
| 14. | फर्फूद |
| 15. | पनकी |
| 16. | मैनपुरी |
| 17. | ऐटा |
| 18. | दादरी |
| 19. | ज्ञानपुर रोड |
| 20. | गोला गोकरणनाथ |
| 21. | डोमिनगढ़ |
| 22. | मनकापुर |
| 23. | अंबेडकर नगर |
| 24. | औरैया |
| 25. | चंदौली |
| 26. | कौशाम्बी |
| 27. | महाराजगंज |
| 28. | मंझनपुर |

*[अनुवाद]*

**आई.सी.एफ. में कर्मचारियों की संख्या में कमी करना**

**3378. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रेल सुधार समिति**

**3379. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपरई:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का एक नई रेल सुधार समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता/उपकरण**

**3380. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और उपकरण उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नि:शक्त लोगों तक सहायता पहुंचे, राज्यों को वित्तीय सहायता/उपकरण प्रदान करने हेतु जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के आने की संभावना है और ऐसे व्यक्तियों के चयन के मानदण्ड क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, हां।

(ख) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के उपबंधों के अनुसार, पात्र क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www/socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय का यह प्रयास है कि मध्य प्रदेश सहित देश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के पात्र विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। वर्ष 2004-05 के दौरान, मध्य प्रदेश की तीन क्रियान्वयन एजेंसियों को 23 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गयी है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान, लगभग 2,70,000 विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है। एडिप योजना के पैरा 5-6 में दिए गए पात्रता मानदण्ड के अनुसार, क्रियान्वयन एजेंसियां विकलांग व्यक्तियों की पहचान करती हैं।

**अनुसूचित जाति के लिए बुक बैंकों की स्थापना**

**3381. श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान की सहायता से राजस्थान और अन्य राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने बुक बैंक स्थापित किए गए हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार राजस्थान और अन्य राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राज्यवार कुल कितने बुक बैंक चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को बुक बैंकों के लिए भवन निर्माण पर्याप्त फर्नीचर सहित मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान और अन्य राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कल्याण कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु कुछ शर्तों में ढील देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) सरकार अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान नहीं कर रही है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

**बच्चों द्वारा ज्यादा समय टेलीविजन देखना**

**3382. श्री डी. विट्ठल राव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बच्चों द्वारा ज्यादा समय टेलीविजन देखने से उन्हें मोटापा, असामान्य व्यवहार, मिरगी, और आम थकान जैसी बीमारियां हो जाती हैं जैसा कि दिनांक 26 जनवरी, 2005 के "द हिन्दू" अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ग) क्या टी.वी. कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा टी.वी. कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (घ) बच्चों द्वारा टेलीविजन अधिक देखने की आदत को माता-पिता/अभिभावकों के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण से विनियंत्रित करना सबसे अच्छा उपाय है। तथापि, केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन:प्रसारित होने वाले सभी टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है।

कार्यक्रम संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि बच्चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में किसी प्रकार की निकृष्ट भाषा का प्रयोग न किया गया हो और न ही हिंसा को उकसाने वाले दृश्य शामिल हों; केबल सेवा में बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रमों का किसी भी हालत में प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष प्रकार की प्रसारण विषय-वस्तु के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त की गई चिंताओं को लेकर टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रमों की विषय-वस्तु संबंधी मुद्दों के बारे में दिनांक 16-2-2005 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्टेकहोल्डरों, मीडिया प्रमुखों, शिक्षाविदों, गैर-सरकारी संगठनों, केबल ऑपरेटर संघों, महिला एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। कार्यशाला की सिफारिशें सरकार के जांचाधीन हैं।

**दिल्ली में दाय भवनों की सुरक्षा**

**3383. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में दाय भवनों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन भवनों और स्मारकों/संग्रहालयों की सुरक्षा किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण से संबद्ध है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**पंचायती राज के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें**

**3384. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु एक नए आयोग की नियुक्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और उसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि प्रदान करने की दिशा में की गई कार्यवाही/निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय सरकारिया आयोग की केवल सिफारिश सं. 177 से संबंधित है जिसके माध्यम से यह सिफारिश की गई है कि जिला परिषदों तथा निर्वाचित नगरपालिकाओं जैसी संस्था को वित्तीय और कार्यात्मक दोनों तरह से पर्याप्त ढंग से सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। इन संस्थाओं के नियमित चुनाव एवं सत्र होने अनिवार्य हैं तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद के परामर्श से इन सभी राज्यों में समान रूप से तौर तरीके विकसित किए जाएं। इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 172 तथा 176 के अनुरूप एक कानून बनाया जाए जैसा कि पैरा 21-2-09 में सुझाव दिया गया है। सरकारिया आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को संवैधानिक हैसियत प्रदान करते हैं। इन निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य सरकारों को संसाधनों की सुपुर्दगी के लिए सिफारिश करने की दृष्टि से राज्य वित्त आयोगों के गठन के भी प्रावधान किए गए हैं। इन नए संवैधानिक प्रावधानों से एक नई दिशा मिलेगी और विकेंद्रीकृत आयोजना को बल मिलेगा।

(ग) और (घ) सरकार के पास पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसी नए आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पंचायती राज मंत्रालय बनने के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन और ग्रामीण समृद्धि" के संबंध में मुख्यमंत्रियों तथा राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

पंचायती राज के संबंध में संविधान के भाग ix और ixक के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श हेतु एजेंडा के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन मुद्दों में कार्यों, निधियों और कर्मियों की प्रभावी सुपुर्दगी, ग्राम सभा, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विशेष समस्याएं, चुनाव, लेखा-परीक्षा, सामानांतर निकाय, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, पंचायत रिपोर्ट की स्थिति और न्याय प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे शामिल थे। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ताकि संविधान में परिकल्पित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे स्वशासन की वास्तविक संस्थाओं के रूप में काम कर सकें, एक कार्य-योजना का मसौदा तैयार करने हेतु 7 गोल-मेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। जुलाई-दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज मंत्रालय की राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के साथ सात गोल-मेज बैठकें हुईं, जिनमें सर्वसम्मति से कार्रवाई हेतु लगभग

150 मुद्दे सामने आए जिन्हें एक सार के रूप में जयपुर में आयोजित अंतिम गोल-मेज सम्मेलन की समाप्ति पर आम सहमति से पारित किया गया। मंत्रालय ने अब संबंधित प्राधिकारियों के साथ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दौरा करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि सार में संग्रहीत कार्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके। उम्मीद है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के साथ पठित भाग ix के प्रावधानों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों में अक्षरशः और भावतः और अधिक अनुरूपता आएगी।

(ङ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं को कड़ी निगरानी में निधियों के अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने या विलंब किए बिना निधियां दिए जाने का प्रावधान है। तदनुसार, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को योजनाओं में अक्षरशः और भावतः अन्तर्विष्ट करने के लिए अनुसूची ix के साथ पठित अनुच्छेद 243 जी के परिप्रेक्ष्य में अपनी योजनाओं की समीक्षा करें।

*[अनुवाद]*

**रेलवे पार्सल प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण**

**3385. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे पार्सल प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान रेलवे पार्सल प्रबंधन प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत आने वाले पार्सल बुकिंग स्थलों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) नई दिल्ली-हावड़ा सेक्टर पर परीक्षण के लिए कंप्यूटरीकृत पार्सल प्रबंधन प्रणाली का रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) द्वारा विकास किया जा रहा है। परीक्षण अवधि के दौरान शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित 18 स्थान निम्नलिखित हैं, दिल्ली, नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, गया, कोडरमा, पटना, गोमोह, धनबाद, आसनसोल, बर्धमान, हावड़ा और सियालदह।

*[हिन्दी]*

**प्रशिक्षु छात्रों हेतु प्रशिक्षण सुविधा**

**3386. श्री सीता राम यादव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) से विमान मरम्मत संगठनों और विमानन कंपनियों में प्रशिक्षु छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय शास्त्रीय साहित्य पर धारावाहिक**

**3387. श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय उत्कृष्ट कृतियों पर भारतीय भाषाओं और प्रबुद्ध लेखकों की कृतियों पर धारावाहिक निर्मित करवाने पर विचार किया है जैसा कि दिनांक 22 फरवरी, 2005 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना को त्यागा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती बोर्ड ने साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में वर्ष 2005 के दौरान भारतीय उत्कृष्ट कृतियों पर आधारित विभिन्न शैलियों में कार्यक्रमों का निर्माण को मंजूरी दी है। निर्माताओं/श्रेष्ठ कृतियों के

चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित परिव्यय 60 करोड़ रुपये का जिसमें से 18 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी गई है। बकाया राशि की पूर्ति प्रसार भारती द्वारा 2005-06 में इसके राजस्व योजना बजट में से की जाएगी।

(घ) जी नहीं, महोदय।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**आई.बी.पी. का आई.ओ.सी. के साथ विलय**

**3388. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड का भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने अपनी सहायक कंपनी अर्थात् आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड का स्वयं में विलय करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव दो कंपनियों के लगभग समान व्यवसाय को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और इस आशा में कि दोनों कंपनियों के विलय से पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन का व्यवसाय समेकित होगा और इस प्रकार विलयित इकाई दोनों कंपनियों की सहक्रियाओं का दोहन करने और इन्हें इष्टतम बनाने में समर्थ बनाकर बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

(ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ऐसी कोई समयावधि बताना सम्भव नहीं है जब सरकार द्वारा इस मामले में कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**रियायती टिकटों में धोखाधड़ी**

**3389. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अशक्तता प्रमाणपत्र अथवा रियायत प्रमाणपत्र के आधार पर ट्रेन की टिकटों के लिए कुल कितने व्यक्तियों को रियायत दी गई और इसके लिए रेलवे को कुल कितना खर्च वहन करना पड़ा;

(ख) उनके प्रमाणपत्रों की सत्यतता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने क्या पद्धति अपनाई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैंसर हृदय संबंधी बीमारी, अशक्तता इत्यादि जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए दी जाने वाली रियायती टिकटों के संबंध में धोखाधड़ी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक दर्ज किये गए ऐसे मामलों विशेषत: दिल्ली में, की संख्या कितनी है; और

(ङ) रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) ऐसी रियायतों के विवरण नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ऐसी रियायत प्रदान करने से पहले, प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र के विवरण की जांच मूल प्रमाण-पत्र से की जाती है।

(ग) से (ङ) रियायत के दुरुपयोग के कुछ मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं जहां झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए होते हैं। ऐसे मामलों में, झूठे प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों सहित संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**ऑफ सीजन अवधि हेतु रेल किरायों में कमी**

**3390. श्री प्रदीप गांधी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऑफ सीजन अवधि के दौरान रेल किरायों में कमी करने से संबंधित किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**तुर्कमेनिस्तान से तेल**

**3391. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने तुर्कमेनिस्तान से पश्चिम से अन्य आपूर्ति स्रोत के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने पहले तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पाइपलाइन परियोजना में भागीदारी करने के एशियाई विकास बैंक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन देशों के साथ बातचीत करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाइपलाइन परियोजना में भागीदारी के लिए एशियाई विकास बैंक के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर मुख्यत: सुरक्षा मामलों और उस समय की भू-राजनैतिक स्थिति के कारण नहीं दिया था।

(ङ) और (च) हाल ही में उच्च स्तरीय अफगानिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के इस मामले पर अफगानिस्तान की ओर से चर्चा की गई थी। अफगानिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टी.ए.पी.) गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत की भागीदारी में भी उत्सुकता प्रकट की है। ए.डी.बी. ने अप्रैल, 2005 में इस्लामाबाद में संचालन समिति कि आगामी 8वीं बैठक में प्रेक्षक भेजने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। भारत का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा।

*[हिन्दी]*

**टी-90 टैंकों में कमियां**

**3392. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के टी-90 टैंकों में कुछ कमियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या स्वदेशी अर्जुन टैंक अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सेना के मानकों पर खरा उतरने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) किसी अन्य बड़े उपस्कर की तरह ही टी-90 टैंकों को शामिल करते समय भी कुछ प्रारंभिक समस्याएं आई थीं जिन पर विनिर्माता और उनके डिजाइन ब्यूरो के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। इसके अलावा, ई.एम.ई. कार्मिकों को मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) मुख्य युद्धक टैंक, अर्जुन सेना की आवश्यकताएं पूर्णत: पूरी करता है। सेना में शामिल करने के प्रयोजनार्थ इसके संक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, इसकी और मात्रा का आर्डर देने हेतु त्वरित प्रयोक्ता सह विश्वसनीयता परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**लड़ाकू विमानों की दुर्घटना**

**3393. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**
**श्री एस.के. खारवेनथन:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मिग 21 और एच.पी.टी.-32 प्रशिक्षक विमानों की दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी जान-माल की हानि हुई;

(ङ) क्या यह सच है कि एक विशेष ऊंचाई पर एच.पी.टी.-32 प्रशिक्षक विमान अपने घूर्णन प्रति मिनट (आर.पी.एम.) को बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) पीड़ित परिवार/प्रभावित नागरिकों को कितना मुआवजा अदा किया गया;

(ज) क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नवान्तुक पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए नई पीढ़ी के फ्लाइट सिम्यूलेटरों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(झ) यदि नहीं, तो नई पीढ़ी के फ्लाइट सिम्यूलेटरों को उपलब्ध करवाने के क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं जिनकी कार्रवाई अभी पूरी होनी है।

(घ) इन दोनों दुर्घटनाओं में पायलटों को घातक चोटें आईं। इसके अलावा, 8 मार्च, 2005 को हुई मिग-21 विमान की दुर्घटना में एक सिविलियन को घातक चोटें आईं जबकि छह सिविलियन घायल हो गए। सिविल संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ङ) और (च) एच.पी.टी.-32 दुर्घटना में जांच अदालत की कार्यवाही जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सही-कारण का पता चल सकेगा। तदनुसार, उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

(छ) मृतक सिविलियन के निकटतम संबंधी को 1,00,000/-रुपए अनुग्रह अंतरिम राहत तथा प्रत्येक घायल सिविलियन को 20,000/-रुपए का भुगतान कर दिया गया है। मृतक पायलट के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ज) से (ञ) सिम्यूलेटर, कौशल स्तर को बढ़ाने तथा सुरक्षित परिवेश में आपातकालीन परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं का अभ्यास करने में सहायता करते हैं। कतिपय विमानों के लिए सिम्यूलेटर पहले से सेवा में हैं। भारतीय वायुसेना में सिम्यूलेटरों को शामिल किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

**वाहनों में सी.एन.जी. और एल.पी.जी. का प्रयोग**

**3394. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय यातायात के वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल, डीजल और तेल की वजह से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार सी.एन.जी. (संपीडित प्राकृतिक गैस) और एल.पी.जी. (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) उपलब्ध करवाने में समर्थ है;

(घ) यदि हां, तो सी.एन.जी. और एल.पी.जी. की मांग का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार आपूर्ति मात्रा कितनी है;

(ङ) देश में सी.एन.जी. और एल.पी.जी. की उपलब्धता और भण्डारण क्षमता का ब्यौरा क्या है: और

(च) राजस्थान में सी.एन.जी. और एल.पी.जी. के फीलिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 2003 में एक आटो ईंधन नीति की घोषणा की थी जिसमें वाहन प्रौद्योगिकी और ईंधन गुणवत्ता में परिवर्तनों के माध्यम से वाहन प्रदूषण नियंत्रित करने का लक्ष्य है। तेल कंपनियों को आटो ईंधन नीति में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार देश में भारत चरण 2/यूरो 3 समकक्ष ईंधन की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है।

(ग) से (ङ) पूरे भारत में वाहनों के उद्देश्यों के लिए सी.एन.जी. को लागू किया जाना पर्याप्त पाइपलाइन मूलभूत सुविधाओं के सृजन और वांछित गैस आपूर्ति के स्रोतीकरण

पर निर्भर है। गैस प्रेषण और वितरण मूलभूत सुविधाओं के प्रगामी विस्तार और गैस आपूर्तियों के विविधीकरण के साथ यह अनुमान है कि सी.एन.जी. परियोजनाएं अन्य नगरों में प्रगामी रूप से आएंगी।

स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से उत्पादित एल.पी.जी. मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और इसीलिए एल.पी.जी. का आयात किया जा रहा है। एल.पी.जी. (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) आदेश 2001 के प्रावधानों के अनुसार केवल आयातित या आयात प्रतिस्थापित एल.पी.जी. का वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(च) आई.ओ.सी.एल. ने जयपुर नगर में अपने दो वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्रों में आटो एल.पी.जी. वितरण केन्द्र सम्मिलित किए हैं। राजस्थान में अभी तक कोई सी.एन.जी. केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

**भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड का आधुनिकीकरण**

**3395. श्री सुब्रत बोस:**
**श्री हितेन बर्मन:**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों हेतु लाभ/हानि की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के आधुनिकीकरण की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित धनराशि/आबंटित की जाने वाली धनराशि कितनी है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी.बी.यू.एन.एल.) कोलकाता, एक धारक कंपनी है जिसमें निम्नलिखित सहायिकाएं हैं:

- बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.), कोलकाता
- ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल.), कोलकाता
- भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.), पटना और
- ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बी.बी.जे.), कोलकाता

किन्तु बी.बी.जे., जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, को छोड़कर अन्य सभी कंपनियां, जो मुख्य रूप से रेलवे रॉलिंग स्टॉक के निर्माण में लगी है, रुग्ण हैं और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बी.बी.यू.एन.एल. समूह की कंपनियों की करपूर्व निवल लाभ/(हानि) तथा लाभांश निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| लाभ/(हानि) | (249.80) | (224.11) | (253.27) |

(ग) से (ङ) सरकार ने लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.सी.) का सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने के बाद उपरोक्त उत्तर के भाग (क) में संदर्भित बी.बी.यू.एन.एल. की चारों प्रचालनशील इकाईयों के आधुनिकीकरण सहित पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.सी.) ने पहले ही बी.बी.जे. के पुनर्गठन की सिफारिश कर दी है जिसमें 13.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, 10 करोड़ रुपये के ऋण को शून्य दर डिवेन्चर में परिवर्तित करना तथा ब्याज/दंडात्मक ब्याज से संबंधित 30.73 करोड़ रुपये को माफ करना शामिल है।

**स्टेशनरी की खरीद**

**3396. श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** 02 दिसम्बर 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, सूचना एकत्रित करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है और डी.ओ.पी.टी. एंड टी. के दिनांक 14 जुलाई, 1981

के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्टेशनरी और अन्य मदों की खरीद करने हेतु क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करने का काफी काम शामिल है, अत: आश्वासन पूरा करने में और समय लगेगा।

*[हिन्दी]*

**रक्षा विमानों के प्रयोग हेतु बकाया राशि**

**3397. श्री रामदास आठवले**: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी यात्राओं हेतु रक्षा विमानों को भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों सहित भूतपूर्व मंत्रिमंडलीय मंत्रियों द्वारा प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक बकाया धनराशि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे बकाया धनराशि को वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)**: (क) और (ख) गैर-सरकारी यात्राओं हेतु रक्षा विमानों के प्रयोग करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर बकाया राशि इस प्रकार है:-

| नाम | राशि (रुपए में) |
|---|---|
| श्री चन्द्रशेखर | 5,91,31,476/- |
| स्व. श्री पी.वी. नरसिंह राव | 5,72,13,700/- |
| श्री एच.डी. देवगौडा | 54,61,497/- |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | 8,74,808/- |

केबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री गैर-सरकारी यात्राओं हेतु भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल करने के लिए पात्र नहीं है।

(ग) सरकार के पूर्व प्रधानमंत्रियों श्री चंद्रशेखर, स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिंह राव तथा श्री एच.डी. देवगौडा और उन राजनीतिक दलों जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, से ये रकमें वसूल करने के लिए वर्ष 2000-2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए हैं। यह मामला न्यायाधीन है। बकाया रकम की वसूली के लिए संबंधित राजनीतिक दलों को भी अनुस्मरण कराया गया है।

*[अनुवाद]*

**केबल आपरेटर्स**

**3398 श्री सनत कुमार मंडल**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्र विशेष में टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उस क्षेत्र में केवल एक ही केबल आपरेटर को अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुदेश क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो एक क्षेत्र विशेष में कितने केबल आपरेटर्स कार्य कर सकते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केबल आपरेटरों द्वारा अपने क्षेत्रों में एकाधिकारिता के विनियमन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी)**: (क) से (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में किसी क्षेत्र विशेष में केबल आपरेटरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

**रेलवे परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी**

**3399. श्री असादुद्दीन ओवेसी**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों/ निजी-क्षेत्र के संगठनों की वित्तीय भागीदारी की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय द्वारा निजी निवेश के माध्यम से मुंद्रा पत्तन के लिए रेल संपर्कता और सार्वजनिक-निजी

भागीदारी से सुरेन्द्रनगर-पीपावाव आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को पहले ही चालू कर दिया गया है। गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना और हसन-मंगलोर आमान परिवर्तन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र और अन्य एजेन्सियों से निवेश के माध्यम से शुरू किया जा रहा है।

**केरल में गैस क्रेकर इकाई**

3400 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण की केरल में एक गैस क्रेकर इकाई स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इकाई का कार्य कब तक पूरा हो जाने तथा इसके कब तक कार्यशील हो जाने की सम्भावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) केरल में एक ग्रास रूट पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करना चाहती है। यह प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण पर है। ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**नया रेलवे हाल्ट स्टेशन**

3401. **श्री आलोक कुमार मेहता:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे में मोतीपुर तथा महबल स्टेशनों के बीच स्थित मोहम्मदुर बल स्थान पर नया रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बन जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) पूर्व मध्य रेलवे में मोतीपुर और महवल स्टेशनों के बीच हाल्ट *स्टेशन खोलने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।*

(ख) और (ग) प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाए जाने पर ही हाल्ट स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

**बांदा तथा चित्रकूट में दूरदर्शन के कार्यक्रम**

3402. **श्री श्यामा चरण गुप्त:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांदा तथा चित्रकूट में दूरदर्शन के कार्यक्रम धुंधले आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार बांदा तथा चित्रकूट में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के संकेत संग्रहण में सुधार के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर कब तक स्थापित करने का है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं। प्रसार भारती द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार, इन कस्बों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का अभिग्रहण तकनीकी रूप से संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी नए टी.वी. ट्रांसमीटर को लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर सेवा 'डी.डी. डायरेक्ट +' और 33 टी.वी. व 12 रेडियो चैनलों वाले इसके समूह के सिगनल लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाई के माध्यम से देश भर में प्राप्त किए जा सकते हैं।

**रेल गाड़ियों को आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र**

3403. **श्री अतीक अहमद:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय रेलगाड़ियों को उत्कृष्ठ सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन (आई.एस.ओ.) प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों, विशेषकर सभी राजधानी तथा शताब्दी रेलगाड़ियों में सेवा सुविधाएं सुधार कर और रेलगाड़ियों के लिए आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

*(ग) सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए* लगातार प्रयत्न किए जाते हैं चाहे आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है या नहीं।

***विवरण***

*अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा प्रमाणित रेलगाड़ियों की जोन-वार सूची निम्नानुसार है:-*

| क्र.सं. | रेलवे | उन गाड़ियों का नाम जिन्हें आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र मिला हुआ है |
|---|---|---|
| 1. | मध्य रेलवे | 2123/24 डक्कन क्वीन एक्सप्रेस |
| | | 2051/52 जन शताब्दी एक्सप्रेस |
| | | 2137/38 पंजाब मेल |
| 2. | उत्तर रेलवे | 2003/04 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस |
| | | 2403/04 दिल्ली जम्मू तवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस |
| | | 2055/56 देहरादून-नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस |
| | | 2057/58 चंडीगढ़-नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस |
| | | 4229/30 लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ मेल |
| 3. | उत्तर पश्चिम रेलवे | 2417/18 प्रयाग राज एक्सप्रेस |
| | | 2179/80 ताज एक्सप्रेस |
| | | 1523/24 झांसी-बांदा पैसेंजर |
| 4. | पश्चिम मध्य रेलवे | 2155/56 भोपाल-निजामुद्दीन एक्सप्रेस |
| | | 1265/66 रेवांचल एक्सप्रेस |

*[अनुवाद]*

**आई.एन.एस. विक्रान्त का संग्रहालय में परिवर्तन**

**3404. श्री गुरुदास कामत:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.एन.एस. विक्रांत को संग्रहालय *में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;*

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.एन.एस. विक्रांत को संग्रहालय में कब तक परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) महाराष्ट्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने पूर्व-नौसेना पोत विक्रांत को नौसेना संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने विक्रांत को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने हेतु अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए 25 करोड़ रु. का निवेश करने की वचनबद्धता की है। रक्षा मंत्रालय ने भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु वचनबद्धता की है।

(ग) इस समय कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

**बच्चों के लिए राष्ट्रीय अकादमी**

**3405. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कला, संगीत आदि के क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दूरदर्शन के समाचार चैनल**

**3406. श्री बीर सिंह महतो:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का अलग से समाचार चैनल शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह चैनल कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने पहले ही दिनांक 3 नवम्बर, 2003 से स्थलीय और उपग्रह दोनों पद्धतियों में फ्री-टु-एयर चौबीसों घंटे के समाचार उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे का "डी.डी. न्यूज" चैनल शुरू कर दिया है।

*[हिन्दी]*

**पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसारण**

**3407. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में विभिन्न चैनलों पर पर्यावरण जागरुकता संबंधी प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी-I के राष्ट्रीय नेटवर्क पर इस समय निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं:-

* भूमि
* जीवांजल
* टेरा क्विज
* टर्निंग प्वाइंट
* खेल-खेल में बदलो दुनिया

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि यह विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर काफी संख्या में पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को बढ़ाने के रास्ते में वित्तीय अड़चनें आती हैं।

*[अनुवाद]*

**कार्य समूह की सिफारिशें**

**3408. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी कार्य समूह द्वारा दो वर्ष पूर्व की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए विशेषरूप से की गई सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा गठित कार्य समूह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उदारीकरण के संदर्भ में, इसके विभिन्न पहलुओं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर अनाश्यता में बढ़ोत्तरी करने संबंधी अध्ययन किए। इसने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें अन्वेषण कार्यक्रमों को तेज करते हुए तेल संरक्षा मजबूत करना, विदेशों में तेल इक्विटी का अर्जन, ईंधनों के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, तेल/उत्पादों के कार्यनीतिक भण्डार बनाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्पाद गुणवत्ता सुधार शामिल हैं। तदनुसार, सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में कार्य करते हुए निम्नलिखित कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिससे देश की तेल आयात निर्भरता में भी कमी आएगी-

(i) विशेष रूप से गहरे अपतट और सीमान्त क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाना।

(ii) उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तथा वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) कार्यक्रमों को शुरू करना।

(iii) विदेश में तेल और गैस इक्विटी प्राप्त करने के लिए प्रयासों में वृद्धि करना।

(iv) कच्चे तेल के लिए कार्यनीतिक भंडार सुविधाओं का सृजन।

(v) कोल बेड मीथेन, मोटर स्पिरिट एथेनोल मिश्रण और गैस हाइड्रेट्स समेत वैकल्पिक ईंधनों का विकास। इसके अतिरिक्त सरकार जैव डीजल कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रही है।

(vi) निर्धारित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए तेल पी.एस. यूज द्वारा उत्पाद गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

**तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड द्वारा विदेशों में निवेश**

**3409. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) को मंत्रिमंडल से अनुमति लिये

बिना विदेशों में तेल तथा गैस परिसम्पत्तियों में 300 करोड़ रुपये तक का निवेश करने का अधिकार देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल सहयोग संबंधी विदेशी निवेश में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बढ़ाई गई सीमा से ओ.वी.एल. को किस सीमा तक लाभ होगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) सरकार ने ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) बोर्ड की शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि को अनुमोदित किया है। बोर्ड को 75 मिलियन अमेरिकी डालर या 300 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, तक के निवेश वाली परियोजना पर निर्णय लेने को प्राधिकृत किया गया है।

(ख) शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि का चीनी कंपनियों या अन्य किसी कंपनी के साथ ओ.वी.एल. की प्रतिस्पर्धा से कोई सीधा परस्पर संबंध नहीं हैं क्योंकि अन्वेषण कार्य प्राप्त करने और उत्पादन परियोजनाओं की सफलता का स्तर मुख्यत: मेजवान सरकारों को कंपनियों द्वारा प्रदत्त प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों और मेजवान सरकारों के निर्णय पर निर्भर करता है। कंपनी कार्य-व्यापारों से जुड़े फार्म-इन/फार्म आउट प्रस्तावों के मामले में, जिसमें कंपनियों के बीच लेन-देन शामिल हैं, यह कंपनियों के बीच सौदे पर निर्भर करेगा, जो सामान्यत: मेजवान सरकार के अनुमोदन और इन परियोजनाओं में अन्य भागीदारों को उपलब्ध पूर्व क्रय अधिकार पर निर्मय होते हैं।

ओ.वी.एल. पहले से ही सूडान और आइवरी कोस्ट में चीनी कंपनियों के साथ कार्य कर रही है। तीसरे देशों में रकबे प्राप्त करने में चीन की तेल कंपनियों के साथ गठबंधन बढ़ाने की व्यापक संभावनाओं और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को देखते हुए भारत और चीन की राष्ट्रीय तेल कंपनियां मामला दर मामला आधार पर एक दूसरे के संपर्क में है। यद्यपि, हाइड्रोकार्बनों में सहयोग के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, विदेश और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालयों का एक संयुक्त कार्यदल स्थापित किया गया है ताकि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में चीन-भारतीय सहयोग की संभावनाओं की जांच की जा सके।

### विकलांग बच्चों को मुफ्त विद्यालय शिक्षा

**3410. श्री एम. शिवन्ना:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग बच्चों को मुफ्त विद्यालय शिक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने महाविद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयों में विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए कोई प्रयास किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में विकलांग बच्चों को सरकारी और शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, 10.77 लाख बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला कराया गया है। करीब 2 लाख विकलांग बच्चों को समेकित विकलांग बाल शिक्षा योजना के अंतर्गत, समाहित किया गया है। सरकार दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत 60,000 विकलांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 465 विशेष स्कूलों की सहायता करती है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, उन्हें सीमित छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो कालेज स्तर पर तकनीकी अध्ययन करते है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### कोंकण रेल निगम द्वारा रेल कर्मी दल को प्रशिक्षण

**3411. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम के पास अन्य क्षेत्रीय रेलवे की तरह चलती ट्रेनों में जवानों/कॉस्टेबलों की तैनाती की सुविधा नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोंकण रेल निगम चलती ट्रेनों में अपराधों को रोकने के लिए अपने कर्मीदल को मार्शल आर्टस और युद्ध-कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जोनल रेलवे, कोंकण रेल निगम का अनुकरण करता है और स्टेशनों तथा यार्डस में ग्राउण्ड ड्यूटी के लिए अपने रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात करता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। रेलवे पुलिस बल की कुल स्वीकृत संख्या 98

है जिसमें से 67 जवान/सिपाही कर्मचारी हैं जिन्हें जब भी आवश्यकता होती है, गाड़ियों पर तैनात किया जाता है। कराटे में प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए यह कार्य पद्धति संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) और (घ) जी हां। कुल 170 यात्री सहायकों और कनिष्ठ यात्री सहायकों ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और सफलतापूर्वक पीली बेल्ट की ग्रेडिंग पास की हुई है। इसके अतिरिक्त 187 स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों में से 147 ने भी सफलतापूर्वक पीली बेल्ट की ग्रेडिंग पास की हुई है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

**बम्पर सुपर सेवर स्कीम को वापस लेना**

**3412. श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने बम्पर सुपर सेवर स्कीम को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने टिकटों की बिक्री की गई?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) संवर्धनात्मक किरायों की वैधता की अवधि को सदैव बाजार दशाओं के संदर्भ में निश्चित तथा निर्धारित किया जाता है। बंपर सुपर सेवर योजना मंदी की अवधि के दौरान एक संवर्धन योजना के रूप में आरंभ की गई थी तथा दिनांक 31 मार्च, 2005 के बाद समाप्त की जा रही है।

(ग) चूंकि योजना अभी चालू है अत: यह प्रश्न नहीं उठता है।

**एझिमला नौसेना अकादमी**

**3413. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एझिमला नौसेना अकादमी शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अकादमी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विलंब के कारणों में परियोजना स्थल का दूर-दराज के क्षेत्र में होना, इसका भू-भाग पर्वतीय होना तथा भारी मानसून वाला होना शामिल है जिनसे निर्माण कार्य में बाधा आती है।

(घ) अकादमी के डिपो पोत भारतीय नौसेना पोत जमोरिन को 6 अप्रैल, 2005 से चालू किए जाने का कार्यक्रम है तथा अगस्त, 2005 में इसका पहला पाठ्यक्रम शुरू होगा।

**विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री**

**3414. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में विक्रेता पान, गुटखा, सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की इन पर लगे प्रतिबंध के बावजूद खुले आम बिक्री कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक ऐसे कितने मामलों का पता लगा है और उन विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी;

(घ) क्या कई बेसहारा बच्चे रेलगाड़ियों के शयनयान और वातानुकूलित श्रेणियों में इन वस्तुओं की खुले आम बिक्री कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन बेसहारा बच्चों को रेलगाड़ियों में प्रवेश करने और नशीले पदार्थों की बिक्री करने से रोकने हेतु क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं। स्टेशन और गाड़ियों में ऐसे सभी मदों की बिक्री पर शक्ति से पाबंदी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं आई है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर

प्राधिकृत रूप से वेंडिंग/हॉकिंग अपराध है। यात्रियों को इस अप्राधिकृत वेंडिंग/हॉकिंग से होने वाले असुविधा को दूर करने के लिए वाणिज्यिक कर्मी तथा राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से उनके विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। बहरहाल, गाड़ियों के सवारी डिब्बों में इन बेसहारा बच्चों के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से औचक जाचें की जाती हैं।

**अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल की आपूर्ति**

**3415. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने बड़े शहरों/महानगरों में अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल और अल्ट्रा लो सल्फर डीजल तथा अन्य स्वच्छ ईंधनों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार इन ईंधनों की अनुमानित मांग एवं आपूर्ति राज्यवार कितनी है;

(ग) क्या इन ईंधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों द्वारा तेलशोधक कारखानों की क्षमता और अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल/अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) वर्तमान में 0.05% गंधक (अधिकतम) वाले एम.एस. और एच.एस.डी. की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आगरा, कानपुर, लखनऊ, शोलापुर, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और सूरत नामक 13 चुने हुए शहरों में की जा रही है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**तटीय लोक कलाओं को बढ़ावा**

**3416. डा. के.एस. मनोज:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तटीय लोक कलाओं के संरक्षण एवं इनको बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी गैर-सरकारी संगठन ने तटीय लोक कलाओं को बढ़ावा देने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के सामान्यत: लोक कलाओं, जिनमें तटीय लोक कला रूप शामिल हैं, के परिरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक कार्यक्रम हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**नए स्कूल्स ऑफ ड्रामा एंड ट्रेनिंग की स्थापना**

**3417. मो. मुकीम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में नए स्कूल्स ऑफ ड्रामा एंड ट्रेनिंग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**केरोसीन का आबंटन**

**3418. श्री अजीत जोगी:**
**श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**कुंवर जितिन प्रसाद:**
**श्री मो. ताहिर:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और खुले बाजार में केरोसीन का आबंटन करने संबंधी निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्तमान वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को कितनी मात्रा में केरोसिन का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के अंतर्गत केरोसिन के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए मिट्टी तेल का आबंटन करती है। 2001-02 से लागू वर्तमान नीति के निबंधनों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी नए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस.के.ओ. के आबंटन कम कर दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया था कि वे एकल/दोहरे सिलेंडरों के एल.पी.जी. कनेक्शनों के राशन कार्ड धारकों को मिट्टी तेल के कोटे से अलग करके अपने मिट्टी तेल के वितरण का यौक्तिकरण करें और इस प्रकार बचाई गई मात्रा को जरूरतमंद लोगों को वितरित करें। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के अलावा तेल कंपनियां वाणिज्यिक प्रतिफलों पर मुक्त बिक्री मिट्टी तेल का विपणन करती हैं।

(ग) इस मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनके एस.के.ओ. के कोटे में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2004-05 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एस.के.ओ. का 1,50,502 मीट्रिक टन अतिरिक्त आबंटन किया गया है जिससे वे अपनी तत्काल मांग पूरा कर सकें। देश में मिट्टी तेल की मांग का पहली बार अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) का गठन किया गया है। एन.सी.ए.ई.आर. रिपोर्ट के प्राप्त होने और उसका अध्ययन किये जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

***विवरण***

*2002-03 से 2004-05 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल का राज्य/क्षेत्रवार आबंटन*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आबंटन (एम.टी. में) | | |
|---|---|---|---|
| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 6000 | 5907 | 6750 |
| आन्ध्र प्रदेश | 549592 | 523022 | 524940 |
| अरुणाचल प्रदेश | 9793 | 9447 | 10424 |
| असम | 265524 | 258128 | 262007 |
| बिहार | 646618 | 637221 | 648208 |
| चंडीगढ़ | 14089 | 13229 | 16651 |
| छत्तीसगढ़ | 147977 | 145042 | 143354 |
| दादर और नागर हवेली | 3003 | 2853 | 2782 |
| दमन और द्वीयू | 2273 | 2194 | 2118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 188854 | 178756 | 168484 |
| गोवा | 21999 | 20469 | 19601 |
| गुजरात | 783293 | 760542 | 743953 |
| हरियाणा | 155928 | 146857 | 145656 |
| हिमाचल | 56509 | 53134 | 50537 |
| जम्मू-कश्मीर | 88850 | 81626 | 78702 |
| झारखण्ड | 216766 | 213399 | 211175 |
| कर्नाटक | 500625 | 480157 | 461478 |
| केरल | 236758 | 224243 | 221755 |
| लक्ष्यद्वीप | 874 | 874 | 795 |
| मध्य प्रदेश | 497726 | 487397 | 488609 |
| महाराष्ट्र | 1384353 | 1300780 | 1276876 |
| मणिपुर | 20857 | 20233 | 19907 |
| मेघालय | 20847 | 20597 | 20690 |
| मिजोरम | 6748 | 6457 | 6217 |
| नागालैण्ड | 13432 | 13140 | 13412 |
| उड़ीसा | 317443 | 318947 | 315755 |
| पांडिचेरी | 13307 | 12856 | 12568 |
| पंजाब | 272143 | 250329 | 237192 |
| राजस्थान | 417204 | 406152 | 398913 |
| सिक्किम | 6403 | 5881 | 5854 |
| तामिलनाडु | 582712 | 562283 | 566711 |
| त्रिपुरा | 31545 | 30621 | 30832 |
| उत्तर प्रदेश | 1261121 | 1232633 | 1263173 |
| उत्तरांचल | 98454 | 98459 | 89849 |
| पश्चिम बंगाल | 778784 | 763727 | 756383 |
| योग | 9618404 | 9287590 | 9222309 |

आबंटन में तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन सम्मिलित हैं।

*[अनुवाद]*

**जाली पास बनाने वाला गिरोह**

**3419. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री तथागत सत्पथी:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जाली पास बनाने वाले गिरोह के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या हाल में रेलवे सुरक्षा बल ने जाली पास बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में रेलवे कर्मचारियों की सांठ-गांठ का पता लगाने हेतु सरकार ने कोई छान-बीन की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**प्रश्न पत्रों का लीक होना**

**3420. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसंबर 2004 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित रोहनिया में रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रश्न पत्र लीक हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच-पड़ताल की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) 5-12-2004 को आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रोहानिया में लीक हो गया था।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रोहानिया पुलिस स्टेशन में दिनांक 3-12-04 को भारतीय दंड संहिता की धारा 384/419/420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 267/04 दर्ज कर ली गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आगे जांच की जा रही है और रेलवे सतर्कता विभाग उनसे संपर्क बनाए हुए है। इस प्रश्न पत्र के लीक होने में संलिप्त पाए गए रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

**रेल ओवर ब्रिजों पर कार्य**

**3421. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष के बजट में घोषित किए गए रेल ओवर ब्रिजों में से अधिकतर ब्रिजों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेल ओवर ब्रिजों से संबंधित निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) जी हां। रेलवे मौजूदा समपारों पर सड़क ऊपरि/निचले पुलों का निर्माण जहां यदि यातायात का घनत्व एक लाख या अधिक टी.वी.यू. (टी.वी.यू.-24 घंटों के दौरान समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों और गाड़ियों की संख्या को आपस में गुणा करने पर प्राप्त एक इकाई है) है तो लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप आधार पर करती है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव नियमानुसार पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं को विधिवत् रूप से पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। रेलवे पुल का निर्माण (रेलपथ के ऊपर) करती है और पहुंच मार्गों पर कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सड़क ऊपरि पुल की स्वीकृति के पश्चात् कार्य एकदम से शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि सामान्य आरेखण व्यवस्था तैयार करनी होती है, भू-तकनीकी अन्वेषण करने होते हैं, विस्तृत अभिकल्प और विस्तृत अनुमान तैयार करने होते हैं। इसके पश्चात् निर्माण के लिए निविदाएं जारी की जाती हैं और नियमानुसार ठेके प्रदान किए जाते हैं। सड़क ऊपरि पुल के निर्माण कार्यों में भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमणों को हटाना, उपयोगी सेवाओं को वहां से शिफ्ट करना और मार्ग परिवर्तन आदि भी शामिल होता है। इसमें समय लगता है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर किए जाने

वाले कार्यों के साथ-साथ ही रेलवे के हिस्से के कार्य को पूरा करने के सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

**नि:शक्त एवं वृद्ध लोगों का पुनर्वास**

**3422. श्री रघुनाथ झा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नि:शक्त लोगों एवं वृद्ध लोगों के पुनर्वास से संबंधित योजनाओं और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों ने अपेक्षित परिणाम दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कितनी सफल रही है;

(घ) क्या इन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु नेशनल कंज्यूमर कॉपरेटिव फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को गैर-सरकारी संगठन के रूप में नियुक्त करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*सरकार विकलांगजनों और वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा इनकी प्रभाविकता का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। यदि योजनाओं के मूल्यांकन के समय कोई त्रुटि दिखायी देती है, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।*

विकलांगजनों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जनशक्ति विकास हेतु प्रत्येक मुख्य विकलांगता क्षेत्र में स्थापित 6 राष्ट्रीय संस्थान पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और कार्यात्मक अनुसंधान आदि करते हैं।

(ख) जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्र सहायक उपकरणों को आवश्यकता के निर्धारण, सहायक उपकरणों की फिटिंग/मरम्मत थैरेपी संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करतेहैं। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के संवर्धन के लिए सहायक और पूरक सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल चलाने वाले और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सहायता की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) एडिप योजना के अंतर्गत, सहायक यंत्रों और उपकरणों को कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे स्वैच्छिक संगठनों, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय संस्थानों, एलिम्को, जिला पंचायतों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों आदि के माध्यम से वितरित किया जाता है।

वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना और रख-रखाव करने तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने हेतु समेकित वृद्धजन कार्यक्रम: और

(ख) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु विषयक सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना/इसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों/बहु विषयक सेवा केन्द्रों के लिए एक-मुश्त निर्माण अनुदान दिया जाता है।

इन योजनाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

**एयर स्पेस की पुनर्संरचना**

**3423. श्री डी. विट्ठल राव:**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों में चीन द्वारा छोटे और अधिक किफायती मार्गों को खोले जाने से सरकार को लगभग 190 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अपने एयर स्पेस की पुनर्संरचना करने और विश्व के कुछ अत्यधिक लम्बे पड़ने वाले वायु मार्गों को छोटा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) चीन का हवाई क्षेत्र भविष्य में खोला जा सकता है। तथापि राजस्व पर इसके वास्तविक प्रभाव को अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ख) चीन ने हाल ही में हांगकांग/दक्षिण-पूर्व एशिया के हवाई अड्डों तथा यूरोप में हवाई अड्डों के बीच छोटा मार्ग प्रदान करते हुए अपने हवाई क्षेत्र के माध्यम से तीन वायु मार्ग खोल दिए हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने यूरोप तथा हांगकांग के बीच अपनी उड़ानों के लिए इन मार्गों का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

(ग) भारतीय हवाई क्षेत्र से एकदम सीधा और यथासंभव सबसे छोटा मार्ग प्रदान करते हुए ओवर फ्लाइट्स ट्रैफिक को बनाए रखने तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करने के निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**आर.टी.एस.ए./आर.टी.ए. की नियुक्ति**

**3434. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री एम. अंजन कुमार यादव:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों (आर.टी.एस.ए.) एवं रेल टूरिस्ट एजेंटों (आर.टी.ए.) की नियुक्ति करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर किन-किन आर.टी.एस.ए./आर.टी.ए. की नियुक्ति रद्द की गई है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे एजेंटों की नियुक्ति प्रक्रिया में बरते जा रहे पक्षपात के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त प्रक्रिया को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) रेल यात्री सेवा एजेंट (आर.टी.एस.ए.) और रेल पर्यटक एजेंट (आर.टी.ए.) की नियुक्ति क्रमशः रेल यात्री सेवा एजेंट (आर.टी.एस.ए.) नियम, 1985 और रेल पर्यटक एजेंट (आर.टी.ए.) नियम, 1980 के प्राधिकार के उपबंधों के तहत की जाती है।

(ख) संगत नियमों में निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करने के बाद आर.टी.एस.ए. की नियुक्तियां की जाती हैं।

(ग) और (घ) राजकोट, भक्तिनगर और सुरेंद्रनगर में आर.टी.एस.ए. के अनुचित चयन का आरोप लगाते हुए दो व्यक्तियों जिनका आर.टी.एस.ए. के रूप में चयन नहीं किया गया था, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में एक केस फाइल किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, इन तीन स्टेशनों के लिए चुने गए आर.टी.एस.ए. इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं। मामला न्यायाधीन है।

(ङ) आर.टी.एस.ए. के चयन के लिए नियुक्ति की गई चयन समिति नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

**अवसंरचना के विकेस हेतु धनराशि**

**3425 श्री सीताराम यादव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने विमानपत्तन हैं और उनमें से कितने कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) से विमानपत्तनों में अवसंरचना के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अलग से धनराशि प्रदान करने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में 97 हवाई अड्डे तथा रक्षा विमान क्षेत्रों तथा विमान क्षेत्रों में 29 सिविल एन्क्लेव हैं। इनमें से 34 हवाईअड्डे तथा 8 एन्क्लेव गैर-प्रचालनात्मक हैं।

(ख) और (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने एक पूर्व-बजट ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी बल दिया गया था कि वर्ष 2005-06 के बजट में नागर विमान क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहरहाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पृथक निधियां उपलब्ध कराने के संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**राइट टू पब्लिश**

**3426. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय भाषा समाचार पत्र एसोसिएशन से "राइट टू पब्लिश" पर कानून अधिनियमित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**कर्मचारी विमान अनुपात**

**3427. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की विमान कंपनियों और देश की निजी विमान कंपनियों की तुलना में इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के विमानों के रखरखाव और उड़ान सेवा संबंधित कर्मचारियों की औसत संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स में प्रति विमान इंजीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या लगभग 75 है जबकि एअर इंडिया में यह संख्या 71.25 है। इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया में विमानों के रख-रखाव तथा उड़ान सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों का अनुपात सर्वथा उद्योग के औसत के अनुकूल है। जहां विश्वभर की अधिकतर एयरलाइनें अनुरक्षण संबंधी कार्य बहुत ही सीमित स्तर पर करती हैं तथा बड़े अनुरक्षण कार्य इंजन ओवरहाल तथा कम्पोनेंट ओवरहाल संबंधी कार्यों को किसी तीसरी पार्टी से कराती हैं, वहीं एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा इन गतिविधियों को सम्पूर्ण रूप से कम्पनी के अन्दर ही किया जाता है।

**तेल क्षेत्र में भारत अमेरिकी सहयोग**

**3428. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग/निवेश हेतु अमेरिकी तेल उद्योग को आकर्षित करने के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) सरकार, संयुक्त राज्य की तेल कंपनियों सहित विदेश से तेल और गैस क्षेत्र में निवेश और सहयोग मांगती है और उसका स्वागत करती है।

(ख) इस दिशा में, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के विद्यमान 5वें चक्र को शासित करने वाली शर्तें विदेशी निवेश को आकर्षित करने में पर्याप्त उन्नति की परिचायक हैं। विशेष रूप से यू.एस. आधारित निवेश की संभावनाओं के मामले में। मंत्री (पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस) ने ह्यूस्टन, यू.एस.ए. में 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2005 को एक रोड शो करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।

(ग) प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है लेकिन ठोस परिणाम 31 मई, 2005 को बोली की अंतिम तिथि के बाद ही ज्ञात होंगे।

**तेल खोज संबंधी लाभ का पुनर्निवेश**

**3429. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने लाभ का बड़ा हिस्सा मूल व्यवसाय में नहीं लगा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा तेल भण्डारों की खोज में पुनर्निवेशित लाभ की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या खोज पर व्यय धीरे-धीरे कम होता जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम/उपाय किए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**गोवा विमानपत्तन पर विमान का ट्रैक्टर से टकराना**

3430. **श्री सुव्रत बोस:**

**श्री हितेन बर्मन:**

**श्री जोवाकिम बखला:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा विमानपत्तन पर एक भारतीय विमान ट्रैक्टर से टकरा गया था और ये विमान बिना किसी अनिवार्य निरीक्षण के उड़ान भरते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस के ए-300 विमान वी.टी.-ई.एच.सी. की 6-11-2004 को गोवा से मुम्बई की उड़ान आई.सी.-598 के प्रचालन के दौरान भूमि पर एक घटना घटित हुई थी। टैक्सी क्लीयरेंस मिलने के पश्चात्, विमान रोलिंग होने लगा। विमान का नोज वील टायर ग्राउंड पावर यूनिट (जी.पी.यू.) और ट्रैक्टर के रियर व्हील के टो बार (Tow bar) के संपर्क में आ गया, जिससे उस समय वह क्षेत्र क्लीयर नहीं हुआ। विमान को तत्काल रोका गया और इंडियन एयरलाइंस के विमान अनुरक्षण इंजीनियर (ए.एम.ई.) द्वारा उसके नोज व्हील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई थी। तत्पश्चात्, विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी।

(ग) भविष्य में इस घटना को मुख्य प्रमाणिक प्रस्थान दिशा-निर्देशों से जुड़ी खराबी के लिए संबंधित विमान अनुरक्षण इंजीनियर को अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई।

*[हिन्दी]*

**जनजातीय जिलों में आकाशवाणी केन्द्र**

3431. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के जनजातीय जिलों में विशेषकर महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है या कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जनजातीय जिलों में रेडियो स्टेशनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से दो रेडियो स्टेशन महाराष्ट्र में अमरावती और शिरड़ी में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

(ख) से (घ) अमरावती में रेडियो स्टेशन हेतु स्थल का अभिग्रहण पहले ही कर लिया गया है और शिरड़ी के लिए स्थल की पहचान कर ली गई है। शिरड़ी में स्थल के आवंटन हेतु इस मामले को राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है। जनजातीय जिलों में दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित नए रेडियो स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्कीमों के दसवीं योजना के दौरान तैयार हो जाने की आशा है जो अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के अधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*10वीं योजना के दौरान जनजातीय जिलों में प्रस्तावित नए रेडियो स्टेशन निम्नानुसार हैं:-*

1. श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)
2. काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)
3. दुमका (झारखंड)
4. गुमला (झारखंड)

5. श्रंगेरी (कर्नाटक)
6. अमरावती (महाराष्ट्र)
7. शिरड़ी (महाराष्ट्र)
8. रायरंगपुर (उड़ीसा)
9. परलाकिमीडी (उड़ीसा)
10. रायगदा (उड़ीसा)
11. डूंगरपुर (राजस्थान)
12. लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)
13. पुरुलिया (पश्चिम बिहार)
14. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
15. मालदा (पश्चिम बंगाल)
16. बर्धवान (पश्चिम बंगाल)
17. तामलुक (पश्चिम बंगाल)
18. बलूरघाट (पश्चिम बंगाल)
19. दांतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)
20. बैकुंठपुर (छत्तीसगढ़)
21. जशपुरनगर (छत्तीसगढ़)
22. दोपोरिजो (अरुणाचल प्रदेश)
23. अनिनी (अरुणाचल प्रदेश)
24. बॉमडिला (अरुणाचल प्रदेश)
25. चांमलांग (अरुणाचल प्रदेश)
26. खोंसा (अरुणाचल प्रदेश)
27. करीमगंज (असम)
28. गोलपाड़ा (असम)
29. उखरूल (मणिपुर)
30. तामेंगलांग (मणिपुर)
31. दावकी (मेघालय)
32. चम्फई (मिजोरम)
33. कोलासिब/संरचिप (मिजोरम)
34. तुइपांग (मिजोरम)
35. वोखा (नागालैंड)
36. फेख (नागालैंड)
37. जुन्हेबोतो (नागालैंड)
38. उदयपुर (त्रिपुरा)
39. नूतन बाजार (त्रिपुरा)
40. धर्मनगर (त्रिपुरा)
41. लोंगथेरइ (त्रिपुरा)

*[अनुवाद]*

**पेट्रोल पम्पों का आबंटन**

**3432. श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
**श्री राजेन्द्र कुमार:**
**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु वर्तमान नीति और निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु विभिन्न तेल कंपनियों की वर्तमान विपणन नीति क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियां अपनी विपणन योजनाओं के अनुसरण में पेट्रोल पम्पों का आबंटन कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें पेट्रोल पम्प खोलने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम. सीज) को सरकार द्वारा सुझाए गए कतिपय व्यापक मानदंडों के आधार पर देश में क्षम स्थानों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों और एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों के चयन के लिए उनके दिशानिर्देशों को हाल ही

में तैयार किया गया है और इन दिशानिर्देशों की शर्तों पर चयन और आबंटन किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में ओ.एम. सीज द्वारा डीलरों/वितरकों का चयन और आबंटन करने हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत कार्यविधि उपलब्ध कराई गई हैं। इस कार्यविधि में, उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित ओ.एम.सी. की चयन समिति द्वारा डीलर/वितरकों का चयन करने के साथ-साथ कतिपय निर्धारित मानदंड और महत्व राज्य शामिल हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा संक्षिप्त नोट संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कंपनियां, अपनी संबंधित विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के मामले में, साथ ही, पहले सरकार द्वारा अनुमोदित विपणन योजनाओं में शामिल क्षम स्थानों पर, आबंटन करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रही हैं।

(ङ) सरकार ने निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों नामत: मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एस्सार रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्स शैल इंडिया मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड को परिवहन ईंधनों हेतु विपणन अधिकार की मंजूरी दी है।

***विवरण***

*तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया*

1. सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, बहु डीलरशिप मानकों आदि जैसे मामलों से संबंधित खुदरा बिक्री केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/डीलरशिपों के आबंटन के लिए व्यापक प्राचलों पर सलाह दी है और तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) से चयन के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने को भी कहा है। तेल विपणन कंपनियों उदाहरणार्थ इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) और आई.बी.पी. कं. लिमिटेड (आई.बी.पी.) ने डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार किये हैं। ओ.एम.सीज को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर स्थानों का चयन करने की भी स्वतंत्रता है। अत: डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन और तदुपरांत उनको आबंटनों की प्रक्रिया तथा स्थानों के चयन के मामले में व्यापक प्राचलों का निर्धारण करने से आगे अब सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

2. ओ.एम.सीज द्वारा अपनाए गए चयन दिशानिर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

2.1 ओ.एम.सीज के दिशानिर्देशों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 50% आरक्षण व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अनुसचूति जाति/अनुसूचित जनजाति | – | 25% |
| (ii) | रक्षा श्रेणी | – | 8% |
| (iii) | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति | – | 5% |
| (iv) | स्वतंत्रता सेनानी | – | 2% |
| (v) | उत्कृष्ट खिलाड़ी | – | 2% |
| (vi) | अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी | – | 8% |

उपर्युक्त में से प्रत्येक श्रेणी में 1/3 डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

2.2 तेल कंपनियां प्रमुख समाचार पत्रों में स्थान विज्ञापित करती हैं और उन स्थानों में डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरिशपें प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं। आवेदन फार्म प्राप्त करने और तेल विपणन कंपनी को भरे हुए आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रार्थियों को पर्याप्त समय दिया जाता है। इन विज्ञापनों में आवेदकों की सूचना के लिए विस्तृत ब्यौरा होता है। अनु.जा./अनु.ज.जा. के आवेदकों को छोड़कर अन्यों से 1000/-रुपए का आवेदन पत्र कार्रवाई शुल्क (अप्रतिदेय) लिया जाता है। अनु.जा./अनु.ज.जा. आवेदकों के संबंध में आवेदन पत्र कार्रवाई शुल्क 500/-रुपए है।

2.3 प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद तेल विपणन कंपनियां चयन समिति जिसमें कंपनी के उपयुक्त पद के तीन अधिकारी होते हैं, द्वारा साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाती हैं। विशेष मूल्यांकन मानदंड और इनकी वरीयता निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर चयन समिति भूमि/बुनियादी सुविधाएं/सुविधाएं/वित्त प्रदान करने के लिए उम्मीदवार

की योग्यता, व्यवसाय करने के लिए उनकी योग्यता, उनके व्यक्तित्व, शैक्षिक योग्यताओं/बुद्धिमता के सामान्य स्तर, आयु, अनुभव और व्यावसायिक/योग्यता/विलक्षणता के संबंध में उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करती है। यह सिफारिश की जाती है कि आवेदक अपने क्षेत्र के प्रभारी तेल विपणन कंपनी प्रबंधक के साथ विचार-विमर्श करते हुए चयन के मानदंडों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।

2.4 चयन समिति योग्यता के क्रम में तीन उम्मीदवारों का पैनल बनाती है और किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप विशेष के लिए साक्षात्कार पूरा हो जाने पर इस पैनल को तुरन्त अंतिम रूप दिया जाता है। आवश्यक क्षेत्र परीक्षण करने के बाद और इसकी रिपोर्ट के आधार पर योग्यता सूची में सबसे पहले स्थान वाले उम्मीदवार को आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया जाता है।

2.5 संबंधित व्यक्ति, उसका/उसकी पति या पत्नी तथा अविवाहित पुत्र/पुत्रियों समेत एक परिवार इकाई को केवल एक डीलरशिप आबंटित की जानी होती है।

2.6 दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण प्रणाली का भी प्रावधान है, जिसके अनुसार चयन से संबंधित किसी शिकायत की जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई की जाती है। सरकार द्वारा स्वीकृत किसी शिकायत पर भी, शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई की जाती है।

### मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़

**3433. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तन वर्तमान हवाई यातायात को हैंडल करने की दृष्टि से अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों से भीड़-भाड़ को कम करने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन विमानपत्तनों से इस भीड़-भाड़ को कम करने के लिए वहां हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों की अलग सुविधाएं प्रदान करने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (घ) यात्री यातायात तथा विमानों की आवाजाही में वृद्धि हो जाने के कारण भीड़-भाड़ हो जाती है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरलाइनों/यातायात की आवश्यकताओं के मद्देनजर हवाई अड्डों पर एयरसाइड तथा टर्मिनलों के स्तरोन्नयन के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। मुम्बई एयरपोर्ट पर दो रैपिड एक्जिट टैक्सी ट्रैक, गौण रनवे के लिए समानान्तर टैक्सी ट्रैक तथा अधिक पार्किंग बे उपलब्ध कराने, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों का नवीनीकरण तथा छोटे विमानों के लिए विशिष्ट पार्किंग सुविधाएं सुलभ कराने की योजनाएं हैं। दिल्ली हवाईअड्डे पर समानान्तर रनवे तथा टैक्सी ट्रैक के निर्माण, त्वरित निकास, घरेलू बे, अन्तरराष्ट्रीय बे बनाए जाने, घरेलू टर्मिनल 1-बी का चरणबद्ध रूप में पुनर्निर्माण करने तथा छोटे विमानों के लिए पार्किंग बे बनाए जाने की योजनाएं हैं।

### आमान परिवर्तन

**3434. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना में अपने हिस्से का भुगतान न किए जाने के कारण आमान परिवर्तन संबंधी रुके काम का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में कर्नाटक सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे बीजापुर-गंडग के आमान परिवर्तन कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक द्वारा 30 करोड़ रुपए जारी करने के बावजूद बीजापुर-गडग आमान परिवर्तन कार्य अभी तक पुन: शुरू नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस लाइन पर कार्य कब तक पुन: शुरू होगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना में अपने हिस्से का भुगतान न किए जाने के कारण किसी भी आमान परिवर्तन परियोजना का कार्य रुका नहीं है। बहरहाल, परियोजनाओं की प्रगति निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है और तदनुसार, परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

(ख) सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन परियोजना पर सोलापुर-होतगी-बीजापुर पहले ही पूरा हो चुका है। बीजापुर-बासावना

बागेवाडी के आमान परिवर्तन को 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शेष खंड में भी कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**एयरबेस का निर्माण**

**3435. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जोधपुर, राजस्थान के फलौदी में एयरबेस का निर्माण करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना भू-क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन हेतु 4266 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है।

(घ) यह अधिगृहीत भूमि राजस्थान के जोधपुर जिले में कुंडल तथा बेंक्ती गांवों के बीच में अवस्थित है।

*[अनुवाद]*

**स्वर्ण मंदिर को विरासत स्थल का दर्जा**

**3436. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर को विरासत स्थल का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूनेस्को द्वारा ऐसी मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित पूर्वमतों के अनुसार भारत और विदेशों में सिख धार्मिक समूहों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) जी, अभी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने श्री हरिमन्दिर साहिब को विश्वदाय स्थलों में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव विश्वदाय समिति को भेजा है।

(ख) और (ग) श्री हरिमन्दिर साहिब (स्वर्ण मन्दिर) का नामांकन डोजियर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस.जी.पी.सी.), सिक्ख इतिहासकारों, व्यावसायियों तथा धार्मिक प्रमुखों से परामर्श करके तैयार किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कोचीन में नया रेलवे स्टेशन**

**3437 श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट एक रेलवे स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) और (ख) नडूम्बबासरी में कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के नजदीक नए रेलवे स्टेशन की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की गई और परिचालनिक व्यावहार्यता और वाणिज्यिक दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

*[हिन्दी]*

**रायपुर मार्ग पर एयरबस ए-320**

**3438. श्री अजीत जोगी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रायपुर-दिल्ली-रायपुर और रायपुर-मुम्बई-रायपुर क्षेत्रों में बोइंग 737 विमान के स्थान पर एयरबस ए-320 शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस पहले ही मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-मुम्बई सैक्टर पर प्रतिदिन एक ए-320 उड़ान तथा दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में तीन दिन ए-320 उड़ानों का प्रचालन कर रही है। बोइंग 737 उड़ान केवल दिल्ली-रायपुर-दिल्ली सैक्टर पर प्रति सप्ताह चार दिनों के लिए प्रचालित की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**दलितों के मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति**

**3439 श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री तथागत सत्पथी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलितों के मामलों संबंधी मंत्रियों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने सभी राज्यों को किये गये वायदों को पूरा करने और दलितों के कल्याण और अधिकारिता संबंधी मौजूदा योजनाओं को कार्यान्वत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) जी, हां। यह समिति 24 फरवरी, 2005 को गठित की गई।

(ख) दलितों के मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति के उद्देश्यों और संरचना को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

**1. समिति का उद्देश्य:**

यह समिति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं, जो दलितों के कल्याण और विकास से संबंधित हैं, के प्रभावी एकीकरण (पूलिंग) और कार्यान्वयन का समेकित तरीके से निगरानी करेगी। यह मौजूदा योजनाओं में कमियों का पता लगाएगी और उन्हें समाप्त करने के लिए नए कार्यक्रम बनाने में सहायता करेगी।

**2. समिति की संरचना:**

1. श्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री
2. श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री
3. श्री शरद पवार, कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
4. श्री शिवराज वी. पाटील, गृह मंत्री
5. श्री राम विलास पासवान, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
6. श्री महावीर प्रसाद, लघु उद्योग मंत्री और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
7. श्री एच.आर. भारद्वाज, विधि और न्याय मंत्री
8. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री
9. श्री प्रियरंजन दास मुंशी, जल संसाधन मंत्री
10. श्रीमती मीरा कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
11. श्री के. चन्द्रशेखर राव, श्रम एवं रोजगार मंत्री
12. श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग
13. श्री सुरेश पचौरी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री

**बंगलौर से मध्यपूर्व देशों के लिए उड़ानें**

**3440. श्री एम. शिवन्ना:**
**श्री ए. वेंकटेश नायक:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ानों की मांग में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए बंगलौर से मध्यपूर्व देशों के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) एअर इंडिया बंगलौर से दुबई के लिए सप्ताह में तीन दिन उड़ानों का प्रचालन करती है तथा इंडियन एयरलाइंस बंगलौर से शारजाह तथा मस्कट के लिए प्रचालन करती है। बंगलौर, गल्फ एअर की उड़ानों के माध्यम से सप्ताह में दो दिन खाड़ी देशों से भी जुड़ा हुआ है। खाड़ी देशों के गंतव्यों के लिए और अधिक उड़ानें प्रचालित करने के लिए हमारे वाहकों को अधिकार प्राप्त है, तथापि, वास्तविक प्रचालन तथा सैक्टरों का चयन जैसे मामले उनके वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करते हैं।

**साइडिंग चार्जों में संशोधन न किए जाने के कारण हुआ घाटा**

**3441. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे को कोयला खानों की साइडिंग्स में मालडिब्बों को लगाने/हटाने में प्रयुक्त विद्युत इंजनों के संबंध में साइडिंग चार्ज न बढ़ाए जाने के कारण लगभग 32.86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इनमें से प्रत्येक कोयला खान से अभी तक वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मालडिब्बों को लगाने/हटाने में प्रयुक्त विद्युत इंजनों के लिए लागू होने वाली आल इंडिया ऑवर कोस्ट की दर क्या है और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कौन से शुल्क वसूले गए हैं; और

(घ) सरकार ने कोयला खानों से शेष धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिजली इंजनों के लिए अखिल भारतीय इंजन घंटों के दरों की लागत 6500 रु. है। रेलवे द्वारा दावा किए गए प्रभार ट्रिपटाइमिंग, इंजन घंटे लागत और साइडिंगों पर उपयोग किए गए इंजन की किस्म की लागत पर आधारित होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अनलौकिंग क्रास होल्डिंग्स**

**3442. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तीन तेल कंपनियों अर्थात् ओ.एन.जी.सी., इंडियन आयल और गैस की क्रास होल्डिंग्स को अनलौक करने के मुद्दे को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्ताव किसी मंत्री-समूह को नहीं भेजा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**लंबित रेल परियोजनाएं**

**3443. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अगले पांच वर्षों के भीतर सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 14 फरवरी, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं और लंबे समय से निधियों की प्रतीक्षारत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार का विचार किस तरह से इन परियोजनाओं में होने वाले व्यय को पूरा करने का है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (घ) बजट के अनुसार नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाएं योजना शीर्षों के अंतर्गत 4600 करोड़ रु. से अधिक थ्रो फारवर्ड वाले 240 चालू कार्य है। ये परियोजनाएं, 5 परियोजनाओं को छोड़कर जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है, धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है। सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकार की भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से निधियां, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बहुत से गैर-बजटीय उपाय किए गए हैं। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की घोषणा की गई है जिसमें 5 वर्षों में लगभग 20000 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। इन उपायों से, सभी चल रही परियोजनाओं को 5 वर्षों की अवधि में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। बहरहाल योजना के लिए निधियों की व्यवस्था अभी की जानी है। निधियों की व्यवस्था होने पर इन उपायों से सभी चल रही परियोजनाएं लगभग 5 वर्षों की अवधि में पूरी कर लिए जाने की संभावना है। चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*रेलवे की भाषा में लम्बित परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिन्हें बजट में इस प्रावधान के साथ शामिल की गई हैं कि इनका कार्य अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा। इस समय, 5 ऐसी लम्बित परियोजनाएं हैं। बजट 2004-05 में 240 चालू परियोजनाएं हैं जो वर्ष दर वर्ष आधार पर निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति के विभिन्न चरणों में है। इनमें लम्बित परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-*

| क्र.सं. | राज्य | कार्य की संख्या | पूरा किया गया | लम्बित परियोजनाओं सहित अधिशेष प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 27 | 7 | 20 |
| 2. | असम और पूर्वोत्तर राज्य | 12 | 2 | 10 |
| 3. | बिहार | 47 | 15 | 32 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 10 | 5 | 5 |
| 5. | दिल्ली | 4 | 0 | 4 |
| 6. | गुजरात | 14 | 5 | 9 |
| 7. | हरियाणा | 7 | 0 | 7 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3 | 0 | 3 |
| 9. | जम्मू-काश्मीर | 3 | 1 | 2 |
| 10. | झारखंड | 11 | 3 | 8 |
| 11. | कर्नाटक | 22 | 4 | 18 |
| 12. | केरल | 14 | 2 | 12 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 10 | 1 | 9 |
| 14. | महाराष्ट्र | 27 | 8 | 19 |
| 15. | उड़ीसा | 25 | 6 | 19 |
| 16. | पंजाब | 7 | 1 | 6 |
| 17. | राजस्थान | 15 | 4 | 11 |
| 18. | तमिलनाडु | 25 | 6 | 19 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 47 | 14 | 33 |
| 20. | उत्तरांचल | 3 | 1 | 2 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 45 | 15 | 30 |

नोट: एक से अधिक राज्य में पड़ने वाली परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में दर्शायी गयी है।

**विमानपत्तनों का सौन्दर्यीकरण**

**3444. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विमानपत्तनों के सौन्दर्यीकरण के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक सौन्दर्यीकृत विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी विमानपत्तनों को कब तक सुंदर बना दिया जायेगा?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) हवाईअड्डों का सौन्दर्यीकरण तथा यात्री सुविधाओं में सुधार का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह कार्य भूमि इत्यादि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 24 हवाईअड्डों की पहचान की है जहां टर्मिनल बिल्डिंग के एयर साइड तथा सिटी साइड पर कैनोपी बनाने, टायलट, टायलट फिक्चर्स, लाइटिंग, एयर सरकुलेशन, यात्री सुविधाओं इत्यादि का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार पार्क क्षेत्र तथा एप्रोच रोड सहित, टर्मिनल बिल्डिंग के एयर साइड तथा सिटी साइड पर बागवानी संबंधी कार्य के साथ-साथ हरित पट्टी के विकास का कार्य हाथ में लिया गया है।

(ग) जिन हवाईअड्डों की पहचान सौन्दर्यीकरण के लिए की गई है वे हैं:-दिल्ली, मुम्बई, गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बैंगलोर, अहमदाबाद, जम्मू, त्रिवेन्द्रम, कालीकट, गुवाहाटी, अगरतला, कोयम्बटूर, अमृतसर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर, रांची, चेन्नई, कोलकाता, पटना, पूणे तथा औरंगाबाद।

(घ) विभिन्न हवाईअड्डों पर अनेक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य वर्ष 2005-06 के दौरान पूरे होने की संभावना है।

**पुराने सवारी डिब्बों और इंजनों का उपयोग**

**3445. श्री रघुनाथ झा:**

**श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास बड़ी संख्या में ऐसे पुराने सवारी डिब्बे और इंजन हैं जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो पुराने सवारी डिब्बों और इंजनों को न हटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे ने इस संबंध में क्या उपाय किये हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी नहीं।

गतायु सवारी डिब्बों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर 31-3-2004 को यात्री वहन अभिकल्प के 31879 सवारी डिब्बों में से 298 गतायु ब.ला. सवारी डिब्बे थे। इन गतायु सवारी डिब्बों का वास्तव में यात्रियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय इनका उपयोग कैंप कोचों, स्टाफ वैनों और अन्य विभागीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा है।

1-4-2004 को लगभग 125190 गतायु बड़ी लाइन के इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई.एम.यू.) कोच भारतीय रेल पर कार्य कर रहे थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा आपर्ति किए गए बिजली उपस्करों में प्रारंभिक समस्याओं के कारण ए.सी./ डी.सी.ई.एम.यू. की उपलब्धता में विलंब के कारण इन्हें समाप्त नहीं किया गया है। बहरहाल उनके जीवन के अस्थायी विस्तार के दौरान उन्हें सुरक्षित रूप से चलाने के लिए विशेष मरम्मत के माध्यम से उनकी देखभाल की जाती है।

गतायु रेल इंजनों की संख्या भी काफी कम है। रेल इंजनों को आयु एवं हालात के आधार पर नकारा किया जाता है। आयु को ध्यान में रखे बिना सेवारत सभी रेल इंजनों को अच्छी हालात में रखा जाता है ताकि गाड़ी परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

**बांडेड ट्रकिंग**

**3446. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर कॉरपोरेशन ने एयर कार्गो हेतु बांडेड ट्रकिंग शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य शहरों से भी ऐसी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के अलावा अन्य शहरों से भी इस प्रकार की सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय कंटेनर कॉरपोरेशन इस प्रकार के एयर कार्गो के संचलन के लिए बांडेड ट्रकिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों और स्वदेशी कांटेनर डिपुओं (आई.सी.डी.) के सीमाशुल्क प्राधिकारियों से व्यवस्था कर रहा है।

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश में स्क्रैप डिपो**

**3447. श्री संतोष गंगवार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्क्रैप डिपों स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ग) जी नहीं। एक नया स्क्रैप डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध स्क्रैप डिपो संबंधित रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

*[अनुवाद]*

**विदेशों में अन्वेषण परियोजनाएं**

**3448. श्री जुएल ओराम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में आरम्भ की गई तेल और गैस के विकास, उत्पादन और अन्वेषण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्यरत तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना वार इन परियोजनाओं पर निवेशित धनराशि कितनी है; और

(घ) इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) से (ग) 2004-2005 के दौरान ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) ने सूडान, आस्ट्रेलिया, आईवरी कोस्ट और कतर में विदेशी ई एण्ड पी परियोजनाओं में भागीदारी हित अर्जित किया है। इस अवधि के दौरान ही ओ.वी.एल. और आई.पी.आर. के एक परिसंघ और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के परिसंघ को क्रमश: मिश्र और लीबिया, प्रत्येक में एक एक, अन्वेषण ब्लाक प्रदान किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मिश्र में ब्लाक-6 के मामले को छोड़कर अपेक्षित करार भारतीय कंपनियों द्वारा अपने अपने पक्षकारों के साथ किए गए हैं।

***विवरण***

*2004-05 के दौरान विदेशों में भारतीय तेल कंपनियों द्वारा अर्जित भागीदारी हित/उनको प्रदान किए गए ब्लाक।*

| परियोजना और देश का नाम | अन्य भागीदारों के ब्यौरे सहित भागीदारी हित | ओ.वी.एल. द्वारा योजित निवेश (अमरीकी डालर) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ब्लाक 5ए सूडान | ओ.वी.एल.-24.125%<br>पेट्रोनास-68.875% (प्रचालक)<br>सूडापेट-7% | लगभग 269 मिलियन अमरीकी डालर |
| ब्लाक 5बी सूडान | ओ.वी.एल.-23.5%<br>पेट्रोनास-41%<br>(प्रचालक) | लगभग 26 मिलियन अमरीकी डालर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | सूडापेट-11% | |
| | लण्डिन-24.5% | |
| ब्लाक डब्ल्यू.ए. 306 पी. | ओ.वी.एल.-55% | लगभग 7.2 मिलियन अमरीकी डालर |
| आस्ट्रेलिया | आंट्रिम एनर्जी इंक.-32.5% | |
| | प्रचालन कार्य सहित | |
| | मैगेलन-12.5% | |
| ब्लाक सी 1-112, आईवरी कोस्ट | ओ.वी.एल.-23.5% | लगभग 21.83 मिलियन अमरीकी डालर |
| | ओ.आई.एल.-11.5% | |
| | वांको-30% | |
| | प्रचालन कार्य सहित, | |
| | साइनोपक-30% | |
| | पेट्रोसी-5% | |
| नजवत नाजेम आयल स्ट्रक्चर | ओ.वी.एल.-100% | लगभग 15.5 मिलियन अमरीकी डालर |
| अपतट, कतर | (प्रचालक) | (न्यूनतम प्रतिबद्धता) |
| ब्लाक-6-उत्तरी रमादान, मिश्र | ओ.वी.एल.-70% | लगभग 14 मिलियन अमरीकी डालर |
| | आई.पी.आर.-30% | (न्यूनतम प्रतिबद्धता) |
| | (ओ.वी.एल. और आई.पी.आर. संयुक्त रूप से ब्लाक का विकास करेंगी और आई.पी.आर. अन्वेषण चरण के दौरान अग्रणी रहेगी) | |
| ब्लाक-86 लीबिया | आई.ओ.सी.-50% | 17 मिलियन अमरीकी डालर, अन्वेषण |
| | ओ.आई.एल.-50% | व्यय की न्यूनतम प्रतिबद्ध धनराशि |

*[हिन्दी]*

**रेल सेवाओं का समाप्त किया जाना**

**3449. श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री मो. ताहिर:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घाटे में चल रही रेलगाड़ियों की सेवाओं को समाप्त करने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 28 फरवरी, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रही ऐसी रेलगाड़ियों के लिए पहचाने गये रूटों का ब्यौरा क्या है और ये रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) ऐसे घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में मूल्यांकन करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन और उसके कार्यान्वयन के लिए कितने समय की आवश्यकता है; और

(च) वर्ष 2004-05 के दौरान समाप्त की गयी रेल सेवाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितना घाटा हुआ है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) से (ङ) भारतीय रेल पर यात्री यातायात के विश्लेषण में यह दिखाया गया है कि ऐसे कई मार्ग अथवा खंड हैं जिन पर गाड़ियों की बहुत मांग है। जबकि दूसरी ओर कई ऐसी गाड़ियां हैं, जो असुविधाजनक समय अथवा कम अंतरालों पर चलने वाली कई गाड़ियों के कारण अलोकप्रिय होने से नुकसान उठा रही है। इसलिए, कम लोकप्रियता वाली ऐसी गाड़ियों और जहां इनकी अधिक आवश्यकता है वहां इन्हें लगाने की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है। यह एक सतत् एवं चालू प्रक्रिया है।

(च) 9501/9502 राजकोट-भुज आनंद एक्सप्रेस और 2081/2082 अहमदाबाद-गांधीधाम जनशताब्दी एक्सप्रेस कम लोकप्रियता के कारण 2004-05 के दौरान बंद कर दी गई थी। रेलों द्वारा हानि का गाड़ी वार परिकलन नहीं किया जाता है।

**एल.पी.जी. की मांग और आपूर्ति**

**3450. श्री हेमलाल मुर्मू:**
**श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
**श्री प्रहलाद जोशी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यावसायिक घरेलू तथा निम्न आय समूह के एल.पी.जी. सिलेंडरों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रेणीवार इनकी राजसहायता प्राप्त दरें क्या थीं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 5 किलोग्राम के एल.पी.जी. सिलेंडरों की राज्यवार कुल कितनी बिक्री तथा विपणन हुआ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरों तथा उपभोक्ताओं के विरुद्ध राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम. सीज) द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अर्थात् घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी को की जा रही एल.पी.जी. की बिक्री संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर पर राजसहायता क्रमश: 115.63 रुपए, 67.75 रुपए और 45.17 रुपए थी। आगे वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान उपर्युक्त सरकारी राजसहायता के अतिरिक्त ओ.एम. सीज को लगभग क्रमश: प्रति सिलेंडर 62.27 रुपए और 89.54 रुपए की कम वसूली हुई थी।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में ओ.एम. सीज के वितरकों द्वारा घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के विपथन के प्रमाणित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ओ.एम. सीज ने अवैध प्रयोजनों के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

(i) फील्ड अधिकारियों को सलाह दी गई है कि एल.पी.जी. वितरकों/वाणिज्यिक स्थापनाओं की आकस्मिक जांच और निरीक्षणों को बढ़ाएं।

(ii) एल.पी.जी. वितरकों को आपूर्तियां ग्राहक संख्या और पिछले वर्ष में उसी माह की बिक्री पर आधारित उस बाजार की प्रति व्यक्ति खपत के अनुरूप विनियमित की जाती है।

(iii) राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने में सहायता दें।

(iv) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के दुरुपयोग के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है।

(v) दोषी वितरकों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*विवरण-I*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों को ओ.एम.सीज द्वारा एल.पी.जी. की बिक्री*

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

| वर्ष | घरेलू बिक्री | | वाणिज्यिक बिक्री | |
|---|---|---|---|---|
| | 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर | 5 कि.ग्रा. सिलेंडर | गैर-घरेलू सिलेंडर | थोक* |
| 2001-02 | 7,122 | 0 | 107 | 81 |
| 2002-03 | 7,736 | 1 | 142 | 263 |
| 2003-04 | 8,771 | 4 | 105 | 199 |

*आटो एल.पी.जी. छोड़कर

*विवरण-II*

| राज्य | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | - | - | 1 |
| हरियाणा | - | - | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | - | 1 | - |
| कर्नाटक | 2 | 1 | - |
| केरल | 2 | - | - |
| महाराष्ट्र | 9 | - | 2 |
| राजस्थान | 4 | - | - |
| तमिलनाडु | 9 | 4 | 5 |
| उत्तर प्रदेश | 4 | 1 | - |
| दिल्ली | 2 | - | 1 |
| पश्चिम बंगाल | - | - | 1 |
| योग | 32 | 7 | 11 |

अप्रैल-दिसम्बर, 2004 की अवधि में ओ.एम.सीज ने देश में विपथन के 268 मामलों का पता लगाया है।

**"स्क्रैप" की बिक्री**

**3451. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान "स्क्रैप" की बिक्री से रेलवे द्वारा जोन-वार कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) रेलवे द्वारा "स्क्रैप" की बिक्री हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ग) क्या सरकार को "स्क्रैप" की बिक्री के बारे में किसी अनियमितता की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ङ) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा स्क्रैप की बिक्री से अर्जित राशि (क्षेत्र वार) नीचे दी गई है:-

| रेलवे | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मध्य | 192.95 | 96.13 | 60.97 |
| पूर्व | 118.23 | 129.70 | 98.02 |
| उत्तर | 170.51 | 168.24 | 93.26 |
| पूर्वोत्तर | 44.28 | 30.74 | 19.16 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 15.92 | 35.37 | 10.86 |
| दक्षिण | 103.25 | 116.22 | 97.04 |
| दक्षिण मध्य | 104.53 | 124.08 | 74.75 |
| दक्षिण पूर्व | 192.00 | 86.77 | 64.14 |
| पश्चिम | 83.85 | 84.83 | 49.65 |
| उत्तर पश्चिम | 40.11 | 68.22 | 26.99 |
| पूर्व तट | * | 42.16 | 19.60 |
| उत्तर मध्य | * | 91.10 | 92.03 |
| पूर्व मध्य | * | 40.25 | 38.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| दक्षिण पूर्व मध्य | * | 47.32 | 29.95 |
| दक्षिण पश्चिम | * | 21.10 | 11.82 |
| पश्चिम मध्य | * | 82.96 | 54.40 |
| सभी उत्पादन इकाईयां | 45.23 | 49.31 | 32.63 |
| कुल | 1110.86 | 1314.50 | 873.88 |

*टिप्पणी: नई रेलों ने 1-4-2003 से स्क्रैप का निपटान करना शुरू किया है।

(ख) स्क्रैप की बिक्री सार्वजनिक निविदा के लिए विज्ञापन के माध्यम से की जाती है। स्क्रैप के निपटान के लिए निर्धारित तिथियों का समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। कोई भी संभावित बोलीदाता हिस्सा ले सकता है।

(ग) से (ङ) रेलवे स्क्रैप की बिक्री के संबंध में निवारक जांच करती है और प्राप्त शिकायतों की जांच भी करती है। नोटिस में आई अनियमितताओं को समुचित तरीके से दूर किया जाता है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के अंतर्गत कार्रवाई सहित मौजूदा नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है। उपलब्ध सूचना के आधार पर इस अवधि के दौरान 21 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

*[अनुवाद]*

**गेल द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाया जाना**

**3452. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने लगभग 4500 करोड़ रुपये का निवेश करके गैस आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाइपलाइन कौन-कौन से स्थानों पर बिछाई जानी है; और

(ग) इतने भारी निवेश के लिए धनराशि किस प्रकार संग्रहित किए जाने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** (क) और (ख) गेल इंडिया लिमिटेड का गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के प्रति वर्ष 2005-06 के लिए योजनागत पूंजीगत व्यय के रूप में 3124 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में दाहेज-उरण पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, विजयपुर-कोटा पाइपलाइन, दादरी-पानीपत पाइपलाइन, थुलेंडी-फूलपुर पाइपलाइन आदि सम्मिलित हैं।

(ग) परियोजना का व्यय गेल द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों और बाहरी उधारों से पूरा किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य**

**3453. श्री अजीत जोगी:**
**श्री गणेश सिंह:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल मंत्रालय ने माननीय सदस्यों के रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु प्रतिनिधियों के नाम भेजने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन सदस्यों के नाम भेजे गए उनका नामांकन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसा विचार है कि एक लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक सदस्य नामांकित करने की मांग अनुचित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डी.आर.यू.सी.सी./ जेड.आर.यू.सी.सी. में नामांकित होने वाले सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां, रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के उपबंधों के अनुसार, अपने निर्वाचन क्षेत्र को सेवित कर रहे प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों (डी.आर.यू.सी.सी.) के प्रत्येक माननीय संसद सदस्य/लोकसभा के एक मनोनीत सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी प्रकार, माननीय संसद सदस्य/ राज्य सभा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) के अंतर्गत स्वयं द्वारा चयनित जिले में

प्रत्येक डी.आर.यू.सी.सी. में एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तदनुसार, माननीय संसद सदस्य से संबंधित डी.आर.यू.सी.सी. में नामांकन के लिए नामितों के नाम (निर्धारित प्रोफार्मा में) सुझाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) डी.आर.यू.सी.सी. में नामांकन के लिए माननीय संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त नाम संबंधित क्षेत्रीय रेलों को नामांकन हेतु सूचित कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) माननीय संसद सदस्य/लोकसभा, यदि उसके निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक डिवीजन हैं, तो वह प्रत्येक डी.आर.यू.सी.सी. में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इस समय एक से अधिक सदस्यों को नामित करना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इससे इन समितियों में भारी संख्या में सदस्यों को नामित करना पड़ेगा।

**सैन्य कर्मियों द्वारा गुप्त सूचनाएं देना**

**3454. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने में संलिप्त सैन्य कर्मियों की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सेना की गोपनीय जानकारी को दूसरों को देने के संबंध में गिरफ्तार किए गए सैन्य कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गोपनीय सूचना दूसरों को देने में संलिप्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सैन्य-कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:-

| वर्ष | संख्या |
|---|---|
| 2002 | 21 |
| 2003 | 04 |
| 2004 | शून्य |
| 2005 (18 मार्च तक) | शून्य |

(ग) गिरफ्तार किए गए कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

| की गई कार्रवाई | संख्या |
|---|---|
| सेवा से बरखास्त | 11 |
| दण्डित किया गया | 01 |
| अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई | 1 |
| सिविल कोर्ट में मामले | 03 |

*[अनुवाद]*

**वारांगल किले का संरक्षण**

**3455. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक वारांगल किले के संरक्षण और परिरक्षण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य आरंभ हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) जी, हां। वारंगल किला के संरक्षण तथा विकास के लिए इंडियन ऑयल फाउंडेशन ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। तथापि, परियोजना के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**भाड़ा प्रभार में वृद्धि**

**3456. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में रेलवे की आय में समग्र रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने पिछले वर्ष के नौ महीनों में प्राप्त आय से 2470 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट में प्रावधान किया था;

(ग) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 2004 के दौरान रेलवे ने गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31 मिलियन टन ज्यादा माल का लदान किया था तथा वह उस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक था;

(घ) यदि हां, तो रेलवे के भाड़ा प्रभार में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान भाड़ा प्रभार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** (क) जी हां।

(ख) रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में 33900 करोड़ रु. अर्जित किए हैं, जो उस अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 1089 करोड़ रु. अधिक है और विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की आमदनी की तुलना में 2597 करोड़ रु. अधिक है।

(ग) जी हां।

(घ) 2004-05 के लिए माल लदान के लक्ष्य को 580 मिलियन टन से संशोधित करके 600 मिलियन टन कर दिया गया है और माल आमदनी का लक्ष्य 28745 करोड़ रु. से संशोधित करके 30450 करोड़ रु. कर दिया गया है, जिससे बजटीय लक्ष्य की तुलना में 1705 करोड़ रु. की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) वर्धमान उत्पादकता और कुशलता के जरिए यातायात के थ्रूपुट में अधिक सुधार करके 2005-06 के दौरान बेहतर माल लदान और आमदनी हासिल होगी।

**डी.टी.एच. सेवा के लिए आशय पत्र**

**3457. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
**श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) हेतु स्पेस टी.वी. को आशय पत्र के बारे में 2 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेस टी.वी. लिमिटेड डी.टी.एच. के आवेदन पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इससे संबंधित आशय पत्र को जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.टी.एच. आवेदनों के संबंध में कार्यवाही शुरू होने में विलम्ब के कारण आवेदकों को राजस्व घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब से प्रतिमाह अनुमानित कितना घाटा हो रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा डी.टी.एच. दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** (क) और (ख) मैसर्स स्पेस टी.वी. लिमिटेड के आवेदन की इस समय आर्थिक और कंपनी कार्य विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) आवेदकों द्वारा डी.टी.एच. दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के सुनिश्चियन के पश्चात् ही आशय पत्र जारी किया जाता है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[हिन्दी]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):** अध्यक्ष महोदय, श्री शरद पवार की ओर से, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1870/2005]

*[अनुवाद]*

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1871/2005]**

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

(2) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1872/2005]

(4) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1873/2005]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)**: महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 की तीसरी तिमाही के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझानों की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1874/2005]

**जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया)**: महोदय, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1875/2005]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)**: महोदय, मैं पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1876/2005]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार)**: महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1877/2005]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)**: महोदय, मैं भारी, उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1878/2005]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कलकत्ता की भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कलकत्ता की भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1879/2005]

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)**: महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1880/2005]

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1881/2005]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 'भारत में रेलवे के 150 वर्ष' पर ढाले गए सौ रुपए (जिसमें चांदी 50 प्रतिशत, तांबा 40 प्रतिशत, निकिल 5 प्रतिशत तथा जस्ता 5 प्रतिशत है) तथा दो रुपए (जिसमें तांबा 75 प्रतिशत तथा निकिल 25 प्रतिशत है) का सिक्का निर्माण (स्मारक सिक्कों का मानक भार तथा सुधार) (संशोधन) नियम, 2004 जो 24 नवंबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 'वीर दुर्गादास' के सम्मान में ढाले गए सौ रुपए (जिसमें चांदी 50 प्रतिशत, तांबा 40 प्रतिशत, निकिल 5 प्रतिशत तथा जस्ता 5 प्रतिशत है), दस रुपए (जिसमें तांबा 75 प्रतिशत तथा निकिल 25 प्रतिशत है) और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का एक रुपए (जिसमें लोहा 82 प्रतिशत तथा क्रोमियम 18 प्रतिशत है) का सिक्का निर्माण (स्मारक सिक्कों का मानक भार तथा सुधार) (संशोधन) नियम, 2004 जो 14 नवंबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 764(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1882/2005]

(2) संसद, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति सचिवालयों की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1883/2005]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजिकली हैंडिकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजिकली हैंडिकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1884/2005]

(3) संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अंतर्गत, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के जुलाई 2002 से जून 2003 तक की अवधि के 41वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1885/2005]

(5) (एक) (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1886/2005]

[श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन]

(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1887/2005]

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली द्वारा, वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1888/2005]

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## राज्य सभा से संदेश

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 23 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई"

---

**अपराह्न 12.02 ½ बजे**

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
## तीसरा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचंद पाल** (हुगली): महोदय, मैं 'पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-किशनपुर-मोगा पारेषण प्रणाली के निर्माण में अतिरिक्त व्यय -433.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.02 ¾ बजे**

## कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति
## चौथा प्रतिवेदन

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

## वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी आप इसे सभा पर रख सकते हैं।

**सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस):** महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73 ए के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुदान हेतु मांग की जांच कर अपनी रिपोर्ट 20 अगस्त, 2004 को लोक सभा और राज्य सभा को सौंपी थी। रिपोर्ट में 8 सिफारिशें थीं। उक्त समिति की सिफारिशें निम्नांकित से संबद्ध हैं:

(i) केवल उन स्कीमों/परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रावधान करना जो या तो शुरू कर दी गई हैं या फिर उस वर्ष विशेष के दौरान शुरू की जाने वाली हैं,

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मंत्रालय के अनुदान हेतु मांग में एक अलग शीर्ष आरंभ करना,

*सभा पटल पर रखा गया।

(iii) प्रशासनिक आदेश के बदले विधेयक द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना,

(iv) आंकड़ा संग्रहण अधिनियम में संशोधन जिससे आंकड़ा संग्रहण के संबंध में मंत्रालय को और अधिक अधिकार प्राप्त हो सकेंगे,

(v) "भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण" स्कीम के टीयर-1 का द्रुत गति से कार्यान्वयन,

(vi) उन विभिन्न कारकों का पता लगाना जिनके कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है और उनका प्राथमिकता के आधार पर प्रभावकारी ढंग से समाधान करना,

(vii) संशोधित अनुमान स्तर पर केन्द्रीय प्रशिक्षण सुविधा (के.प्र.सु.) के निर्माण के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत आबंटन का संशोधन ताकि संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर को न्यूनतम किया जा सके।

(viii) योजना स्कीमों और बजटीय आबंटन की योजना बनाने से पहले स्कीमों के लाभ एवं हानि का वास्तविक मूल्यांकन।

मंत्रालय में समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है और कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है। दो नयी स्कीमें अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना का टीयर-1 और पंचम आर्थिक गणना जिसके लिए चालू वर्ष 2004-05 के दौरान निधियों का प्रावधान किया गया था, वर्ष के दौरान चालू हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के लिए अलग बजट शीर्ष वर्ष 2005-06 की अनुदानों की मांग में आरंभ किया गया है। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम में संशोधन संबंधी मसौदे को विधि मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण के लिए "मुख्य कार्यों" के अंतर्गत बजट आबंटन का वास्तविक रूप से मूल्यांकन किया गया एवं बजट अनुमान 2004-05 के 8.86 करोड़ रुपये को संशोधित अनुमान 2004-05 के 25 लाख रुपये के रूप में संशोधित किया गया।

मंत्रालय द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणी (कृ.का.टि.) वित्त संबंधी स्थायी समिति को अक्तूबर, 2004 में अग्रेषित की गई। अपनी आठवीं रिपोर्ट में, समिति ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित करने संबंधी तथा योजना स्कीम "भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण" के क्रियान्वयन संबंधी सिफारिशों को छोड़कर अन्य सभी सिफारिशों पर कृत कार्रवाई टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है। सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय आयोग की शीघ्र स्थापना के लिए मंत्रालय ने आरंभ में एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उसके बाद, आयोग स्वयं संविधि आधार पर एक आयोग की स्थापना के लिए उपयुक्त कानून बनाएगा। उपरोक्त के आधार पर, एक कैबिनेट नोट का प्रारूप तैयार किया गया है तथा इसे अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श किया जा रहा है। योजना स्कीम "भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण" जिसके बाद में "भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना" का नाम दिया गया है, को टीयर-1 में पांच घटकों के साथ आरंभ कर दिया गया है। उपरोक्त दो बिन्दुओं संबंधी कृत कार्रवाई टिप्पणी को भी वित्त संबंधी स्थायी समिति को अग्रेषित कर दिया गया है।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने में हुए अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब हम मद संख्या 16 - ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, मैं माननीय इस्पात मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

> "इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने में हुए अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

*[हिन्दी]*

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य और गुरुदास दासगुप्त, संसद सदस्यों द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) का विलय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में करने में हो रहे असाधारण विलम्ब से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है। मैं सदन के सामने निम्नलिखित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा:

[श्री रामविलास पासवान]

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी "इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को)" को 1918 में निगमित किया गया था। वर्ष 1952 में विलयन संबंधी कई बार विचार-विमर्शों के पश्चात् इस्को बर्नपुर में इसकी इस्पात उत्पादक इकाई, गोवा और चिरैया में निजी लौह अयस्क खानों, चासनाला, जीतपुर और रामनागौर में कोयला खानों, कुल्टी में एक निजी फाउंड्री और पाइप निर्माण संयंत्र तथा विपणन संगठन के साथ एक शीर्ष एकीकृत इस्पात कम्पनी बन गई। भारत सरकार ने 1972 में इस कम्पनी के प्रबन्धन का तथा 1976 में इस्को के शेयरों का अधिग्रहण किया। वर्ष 1978-79 में इस्को के शेयर सेल को अन्तरित कर दिए गए थे और इस्को सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी बन गई थी।

प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, संयंत्र और उपकरण के पुरानेपन, पुरानी प्रौद्योगिकी, आवश्यक पूंजी आदान के अभाव आदि के कारण इस्को कई वर्षों से हानि उठाती रही है। यद्यपि, इस्को के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रस्ताव तैयार किये गये थे, किन्तु निधियों के अभाव के कारण कोई भी योजना शुरू नहीं की जा सकी।

रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप जून, 1994 में इस्को को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सौंप दिया गया था और अगस्त, 1994 में इसे एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया था। इस्को के पुनरुद्धार के लिये कई योजनाओं की परिकल्पना की गई थी किन्तु किसी को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

भारत सरकार ने सेल के लिये फरवरी, 2000 में एक वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन पैकेज अनुमोदित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार इस्को को सेल/भारत सरकार के द्वारा 1946.17 करोड़ रुपये के ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव किया गया था और भारत सरकार ने कम शेयर धारिता वाली सेल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इस्को के परिवर्तन का अनुमोदन किया था। तथापि, ये प्रयास सफल नहीं हो सके।

भारत सरकार ने जून, 2002 में इस्को के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इसके आधार पर इस्को सेल ने इस्को के पुनरुद्धार के लिये एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया, जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई.डी.बी.आई.) को प्रस्तुत किया था। बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 20-11-2003 को इस्को के लिये एक पुनरुद्धार योजना मंजूर की, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र एवं उपस्करों और आवश्यक पूंजीगत निवेश के अभाव के चलते इस्को को हानि हुई है। तथापि, कंपनी ने 2003-04 से लाभ कमाना शुरू किया है (27.00 करोड़ रुपये) और 2004-05 के पहले नौ महीने में लगभग 125.00 करोड़ रुपये का अनंतिम लाभ अर्जित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार इस्को की संचित हानि 955.00 करोड़ रुपए है और ऋणात्मक निवल मूल्य 620.00 करोड़ रुपए है।

पुनर्संरचना पैकेज के कार्यान्वयन और बेहतर बाजार परिस्थितियों के परिणामस्वरूप सेल ने वर्ष 2003-04 में अब तक का सर्वाधिक 2512 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पश्चात्) अर्जित किया है। 2004-05 के प्रथम 9 माह के दौरान सेल ने अब तक सर्वाधिक 4139 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पश्चात्) अर्जित किया है।

इस्को के निष्पादन में और सुधार करने के लिये संयंत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना आवश्यक है। इस्को की वर्तमान स्थिति इसके अनुकूल नहीं है। विलयन किये जाने से इस्को का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। विलयन किये जाने पर इस्को के उपलब्ध कच्चे माल के संसाधनों का इस्को और सेल, दोनों के द्वारा इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। सेल की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमताओं तथा इस्को की खानों/कोयला खदानों, बड़े पैमाने पर उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं और अच्छी कार्य संस्कृति तथा उपलब्ध क्षमता का उपयोग करते हुये सेल और इस्को बेहतर तरीके से क्षमता का विस्तार और संयंत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन कर सकते हैं। अतः प्रस्तावित विलयन से सेल और इस्को, दोनों को लाभ होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार भी इस्को को दी जाने वाली राहतें और रियायतें विलयन के बाद भी सेल को देने पर सहमत हो गई है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस्को के पुनरुद्धार के लिये अनुमोदित पैकेज में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस्को को दी जाने वाली रियायतों का लाभ लगभग 315.24 करोड़ रुपये था।

मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है और प्रस्ताव है कि इस्को का सेल में विलयन कर दिया जाये। सेल बोर्ड

और इस्को बोर्ड ने इस्को के सेल में विलयन किये जाने का सिद्धांततः अनुमोदन कर दिया है। इस समय, सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात का उत्पादन करने वाली हमारे देश की एक प्रमुख इकाई है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान:** आप इस बात का धन्यवाद तो दीजिये क्योंकि आपकी बात मान ली गई है।

**श्री बसुदेव आचार्य:** उसके लिये मैं बाद में कहूंगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको यह अध्यक्षपीठ से प्राप्त होगा।

**श्री बसुदेव आचार्य:** संभवतः, यह हमारे देश में पहला इस्पात का उत्पादन करने वाला उद्योग है। जब इस उद्योग को बंद किया गया था इसे भारत सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया था। तत्पश्चात् वर्ष 1978 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इस्को के शेयर सेल को हस्तांतरिते किये गये।

लेकिन जब इस्को भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सहायक कंपनी बनी, इस्को के पुनरुद्धार के लिए, पुरानी और घिसी हुई मशीनों के नवीकरण के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया गया। इसके बावजूद, इस्को ने वर्ष 2003-04 में 27 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। इस वर्ष, जैसा कि माननीय इस्पात मंत्री ने कहा, 2004-05 के दौरान, इस्को द्वारा लगभग 127 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किये जाने की संभावना है।

बी.आई.एफ.आर. अपना अंतिम निर्णय दे चुका है और भारत सरकार भी बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पैकेज के लिए सहमत हो चुकी है। यह कार्य एक वर्ष से पूर्व ही कर लिया गया था। जून माह में, इस्पात मंत्री, श्री रामविलास पासवान जी ने बर्नपुर का दौरा किया था। उन्होंने इस्पात मंत्री बनने के पश्चात् लगभग सभी संयंत्रों का दौरा किया था। बर्नपुर में अपने दौरे के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार इस्को के भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ विलय पर गंभीरता से विचार करेगी। यह सभी श्रमिकों और पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग है कि इस्को का भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ विलय किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** वह सहमत हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** लेकिन महोदय, इसे तत्काल किया जाना चाहिए। इस्पात बाजार में उछाल आ रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस वर्ष 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है।

**अध्यक्ष महोदय:** इसलिए, इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछिए।

**श्री बसुदेव आचार्य:** अब मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

महोदय, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, भद्रावती भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कंपनियों में से एक थी। इसका बहुत पहले वर्ष 1996 में उस समय विलय किया गया था जब संयुक्त मोर्चा सरकार केन्द्र में थी। उस सरकार ने इसका इस्को के साथ विलय करने का निर्णय लिया था।

इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि जब, सिद्धांततः, इस्पात मंत्रालय इस्को का सेल के साथ विलय करने के लिए सहमत हो गया है तो इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है। कुछ समय सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक मंत्रिमंडल इस विलय को अंतिम रूप और स्वीकृति नहीं देगा तो इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा।

**अध्यक्ष महोदय:** सभा में पहले ही वक्तव्य दिया जा चुका है और मेरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल यह कार्य करेगा।

**श्री बसुदेव आचार्य:** उन्होंने यह कहा है कि 'प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।' मुझे अपने पत्र के उत्तर में दिनांक 14 मार्च का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि 'यह सरकार के विचाराधीन है'। यह संभवतः दिनांक 30 सितम्बर को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मिले थे। मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में मौजूद था और जहां तक मुझे याद है, वहां भी उन्होंने यह घोषणा की थी कि सरकार इस्को का भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ विलय करने का निर्णय ले चुकी है। फिर इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है? दूसरी समस्या यह है कि...

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं

कि, 'गंभीर विचार' से तात्पर्य यह है कि इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, ऋण और देनदारियों के अलावा 965 करोड़ रुपये का संचित घाटा है। भद्रावती इस्पात संयंत्र के मामले में, जब विलय को कार्यान्वित किया गया था तब कोई देनदारी नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह

[श्री बसुदेव आचार्य]

जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में भी, इस्को का सेल के साथ विलय इसी प्रकार से किया जायेगा।

एक बात और है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी न केवल आदर्श स्थान पर स्थित है वरन् इसकी अपनी रक्षित कोयला खानें भी हैं और इसकी अपनी कोयला धोवनशालाएं हैं।

सबसे बढ़िया दर्जे के कोयला का उत्पादन चैसनाला स्थित इस्को की धावनशाला में होता है। यह चिरिया में एक रक्षित लौह-अयस्क खान है। सबसे बढ़िया दर्जे का लौह-अयस्क चिरिया खान में उपलब्ध है। किंतु झारखंड सरकार ने काफी लंबे समय से चल रहे करार का नवीकरण करने से इंकार कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे विश्वास है कि वह इन सब बातों पर ध्यान देगी।

**श्री बसुदेव आचार्य:** मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि - यह एक प्रमुख खनिज है - क्या राज्य सरकार के पास यह कहने की कोई शक्ति या प्राधिकार है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में लौह अयस्क या कोयला ले जाने की अनुमति नहीं देगी। इससे न केवल 'इस्को' अपितु समस्त इस्पात उद्योग प्रभावित होगा। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बारे में झारखंड सरकार से बात करेगी ताकि चिरिया लौह अयस्क खानों के बारे में हुए करार के नवीकरण के संबंध में कोई कठिनाई न आए।

मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह न केवल कामगारों के हित में अपितु पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में तथा दक्षिणी बंगाल की अर्थव्यवस्था जो 'इस्को' पर निर्भर है क्योंकि यहां पर 15,000 कामगार कार्यारत हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 3,000 ठेका मजदूर हैं जो जिनमें से अधिकांशत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं, पर न केवल सक्रिय रूप से विचार करे अपितु 'इस्को' के 'सेल' के साथ विलय के संबंध में भी तत्काल निर्णय ले।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के इरादे पर शक नहीं है और शक करना भी नहीं चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि इस पर सक्रिय रूप से विचार चल रहा है। कृपया नाराज न हों। 'इस्को' के पुनरूद्धार के प्रश्न पर गत 10 वर्षों से इस सभा में और दूसरी सभा में चर्चा चल रही है और एक के बाद दूसरे मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि ऐसा किया जाएगा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा। यहां तक कि पुनरूद्धार हेतु धनराशि लगाने के लिए साझेदारों का भी चयन कर लिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप, इस्को का घाटा वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहा।

माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में कई खामियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये खामियां काफी गंभीर हैं किंतु इसमें खामियां हैं क्योंकि मूल प्रश्न विलय का है। सरकार ने अभी इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया है क्योंकि विलय के निर्णय में कुछ प्रश्न निहित हैं : सरकार के पैसे का क्या होगा? क्या वित्त मंत्रालय इससे सहमत है? यह केवल इस्पात मंत्रालय पर ही निर्भर नहीं है; मंत्रालय को इस्पात विकास कोष से धनराशि मिल सकती है, किंतु यह वित्त मंत्रालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

*[हिन्दी]*

क्या माननीय मंत्री जी आपकी इस बारे में वित्त मंत्री जी से कोई बात हुई है? क्या वित्त मंत्री जी आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं?

*[अनुवाद]*

वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना यदि वे सभा में ऐसा कोई वक्तव्य देते हैं कि ऐसा किया जाएगा और इस पर सक्रिय रूप से विचार चल रहा है आदि; तो मुझे यह लगता है - मैं इसे अवास्तविक तो नहीं कहूंगा - किंतु यह अनिश्चित है। अत: यदि अनिश्चितता बनी रहती है तो 'इस्को' का पुनरुद्धार नहीं होगा। उनसे यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न बैंक ऋण के बारे में है? काफी मात्रा में बैंक ऋण उपलब्ध है। क्या इस्पात मंत्रालय बैंकों और मंत्रालय से पहली बार में समाधान होने पर छूट प्राप्त करने हेतु संपर्क करेगा जैसा कि बैंक अन्य कंपनियों के मामले में प्राय: करते हैं? क्या ऐसा किया गया है?

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या 'सेल' ने निवेश हेतु कोई योजना बनाई है? केवल बोर्ड सहमत हुआ है। यह पर्याप्त नहीं है। वे कितनी राशि लगाने जा रहे हैं, पुनरूद्धार पैकेज कैसा है और क्या इस्पात मंत्रालय ने 'सेल' के साथ मिलकर पुनरूद्धार पैकेज का तकनीकी मूल्यांकन किया है? इन कार्यप्रणालियों के बिना मंत्री जी का पक्षपातपूर्ण वक्तव्य कार्य पूरा हुए बिना वादे के समान है।

मेरा चौथा प्रश्न है - मंत्री जी बर्नपुर का पुनरूद्धार कर रहे हैं। कुलटी के बारे में उनका क्या कहना है? कुलटी आई.एस.सी.ओ. का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय ने कुलटी को बंद कर दिया और वहां पर उत्पादन रोक दिया। यहां तक कि कर्मचारियों के क्वार्टरों में पानी या बिजली तक नहीं है। उन्होंने कुलटी को संकट में छोड़ दिया है और वे कुलटी की कीमत पर बर्नपुर के प्रलोभन में आ गए हैं, बर्नपुर का पुनरूद्धार किया जाएगा। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में कुलटी के भविष्य, उसके कर्मचारियों और पुनरूद्धार के बारे में एक भी वाक्य नहीं कहा गया है।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना काम कर दिया है। वह रियायत देने पर सहमत हो गई है। किंतु भारत सरकार ने क्या किया? उसे पश्चिम बंगाल सरकार का पूर्व अनुमोदन मिल गया है। आप आश्वासन देने की बजाय आप अनावश्यक बात कर रहे हैं क्योंकि नोडल एजेंसी पश्चिम बंगाल सरकार नहीं, भारत सरकार है। अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने वक्तव्य का अक्षरशः पालन करें और इस सभा को यह आश्वासन दें कि इन खामियों विशेषकर वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सर्वाधिक कठिन कठिनाई को किस समय सीमा के भीतर सुलझा लिया जाएगा। पुनरूद्धार कार्यक्रम का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करने में कितना समय लगेगा? 'सेल' धनराशि के बारे में क्या करने जा रही है? उसमें कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

**अध्यक्ष महोदय:** आपने पहले भी यह कहा है।

**श्री गुरूदास दासगुप्त:** उत्तरवर्ती सरकारों ने भी हमें सदैव आश्वासन दिया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और वर्तमान भारी उद्योग मंत्री यहां पर नहीं हैं। उन्होंने मजदूर संघों के साथ एक बैठक की है। उन्होंने एक योजना बनाई है। महोदय, आप भी वहां पर थे। किंतु, वह नहीं किया गया। अतः हम यह कहना चाहते हैं,

*[हिन्दी]*

भाषण बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन परफॉरमेंस के बारे में क्या होगा? मेहरबानी कर के हाउस को बताइए, नहीं तो,

*[अनुवाद]*

आपने जो वक्तव्य दिया है उसे मामूली ही समझा जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री शैलेन्द्र कुमार, आप केवल प्रश्न पूछें। कृपया भाषण न दें। आपने समय पर सूचना नहीं दी है।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): अध्यक्ष महोदय, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) का स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने में हुए अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य और माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने यहां प्रश्न किए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के पास यह मामला बहुत समय से विचाराधीन है और इसमें इतने विलंब के क्या कारण हैं? दूसरी बात यह है कि मजदूरों के हित में वे क्या सोच रहे हैं? आज मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। क्या उन्हें अन्य जगह रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे?

**श्री रामविलास पासवान:** माननीय अध्यक्ष महोदय, 'इस्को' का मामला काफी समय से लटका हुआ था। अभी हमारे साथी ने जैसा कहा कि हम लोग मई, 2004 में सरकार में आए हैं और मेरे सरकार में आने के बाद, मैंने सबसे पहला काम किया कि देश के जितने भी स्टील के प्लांट हैं उन सबका विद्यार्थी के तौर पर दौरा किया और जानने की कोशिश की कि कहां किस प्रकार की कठिनाई है। उसी दरमियान जून में जब मैं बर्नपुर गया, तो मैंने वहां की स्थिति देखी। मैंने पाया कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है, रॉ-मटीरियल है और माइन्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास फंड्स की कमी है। 'सेल' को नई सरकार आने के बाद काफी मुनाफा हुआ और उसका मुनाफा आगे और भी बढ़ रहा है। मैंने उसी समय कहा था कि मजदूरों के हित में, देश के हित में और प्रदेश के हित में हमें 'इस्को' का 'सेल' में मर्जर स्वीकार्य है।

जून आने के बाद बातचीत चल रही थी कि प्राइवेट सैक्टर को दिया जाए - यह किया जाए, वह किया जाए - जिससे मैं चिन्तित हो गया। तब मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी से बात की। मैं 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल चला गया और वहां के मुख्य मंत्री जी से बात की। वहां श्री बसुदेव आचार्य जी थे तथा और भी हमारे साथी थे, सेल के चेयरमैन और अधिकारी भी थे। मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, 15 मिनट के अंदर सारी बात की। मैं नहीं समझता हूं कि किसी मंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में इतनी संक्षिप्त, शोर्ट वार्ता हुई होगी। मैंने 15 गिनट के अंदर उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका मर्जर हो जाए। आपकी जो शर्त एवं कंडीशन है, उसे आप लगाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं तैयार हूं। तब मैंने उसी समय कहा कि इस चेप्टर को क्लोज कीजिए, हम

[श्री रामविलास पासवान]

लोग केन्द्र में जाकर कार्यवाही करेंगे। चीफ मिनिस्टर तथा हमने प्रैस वालों के सामने आकर घोषणा कर दी कि हम सैद्धांतिक रूप से मर्जर के पक्ष में हैं और इस पर कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद जून आने के बाद, मैंने तुरंत सेल और इस्को के बोर्ड को आदेश दिया। आपको मालूम है कि इस तरह की फोरमेलिटीज अदा करनी ही पड़ती हैं।

महोदय, मैंने उन्हें कहा कि आप अपने बोर्ड से मर्जर के प्रस्ताव को पास कराएं। हम जून में बर्नपुर गए थे, 31 अगस्त को मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई और अगस्त के बाद, 27 सितम्बर को पहली इस्को के बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति व्यक्त कर दी गई। अगले दिन 28 सितम्बर को सेल ने अपने बोर्ड में मर्जर के प्रस्ताव को पास कर दिया। उसके बाद अक्तूबर में हमारे पास प्रस्ताव आया और उसके बाद मर्जर का प्रस्ताव मंत्रालय में आया। मंत्रालय में आने के बाद आप जानते हैं कि थोड़ा-बहुत कर्मचारियों का इंटरैस्ट होता है, पैसे का मामला था, कि पैसा कौन दे, कौन नहीं दे। फिर हम झमेले में नहीं जाना चाहते थे। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएं या कहीं और जाएं, इन सारी चीजों को हमने अपने आप देखने का काम किया और देखने के बाद निर्णय लिया कि हम इसे केबिनेट में भेजेंगे, इस प्रस्ताव को रिकमेंडेशन के साथ कैबिनेट भेजेंगे। आप जानते हैं कि केबिनेट में भेजने से पहले विभिन्न संबंधित मंत्रालय और जो मिनिस्ट्रीस होती हैं, उनसे सहमति लेनी पड़ती है या टिप्पणी करनी पड़ती है कि उनकी क्या राय है। उसके लिए विभिन्न मंत्रालयों को हमने उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया। हमें लगता है कि जल्दी ही यह काम हो जाएगा। हम विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क में लगे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो स्वयं केबिनेट में जाकर टिप्पणी कर सकते हैं। उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इस सारे प्रोसेस को करके केबिनेट की एप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा।

आप जानते ही हैं कि उसके बावजूद भी समय लगेगा। केबिनेट की एप्रूवल के बाद, फिर इसे सेल के बोर्ड में एप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। उसके बाद वहां से डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स की एप्रूवल के लिए जाएगा, फिर तीनों कम्पनियों के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद कम्पनी अफेयर्स से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद फिर बी.आई.एफ.आर. में जाएगा और अंत में फाइनल कम्पनी के साथ में मर्जर हो जाएगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा यह जो मुद्दा है, इसे हम तीन महीने के अंदर कर लेंगे और दस साल की बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सारा प्रोसेस तीन महीने के अंदर, केबिनेट वगैरह वाला हो जाएगा। उसके बाद सारे के सारे प्रोसेस में मेक्सिमम छः महीने का समय लगेगा, लेकिन इस साल के अंत तक पूरे का पूरा मर्जर कर लेंगे, सेल के साथ इसका मर्जर हो जाएगा - इसकी हम घोषणा करते हैं। यह कम्पनी वगैरह का मामला है। हमारा अपना जो काम है, मैंने उसका टारगेट दो महीने का रखा है, लेकिन चूंकि सदन में घोषणा करने का मामला है, इसलिए मैं मेक्सिमम तीन महीने, और 30 दिन का समय सदन से मांगता हूं और यहां इसकी घोषणा करता हूं।

दूसरा, इन्होंने जो केप्टिव माइंस वगैरह चिरिया के संबंध में कहा है, यह जो मामला है, यह बात सही है कि हमने लोगों से बातचीत करने के बाद भी इसे रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद रिन्यूवल होनी चाहिए थी, उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि हमारी उनसे बातचीत भी हो गई थी। उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गये हैं। जहां तक लॉस वगैरह का सवाल है, जो भी लॉस होगा, कुल मिलाकर हमें लगता है कि इस साल में 350 करोड़ रुपये का मुनाफा आयेगा। जो बाकी चीजें है, वह तो सार्ट आउट हो जायेगी और एक हजार करोड़ रुपया बच जायेगा। एक हजार करोड़ रुपये के लिए हम किसी के पास नहीं जाएंगे। स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मीट आउट करने के लिए सक्षम है। हमारे पास पैसा है, इसलिए पैसे के कारण हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, पैसा उसके रास्ते में नहीं आयेगा।

दूसरा आपने कुलटी के सम्बन्ध में कहा है। कुलटी का कारखाना घाटे में चल रहा था। उसमें 50 करोड़ रुपये हर साल का घाटा था और हमारे आने के पहले ऑलरेडी वह बन्द हो गया है। उसमें मुश्किल से कुछ कर्मचारी...*(व्यवधान)*

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): जो कुछ हुआ, हमारे कारण हुआ, आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए। पहले उसे आप लॉस में छोड़कर चले गये, उसे मैंने प्रोसेस किया था।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल मंत्री जी के उत्तर को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री गुरूदास दासगुप्त:** कुलटी के बारे में बताइये।

**श्री रामविलास पासवान:** एक मिनट।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें बोलने तो दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान:** मैं कुलटी का ही बता रहा हूं। कुलटी में मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 50 करोड़ रुपये का घाटा था। वह कम्पनी 1-4-2003 से बन्द कर दी गई। उसमें टोटल कर्मचारियों में से केवल 31 कर्मचारी बच गये हैं और बाकी 2861 कर्मचारियों को वी.आर.एस. देकर विदा कर दिया गया। यह फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार की नीयत में कोई कमी है, मैंने इस सदन में बार-बार कहा है कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीति की कमी नहीं है, कमी नीयत की होती है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे कि सरकार की नीति भी सही है और सरकार की नीयत भी सही है। इससे कम समय में कोई भी सरकार इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकती है, यह मैं चेलैंज के साथ कहता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि अगले तीन महीने के अन्दर जो भी प्रक्रिया है, अध्यक्ष महोदय, आपका भी स्टेट है, उसे पूरी करके सारा काम समाप्त करके...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य:** इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताइये।

**अध्यक्ष महोदय:** कालिंग अटेंशन में सब कुछ कैसे हो जायेगा?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आज आप काफी लोकप्रिय मंत्री हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** आपने दूसरी सब्सीडियरीज के बारे में कुछ नहीं किया।

**श्री गुरूदास दासगुप्त:** पासवान जी, कुलटी आपका सिद्धान्ततः बन्द ही रहेगा।

**श्री रामविलास पासवान:** जो चीज एक बार बन्द हो गई है और जिसे वी.आर.एस. देकर खत्म कर दिया गया है, उस सम्बन्ध में हम इस समय कुछ कहने से लाचार हैं। लेकिन जहां तक सेल का मामला है, सेल अभी प्रोफिट में है, इस्को भी हमारा प्रोफिट में है, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, रॉ-मैटीरियल भी है। हम इन सारे साधनों का प्रयोग करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसमें पैसा कहीं आड़े नहीं आयेगा...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया और ज्यादा स्पष्टीकरण न दें।

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान:** यह जो आपने कहा है कि असाधारण डिले हुई है, इसमें कोई डिले नहीं हुई है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): जहां तक आयरन ओर का मामला है, लौह अयस्क राष्ट्रीय महत्व को कच्ची सामग्री है। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने यह कहा है और उस बात का उत्तर दिया है। यह एक अलग विषय है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम:** यह तो केन्द्र सरकार का मामला है, मंत्री जी यहां सदन में हैं। झारखण्ड, उड़ीसा, गोवा और छत्तीसगढ़ में, जहां आयरन ओर में माफिया की तरफ काम हो रहा है और आयरन ओर विदेश भेजा जा रहा है, जबकि इस देश में स्टील की डिमांड है और स्टील फैक्टरीज के लिए इस देश में भी आयरन ओर चाहिए।..*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कोई तरीका नहीं है। मेरी अनुमति के बिना, कई बातें कही गई हैं और मंत्री जी आप मेरी अनुमति के बिना स्वेच्छा से उत्तर दे रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान:** इन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। आयरन ओर में बहुत घपला चल रहा था और चल रहा है। आयरन ओर का हमें मालूम है कि इस्को का कम दाम पर बेचा गया है, दूसरा आयरन ओर एक कम्पनी को एक दाम पर, दूसरी कम्पनी को दूसरे दाम पर और एक्सपोर्ट तीसरे दाम पर बेचा गया है। उसमें बिल्कुल पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं थी। हमने उसके लिए एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी को...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** और कोई स्पष्टीकरण नहीं। मकसद ही खत्म हो गया है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से निपटने का तरीका नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि ये इसे पूरा करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान:** मैंने कहा है कि वह कमेटी इसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाये और काम में एकरूपता भी लाये, जिससे कम्पनी को भी फायदा हो और आम पब्लिक को भी फायदा हो।

---

**अपराह्न 12.22 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 23 मार्च 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के दसवें प्रतियेदन से सहमत है"

***प्रस्ताव पारित हुआ।***

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब श्री राज बब्बर बोल सकते हैं। श्री राज बब्बर क्या आप अपने स्थान पर बैठे है?

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर** (आगरा): जी हां, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का प्रकोप पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आस-पास के प्रदेशों में इस तरह से आया कि किसान बिलकुल मरणासन्न स्थिति में है। ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 15-16 जिले ऐसे हैं जहां पर घमासान बारिश होने की वजह से, ओला पड़ने की वजह से किसानों की फसल मारी गयी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी और अचनेरा, 23 गांव फतेहपुर सीकरी में आते हैं जिनमें से 11 गांव पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य को न टोकें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** महोदय, इस स्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश और खास कर के आगरा और फतेहपुर सीकरी के अंदर, इतिहास गवाह है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर के जमाने से पानी की किल्लत रही है। वहां का किसान किस तरह से अपनी फसल को उगाता है, किस तरह से अपनी फसल की रक्षा करता है। उस क्षेत्र के अंदर पूरे साल में केवल एक फसल होती है। वहां पर जो मुआवजा आज दिया जा रहा है, पता नहीं, बाबा आदम के जमाने का एक कानून बना हुआ है कि ढाई हजार रुपये आपदा की स्थिति के अंदर एक हैक्टेयर में मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर फसल की बुआई, निराई या सिंचाई के लिए जितना पैसा एक साल के अंदर एक हैक्टेयर में करने के लिए लगाया जाता है, वह पैसा भी ज्यादा होता है। ढाई हजार रुपये सिंचित जमीन के लिए और असिंचित जमीन के लिए एक हजार रुपये देने को कहा गया है। यह केन्द्र सरकार ने जो मुआवजा तय किया है। वह सन् 1975 में रिवाइज होने के बाद एकड़ से हैक्टेयर में आ गया है। आज मेरे क्षेत्र का किसान बिलकुल मौत की सांसें गिन रहा है और आने वाले कल के अंदर उनके परिवारों की क्या हालत होगी। जब मुआवजा देने की बात आयी, तो शर्म से कहना पड़ता है कि उस क्षेत्र के किसानों को दस रुपये का चैक दिया जा रहा है। दस रुपये के चैक के अंदर पांच सौ रुपये का कम से कम एकाउंट उसको खुलवाना पड़ेगा, तब वह उस चैक को तुड़वाएगा।

मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस सदन से अपील है कि यहां पर केवल सरकार ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के नेता, सांसद इन जगहों पर जाकर उनका निरीक्षण करें और एक संसदीय कमेटी वहां पर जाए और तय करे कि कितना मुआवजा उनको दिया जा सकता है। वहां पर जो सरकारी बैंक हैं जो बीज के लिए, रूपाई के लिए, फसल की कटाई के लिए लोन देते हैं, उसमें अपने आप जो बीमा प्रीमियम भरा जाता है, वह बीमा प्रीमियम होने के बावजूद भी उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा। उसके जवाब में प्रधान मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया कि वे इस विषय पर ध्यान देंगे। 15 मार्च का पत्र गया हुआ है लेकिन अभी तक एक पैसा भी वहां पर नहीं दिया जा रहा है। किसान मर रहा है। प्रदेश सरकार वहां पर खुला राशन देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या किसान भीख लेता रहेगा? यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में उनके परिवार का कोई सदस्य वैश्यावृत्ति में जाएगा या कहीं और जाएगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हमें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** आने वाले कल में फिर कोई स्टिंग औपरेशन होगा लेकिन कोई भी चैनल यह नहीं देख रहा है कि वहां पर क्या हालत होने जा रही है। उनके परिवारों की क्या हालत होने जा रही है? वहां पर किसी को शक्ति कपूर या अमन वर्मा की जरूरत नहीं है। वहां पर इंसानियत की जरूरत है। उन चैनलों की जरूरत है जो वहां के हालात पर रोशनी डाल सकें।

महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से और सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को कम से कम ढाई लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस बारे में दुबारा से सोचना चाहिए कि आपदा की स्थिति सिर्फ सुनामी की नहीं है, आपदा की स्थिति जिन्दा रहने वाले किसानों की भी है जो आने वाले कल में मौत का सामना कर रहे हैं।

मेरी आपसे एक और विनती है कि जो ढाई हजार रुपया और एक हजार रुपया दिया जा रहा है, वह केवल दो हैक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को दिया जा रहा है, दो हैक्टेयर से ऊपर की जमीन वाले किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी और अचदा गांव का एक फसल बोने वाला किसान किस तरह गुजारा करता है, जो पहले पत्थर तोड़ता था लेकिन आज वह काम भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से बंद हो गया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राज बब्बर, आपने अपना मामला बहुत प्रभावशाली तरीके से रखा है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** किसान आज भीख मांगने के कगार पर है।...*(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): महोदय, मेरा नोटिस भी इसी मुद्दे पर था।

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपने मामले को इनके साथ सम्बद्ध कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके साथ ऐसोशिएट करता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है, ऐसोशिएट कर दीजिए। आप एक बात कहने के लिए बार-बार खड़े हो रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): मेरे विरूधुनगर जिले में निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम 2002 से क्रियान्वित हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रथम किश्त के रूप में 90,60,000 रुपये का अनुदान आबंटित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को द्वितीय वर्ष के लिए जिला संयोजक द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी द्वितीय वर्ष की 1,15,00,000 रुपये की किश्त आबंटित नहीं की गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 360 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। गत डेढ़ वर्ष से वे बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। इससे निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तथा

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

हजारों लोगों जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह अनुदान तुरन्त जारी करे तथा इस कार्यक्रम को मेरे जिले में आगे बढ़ाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पिछली सरकार ने बिना राशि दिए उप-राष्ट्रपति से एम्स का शिलान्यास करवाया। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने राशि तो आबंटित की है लेकिन वहां अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। बड़े पैमाने पर लोग बिहार से दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवाने आते हैं। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी अवगत होंगे क्योंकि आपके प्रदेश से भी बड़े पैमाने पर लोग यहां इलाज करवाने आते हैं। उनको यहां रहने और इलाज करवाने में बहुत असुविधा हो रही है। वहां एम्स बनाने के लिए पता नहीं कितनी राशि आबंटित की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा के तहत उसे बनवा दिया जाए ताकि बिहारवासियों को बिहार से दिल्ली और मुम्बई न जाना पड़े।...*(व्यवधान)* वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** दुहराने से सहायता नहीं मिलती है।

**श्री खगेन दास** (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्वतंत्रता के पांच दशक बाद भी आदिवासी लोगों की दशा वास्तव में और खराब हुई है। देश के आदिवासी लोग जो आठ करोड़ से अधिक हैं, गरीबों में सबसे गरीब हैं।

केन्द्र में एक के बाद एक आने वाली सरकारों के शासनकाल में उनकी जमीनें छीनी गईं, उन्हें वनों में जाने से रोका गया, विकासात्मक तथा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए गांवों को विस्थापित किया गया।

आदिवासी क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़े हैं तथा विकास के फलों से वंचित हैं। आदिवासी लोगों का एक बड़े वर्ग में भूमिहीन ग्रामीण गरीब तथा सबसे सस्ते श्रमिक शामिल हैं।

जनजातीय लोगों तथा आदिवासियों का वनों तथा इसके उत्पादों से घनिष्ठ तथा प्राकृतिक बन्धन है। लेकिन वन अधिनियम तथा इसके परवर्ती संस्करणों में उन्हें वनों के अभिन्न अंग मानने के बजाए अतिक्रमणकारी तथा अनधिकृत व्यापारी माना जाता है। मई 2002 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया सख्त परिपत्र को वापस लिया जाना चाहिए तथा वन भूमि से आदिवासियों को निकाला जाना बंद किया जाना चाहिए।

पूरे देश में लाखों-करोड़ों आदिवासियों द्वारा जोती जा रही भूमि तथा आवास परिसर के लिए काम में ली जा रही भूमि को उनके नाम किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

आदिवासी लोग अपनी भाषा तथा संस्कृति की पहचान के खतरे का सामना कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति के धनात्मक पहलू, विशेषकर उनके एकत्रित तथा समतावाद आधारित मर्यादाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

**श्री आर. प्रभु** (नीलगिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं इससे आपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी** (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार के जिन युवकों को रेल विभाग में पी.डब्ल्यू.आई. के अंदर ट्रैक मैन, ग्रेड 'डी' की नौकरियां मिली थीं, वे युवक जब 11 मार्च को असम में नौकरी ज्वाइन करने के लिए गये तो वहां ऑल असम स्टूडैंट्स यूनियन के लोगों ने तिनसुखिया डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों और होटलों में घुस-घुस कर लड़कों को पीटने का काम किया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कुछ समय पहले घटित हुआ था।

*[हिन्दी]*

**श्री सुशील कुमार मोदी:** अध्यक्ष महोदय, ये लड़के अभी परसों लौट कर आये हैं। उन लड़कों को वहां पीटा गया

तथा उनके एप्वाइंटमैंट लैटर्स को फाड़ दिया गया। उनसे कहा गया कि बिहार और झारखंड के लड़कों को हम असम में नौकरी नहीं करने देंगे। 70 से ज्यादा लड़के वहां से भागकर बिहार आये हैं। इतना ही नहीं, असम में जो बिहारी कर्मचारी रेलवे में काम कर रहे हैं, वे भी लौटकर आ गये हैं। उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री जी को पत्र लिखा तथा उनसे मिलकर कहा कि आप हमारा ट्रांसफर किसी दूसरे स्थान पर कर दीजिए। यहां असम के सांसद बैठे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस की सरकार है। बिहारी लड़कों पर पहले भी जब इस प्रकार का हमला हुआ, तो उस पर भारी प्रतिक्रिया हुई थी। वह सारी घटना आपको मालूम है। मुझे मालूम है कि अल्फा और उसके द्वारा जो प्रेरित लोग हैं, वे इस घटना के पीछे हैं। इस कारण बिहार और असम के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है। चूंकि रेल मंत्री जी भी बिहार के हैं इसलिए उनका दायित्व बनता है कि असम में बिहारी लड़कों पर जो हमले हो रहे हैं, उससे उनको बचाया जाये तथा सारे लड़कों की ज्वाइनिंग कराई जाये। अगर आवश्यक हो तो उनको किसी दूसरे स्थान पर नौकरी करने के लिए भेजा जाये। इस बात को भी निश्चित कर दिया जाये कि बिहारी लड़कों पर भविष्य में इस प्रकार के हमले दोबारा न हों। धन्यवाद।

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, बजट सैशन में मैंने भी मंत्री जी को इस संबंध में एक आवेदन दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अर्जुन सेठी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**श्री अर्जुन सेठी** (भद्रक): अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गत 9-10 वर्षों से खनिजों की रायल्टी दरों का संशोधन नहीं किया गया है। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक दो वर्षों के बाद खनिजों की रायल्टी दरों का संशोधन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, अन्तरराज्यीय परिषद ने भी सिफारिश की है कि प्रत्येक तीसरे साल खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन किया जाना चाहिए। किन्तु यह खेद का विषय है कि गत 9-10 वर्षों से ऐसा नहीं किया गया है।

महोदय, उड़ीसा राज्य को अपने राजस्व का 60 प्रतिशत खनिजों से अर्जित होता है। कोयला के अलावा अन्य खनिजों पर रायल्टी दर का संशोधन नहीं होने से राज्य सरकार को भारी घाटा हो रहा है। अतएव मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को यथाशीघ्र किए जाने का निर्देश जारी करे ताकि केवल उड़ीसा राज्य ही नहीं बल्कि खनिज सम्पदा वाले अन्य राज्यों को भी अब और नुकसान नहीं हो।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री दुष्यंत सिंह। हमें इस नौजवान सदस्य से सीख लेनी चाहिए। आज विश्व तपेदिक दिवस होने के कारण, वे हमारे समक्ष बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं और उन्होंने इस सभा के सामने यह मामला रखा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए।

**श्री दुष्यंत सिंह** (झालावाड़): महोदय, धन्यवाद। आज विश्व तपेदिक दिवस है, उत्तरोत्तर सरकारों ने इसके उन्मूलन के प्रयास किए हैं और संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम जैसे अभियान शुरू किए हैं।

इस समय, 10 पीड़ितों में से 4.8 प्रतिशत लोगों का इलाज 'डाट्स' द्वारा किया जा सकता है जो छोटी प्रक्रिया के लिए प्रत्यक्ष निगरानी उपचार है। तपेदिक का प्रत्येक मरीज अपने संपर्क में आने वाले 15 लोगों को बीमार कर सकता है और इससे बीमारी फैल सकती है। इस समय, मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग 'एड्स' पीड़ित है। चूंकि एड्स विषाणु के कारण तपेदिक आसानी से हो सकता है और आदमी की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो सकती है जिससे व्यक्ति आसानी से तपेदिक का शिकार हो जाता है।

महोदय, सरकार एक नया पेटेन्ट विधेयक लेकर आयी है जिससे जीवन रक्षक दवाओं विशेषत: एड्स के मरीजों की दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। एड्स के मरीज तपेदिक के रोगियों में संक्रमण फैला सकते हैं अत: इसका दोनों ही पक्षों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

ऐसे अवसर पर हमें, समूचे सदन को एक मंच पर एकजुट होकर यह शपथ लेनी चाहिए कि एड्स विषाणु जैसे

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री दुष्यंत सिंह]

सभी विषाणुओं और तपेदिक को हमारे देश से हटाएंगे तथा आम आदमी की सहायता करेंगे ताकि सस्ते दर पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

महोदय, नए पेटेन्ट विधेयक के कारण जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ गयी हैं और इससे तपेदिक के मरीज प्रभावित हुए हैं जो एक तरह से एड्स से सीधे प्रभावित हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राजनरायन बुधौलिया इससे संबद्ध हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया वक्तव्य न दें। आपका नाम सम्मिलित किया जा रहा है। श्री पी.सी. थामस।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या हो रहा है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री थॉमस, आप पहले भी एक बार इस पर बोल चुके हैं। किन्तु इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने आपको अनुमति दी है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री पी.सी. थॉमस** (मुवत्तुचुपा): धन्यवाद महोदय। कल 'गुड फ्राइडे' है। जहां तक इसाइयों का प्रश्न है, यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मुझे पता चला है कि भारत सरकार के कुछ विभागों ने अपने कर्मचारियों को उस दिन भी काम करने को बाध्य किया है। उदाहरणार्थ, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग ने 31 मार्च के पहले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह निर्देश दिया है कि शुक्रवार सहित इन दिनों सभी को आना चाहिए और काम करना चाहिए।

केन्द्रीय विद्यालय में भी विसंगति पाई गई है। मूल्यांकन हेतु शिक्षकों को बुलाया गया है विशेषत: बंगलौर क्षेत्र में शिक्षकों को मूल्यांकन हेतु बुलाया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या इस देश में हम बहुत अधिक अवकाश नहीं लेते हैं?

**श्री पी.सी. थामस:** महोदय, यह अवकाश का दिन है और एक विशेष दिन है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से यह एक अवकाश का दिन है और भारत में भी यह एक अवकाश का दिन है।

अतएव, जहां तक इसाइयों का सवाल है उनके लिए इस दिन की विशेषता और महत्व को देखते हुए मैं सरकार से शीघ्र निर्देश देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह दिन कल ही है, ताकि इस दिन कम से कम इसाइयों को अवकाश लेने की अनुमति मिल सके। मैं कहना चाहूंगा कि सदन के नेता इसका उत्तर दें। कल के बारे में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभा भी आज ही समाप्त होने जा रही है। यदि तत्काल निर्देश दिए जा सकें तो इससे देश में कर्मचारियों विशेषत: इसाई कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह** (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो ऊधमपुर-कटवा-डोडा है, वहां इस समय पानी की बहुत ज्यादा कमी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यद्यपि 400 वॉटर स्कीम्स बनी हैं लेकिन 300 से ज्यादा वॉटर स्कीम्स ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं।

महोदय, हम हर साल हजारों रुपए पेयजल पर खर्च करते हैं लेकिन पानी ला-लाकर हमारे गांवों की महिलाओं के सिर पर बाल नहीं रह गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। मैं इसमें आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अजीत कुमार सिंह** (बिक्रमगंज): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

महोदय, बिहार में भोजपुर जिले में कालाजार का प्रकोप हो गया है और वहां पर विगत तीन दिनों में 15 जानें गयी हैं। इसे चैनल "आज तक" पर भी दिखाया गया है। आज वहां लोकप्रिय सरकार न होने के कारण बिहार के लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं और जैसा कि श्री राम कृपाल यादव जी ने कहा है, बिहार में एक एम्स की जरूरत है। आज वहां स्थिति यह है कि बिहार के सांसदों के घर ही अस्पताल बन गए हैं। वहां मैडिकल फैसिलिटी और लोकप्रिय सरकार न होने के कारण स्थिति बहुत भयावह हो गयी है। आज जब हम लोग एच.आई.वी. और हैपेटाइटिस-बी जैसी बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, लोगों का कालाजार से मरना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

*[अनुवाद]*

**डा. राम चन्द्र डोम** (बीरभूम): अध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में काले पत्थर (ब्लेक स्टोन) और ग्रेनाइट खनन

और पिसाई यूनिटों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा स्थिति के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

एक तरफ खानों और पिसाई यूनिटों में खराब सुरक्षा उपायों के कारण वहां दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं की वजह से जीवन गंवा बैठने और लोगों को शाररिक नुकसान पहुंचने के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेनाइट और काले पत्थर और कई अन्य खनिजों की पिसाई के कारण विभिन्न प्रकार की धूल और सिलिकॉन के कण उत्पन्न होते हैं जिससे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण पैदा होता है और श्रमिकों तथा नजदीक रहने वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रायः इससे क्षयरोग, दीर्घकालिक एश्यमैटिक ब्रॉनयिटिस, न्यूमोकॉनिओसिस और सिलिकोसिस सहित कई दीर्घकालिक श्वांस संबंधी बीमारियां होती हैं। ये सभी बहुत ही खतरनाक श्वांस संबंधी बीमारियां हैं।

सरकार को नियंत्रण हेतु उचित उपाय करने चाहिए और खान सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण उपाय भी करने चाहिएं ताकि इन समस्याओं को आवश्यक रूप से निपटाया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका मामला राष्ट्रीय महत्व का नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लगभग 25-30 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में जो हुनर और चमक है, वह इन्हीं लोगों पर निर्भर करती है। मैंने माननीय गृहमंत्री जी को इस विषय पर एक पत्र भी लिखा था। महोदय, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, खादी निल्क इम्पोरियम के पास एक लकड़ी का खोखा था जहां वर्ष 1972 से ही पान-बीड़ी की दुकान करने वाले चन्देश्वर को कल 23 मार्च को दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए ही क्रूरतापूर्वक हटा दिया है। उसकी दुकान को तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वह दुकानदार बेरोजगार हो गया है, रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो गया है और उसका परिवार भुखमरी का शिकार बन गया है। मैं उससे संबंधित आदेश को पढ़ना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं-नहीं। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

*(व्यवधान)*...*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब, मैं अन्तिम वक्ता को आमंत्रित करता हूं। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन** (बालाघाट): मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भीषण अकाल की चपेट में है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत हो गया। कृपया बैठ जाइए। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:** राज्य के 21 जिलों की 56 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

भारत सरकार के द्वारा सिर्फ 36.30 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** केवल माननीय सदस्य जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगा उनका ही भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं एक सदस्य से अधिक सदस्यों की बात नहीं सुन सकता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:** जबकि राज्य सरकार ने 724 करोड़ रुपए एवम् 7.64 लाख मीट्रिक टन अनाज मांगा था। मेरे संसदीय क्षेत्र में चार तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। अभी तक वहां मात्र दो करोड़ रुपए का काम हुआ है। भारत सरकार द्वारा राज्य को सूखे से बचाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए और आवश्यकतानुसार अनाज तुरंत

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन]

दिया जाना चाहिए। यदि इसका प्रबंधन नहीं किया गया, तो वहां स्थिति और भयावह हो जाएगी। इस वक्त वहां से लोगों का पलायन हो रहा है, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वहां पेयजल का भीषण संकट है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को 200 करोड़ रुपए मद 58 के अंतर्गत और आवश्यकतानुसार खाद्यान्न तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** आप सब संक्षेप में बोलें। अगर लम्बी-चौड़ी बात करेंगे तो काम कैसे चलेगा।

**श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:** हमने 724 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 36 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में आठ तहसीलों में से चार सूखी हैं और पैसे के अभाव में काम रुका हुआ है, कोई योजना नहीं चल रही है और लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं।

**अपराह्न 1.01 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

### (एक) झारखंड में जोड़ा-बड़बील-चायबासा-टाटानगर मार्ग का उन्नयन किए जाने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री बागुन सुम्बरूई** (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, झारखंड के सिंहभूम प्रमंडल तथा उड़ीसा के क्योंझर जिले में लौह अयस्क की सैकड़ों खानें हैं, जिनसे लौह अयस्क फाईस का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। उड़ीसा के क्योंझर जिले के बड़बील जोड़ा क्षेत्र से होते हुए लौह अयस्क से लदे हुए हजारों की संख्या में वाहनों का परिचालन प्रतिदिन सिंहभूम प्रमंडल होते हुए हलदीया की ओर किया जा रहा है। इन वाहनों में क्षमता से अधिक 50 टन से लेकर 100 टन तक लौह अयस्क फाईस लोड किया जाता है। जोड़ा, बड़बील, बड़ा, जामदा, नोवामुण्डी, हाटगमरिया, चाइबासा, हाता, टाटा नगर, मार्ग साधारण मार्ग है, जो इन भारी वाहनों के परिचालन के कारण गढ्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे इस मार्ग पर आम जनता को वाहन चलाना काफी कष्टप्रद है। विगत दिनों रांची, चाइबासा, जैतगढ़, क्योंझर मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया गया। परन्तु, इस मार्ग के चाइबासा से हाटगमहरिया तक की सड़क उपरोक्त वाहनों के परिचालन के कारण पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है। लौह अयस्क निर्यात से सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है, परंतु आम जनता का आवागमन अत्यंत कष्टप्रद हो गया है।

माननीय महोदय से अनुरोध है कि भारत सरकार की उच्चस्तरीय टीम क्षेत्र का सर्वेक्षण करें तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग के मानदंडों के अनुरूप जोड़ा-बड़बील, बड़जामदा, नोवामुण्डी, जगन्नाथपुरी-हाटगम्हारिया, चाइबासा, हाता, टाटा नगर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाये एवं इस पूरे मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित किया जाये।

### (दो) कर्नाटक में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा): कर्नाटक राज्य में लगभग 800 गांव सूखे की चपेट में थे। दिसम्बर 2004 में केन्द्रीय सूखा अध्ययन दल ने राज्य का दौरा किया। वर्ष 2004 में कुल 797 गांव सूखे की चपेट में थे। छानगिरी तालुक में 199 गांव, दवनगेर तालुक में 156, होन्नाली में 146, जगलूर में 134, हरिहर में 77 और हरापनहल्ली तालुक में 74 सूखा प्रवण गांव है।

जिला प्रशासन का इन गांवों में सूखा राहत का कार्य करने हेतु 64.58 करोड़ रुपये 61,732 मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रस्ताव था। केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति के आकलन हेतु इन जिलों का दौरा किया। गुलबर्गा तालुक में हडगिल मारुथी तथा अफजलउर तालुक में गोबुर, गोबुर टांड, चौधपुर, चौधपुर टांड, चिनमगेरा और आस पास के अन्य गांवों का दौरा किया था। सूखा राहत कार्यक्रम 28,000 टन खाद्यान्नों को तत्काल जारी करने की मांग करते हुए केन्द्रीय दल को एक ज्ञापन सौंपा गया था। केन्द्रीय दल के दौरे और उसकी सिफारिश के बावजूद भी राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को अब तक न तो पूरा अनुदान और न ही पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त हुए हैं।

मैं भारत सरकार से वित्तीय सहायता और खाद्यान्न प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं ताकि राज्य सरकार राज्य के

*सभा पटल पर रखे माने गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल, रोजगार, चारा, दवाइयां, पोषण और स्वास्थ्य देखरेख प्रदान कर सके।

**(तीन) डाक विभाग में निरीक्षकों के लिए प्रोन्नति के अवसरों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता**

**श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम): डाक विभाग में, निरीक्षक डाक अधीक्षकों (समूह ख) के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं। साठ और सत्तर के दशकों में निरीक्षकों को 10 वर्षों की सेवा के बाद अधीक्षक ग्रेड में प्रोन्नत किया गया था। अस्सी के दशक में इस अवधि को बढ़ाकर 18-20 वर्ष कर दिया जबकि अन्य संवर्गों का पांच संवर्ग समीक्षाओं का लाभ मिल गया। 4214 कर्मचारियों की संख्या वाला यह संवर्ग सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 1983 में केवल एक संवर्ग समीक्षा ही कार्यान्वित हो पायी तब से लेकर अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध तक प्रोन्नति के अवसर घटते गए और आज प्रोन्नति हेतु सेवा अवधि बढ़कर 24 वर्ष हो गई है। सरकार ने वर्ष 1986 में गठित द्वितीय संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है और 245 पदों को निरीक्षक संवर्ग से अधीक्षक (समूह ख) में उन्नयन करने के राष्ट्रपति के आदेश भी दे दिए गए थे। सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करे।

**(चार) आरक्षित वनों से लुप्त होते हुए बाघों के संरक्षण के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता**

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** (कोपरगांव): सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 2005 के दैनिक ट्रिब्यून में "फिक्स रिसपोंसिबिलिटी फार टाइगर्स डिसअपिएरेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया जाता है। सरकार को बाघ और उसके पर्यावास की सुरक्षा करने और सरिस्का (राजस्थान) में बाघ और लुप्त न हों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश के किसी अन्य भाग से इस प्रकार बाघों के लुप्त होने की किसी घटना की रिपोर्ट मिली है और सरिस्का से बाघों के लुप्त होने की कोई जांच की जा रही है? ग्रामीण महाराष्ट्र में अनेक बाघ खुले घूम रहे हैं। प्राधिकारियों और वन विभाग को इसकी पूरी जानकारी है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इस कारण अनेक बच्चों और मवेशियों की जान जा चुकी है जिसके कारण चिंता बनी हुई है।

मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध करता हूं।

**(पांच) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की माधोगढ़ तहसील में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा, उ.प्र. में हजारों की संख्या में लोग सेना में तथा अन्य फोर्सेस में नौकरी करते हैं और उनका परिवार घर पर निवास करने की वजह से उनके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की माधोगढ़ तहसील में एक नया सैनिक विद्यालय खोले, जिससे सेना में भर्ती जवानों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

**(छह) राजस्थान सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित की गई जातियों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न प्रदेशों ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियां जारी की हैं। ये सूचियां अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर जारी की गयी है। महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान एवं केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नियम एक है। राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सभी गवाहों के बयान लेकर जातियों के नाम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय किये हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा गठित आयोग उन रिपोर्टों को नहीं मान रहा है। इस कारण कई जातियों को राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग मे लिया जा चुका है। लेकिन केन्द्र सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को केन्द्र सरकार भी मान्यता दे।

**(सात) गुजरात में सूरत हवाई अड्डे को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री काशीराम राणा** (सूरत): अध्यक्ष महोदय, गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में एक हवाई अड्डे की अत्यंत आवश्यकता को समझते हुए पूर्व में सरकार द्वारा सूरत हवाई अड्डे को वाणिज्य रूप में उपयोग किये जाने हेतु मंजूरी दी गयी थी एवं इस कार्य को करने के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुबंध करके सूरत हवाई अड्डे पर काम करने के लिए एयरपोर्ट

[श्री काशीराम राणा]

अॅथारिटी को सौंप दिया है। परन्तु, इस हवाई अड्डे पर कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण इस हवाई अड्डे पर हवाई सेवा शुरू करने हेतु जो कार्य होने हैं, वह निर्धारित समय में यानि सितम्बर, 2005 तक पूरा नहीं हो पायेंगे। इस हवाई अड्डे की महत्ता को देखते हुए वाणिज्यक रूप में इसके उपयोग की पूर्ण सफलता के लिए टर्मिनल निर्माण कार्य एवं 120 मीटर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य शीघ्र होना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूरत हवाई अड्डे को वाणिज्यक रूप में शीघ्र उपयोग किये जाने हेतु इसके सभी कार्यों को अपने निर्धारित समय पर पूरे किये जाने का प्रयास किया जाये।

**(आठ) उत्तर प्रदेश में बरेली में रेलये स्क्रैप निपटान यूनिट स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली): अध्यक्ष महोदय, बरेली रेल का महत्वपूर्ण स्थान है तथा बरेली में पूर्वोत्तर रेल के मंडल कार्यालय के अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा व क्रेन निर्माण का कारखाना है, परन्तु काम के अभाव में उक्त कारखाना कार्यरत नहीं है। यहां पर रेल के संसाधान इतने अधिक हैं कि पूर्व में कोच फैक्ट्री का भी निर्माण करने का प्रस्ताव था। ज्ञात हुआ है कि रेल मंत्रालय द्वारा देश के कुछ स्थानों पर स्क्रैप डिस्पोजल हेतु यूनिट लगाये जा रहे हैं। बरेली इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। वर्तमान में यहां पर लगभग 250 बैगन व कोच को काटा जा सकता है। मेरा रेल मंत्री से आग्रह है कि बरेली का चयन इस हेतु किया जाये।

**(नौ) तमिलनाडु में कन्याकुमारी में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री ए.वी. बेल्लारमिन** (नागरकोइल): कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। केप कोमटिन से सटे समुद्र में दो चट्टानों पर बनाए गए विवेकानंद स्मारक और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की मूर्ति से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र का महत्व और बढ़ गया है। देश के अनेक भागों से यात्री यहां पर पवित्र स्नान के लिए आते हैं। कुंडाकुलम परमाणु विद्युत परियोजना, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, आई.एन.एस.-कट्टाबोम्मन-नौसेना इकाई, इंडियन रेअर अर्थर्स कन्याकुमारी के आसपास की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। परंतु कन्याकुमारी का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है और इसके निकटतम हवाई अड्डे त्रिवेंद्रम तक सड़क मार्ग से जाने में पांच घंटे का समय लगता है और इस मार्ग में यातायात की भारी समस्या है। अतः, मैं केंद्र सरकार से देश के दक्षिणी टिपटाउन कन्याकुमारी के लिए विशेषरूप से एक हवाई अड्डा बनाने का आग्रह करता हूं जो कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से तथा पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है।

**(दस) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में केन्द्रीय सहायता से मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता**

**श्री राजनरायन बुधौलिया** (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मण्डल में हमीरपुर एवं महोबा जनपद जो कि विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में पिछड़े हैं, में स्वास्थ्य संबंधी कोई बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए क्षेत्र के गरीब लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। कई बार आर्थिक परेशानी के कारण बिना इलाज के लोग प्राण त्याग देते हैं। जनता द्वारा काफी समय से हमीरपुर एवं महोबा जनपदों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग लगातार की जाती रही है। वर्तमान में चित्रकूट मण्डल में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गरीब एवं पिछड़े लोगों की सुविधा हेतु जनहित में केन्द्रीय सहायता से हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना यथाशीघ्र कराकर क्षेत्र की जनता को चिकित्सीय सुविधा का लाभ सुनिश्चित कराया जाये।

**(ग्यारह) रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री राजेश कुमार मांझी** (गया): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गया, बिहार में उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं हैं। जो दो पुराने मिल थे, एन.टी.सी. कॉटन मिल और गुरारू चीनी मिल, वे भी बंद हो गये। इस क्षेत्र में भयंकर सुखाड़ की वजह से बेरोजगारी काफी बढ़ गयी है। हजारों हजार की संख्या में बेरोजगार महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सामंजस्य बिगड़ गया है।

बेरोजगारों को कोई काम नहीं मिलने की वजह से ये उग्रवाद का रास्ता अपना रहे हैं, जिससे क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां काफी बढ़ गयी हैं। उग्रवादी लोग, बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। अगर जिले में नये उद्योग-धंधे लगाये जाते हैं तो बेरोजगार लोग, उग्रवाद का रास्ता छोड़कर,

राष्ट्र की मुख्यधारा में आ जायेंगे। अतः गया को उद्योगविहीन जिला घोषित कर, वहां पर नये उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गया को उद्योगविहीन जिला घोषित किया जाये।

**(बारह) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में "गैंगमैन" के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पाण्डा** (मिदनापुर): दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर डिवीजन में गैंगमैन के पद पर भर्ती का मामला वर्षों से लम्बित पड़ा है। इस डिवीजन में 58 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने उपरोक्त पद के लिए आवेदन किया था। इनमें से 9596 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे तथा 2253 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। परंतु चूंकि इस पैनल को रद्द कर दिया गया, न्याय हेतु कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) कलकत्ता खंडपीठ के समक्ष दरख्वास्त दी गयी थी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 11-04-2001 को इस संबंध में एक निर्णय पारित किया जिसमें रेलवे प्राधिकारी को इन रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। परन्तु चूंकि ऐसा करने में विलम्ब किया गया, कैट के माननीय न्यायाधीश ने दिनांक 7-1-2005 को यह निर्देश देते हुए पुनः आदेश पारित किया कि रेलवे प्राधिकारी आदेश पारित होने के छह महीने के भीतर इस आदेश का पूर्णरूपेण पालन करे। वर्तमान में, अधिसूचना के प्रारंभिक चरण की तुलना में रिक्तियों की संख्या बढ़ गयी है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन सभी पदों को तुरंत भरने तथा इस डिवीजन में उम्मीदवारों के दुःखद जीवन को अविलम्ब बचाने का अनुरोध करता हूं।

**(तेरह) वैशाखी के पावन दिन 13 अप्रैल, 2005 को अमृतसर-लाहौर - ननकाना साहिब को जोड़ने वाली प्रस्तावित बस सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा): भारत तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमृतसर-लाहौर-ननकाना साहिब के बीच एक 'विशेष दिवस' बस सेवा शुरू करने पर सहमत हुए थे। यह स्वागत योग्य निर्णय है क्योंकि लम्बे समय से चली आ रही जनता की मांग पूरी हुई है। ननकाना साहिब सिखों के प्रथम गुरु का जन्मस्थान है और यह सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान है। मैं सरकार से इस बस सेवा को वैशाखी के पावन दिन 13 अप्रैल, 2005 को शुरू करने का अनुरोध करती हूं। बस सेवा की आवृति भी बढ़ायी जाए और वीजा संबंधी प्रतिबंधों को आसान बनाया जाए ताकि अधिकतम लोग लम्बे समय से चले आ रहे अपने स्वप्नों को पूरा करने का अवसर प्राप्त कर सकें।

**(चौदह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक यूथ होस्टल और खेल स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**श्री ई. पोन्नुस्वामी** (चिदम्बरम): मैंने 13 सितम्बर, 2001 को तत्कालीन युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री को तमिलनाडु के अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चिदम्बरम में यूथ होस्टल और खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृति देने लिए पत्र लिखा था। तत्कालीन मंत्री महोदया ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं. : 3-6/2000-वाई.एच./वाई.एस. II, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 के माध्यम से मुझे सूचित किया था कि उन्होंने मेरे अनुरोध के बारे में छानबीन की है तथा तमिलनाडु के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चिदम्बरम में 1.5 से 2.00 एकड़ के एक विकसित भूखण्ड को चिन्हित करने के पश्चात् होस्टल भवन का निर्माण करने पर सहमत हैं।

चूंकि अनेक अनुस्मारक भेजने के बावजूद मुझे लम्बे समय से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, मैंने 14 जुलाई, 2004 को वर्तमान माननीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री के पास तमिलनाडु के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चिदम्बरम स्थित मंगलोर में यूथ होस्टल और खेल स्टेडियम का निर्माण करने के संबंध में तत्कालीन युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री के साथ किए गए सभी पत्राचारों का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखा। परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने अपने पत्र सं. 3-2/2002-वाई.एच./वाई.एस. II, दिनांक 28 सितंबर, 2004 के माध्यम से मुझे सूचित किया कि भूखंड अभी अविकसित पड़ा है तथा उन्होंने पत्र सं. : 13-1/2004-एस.पी. I, दिनांक 30 सितंबर, 2004 में लिखा कि 90 लाख रुपये की लागत से कर्नाटक के मंगलोर में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

मैंने दिनांक 3-12-2004 को लोक सभा में नियम 377 के अधीन इस मामले को पुनः उठाया। माननीय मंत्री से संबंधित उत्तर अभी भी अपेक्षित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से उनके मंत्रालय द्वारा मंगलोर में, जो कि तमिलनाडु के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चिदम्बरम में स्थित है न कि कर्नाटक में यूथ होस्टल और खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानना चाहता हूं। कर्नाटक स्थित मंगलोर एक अलग स्थान है।

**(पन्द्रह) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए "गुड फ्राइडे", जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है, के दिन कार्य करना अनिवार्य न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी.सी. थामस** (मुक्तुपुजा): ईसाइयों को गुड फ्राइडे के दिन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है, काम करने लिए बाध्य करना गलत है। यह ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने का दिन है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग ने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपने कार्मिकों को शुक्रवार, 25 मार्च (गुड फ्राइडे) के दिन कार्य करने लिए कहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अविलम्ब निर्देश जारी करे ताकि गुड फ्राइडे के दिन कार्य पर जाने की ऐसी बाध्यता से बचा जा सके।

---

**अपराह्न 1.02 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश में प्राकृतिक आपदाएं - *जारी*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हम लोग जिन बातों पर सहमत हुए हैं मैं उनकी घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम अपराह्न 1.30 बजे तक माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे - शायद वे इतना समय ले लें। अपराह्न 1.30 बजे से 2.00 तक मध्याह्न भोजन हेतु अवकाश रहेगा। फिर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। अब, माननीय मंत्री जी अपनी बात कहें।

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** श्रीमन्, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहां पर हिमालय है, बहुत सा लम्बा सागर तट है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): आज सुबह माननीय संसद सदस्यों को वितरित की गई कार्यसूची में, हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि प्राकृतिक आपदा और चुनाव सुधारों पर नियम 193 के अधीन और अधिक चर्चा की जाएगी..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जी, नहीं।

**श्री बिक्रम केशरी देव:** हमें सूचना मिली है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या है? कहां है वह?

**श्री बिक्रम केशरी देव:** सूचना यह रही।

**अध्यक्ष महोदय:** यह कार्य सूची में है। मैं आपको बाद में आमन्त्रित करूंगा।

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** 'आप ऐसा कैसे कर सकते हैं' का क्या मतलब है?

**श्री बिक्रम केशरी देव:** यह मुद्रित है। यह आज सुबह प्राप्त हुई कार्यसूची में मुद्रित है। इसका उसमें उल्लेख किया गया है कि इसे 24 मार्च को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं?

**श्री बिक्रम केशरी देव:** जी, नहीं। हम सुनना चाहते हैं। किंतु हम इसमें भाग लेना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाद-विवाद है जिसके लिए मुझे समय मिल पाया है। यह आज का कार्य है।

**श्री बिक्रम केशरी देव:** यह कागजों में छपा हुआ है, यह खण्ड-I में मुद्रित है। हम इसमें भाग लेना चाहते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद): जब से नई लोक सभा आई है, जीरो ऑवर में एक बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है। यह मिसप्रिंट नहीं हुआ।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल यही कह सकता हूं। वरिष्ठ सदस्य भी जो चाहें आरोप लगा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री बिक्रम केशरी देव:** यह कोई आरोप नहीं है।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको नहीं कहा है।

**श्री इलियास आजमी:** मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** कल जो चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहां पर हिमालय है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** शून्य काल के बजाय यह यंत्रणा काल बन गया है। जी, हां, यह यंत्रणा काल ही है जिस प्रकार से इस सभा के अधिकतर माननीय सदस्य व्यवहार करते हैं। आप खुले-आम बी.ए.सी. के निर्णय को इंकार कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री विक्रम केशरी देव:** आपको टाइम दिया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने खारिज कर दिया है। केवल 15 मामलों पर चर्चा की जायेगी और वे अत्यधिक गम्भीरता वाले हैं। यहां सब कुछ उन्मुक्त हो गया है। हम जब भी इसे सुचारू बनाने और यथासम्भव सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करते हैं तो चारों तरफ से तरह-तरह के आरोपों की बौछार होने लगती है। हर कोई यह चाहता है कि यह सबसे पहले बोले। क्षमा कीजिए, आपको फिर किसी न किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** श्रीमान् जी, मैं कह रहा था कि हमारा देश बहुत बड़ा है। यहां पर हिमालय है और बहुत बड़ी कोस्ट-लाइन है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री जी एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उत्तर दे रहे हैं किन्तु फिर भी टोका-टाकी जारी है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** बहुत बड़ी नदियां हैं और इसी वजह से हर साल हमारे यहां कोई-न-कोई नैसर्गिक आपदा आती है और उसका हमें सामना करना पड़ता है। इस साल सुनामी आई और जम्मू-कश्मीर में हिम-वर्षा हुई।

**अपराह्न 1.06 बजे**

**(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)**

उसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात जब होते हैं तो सारे लोग मिलकर, हालात का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं और मुश्किलों में पड़े लोगों की मदद करते हैं। ऐसी परिस्थिति जब निर्मित होती है तो हमारे सशस्त्र-बल के अधिकारी भी आगे आते हैं और अपनी जान की परवाह किये बिना, रात-दिन काम करके, लोगों की मदद करते हैं। उसी प्रकार से, सरकारी अधिकारी भी रात-दिन काम करके लोगों की मदद करते हैं। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि चाहे पक्ष के नेता हों या सरकार के मुखिया हों या जिन लोगों पर जिम्मेदारी दी गयी होती है, ऐसे बहुत सारे पक्षों के लोग भी पीड़ितों की मदद के लिए, समय पर, आगे आते हैं। इससे जिन लोगों को मदद देना जरूरी होता है, उनकी मदद के काम में आसानी हो जाती है और उनके मन में भी विश्वास हो जाता है कि ऐसी आपदा के समय वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनके साथ पक्ष के नेता खड़े हैं, उनके साथ चुने हुए लोग खड़े हैं और उनके साथ बाहर के लोग खड़े हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में काफी मदद उन लोगों को मिल जाती है।

मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो शक्ति है वह जीवन की ओर देखने के दृष्टिकोण में पाई जाती है। जब आपदा आई, जम्मू-कश्मीर में हिम वर्षा हुई, सुनामी आई, बाढ़ आई और भूकम्प आया, उस वक्त लोगों के मन में यह भावना आई है। यह सदन उन सारे लोगों के प्रति आदर की भावना प्रकट करता है, उनका हृदय से अभिनंदन करता है, उनका आभार प्रकट करता है। सदन में सारे सदस्यों ने भी इसी प्रकार की भावना दर्शायी और हम उनका भी यहां आभार प्रकट करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कल यहां बाढ़ पर चर्चा हुई, जो भूकम्प आया, उस पर खास चर्चा नहीं हुई लेकिन उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई। साइक्लोन पर चर्चा हुई और सुनामी के बारे में तो बहुत चर्चा हुई। काश्मीर में जो हिम-वर्षा हुई, हिमपात हुआ, उसके बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन बहुत से सुझाव ऐसे हैं, जिन पर सरकार के रुख को डिटेल में यहां बताना, मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं यहां इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी अच्छे सुझाव यहां पर दिये गये हैं, हमने उनको नोट किया है और बहुत सारे सुझावों पर हमने पहले से ही अमल किया है। अगर कुछ

[श्री शिवराज वि. पाटील]

सुझाव बिना अमल के रह गये हैं, उनकी जांच-पड़ताल करके, जितने पैमाने पर हम उन पर अमल कर सकते हैं, उतने पैमाने पर हम जरूर अमल करेंगे।

जो कुछ खास सुझाव आए थे, जिन के बारे में यहां सरकार की ओर से बताना जरूरी हो जाता है, उसके संदर्भ में मैं आपके सामने राय रखना चाहूंगा। सबसे पहला सुझाव था कि प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रख कर, देश में जोनेशन किया जाए कि किस जगह भूकम्प आता है, किस जगह साइक्लोन आता है, किस जगह में बाढ़ आती है और किस जगह पानी की कमी हो जाती है - इस प्रकार का जोनेशन होना चाहिए, ऐसा सुझाव यहां पर सदस्यों ने दिया है। इस प्रकार का जोनेशन अपने देश में किया गया है। इससे एक कदम आगे बढ़कर सदस्यों ने कहा कि माइक्रो जोनेशन होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि बड़े पैमाने पर जोन्स बनाए गए हैं लेकिन बारीकी में जाकर जोनेशन करने की जरूरत है, ऐसा यहां कहा गया। सरकार इस बारे में जरूर कदम उठाएगी।

दूसरी बात यह कही गई कि हमारे यहां नदियों में बाढ़ आती है। कुछ नदियों में बहुत बाढ़ आती है, खासतौर पर ब्रह्मपुत्र में बाढ़ बहुत आती है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का पानी जब बिहार में आता है, उससे वहां बाढ़ आती है, जिससे लोगों के जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है और मवेशियों का भी बहुत नुकसान होता है। इस बारे में सुझाव दिया गया कि इन नदियों पर बांध बांधे जाने चाहिए। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद, हमारे नेताओं ने जो काम किया, उन्होंने इस पर जरूर ध्यान दिया, इसीलिए भाखड़ा नंगल बना और जायकवाड़ी जैसा प्रोजैक्ट बना। उड़ीसा में बड़े-बड़े बांध इसी वजह से बने हैं। यह काम आगे भी चलता रहेगा। हम इस काम में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है और पैसा जुटाना मुश्किल काम होता है लेकिन पैसे जुटाने के लिए सरकार की ओर से जरूर प्रयास किया जाएगा।

तीसरा सुझाव लिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में आया और कहा गया कि नदियों को जोड़ना चाहिए ताकि जिस नदी में ज्यादा पानी है, वहां से जहां पानी की किल्लत है, वहां पानी पहुंचाया जा सके और वहां के लोगों को पानी दिया जा सके। यह कल्पना कई सरकारों ने अपने हाथ में ली थी लेकिन मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह कल्पना श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में हमारे सामने आई थी और उस जमाने से यह कल्पना हमारे देश के सामने है। यह ऐसा मामला है जिससे देश के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी योजना बना कर, देश की नदियों को जोड़ कर, जो पानी हिमालय से निकलता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में, नदियों से भूमि में और भूमि से घरों में पहुंचता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यह जो कार्यक्रम, प्लान और प्रोजैक्ट है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे - मैंने ऐसा इस सदन में भी बताया है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस के दौरान भी बताया है। पैसे की किल्लत है और दूसरी भी समस्याएं हैं, हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, उस दृष्टि से जरूर देखना चाहिए। इस काम के लिए सब लोगों की सहायता की आवश्यकता है। जिस पैमाने पर सहायता मिलेगी, उस पैमाने में यह काम आगे बढ़ सकेगा, ऐसा मुझे लगता है।

एक बात और बतायी गई जो यह है कि जहां पर सूखा पड़ता है, वहां अनाज, पीने का पानी पहुंचना चाहिए और वहां के लोगों को काम मिलना चाहिए। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारा यह प्रयास है कि जहां सूखा पड़ता है, वहां फूड बैंक्स बनाने की कोशिश करें। हम वहां अनाज जमा करने की कोशिश करेंगे ताकि सूखा पड़ने के बाद वहां अनाज ले जाने की जरूरत महसूस न हो। सूखा पड़े या न पड़े वहां अनाज होना ही चाहिए।

हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हम इसमें सफल होंगे...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): महोदय, पशुओं के चारे की व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** पशुओं के चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब और जहां भी सूखा पड़ता है, वहां पर ट्रेन से ले जाते हैं...*(व्यवधान)* इसे दूसरी पद्धति से ले जाते हैं...

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** यह शुरू में ही बताया गया है, आप सुन नहीं रहे थे।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** आपका सुझाव बिल्कुल दुरुस्त है, हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। सुनामी के बारे में विचार करते समय लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार हैं - पहला सुझाव था कि आपदा आई, लोगों के शवों को निकाला

गया और लोगों के खाने और रहने का इंतजाम किया गया लेकिन इससे आगे चलकर काम करने की जरूरत है। दूसरा सुझाव था - टेम्परेरी डेवलपिंग यूनिट बनाई जाएं। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हमने डेवलपिंग यूनिट बनाने के लिए कदम उठाए हैं और यह काम पूरा होगा। जहां क्षेत्र केंद्र के पास है वहां केंद्र की ओर से पहुंच कर काम करते हैं, अगर क्षेत्र स्टेट के पास है तो हम उन स्टेट्स को इस काम के लिए पैसा देते हैं, सामान देते हैं और कुछ अपने विचार और प्लॉन्स देते हैं और उनकी तरफ से करते हैं। हम आशा करते हैं कि बरसात शुरू होने के पहले जहां सुनामी का परिणाम हुआ है, वहां पर टेम्परेरी सेटस बनाने की कोशिश करें।

एक सुझाव था कि परमानेंट डेवलपिंग यूनिट्स होनी चाहिए। जिस प्रकार से भूकम्प से ग्रस्त लोगों को प्रांतों में परमानेंट यूनिट दिए गए हैं उसी तरह से सुनामी से ग्रस्त लोगों को भी परमानेंट यूनिट्स देनी चाहिए। हालांकि हमें बहुत दु:ख है कि जो जानें गई हैं उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। हमने एक प्लॉन बनाया है और प्रांत सरकार को बताया है कि अगर इसकी वजह से कोई गांव उजड़ गया है तो हम उस गांव को नया गांव बना सकते हैं। जहां पर भूकम्प आया, चाहे वह लातूर हो या गुजरात हो, वहां पर कोशिश की गई कि नई पद्धति से, नए प्रकार से और नई वैज्ञानिक पद्धति से विचार करके टाउन प्लानिंग करके गांव बसाए जाएं। जो भी घर वहां पर बनें वे अर्थक्वेक रजिस्टेंट होने चाहिए ताकि आपदा आने पर उन घरों में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत न आए, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। यह हमारी कल्पना है, इस प्रकार के प्लॉन्स बनाए जा रहे हैं और हम उन पर अमल करेंगे।

यहां पर कहा गया बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों पर जब आपदा आती है तो बहुत तकलीफ होती है, उनके बारे में खास तौर से विचार करना चाहिए। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसके बारे में सोचा है और बताया है। दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में सोचा और बताया है और इस प्रकार की सूचनाएं अधिकारियों को दी गई हैं कि बच्चों की पढ़ाई और रहने का इंतजाम हो ताकि बच्चों को अपनी जगह पर जाने की जरूरत महसूस न हो।

यहां पर कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें गोद लेने के बारे में...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री जी ने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** महोदय, जो बच्चे अनाथ हुए हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** यह ठीक नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** उसी प्रकार से महिलाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जो वृद्ध हैं, उनके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं यहां खड़ा होकर यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, वे हमारा भविष्य हैं। उनके बारे में पूरी-पूरी सावधानी बरतेंगे। महिलाएं हमारी माताएं हैं, उनके बारे में भी पूरी सावधानी रखेंगे और जो वृद्ध हैं। वह हमारा गया हुआ समय है। इसके आधार पर यहां बाकी चीजें खड़ी हुई हैं। उनका भी हम ख्याल रखेंगे। यह भी कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, रोड्स, एयरपोर्ट, सीपोर्ट भी बनने चाहिए। इसके बारे में तय किया गया है और सरकार ने प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में...*(व्यवधान)*

**श्री राज बब्बर:** मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारी चीजें वही कही जा रही हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं हर बात का जवाब दूंगा, पहले मुझे बोलने दीजिये। अगर ओले पड़ने का सवाल है तो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[श्री शिवराज वि. पाटील]*

उसे जरूर देखा जायेगा। इस मामले में हम स्टेट गवर्नमेंट, सभी एम.पीज की मदद से, श्री राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं, उनकी मदद से, हम लोग जरूर इसे देखेंगे।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** सभापति जी, मैं अस्पताल, स्कूल, जैटीज और एअरपोर्ट के बारे में कह रहा था। यह काम बहुत लम्बा है और इस काम में काफी पैसा लगना है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने समुद्री दीवार खड़ी करने का एक सुझाव दिया है...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं उनके प्रश्न का उत्तर अपने पहले वक्तव्य को समाप्त करने के बाद दूंगा...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री वरकला राधाकृष्णन, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं और आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, मुझे एक सुझाव देना है। वहां एक समुद्री दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए। तटीय क्षेत्र के साथ समुद्री दीवार के निर्माण के लिए पैकेज होना चाहिए...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं उनके प्रश्न का उत्तर अपने पहले वक्तव्य को समाप्त करने के बाद दूंगा।

*[हिन्दी]*

मैं कह रहा था कि प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग एक जगह बैठेंगे और इसे देखेंगे। जहां जैटीज बनानी है, उसे शिपिंग मिनिस्ट्री देखेगी, जहां एअरपोर्ट बनाना है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उसे देखेगी, जहां स्कूल बनाने हैं, वहां मानव संसाधन मंत्रालय देखेगा। ये सब लोग भविष्य की कार्यवाही तय करेंगे। यह कार्य केवल दो साल के लिये नहीं होगा, बल्कि 50-100 साल के लिये बनाया जायेगा। इस सोच के साथ काम चल रहा है।

सभापति जी, एक सुझाव आया कि समुद्र में दीवार बना दी जाये, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि समुद्र में दीवार बनाना घर जैसी दीवार बनाने के समान नहीं होता। समुद्र की दीवार अलग-अलग प्रकार की होती है। ऐसी दीवार सब जगह बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुम्बई में मैरीन ड्राइव के एक हिस्से पर दीवार बनाई गई है ताकि जब पानी आये तो वह जमीन या घर तक न पहुंचे। इस प्रकार का इंतजाम, जहां जरूरी हो, किया जा सकता है। यह एक लम्बा काम है। इस पर विचार कर के जो भी हो सकेगा, हम करेंगे। किसानों की जमीन के बारे में कहा गया...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्रीपेरूम्बुदुर): मैंने मैनग्रोव लगाने का एक सुझाव दिया था...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** वह भी करेंगे। मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिये। उसके बाद आप जो सवाल उठायेंगे, मैं उनका उत्तर दूंगा। मैं अभी अपने भाषण में जो कहना चाहता हूं, यदि मेरे दिमाग से निकल गया, तो फिर उसे वापस लाना मुश्किल होगा।

सभापति जी, मैं कहा रहा था कि किसानों की जमीन के बारे में एक खास प्लान बनाया गया है। हम लोग जाकर उनके खेतों में ऐसी खाद डालेंगे, दवा डालेंगे, खेतों से पानी निकालने का कुछ ऐसा इन्तजाम करेंगे, जो उस जमीन के लिये उपयोगी हो। इस मद में काफी पैसा रखा गया है। हमारी प्लानिंग के अनुसार, इस कार्य के लिये 200-300 करोड़ रुपया रखा गया है। यह बदकिस्मती है कि मछुआरे समुद्र के किनारे रहते हैं। जब सुनामी आयी तो उनकी बोट, घर सब कुछ बहाकर ले गयी। इस कारण उन लोगों को बहुत मुश्किल हुई। इस मुश्किल को ध्यान में रखकर हमने तय किया है कि उनकी काटामैरीन-जितना लकड़ी की बोट पर पैसा लगता है, सरकार द्वारा पूरा का पूरा पैसा न लोगों को दिया जायेगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरे उन्होंने यह तय किया है कि बोट में इंजिन लगाकर अगर वे डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी सरकार और बैंक की ओर से पैसा दिया जायेगा। यदि कोई दूसरा कुछ दे रहा है तो वह भी दिया जाये, हमने उसका भी इंतजाम किया है।

तीसरी बात यह है कि अगर ऐस्टीमेट पांच लाख से बढ़कर है, तो उसमें बोट बनाने वाले को पैसा देना पड़ेगा और सरकार से भी उसमें मदद मिलेगी। उन्हें नैट्स देने का इंतजाम भी किया गया है। सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस बारे में हमें बताया है कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो वहां कोल्ड स्टोरेज भी बनाइयेगा ताकि वहां जो मछलियां आती हैं, उन्हें रखने का इंतजाम हो सके और बाद में वे बाजार में ले जाई जा सकें। इस बारे में भी हमें सूचना दी गई है और हम यह सब वहां करने जा रहे हैं। हम लोग और क्या-क्या करने जा रहे हैं, वे सारी चीजें समय न होने की वजह मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता। मगर हमने एक्सपट्र्स को बता दिया है कि वे बैठें और सारी चीजों के बारे में सोचें कि जिस रूप में आपत्ति आई है, उसमें वे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी किस प्रकार लोगों की मदद कर सकते हैं। इन सारी बातों पर विचार किया जा रहा है और इन सबके लिए बहुत सारे पैसे दिये जा रहे हैं। मैंने जो स्टेटमैन्ट्स यहां रखे हैं, उन स्टेटमैन्ट्स में किस स्टेट को कितना पैसा दिया जा रहा है, किस आदमी को किस प्रकार पैसा मिलने वाला है, किस चीज के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ उनमें बताया गया है। मैं उस सबको रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कम है। मगर जो हमारे मछुआरे बहन-भाइयों के सवाल हैं, उन्हें हम हल करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, यहां कहा गया कि लोगों को इम्पलॉयमैन्ट मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने तय किया है कि फूड फॉर वर्क इन इलाकों में हम पहले से ज्यादा शुरू करें। सरकार ने यह भी तय किया है कि इम्पलॉयमैन्ट गारंटी देने का जो विचार हम कर रहे हैं और अपनी नीति बना रहे हैं, उसके मुताबिक वहां लोगों को काम देने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि ठीक है आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से आप पर निर्भर न हो जाएं, ऐसी परिस्थिति आप निर्माण न करें। आप ऐसा करें कि इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की परिस्थिति निर्माण हो। इसलिए बैंकों को कहा गया है कि उन्हें सरकार की तरफ से इस तरह से मदद दी जाए, जिससे वे अपना व्यवसाय चालू कर सकें। ऐसी परिस्थितियां हम वहां निर्माण करने जा रहे हैं।

यहां एक विषय डिजास्टर अरली वार्निंग का आया। इसके बारे में पत्रों में भी चर्चा हुई और सदन में भी चर्चा हुई। कल हमारे साइंस एंड टैक्नोलौजी मिनिस्टर, श्री कपिल सिब्बल जी ने यहां बहुत अच्छा भाषण दिया और बताया कि किस प्रकार सरकार की ओर से कदम उठाये जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ओशन डेवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट को जिम्मेदारी दी है और बे ऑफ बंगाल में तथा इंडियन ओशन में हम अरली डिजास्टर वार्निंग की पद्धति निर्माण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जो दूसरे प्रांत, दूसरी सरकारें और दूसरे देश हैं, उन्हें हम जितनी भी मदद दे सकते हैं, वह हम देंगे। अगर वे हमारे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। मगर पेसिफिक ओशन में दूसरी बात है। लेकिन उसमें भी अगर कुछ इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी कोऑपरेशन की जरूरत होगी, तो वह की जा सकती है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मैं काम कर रहा था, उस जमाने में एक सैटेलाइट छोड़ा गया था। उस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद लोग हमें बोल रहे थे कि यह क्या सैटेलाइट छोड़ा है, इस पर आपने एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिया और एक खिलौना स्पेस में छोड़ दिया है। इस खिलौने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पीने के पानी की जरूरत है। उसके बाद दो साल तक सरकार की ओर से हमें यह बताना जरूरी हो गया था कि यह सैटेलाइट खिलौना नहीं है, यह सैटेलाइट एक ऐसा यंत्र है, जिसकी मदद से अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई, तो हम उसके बारे में मालूमात दे सकते हैं। यह डक्टलैस टेलीफोन के लिए भी काम कर सकता है, यह टी.वी. के लिए भी काम कर सकता है और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। इस प्रकार की पद्धति हमारे पास है। उसके बाद अब तक हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े हैं और हर सैटेलाइट में चार प्रकार के काम करने की ताकत है।

महोदय, एक तो वह टी.वी. के कार्यक्रम को प्रसारित करने में सहायता करता है, दूसरे वह टेलीफोन में मदद करता है, तीसरे वह सर्वे करता है और चौथे अरली वॉर्निंग में सब तरह से मदद करता है। इस सैटेलाइट की मदद फ्लड्स के लिए, साइक्लोन के लिए भी ली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जब भूकम्प आता है, तो उसकी कोई इन्फर्मेशन

[श्री शिवराज वि. पाटील]

सैटेलाइट से नहीं मिलती है। आज तक ऐसी कोई टैक्नॉलौजी डैवलप नहीं हुई है जिससे कि भूकम्प आने की मालूमात, भूकम्प आने से पहले, लोगों को मिल सके। इसलिए सैटेलाइट ने हमें सुनामी आने की सूचना देने में कोई मदद नहीं की, जबकि दूसरे डिसास्टर में हमें इससे बहुत सहायता मिलती है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं मंत्री जी की बात में व्यवधान डाले बिना उनसे एक बहुत ही आसान प्रश्न पूछना चाहता हूं। सुनामी की आपदा के दौरान हम बहुत उलझन में थे। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कुछ कह रहे थे और गृह मंत्री कुछ और कह रहे थे। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** उनके वक्तव्य बहुत ही विरोधाभासी थे। राष्ट्रीय आपदा के दौरान ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुनामी की आपदा के दौरान ठीक ऐसा ही हुआ।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** कृपया आप मेरी बात सुनें। मंत्रालय द्वारा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गलत सूचनाएं दी गई।

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री ने अपनी बात समाप्त नहीं की, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** लोग समुद्रीतट से दूर भाग रहे थे। विज्ञान मंत्री कुछ कहते हैं और गृह मंत्री कुछ और कहते है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारी उलझन में थे। इस दुर्भाग्यशाली घटना के कारण मुझे हजारों लोगों की उस स्थान से हटाना पड़ा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मुझे इस आपदा से बचाओ।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं क्षमा चाहता हूं; क्योंकि इस गलत सूचना के कारण मुझे भी लोगों के साथ भागना पड़ा था।

**सभापति महोदय:** श्री वरकला राधाकृष्णन; यह ठीक नहीं है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** गलत सूचनाओं के कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** विज्ञान मंत्री अलग सूचना दे रहे थे और गृह मंत्री अन्य सूचना दे रहे थे। लोगों को भागना पड़ा था और हम संसद सदस्यों को भी लोगों के साथ भागना पड़ा था। मेरा अनुभव कड़वा रहा है। इस गलत सूचना के कारण हमें भागना पड़ा था।

**सभापति महोदय:** आप इस प्रकार व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यह ठीक नहीं है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मुझे लोगों के साथ भागना पड़ा था। यह एक कड़वा अनुभव था।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** श्रीमन्, इस संबंध में, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य बहुत होशियार है, लेकिन इतना होशियार नहीं कि भूमि के उदर में क्या हो रहा है या समन्दर में क्या हो रहा है, वह बता सके। शायद, आकाश में क्या हो रहा है, वह आसानी से बता सकता है, लेकिन समुद्र में क्या हो रहा है, वह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही उसका कितना ही विकसित ज्ञान हो, उसकी कितनी ही अधिक शक्ति हो, लेकिन इस ब्रह्मांड और भूमि के अंदर जो कुछ भी चलता है, वह समझने की शक्ति मनुष्य में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है और वह शक्ति आज तक नहीं आई है।

सभापति जी, हमसे कोई गलती हो गई हो, तो हमें यहां आकर, सदन में आकर आपको बताने में कोई रंज नहीं है कि हमसे यह गलती हो गई है। हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं। झगड़ा करने के लिए भी तैयार हैं, उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, मगर जो कुछ भी काम हमने किया है, वह नेक-नीयती से किया है, बदनीयती से नहीं किया है। नेकनीयती से किए गए काम से भी यदि कहीं किसी को कष्ट पहुंचा है, कोई गलती हो गई है, तो हम उसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं और उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं।

सभापति महोदय, मैं इसके बाद यह कहना चाहता हूं कि डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिसास्टर होना चाहिए, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा। यह बहुत अच्छा सजैश्चन उन्होंने दिया है। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि इसके लिए एक कानून बनाइए और कहा कि एक डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डिसास्टर को मैनेज करने के लिए हमारे पास अपना सैनिक-दल और पैरा-मिलिट्री

फोर्सेस भी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ प्लान भी बनना चाहिए, माडर्न टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, नये विचारों का उपयोग होना चाहिए, नयी पालिसी होनी चाहिए, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारी प्राकृतिक सम्पदा को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए - इस प्रकार का सुझाव यहां दिया गया। इस बारे में हमारे नेता ने हमें बहुत कुछ बताया है और हम उसे करने जा रहे हैं। हमने पहले भी यह बताया, प्रेसीडेंट एड्रेस में भी बताया गया है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाने जा रहे हैं। यह एक्ट हमने तैयार कर लिया है और केबिनेट के अन्दर उसके ऊपर हमने चर्चा की है। हमने कहा कि इस प्रकार का एक्ट सदन में, सत्र के इस हिस्से में नहीं, मगर सत्र के अगले हिस्से में जरूर यहां लाएंगे। उसके अंदर अगर कुछ दुरूस्तियां हो सकें, तो उसे देखने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है। वे उसे जल्दी ही देखेंगे। उनकी तरफ से सुझाव वगैरह आए हैं। उसे देख कर, अगर उसमें कुछ और दुरूस्तियां करनी हैं, तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। मगर एक्ट बनने तक हम इसे रोकना नहीं चाहते। जो डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी है, एक्ट को शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि वह इधर आएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में भी टाइम लगेगा और फिर यहां आएगा। उसमें अगर एक-आध साल चला गया तो इतने पीरियड तक डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन यहां पैदा न हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से, केबिनेट डिसीजन लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी बनाने का हमने निर्णय किया है। इस डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी के अलग-अलग अंग हैं और उसी तरीके से ये काम करेंगे। इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी और एडवायजरी कमेटी भी है। एग्जीक्यूटीव में सरकारी अधिकारी रहेंगे। आथोरिटी के अंदर जानकार लोग पालिसी बनाने में और टैक्नोलॉजी के संबंध में रहेंगे और ऐसे काम करने में एक्सपर्ट लोग उसके अंदर होने चाहिए। एडवायजरी कमेटी में यहां के और बाहर के एक्सपर्ट भी हैं। जब-जब जरूरत पड़े, तो एक-आध दूसरे काम के लिए अगर हम उन्हें बुलाना चाहें, तो बुला सकते हैं।

यहां श्री मानवेन्द्र जी ने जो सूचना दी थी, उसे हमने मान्य किया है और जितना मान्य किया है, उतना ही नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका उल्लेख है। इतना ही नहीं, हमने केबिनेट में उसके बारे में निर्णय लिया है और एक बिल बना है, जिसे हम यहां रखने जा रहे हैं।

महोदय, मैं नम्रता से बताना चाहूंगा कि जब हम नेशनल डिजास्टर आथोरिटी की चर्चा करते हैं, इसका मतलब हम सारी चीजें लेकर, अपने हाथ में रख कर, यहीं से पूरा काम करने की कोशिश करते हैं - ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है। ऐसा हमारा प्रयास नहीं है और हम ऐसा काम नहीं कर सकते। यह इतना बड़ा सौ करोड़ लोगों का देश है और इतने बड़े देश में ये सारी चीजें नहीं हो सकती - इसकी हमें जानकारी है। इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने कहा है कि उसी प्रकार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी भी होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी भी होनी चाहिए। जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, यहां जो करना है, उसे हम करेंगे। हमने जो किया है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उसे तोड़ने-मोड़ने वाला कायदा-कानून शायद स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सके, मगर उसके साथ चलने वाला, उसे मदद करने वाला कायदा-कानून स्टेट गवर्नमेंट जरूर बना सकेगी और ऐसे अधिकार उन्हें दिए गए हैं। इसी प्रकार हम सेंट्रलाइज न करते हुए, डिसेंट्रलाइज करते हुए, यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कानून बनाने के पीछे और इस प्रकार की आथोरिटी तथा एक्सपर्ट कमेटी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये बहुत अहम् चीजें हैं। आज तक हम जो काम कर रहे थे, यह रीएक्टिव काम था। जब कोई चीज होती है, उसके लिए यह करना है, उतना ही हमने सोचा। आपदा आने के पहले, पूरी तरह से तैयारी करने का काम किया है, मगर पूरे तरीके से काम नहीं किया, प्लान नहीं किया। यह कानून बताता है कि अगर भूकम्प आने वाली कोई जगह है, तो वहां भूकम्प से राहत देने के लिए क्या करना चाहिए, बाढ़ आने वाली है तो उसके लिए क्या करना चाहिए।

साइक्लोन आने वाला है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। शायद हमारी खुशकिस्मती से आने वाले 500-1000 साल में सुनामी आये या न आये, मगर भूकम्प तो आते रहते हैं, बाढ़ तो आती रहती हैं और यहां सूखा तो पड़ता रहता है, इन सारी चीजों के लिए और मैनमेड डिजास्टर के लिए भी हम पूरी तैयारी करना चाहते हैं। इस पर हमने पूरा विचार किया है। उसमें यह बताया गया है कि पूरा प्लान सरकार की तरफ से भी बनाया जायेगा, उसी प्रकार से डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्लान बनाया जायेगा। डिपार्टमेंट वह प्लान बनाकर एथॉरिटी को बतायेगा और एथॉरिटी से उसे ग्रीन सिगनल मिलने के पश्चात, उस पर अमल भी करेगा। इस प्रकार की टेक्नोलोजी डैवलपमेंट के जरिये पूरी व्यवस्था इसके अन्दर बताई गई है और पैसे का भी जो सवाल है, उसे भी हमने हल करने की कोशिश की है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

आज नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड और नेशनल कंटिंजेंसी रिलीफ फंड - ये दो फंड्स हैं, जिनके द्वारा हम पैसा देंगे। पहले के 10वें और 11वें फाइनेंस कमीशन ने जैसा रिकमेण्ड किया था, उसके मुताबिक हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। अब 12वें फाइनेंस कमीशन ने ज्यादा पैसा देने का सुझाव किया है, ऐसा हमें मालूम हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है। मगर इससे ज्यादा भी अगर पैसे की जरूरत है तो सरकार की ओर से जब-जब जरूरत होती है तो केबिनेट में निर्णय लिया जाता है और पैसे दिये जाते हैं।

अब सुनामी के लिए कितना पैसा लगने वाला है, लोग कल यह पूछ रहे थे। हमने उनको बताया है कि सुनामी के लिए करीब-करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक लगेगा, ऐसा हमारा अंदाज है। हमने आज की स्थिति में प्रान्त की सरकार को और यूनियन टैरीटरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पैसा दिया है। वह पैसा करीब-करीब 3500 करोड़ रुपये तक दिया है। बार-बार यह पूछा जाता है कि खर्चा 12 हजार करोड़ का कहते हैं तो आपने इतना पैसा क्यों दिया। यह पैसा एकदम देने की जरूरत नहीं है। यह पैसा जैसी जरूरत होगी, वैसे पैसा दिया जायेगा। हम कह रहे हैं कि पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा। जितना पैसा देने की जरूरत है, आपकी सरकार की शक्ति है, इस देश के लोगों की शक्ति है, पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा, पैसा हम जरूर देंगे। इसका मतलब करीब 10 हज़ार करोड़ रुपये लगने वाले हैं और तीन साल में खर्च करने हैं तो पहले ही 10 हजार करोड़ रुपये लोगों के हाथ में देना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी है, उतना पैसा जरूर दिया जायेगा और लोगों को राहत देने का काम किया जायेगा। इस प्रकार से काम किया जा रहा है। जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जो लोग काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की पैसे के बारे में कोई शिकायत नहीं है, न धान की शिकायत है, न कोई व्यवस्था की शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार से हम काम करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं।

मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर आपत्ति आई है, मगर इसमें से भी हम रास्ता निकालेंगे और आज जो हमारी परिस्थिति है, उससे अच्छी परिस्थिति कल के लिए हम बनाकर छोड़ना चाहेंगे। उसके लिए हम टेक्नोलोजी का उपयोग करेंगे, नये विचारों का उपयोग करेंगे, हमारी नई प्रशासन पद्धति का उपयोग करेंगे, नये कानून का उपयोग करेंगे और नये प्रकार के इथोस अपने देश में निर्माण करके, सब लोगों के साथ मिलकर और सब लोगों की सहायता से हम यह काम करने की कोशिश करेंगे।

अन्त में कहना चाहूंगा कि ये जो काम होने हैं, इन कामों के अन्दर सब लोगों का...*(व्यवधान)*

**श्री हरिभाऊ राठौड़** (यवतमाल): लातूर में भूकम्प आया था, वहां अभी तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। वह आपके क्षेत्र में है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री ने अपनी बात समाप्त नहीं की है कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिभाऊ राठौड़:** जो लोग वहां पर भूकम्प से प्रभावित हुए थे, अभी तक उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** श्रीमन्, मैं यह बताना चाहूंगा कि इन्हें मालूम नहीं है कि वहां पर पूरा इन्तजाम हुआ है। यह राज्य का प्रश्न है, उसका मैं उत्तर नहीं देना चाहता।

बाकी के सदस्यों ने चर्चा का स्तर बहुत ऊंचा रखा है, पोलिटिकल दृष्टिकोण से उन्होंने बात नहीं की है और उस स्तर को मैं नीचे आने देना नहीं चाहता। हमारे साथी अगर मेरे साथ कोई चर्चा करें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा, मगर मैं इतना कहूंगा...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मंत्री जी, एक मिनट।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपका स्पष्टीकरण मैं जानता हूं।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं एक मिनट में खत्म करूंगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** अब समाप्त हो रहा है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** हम एक स्पष्टीकरण चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्य, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं एक मिनट में खत्म करूंगा, फिर उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** ऑनरेबिल मिनिस्टर साहब, माननीय सदस्यों की जो भावना है, लास्ट क्लैरीफिकेशन उनका यही था कि वर्षा का जल, भूगर्भ जल और नदियों का जल, इनको एक यूनिट बनाने पर सरकार का क्या व्यू है?

आपका यही सवाल है। मैंने आपका सवाल ले लिया है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठ जाइए। आपको अब मौका नहीं मिलेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, मेरा सवाल दूसरा है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** रावले जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मैं आपके सवाल का जवाब पहले दूंगा।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** यह आप सभी लोगों का सवाल है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** रावले जी, माननीय मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए तत्पश्चात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसका उत्तर जो मुझे वैज्ञानिक रूप से मिला है, वह मैं आपको देता हूं। आप कह रहे हैं कि सबसोइल पानी कम होता जा रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैंने कुछ वैज्ञानिकों से इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा कि हम लोगों को तालाब बनाने के लिए सूचनाएं आती हैं और हम बनाते भी हैं। आप समझ लीजिए कि वर्षा नहीं हुई और पानी नहीं आया तो क्या होगा। आज जमीन के अंदर जो पानी है, वह पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको अपने गांव की बात बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक बावड़ी थी और उस बावड़ी से पानी निकालते थे। आज मेरे गांव में 400-500 बावड़ियां हैं। उन बावड़ियों पर मोटर लगाकर जमीन में पावर पम्प लगाया गया है। पहले उस बावड़ी में से दिनभर पानी निकालने के बाद भी पानी दो-तीन फुट से नीचे नहीं जाता था। आज के हालात में लोग मोटर लगाकर पानी निकाल रहे हैं, इससे सबसोइल पानी कम होता जा रहा है। जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि इसके लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि आपको जमीन के अंदर छेद करना पड़ेगा और छेद के द्वारा उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, क्या हम इसके लिए बोरवैल करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं बोरवैल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं छेद की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो हर वृक्ष एक बोर की तरह होता है। जब वह वृक्ष जमीन में चला जाता तो उसकी जड़ों के बीच से वर्षा का पानी चला जाता है और वह सबसोइल पानी होता है। उन्होंने कहा कि जमीन के ऊपर का और जमीन के नीचे का पानी कम होने से रोकने का एक ही इलाज है और वह है वृक्ष लगाना। यही उत्तर है सरकार की ओर से और मेरे पास दूसरा कोई उत्तर नहीं है। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

**श्री राज बब्बर:** ओले भी गिरे हैं। उसके विषय में आपने कहा था कि आप जवाब देंगे।...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** यह वहां की सरकार का काम है। हम उनके साथ बात करेंगे कि हम वहां क्या कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** श्री रावले, अब आप अपना स्पष्टीकरण पूछ सकते है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री रावले की बातों के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** राज बब्बर जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। रावले जी, कृपया केवल एक स्पष्टीकरण ही पूछे।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले:** आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के विशेषज्ञों से या बाहर के विशेषज्ञों से मदद लेने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हिन्दुस्तान के विशेषज्ञों को नजरअंदाज किया गया है। कोयम्बटूर में एक वैज्ञानिक हैं, जो सूर्य की किरणों के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं और उन्होंने अभी जो बम्बई में भूकम्प आया था इंडोनेशिया और जापान में आया था, उसकी उन्होंने प्रिडिक्शन की थी। उनकी एक वेबसाइट भी है। उनको चीन सरकार ने भी सम्मानित किया है। क्या सरकार उनका ख्याल करके, इस पर विचार कर रही है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री रावले जी, अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले:** सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बैठ जाएं। मंत्री जी एक ही बार जवाब देंगे।

*..(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** सभापति महोदय, मैंने कल मंत्री जी को एक सुझाव लिखकर दिया था कि प्राकृतिक आपदा के बारे में सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की, सबने बड़े विस्तार से अपनी बात कही। गांवों में गर्मियों में लू में घरों में अचानक आग लग जाती है। जैसे अभी श्री बब्बर ने कहा कि कहीं ओला वृष्टि होती है, तमाम दैवी आपदाएं होती हैं, हमारे पास सांसद निधि के पैसे होते हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात विस्तृत रूप में न कह कर संक्षेप में कहें। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या ओला वृष्टि होने या आग लगने की स्थिति में हम सांसद निधि से उनको सहायता के रूप में धन दे सकते हैं? इसकी व्यवस्था करयाने का कष्ट करें।...*(व्यवधान)*

**श्री राज बब्बर:** महोदय, जैसा हमारे साथी ने कहा और आपने भी इस बात से सहमति प्रकट की कि आगरा में जिस तरह ओला वृष्टि हुई, मैं उस क्षेत्र के बारे में बार-बार जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत मुश्किल से फसल होती है। किसान किस तरह जीता है। केवल दो हैक्टेयर की जमीन वाले किसानों को ही ढाई हजार रुपये मिल रहे हैं, उससे ऊपर की जमीन वाले किसान मर चुके हैं। आज यह हालत है कि सारे बैंक केन्द्र के अधीन हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री ए. कृष्णास्वामी कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका कर्जा माफ किया जाएगा?...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** यह उत्तर प्रदेश का मामला है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप बार-बार बिना अनुमति के क्यों उठ जाते हैं?

*..(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री शैलेन्द्र कुमार कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री ए. कृष्णास्वामी के स्पष्टीकरण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मांग कर रहे हैं।..*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** राज बब्बर जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री राज बब्बर:** किसानों को एक साल की मेहनत के बाद सिर्फ दस रुपये का चैक मिल रहा है। उसे जमा करवाने के लिए उसे बैंक में पांच सौ रुपये देकर एकाउंट खुलवाना पड़ेगा।..*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** राज बब्बर जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री ए. कृष्णास्वामी जो कुछ कह रहे है उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। राज बब्बर जी, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी:** सभापति महोदय, महोदय आपको अच्छी तरह पता है कि तमिलनाडु राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** आप नई परिपाटी डाल रहे हैं। आप बैठिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री राज बब्बर यह ठीक नहीं है।

*[हिन्दी]*

आप बैठ जाएं। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी:** महोदय, सुनामी से तमिलनाडु राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 40 में से 10 सदस्यों ने सुनामी की चर्चा में भाग लिया। प्रत्येक सदस्य ने सुनामी फंड के वितरण के दौरान तमिलनाडु में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही थी। लेकिन चर्चा के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि धन संवितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** एक के बाद एक। केवल एक स्पष्टीकरण।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह** (उधमपुर): सभापति महोदय, मैंने कल पूछा था कि क्या सरकार कोई एक्ट बनाने जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया): माननीय सभापति महोदय, जब कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसकी भरपाई करती है, लोगों को मदद देती है, यह खुशी की बात है। हम बिहार से आते हैं। उत्तरी बिहार प्रतिवर्ष नेपाल की नदियों से प्रभावित होता है। वहां 10 लाख हैक्टेयर जमीन में वाटर लॉगिंग है, नदियों से कटाव होता है। वहां हर वर्ष नेपाल की नदियों से बर्बादी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढे। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता तब तक हमारे नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। वहां एक हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। हमारा कहना है कि आप वहां मदद करने का काम करें।..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, वहां पैकेज देने की बात की गयी थी लेकिन वह पैकेज भी हमें नहीं मिला। हम लोग बर्बादी के कगार पर हैं।..*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप लोग समय का ख्याल रखें।

*...(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा:** सभापति महोदय, सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** (परभनी): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने रिप्लाई बहुत अच्छा दिया है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि हुई है, महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि हुई है, इस ओलावृष्टि के कारण किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या मदद दी गयी है, इस बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में बताने की कृपा करें।...*(व्यवधान)*

**डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो): सभापति महोदय, फसल बीमा योजना के तहत किसान पैसा जमा कराता है, लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है, उसमें मदद की इकाई तहसील रखा गया है जबकि तहसील में यदि कुछ गांवों में ओला पड़ता है तो उनको इमदाद नहीं मिलती। मेरा कहना है कि मदद की जो इकाई है, वह खेत के नुकसान को देखकर मानी जाये। इसके बाद ही किसानों को मदद मिल सकती है, नहीं तो फसल बीमा के माध्यम से किसानों की लूट हो रही है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपको मैंने कॉल नहीं किया है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री स्वाईं जो कुछ कह रहे है उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**सभापति महोदय:** मैं श्री स्वाईं को बुलाया है।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): महोदय, यह बहुत ही हैरानी की बात है कि अधिकतर प्रश्न सत्ता पार्टी के सदस्यों द्वारा ही पूछे जा रहे है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। यदि यह अपनी ही सरकार से प्रश्न पूछने के इच्छुक है तो इन्हें हमारे पास आकर बैठना चाहिए। मैं इनसे अनुरोध करता कि वे यहां आएं। सभा के उस तरफ बैठें, वे प्रश्न पूछ रहे है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** श्री स्वाईं, आप अन्य सदस्यों से बातें क्यों कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** सभापति महोदय, हर मैम्बर को बोलने का अधिकार है चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** राम कृपाल जी, आप क्या कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री राम कृपाल यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, मैं प्रमुख विपक्षी दल से संबंध रखता हूं। प्रश्न पूछने के लिए आपको पहले मेरा नाम पुकारना चाहिए था।

कल, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक बहुत ही धाराप्रवाह भाषण दिया था। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या ऊंचे भवनों का निर्माण करते समय, सरकार भवन प्राक्रूप अभियंता से प्रमाण-पत्र लेने के प्रावधान को अनिवार्य करने जा रही है। उनका उत्तर था कि हमारे पास प्रौद्योगिकी है, परन्तु हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इसलिए, मैं उन मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या ऐसा करने के लिए उनके पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, यह कैसी बात करते हैं?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, यह बहुत ही अपमानजनक है...*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** स्वाईं जी, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप समय का ध्यान रखिए।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री स्वाईं जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** जो असंगत बात है, वह सदन की प्रौसीडिंग्स में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अपराह्न 2.00 बजे**

**श्री खारबेल स्वाईं:** क्या आपके पास अनिवार्य भवन प्रारूप अभियंता प्रमाणन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति है?

दूसरे, क्या आप तटीय विनियामक क्षेत्र अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। उस अधिनियम के अनुसार उच्च ज्वार वाले क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर कोई वाणिज्यिक गतिविधि अथवा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा अंतिम प्रश्न है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आपको केवल एक ही स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): मैं निजी प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमुख विपक्षी दल की ओर से प्रश्न पूछ रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु ने एक प्रश्न उठाया था। क्या आपातस्थिति से निपटने के लिए आप स्वयंसेवी कोर का गठन करने जा रहे हैं?

मेरे ये तीन प्रश्न हैं। माननीय मंत्री कृपया इनका उत्तर दें।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** (नालन्दा): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को स्मरण होगा और चूंकि अभी अपने उत्तर के सिलसिले में उन्होंने सूखे की भी चर्चा की है। बिहार के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है और नालन्दा में भूख से 6 लोग मरे, उनके नाम भी हमने यहां बताये थे और उसके संबंध में गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां से हम मालूमात करके इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद कृषि मंत्री जी एक दिन यहां उपस्थित थे। उस दिन भी हमने सवाल उठाया था जब भूख से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे लोग इसका शिकार नहीं हों, इसके लिए कोई एहतियाती कार्रवाई भी नहीं हुई है। बीच के दौर में चुनाव की स्थिति थी। सब लोगों का ध्यान उधर से बंट गया था लेकिन आज चर्चा हो रही है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहां इस ओर ध्यान दिया जाए और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, वह की जाए।...*(व्यवधान)*

**चौधरी विजेन्द्र सिंह** (अलीगढ़): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के रिप्लाई के बाद क्लेरिफिकेशन का प्रावधान है। यह सदन नियम-कानून से चलता है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** विशेष परिस्थितियों में मौका दिया गया है। इसके पूर्व उदाहरण भी हैं।

**चौधरी विजेन्द्र सिंह:** विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। सवाल इसका नहीं है कि यह विषय केवल विधान सभा का है या भारत सरकार के अधिकार में आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को बहुत ज्यादा क्षति हुई है। ओले पड़ने से किसान बर्बाद हो गये हैं, उनके पशु मरे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी पुराने मानक हों, यह ओलावृष्टि दैविक आपदा में आती है और दैविक आपदा राष्ट्रीय आपदा है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि चाहे ओलावृष्टि हुई है, इसके लिए किसानों को पैसा दिया जाए जिससे किसानों को राहत मिले। अलीगढ़ जनपद में भी यही हुआ है।...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): सभापति जी, महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा था और जो एन.डी.ए. की सरकार थी, उसने 50 करोड़ रुपया दिया था।...*(व्यवधान)* अभी यू.पी.ए. की सरकार के आने के बाद 500 करोड़ रुपया मिला है। हमने 1700 करोड़ रुपये की मांग की थी। अभी महाराष्ट्र को 1200 करोड़ रुपया और मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गुढ़े** (अमरावती): सभापति महोदय, विदर्भ में भी सूखा पड़ने से फसलें नष्ट हुई हैं, वहां पीने का पानी नहीं है। मंत्री जी ने जवाब में कुछ नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** यह कोई डिबेट नहीं है। लास्ट क्लेरिफिकेशन है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

श्री वरकला राधाकृष्णन के स्पष्टीकरण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*...*

**सभापति महोदय:** आपकी पार्टी का सदस्य पहले ही बोल चुका है।

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** सुनामी आपदा सबसे अभूतपूर्व घटना है। कोई चेतावनी नहीं थी। जहां तक मुझे जानकारी है, पूरे विश्व में इसके बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। ऐसा लगता है, कि हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय मैं इसके बीच में ही था। वास्तव में यह हुआ था कि गृह मंत्रालय के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ घोषणाएं की थीं। गृह मंत्रालय का अनुमान था कि यह दोबारा आ सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना था कि यह फिर नहीं आएगी।

महोदय, दो मंत्रालयों द्वारा ऐसी विरोधाभासी घोषणाओं के बाद मुझे लोगों के साथ वहां से भागना पड़ा। गृह मंत्रालय ने अपनी घोषणा यह कहा था कि सुनामी फिर आ सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग ने यह कह कर कि सुनामी आने की आशंका नहीं है, तुरन्त इस घोषणा को विरोधाभासी कर दिया। इस घोषणा के कारण मुझे अपनी कार के साथ उस स्थान से भागना पड़ा...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा इस प्रकार की विरोधाभासी घोषणाएं नहीं की जानी चाहिएं तथा इसके स्थान पर सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिएं ताकि गरीब लोगों को असमंजसपूर्ण वक्तव्यों के कारण कठिनाई न हो...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गुढ़े:** महोदय, एन.डी.ए. सरकार ने स्वजल धारा स्कीम चलाई थी...

**सभापति महोदय:** आप बैठ जाइए, मैं सिर्फ श्री रूपचन्द मुर्मू जी को बोलने के लिए बुलाया है।

**श्री रूपचन्द मुर्मू** (झाड़ग्राम): महोदय, विनाशकारी सुनामी के विषय में यहां पर जो चर्चा हुई, उसका माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत उत्तर दिया है, लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि इस सुनामी की खबर अमेरिका के पास पहले से थी। लेकिन अमेरिका ने अन्य किसी देश को वह सूचना नहीं भेजी थी। इसके बारे में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री राम कृपाल यादव:** महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा था कि सुखाड़ वाले इलाकों में अनाज स्टोर किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री नीतिश कुमार जी ने संसदीय क्षेत्र नालन्दा के विषय में बताया, इसी तरह बिहार में 19 जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से सूखा पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा अनाज दिया गया है, लेकिन सूखा प्रभावित इलाकों में अभी तक सरकार के माध्यम से किसानों को किसी तरह की सुविधा नहीं दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के ऐसे पीड़ित लोगों के लिए सरकार क्या प्रावधान करने जा रही है?

*[अनुवाद]*

**श्री बिक्रम केशरी देव:** महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में विभिन्न बातों को बहुत ही स्पष्ट ढंग से समझाया तथा हमें बहुत-सी जानकारी दी। परन्तु उनके उत्तर के दौरान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन तथा आपदा प्रबंधन पर अधिनियम को भी हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस संबंध में कितने माह में अधिनियम बनाने का प्रस्ताव करेंगे? किसी भी आपदा आने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही राहत उपायों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो, क्या सरकार देश में विभिन्न कृषि-मौसमी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक समान राहत संहिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाने पर विचार करेगी?

**श्री आर. प्रभु** (नीलगिरि): महोदय, उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शिकायत की गई है कि सुनामी पीड़ितों के लिए राहत उचित रूप से उन तक नहीं पहुंची है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

**डा. के.एस. मनोज** (अलेप्पी): महोदय, तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। सुनामी कभी-कभी होने वाली घटना है। मेरे क्षेत्र में समुद्र से कटाव

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियमित रूप से होता रहता है। हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं तथा राज्य सरकार पर इसका प्रभाव पड़ता है। समुद्र के कटाव को भी एक प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए। बहुत बार हमें केन्द्र से सहायता नहीं मिलती क्योंकि इसे आपदा नहीं माना जाता। जब सी.आर.जेड. का क्रियान्वयन किया जाए तो केरल की भौगोलिक विशेषताओं तथा विशिष्टताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): मैं केवल एक ही बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैंने कल अपने भाषण में यह दी थी कि इस वर्ष काफी भारी हिमपात हुआ है। लोगों का कहना है कि गर्मियों में जल स्तर काफी बढ़ जाएगा। बिहार में भी बाढ़ आई और नेपाल की नदियों से भी काफी पानी हमारे देश में आता है। उसके लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाए, इतनी बर्फबारी हुई है, उसका काफी स्टोरेज हो गया है, उस बारे में वह कुछ कार्यवाही करे।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब और स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए क्यों अपराह्न के 2 बजकर 12 मिनट हो चुके हैं। और सभा में और भी कार्य किया जाना है।

*...(व्यवधान)*

**डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर): महोदय, मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट स्पष्टीकरण चाहता हूं। सरकार निश्चित रूप से तटीय जोन प्रबंधन के प्रश्न पर विचार कर रही है। कई अन्य मुद्दों पर बात की गई है। परन्तु मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तटीय क्षेत्र प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और स्पष्टतः, सरकार इस पर विचार करने का प्रयास कर रही है। इस अर्थ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कच्छ वनस्पति वानिकीकरण कार्यक्रम की योजना अन्य रही है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यह माननीय मंत्री जी से विशिष्ट प्रश्न है।

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, अगर श्री कपिल सिब्बल, जोकि महासागर विकास मंत्री हैं, यहां मौजूद होते तो प्रशंसनीय होता। मेरा प्रश्न महासागर विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मंत्रालय से भी है। यद्यपि गृह-मंत्रालय इस विषय से संबंधित नोडल एजेंसी है, परन्तु इस प्रश्न का संबंध महासागर विकास से है।

तिरुवनंतपुरम से श्री रामानाथन नामक एक वैज्ञानिक से एक रिपोर्ट मिली है जिसका मैंने कल उल्लेख किया था। मैंने उस संस्थान का भी वर्णन किया था जिसने रिपोर्ट रखी है।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया जा रहा है अथवा नहीं। क्या आप इस संबंध में अध्ययन करने का विचार रखते हैं? गैस और तेल प्राप्त करने के लिए महासागर तल में वेधन किया जा रहा है। इससे पृथ्वी का कोर-क्षेत्र प्रभावित होता है। कभी-कभी इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के भूकंप भी आते हैं। इससे हिन्द महासागर की प्लेट भी खिसक रही है जिससे हिन्द महासागर वलय (रिम) देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इंस्टीच्यूट ऑफ तिरुवनंतपुरम द्वारा रखी गई रिपोर्ट से लाभ प्राप्त कर कोई अध्ययन किया जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** महोदय, माननीय सदस्य बड़े ही विद्वान हैं क्योंकि प्रश्न पूछते समय उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। प्रश्न के रूप में प्राप्त होने वाले सभी सुझाव महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या अनिवार्य प्रमाणपत्र को आवश्यक बनाया जाएगा अथवा नहीं। इस संबंध में हम कदम उठा चुके हैं और हमने अपनी नीति और नियम तैयार किए हैं और हम उन नीतियों और नियमों को राज्य सरकारों के पास भेज रहे हैं। उनसे इन नीतियों और नियमों को नगरपालिकाओं और निगमों को भेजने और अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा है। इस प्रकार, यह कार्य गृह मंत्रालय अथवा सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य अंगों द्वारा पूरा करना होगा। इस संबंध में हम कदम उठा चुके हैं।

जहां तक सी.आर.जेड. के उपयोग का संबंध है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय सी.आर.जेड. आरंभ किया गया था और उस समय, कई लोगों ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने सी.आर.जेड. की महता को नहीं महसूस किया। मैं उन मंत्रियों में से एक था जिसे ऐसे कई पत्र मिले थे कि सी.आर.जेड. की स्थापना नहीं होनी चाहिए। परन्तु हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि सी.आर.जेड. को क्रियान्वित किया जा सके। आप बहुत सही है, जब आपने यह कहा कि यदि सी.आर.जेड. को कार्यान्वित किया जाता तो इतनी जानें नहीं गई होतीं।

अब जब यह दुर्घटना हो चुकी है, यह सभी संबंधित लोगों द्वारा महसूस की जाएगी और हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे कि सी.आर.जेड. को क्रियान्वित किया जाए।

*[श्री शिवराज वि. पाटील]*

एक माननीय सदस्य ने स्वैच्छिक संगठनों के बारे में प्रश्न पूछा है। हमारे यहां नागरिक सुरक्षा कार्यकलाप चल रहे हैं। कल ही देश में नागरिक सुरक्षा से संबंधित बलों का तेरहवां सम्मेलन आयोजित किया गया था। फायर ब्रिगेड, होम गार्ड, और अन्य लोग भी यहां हैं। ये लोग निश्चित ही सहायक होंगे और इन चीज़ों से निपटने में अपना योगदान देंगे। हमारे पास नियम और विनियम हैं और हमारी अपनी नीति है। हम इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। उनको दिया गया धन बहुत ही सीमित है। इस धन से वे कार्य करने में असमर्थ हैं। कल मैंने सम्मेलन में उनसे बात करने के दौरान यह कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है और हम उन्हें अधिक धन देकर सहायता करेंगे।

*[हिन्दी]*

राज बब्बर जी ने ओले के बारे में सवाल उठाया है, उसके बारे में मैं जवाब दे रहा था। ओला नैसर्गिक आपदा है, नेचुरल कैलेमिटी है। इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर जब चर्चा होती है तो यह माना जाता है कि सब काम हमको भारत सरकार की तरफ से ही करना है। हम यहां पर सुनामी के बारे में भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल में हम क्या कर रहे हैं? हमने उनसे पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ, कितने पैसे की जरूरत है और आप उसमें क्या कर सकते हैं, वह बताइये, और हम आपकी इसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। यहां तक कि घर बांधने के लिए तो पूरा पैसा देने का सवाल है। उसी प्रकार से जो भी नैसर्गिक आपदा होती है, उसको हैंडल करने और उस पर कोई काम करने की जो जिम्मेदारी और दायित्व है वह प्रांत की सरकार का है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह काम प्रांत की सरकार का है, हमारा कुछ नहीं है। हम, प्रांत की सरकार और लोग तो एक ही हैं। संविधान में कुछ अधिकार प्रांत को दिये हैं तो कुछ हमको दिये हैं। मैं कहना चाहूंगा वहां की सरकार से और यू.पी.ए. की सरकार से कि क्या हुआ है और वहां से सूचना आने के बाद उन्होंने बताया कि इतना नुकसान हुआ है और इस प्रकार का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इस प्रकार से की जाएगी, आने के बाद, जिस प्रकार से भी, हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं वह हम करेंगे। यहां बैठकर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि आपने इतना पैसा मांगा, मैं तत्काल दे दूं। उसका कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वह भी देखना होगा। जब सरकार की तरफ से बात आयेगी तो हम जरूर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। वहां की सरकार भी ऐसी सरकार नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती है, उसने किया भी होगा। किया होगा, चाहे कम किया होगा। जब आप सब लोगों के प्रतिनिधि बोल रहे हैं तो आपके कहने का हम आदर करेंगे लेकिन तत्काल तो मैं बोलने की परिस्थिति में नहीं हूं।

कोस्टल-लाइन की बात बहुत अहम बात है और उसके लिए अलग-अलग विचार हैं। हमारी कोस्ट-लाइन 6 हजार किलोमीटर के लगभग है। उस पर क्या-क्या करना है, यह देखना बहुत बड़ा काम है। लेकिन इन दिनों पूरी दुनिया में यह विचार चल रहा है कि कोस्ट-लाइन को प्रोटैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ लोगों ने कहा कि आप नैसर्गिक पद्धति मैंग्रूव्ज वगैरह पर कार्य कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि कुछ जगहों पर आप दीवार बांधकर यह कार्य कर सकते हैं। दीवार बांधने का सवाल आता है तो लोग समझते हैं कि घर जैसी दीवार बांधना। आपने मैरीन ड्राइव देखा होगा तो ध्यान में आयेगा कि समुद्र के पानी से रक्षा करने के लिए किस प्रकार की दीवार बांधी जा सकती है, उसके ऊपर सोचना है। संसार में जो बड़ी-बड़ी ऑरगेनाइजेशन्स हैं वर्ल्ड-बैंक वगैरह की रुचि भी इसमें बताई है। इसके लिए पैसा बहुत लगेगा और बहुत दिनों के लिए पैसा लेना पड़ेगा। इस विषय में हमारे देश और दूसरे देशों में विचार चल रहा है। इसे ध्यान में रख कर हम जो भी कदम उठा सकते हैं, जरूर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन इम्मिजिएटली एक-दो साल में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कही जा सकती।

यहां बताया गया कि मैंने एक्ट के बारे में नहीं कहा।

*[अनुवाद]*

मैंने इस बारे में कहा है। वस्तुत: विधेयक तैयार है और इस पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया है। परन्तु मंत्रिमंडल ने इसे मंत्रियों के समूह के पास भेजा है। मंत्रियों का समूह विधेयक पर यह गौर कर रहा है कि इसे किस प्रकार और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है। इस विधेयक को इस सत्र के अगले भाग में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है। हम इसके लिए तैयार हैं। हमने एक आश्वासन दिया है और यह आश्वासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको दिए गए उनके प्रथम भाषण में माननीय सदस्यों को दिया गया है। इस प्रकार, हम इससे पलायन नहीं कर सकते हैं। हमें इसे लाना ही होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। हम इसे

लाएंगे। परन्तु, हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि जब तक विधेयक को पारित नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाएगा। हमारा यह मत है। हम यह कह रहे हैं कि हम विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं और विधेयक में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है, उसे प्रशासनिक आदेशों के द्वारा पूरा किया जाएगा। हम इस मामले को मंत्रिमंडल तक ले गए और मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित किया। अब यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण होगा।

राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन समिति भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यकारी समितियां होंगी। इनकी सहायता के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की भी समिति होगी। इसमें सलाहकार भी होंगे।

पुनः, यहां जो मुद्दे उठाए गए थे वह यह था कि कानून में जिस का भी प्रावधान किया गया है वही चीज हम प्रशासनिक आदेशों से भी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। परन्तु, आपके द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद और यदि आप यह सलाह दे रहे हैं कि कुछ और किया जाना है तो कानून सर्वोपरि होगा और हम अपने प्रशासनिक आदेशों को संशोधित करेंगे। सब कुछ कानून के अनुसार किया जाएगा।

लेकिन कानून में जो भी सुझाव दिया गया है उसे प्रशासनिक आदेश के माध्यम से भी किया जाएगा, क्योंकि यही समय था जब लोगों का ध्यान, विशेष रूप से विशेषज्ञों, और वे जो भविष्य में कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है इसकी कल्पना कर सकें और यह कि भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए - आकर्षित किया जाए। अब वे इसका सुझाव दे रहे हैं, हम उनके विचारों को स्वीकार कर रहे हैं। नई नीतियां होंगी, नए नियम, नए अधिनियम और नई व्यवस्था होगी। अब हमारे यहां अर्द्ध सैनिक बलों की करीब 8 बटालियनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हमारे यहां पहले से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित है और यह संस्थान प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रतिरूप तैयार कर रहा है और इस तरह का प्रशिक्षण दूसरों को भी दिया जाएगा। इसलिए, वे सभी कदम जो आपने सुझाए हैं - हमने पहले ही उठाए हैं। हमें ऐसा करने पर तभी और खुशी होगी, जब कुछ और ज्यादा किया जाए।

**अपराह्न 2.23 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

अब, जहां तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का संबंध है, आपने जो सुझाव दिया है, वह बिल्कुल उचित है। लेकिन, आपको मैं एक बात बता दूं, गृह मंत्रालय की तरफ से हम कार्रवाई नहीं करते हैं, इस मामले में सामान्यतया, माननीय अध्यक्ष महोदय को भी भी शामिल किया जाता है। जब मैं अध्यक्ष था, तो मैं किसी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता था। मुझे नहीं पता कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं या नहीं। लेकिन आपने जो कहा वह कार्यवाही वृत्तांत का भाग है और यदि आप समझते हैं कि मुझे उन्हें बताना आवश्यक है तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन यह मुख्य रूप से उनके लिए और वह जो भी सुझाव देंगे, वह स्वीकार्य होगा।

महोदय, मुझे खेद है कि मेरे मित्र को कुछ असुविधा हुई थी। लेकिन, मैं आपको बताऊं, जब लातूर में भूकंप आया, उसके बाद प्रत्येक दिन हमें कुछ इस तरह की अफवाह या सूचना मिल रही थी कि फिर भूकंप आ रहा है, पहले कुछ दिन, हम बहुत सावधान थे और हमें दुःख भी होता था कि फिर कुछ-न-कुछ होने जा रहा है। बाद में, हमने पाया कि वे केवल अफवाह थी। जब भी ऐसी आपदा आती है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है या वैसा होने जा रहा है। कभी-कभी, आप जानते हैं, इस चिंता के साथ कि लोग सावधान हो जाएं, कुछ कर दिया जाता है। ऐसी कोई भी गलत धारणा से नहीं किया गया है। इसे तब किया गया जब यह संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। यहां, "संबंधित अधिकारी" मतलब गृह मंत्रालय के अधिकारी, विज्ञान मंत्रालय के अधिकारियों से है। तब, उन्होंने मंत्रणा भी की थी। यद्यपि हमारे दिमाग में कुछ संदेह था फिर भी हममें से कुछ ने सोचा कि क्यों न हम सुरक्षित तरीका अपनाएं। ऐसा ही किया गया था। यदि मेरे साथियों और मित्रों को कोई असुविधा हुई तो इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन हम उस मामले में सहायता नहीं कर सके।

जहां तक कुछ राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग किए जाने का संबंध है, मैं आपको बता दूं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। भारत सरकार का रवैया किसी व्यक्ति विशेष में दोष ढूंढने और किसी की आलोचना करना नहीं है। यदि किसी चीज को उचित तरीके से किया जाना चाहिए तो हम आशा करते हैं कि उसे उचित तरीके से ही किया गया होगा। यदि वह उचित तरीके से नहीं किया गया तो जो इसे गलत तरीके से कर रहे हैं, वे जिम्मेदार होंगे लेकिन हम इस तरह की राहत-सहायता किसी व्यक्ति विशेष की छवि खराब करने के उद्देश्य से नहीं शुरू करना चाहते। इसलिए,

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हमें सावधान होना चाहिए - चाहे दिल्ली से या चेन्नई से। हमें आलोचना से कुछ नहीं मिलने वाला है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य कृपया बैठिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)*...*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** पुनः, कुछ अन्य देश के बारे में प्रश्न था। कृपया हम ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें जिसमें हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहें। पूरा विश्व और देश में सभी लोग इस आपदा से तबाह लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए, हमारे लिए यह कहना ठीक नहीं है कि उनके पास कुछ सूचना थी और उन्होंने किसी उद्देश्य के तहत यह सूचना नहीं दी। किसी व्यक्ति पर इस तरह का अलगावपूर्ण दोषारोपण या अनावश्यक रूप से एक दूसरे की आलोचना से बचना चाहिए। मुझे लगता है, मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)*...*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** उन्होंने जो कहा उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें इस पर कुछ कहना है...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री जो कर सकते हैं, उन्होंने इस बारे में कह दिया है।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** यहां के लोगों की भाषा में ही मैं आलोचना नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अच्छा होता यदि वे वैसा नहीं करते।

जहां तक श्री नीतीश कुमार के प्रश्न का संबंध है, यहां पुनः जब भी किसी मुद्दे पर कोई समस्या होगी हम उस पर विचार करेंगे, यदि हम संसद में बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि सब कुछ संसद द्वारा किया जाना है। जब वे विधान सभा में बोल रहे होते हैं, तो वे समझते हैं कि सब कुछ विधान सभा द्वारा ही किया जाना है। लेकिन, यहां, हमें जिम्मेदारी में भागीदारी करनी पड़ेगी। खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में हम जो करने जा रहे हैं, उस बारे में सभा में वाद-विवाद का जवाब देते समय कृषि मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। वह कह रहे हैं कि हम खाद्यान्न खरीदने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं और उन खाद्यान्नों को उन राज्यों में ही रख रहे हैं ताकि हजारों किलोमीटर का रास्ता नापकर एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों के परिवहन की आवश्यकता न पड़े और खाद्यान्नों के मूल्य भी न बढ़ें। और साथ ही मैं समझता हूं, यह अच्छा होगा, यदि हम "फूड बैंक" के विचार को स्वीकार करें। इसका मतलब है, जब भी आवश्यकता पड़े, खाद्यान्न उपलब्ध रहना चाहिए। यदि कोई क्षेत्र जो बार-बार सूखा से प्रभावित होता है, तो उनके लिए "फूड बैंक" स्थापित किया जाना चाहिए ताकि खाद्यान्न उपलब्ध रहे।

जहां तक व्यक्तिगत मामलों का संबंध है, मैं श्री नीतीश कुमार से सम्पर्क कर उनको सूचना उपलब्ध कराऊंगा। मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। सचमुच इस बारे में मुझे याद नहीं है...*(व्यवधान)*

**श्री नीतीश कुमार:** यह भूख से होने वाली मौत से संबंधित है। मैंने इस बारे में पिछले सत्र में उल्लेख किया था। आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। यह कहा गया कि भूख से मौतें हुई थीं।

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** यदि वक्तव्य दिया गया था कि भूख से मौतें हुई थीं तो हमें खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यह सूचना प्राप्त करनी चाहिए कि कहां भूख से मौतें हुई थीं। यदि संभव है, तो नाम एवं वे सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें।

**श्री नीतीश कुमार:** सभा में ही सारी सूचना दी गई थी। यहां तक की नाम भी बताए गए थे।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** मुझे याद नहीं है। इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन यदि ऐसा है तो, मैं इसे देखूंगा।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): मैं "नेशनल मैंग्रोव प्रोग्राम" के बारे में जानना चाहता हूं।

**श्री शिवराज वि. पाटील:** यह "नेशनल मैन्ग्रोव प्रोग्राम" विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और वह मंत्रालय उस पर विचार करेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले:** साइंटिस्ट्स को प्रोमोशन नहीं दी जाती है...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील:** वैज्ञानिकों के बारे में आप नाम बताएं, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा।

---

**अपराह्न 2.31 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सभा अब मद संख्या 12 लेगी।

श्री निहाल चन्द।

*[हिन्दी]*

**श्री निहाल चन्द** (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 23 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**अपराह्न 2.32 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प – विचाराधीन

### कृषि क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सभा अब मद संख्या 22 पर विचार करेगी।

**डा. चिन्ता मोहन** (तिरुपति): महोदय, भारत में 12 करोड़ किसान हैं और उनमें से अधिकांश आज समस्याग्रस्त हैं। कल, एक वामपंथी नेता ने कहा "धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हमें जाति के बारे में सोचना आवश्यक है" और यह इस देश में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है।

उसे ध्यान में रखते हुए, मैं किसानों के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। आज भारत में 12 करोड़ किसान हैं। उनमें से 70 प्रतिशत पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हैं। करीब आठ करोड़ किसान, जो निर्धन वर्ग विशेष रूप से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हैं, भारत में रह रहे हैं। सरकार उर्वरकों पर 16000 करोड़ रुपए की राजसहायता पैकेज दे रही है, यह राजसहायता उर्वरक कारखानों के माध्यम से दी जाती है लेकिन 70 प्रतिशत किसान यानि कि आठ करोड़ किसानों को नहीं मिल रहा है। मुझे इससे दुःख होता है। 70 प्रतिशत किसान शुल्क भूमि और भूमि को पट्टे पर लेकर खेती में लगे हुए हैं और ये 100 ग्राम यूरिया एन.पी.के. और कोई भी चीज भी लेने में समर्थ नहीं हैं। हम किसानों को जो भी राजसहायता दे रहे हैं, यह 16000 करोड़ रु. की राजसहायता उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं समझता हूं, अब हमारे पास कोई सूत्र तलाशने का समय आ गया है जिसके द्वारा राजसहायता जिसे हम किसानों को प्रदान करना चाहते हैं, उसे किसानों के निर्धनों में भी निर्धनतम स्तर तक पहुंचना चाहिए।

अगली बात बीजों से संबंधित है। हमारे यहां जो भिन्न-भिन्न प्रकार के बीज हैं, वे अच्छी उपज देने में समर्थ नहीं हैं। भारत में किसान समुदाय एक एकड़ की भूमि में सिर्फ 2.5 मेट्रिक टन धान ही उगाने में समर्थ हैं। चीन जैसे अन्य देश एक एकड़ की भूमि में 7.5 टन धान का उत्पादन करने में समर्थ हैं। यहां मूल समस्या बीज की अच्छी किस्म है। हमारे यहां कई कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, वे काफी अनुसंधान कर रहे हैं लेकिन वे किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं, और वे अच्छे कृषि उत्पाद उगाने में समर्थ नहीं हैं। मैं समझता हूं हमें बीजों से संबंधित नीति बनानी पड़ेगी। समय महत्वपूर्ण है और बीज की अच्छी किस्म भी महत्वपूर्ण चीज है।

अब नस्ल की बात पर आता हूं, इससे भी किसानों को मदद मिलती है। हमें उन्हें अच्छी नस्ल के जानवर उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे उन्हें मदद मिलेगी जैसे भैंस, गाय, बकरी, सुअर आदि। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें उन्हें समय पर जानवर उपलब्ध कराना पड़ेगा। हम कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (ए.आई.पी.) के माध्यम से अच्छी नस्ल के जानवरों का प्रजनन करा सकते हैं।

[डा. चिन्ता मोहन]

हमारी अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऐसा किया जाना चाहिए और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किसानों को भिन्न-भिन्न तरह के जानवर मिलें ताकि वह अपनी आय बढ़ाने में समर्थ हों। यदि किसी किसान को अपने कृषि क्षेत्र से 5000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो इस तरह से वह और 5000 रुपए प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से, लघु और सीमांत किसान और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक ट्रैक्टर की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में बहुत कम ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। छः लाख गांवों के देश में प्रत्येक गांव में सिर्फ एक या दो ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। यदि हम ट्रैक्टर निर्माण के लिए कुछ राजसहायता प्रदान कर सकें तो इससे किसानों को मदद मिलेगी। आज, ट्रैक्टर की लागत करीब तीन लाख रुपए है और इसलिए सिर्फ धनी किसानों के पास ही ट्रैक्टर है। यदि हम ट्रैक्टर के लिए राजसहायता दें, तो एक ट्रैक्टर करीब एक लाख रुपए में आएगा। प्रत्येक गांव में बैंकों की मदद और सरकारी सहायता से यदि हम एक लाख रुपए में ट्रैक्टर उपलब्ध करा सकें, तो इससे किसानों को मदद मिलेगी। यदि हम गांव में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के किसान को ट्रैक्टर प्रदान कर सकें तो इससे उस गांव में उस विशेष जाति की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नीतियां बनाते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि इस वर्ग के लोगों तक ट्रैक्टर पहुंचे विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक क्योंकि आज उनमें से किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है। यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें इन वर्गों के लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

इन दिनों, जो भी राजसहायता दी गई है, वह सिर्फ धनी किसानों तक ही पहुंच पा रहा है। आज देश में कई तरह के किसान हैं। एक समूह है जिसे "संडे फार्मर्स" कहा जाता है, ये शहरों में रहते हैं, वे वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं और बहुत धन कमाते हैं। रविवार के दिन वे अपने उन फार्म हाउसों में जाते हैं जो ठीक शहर के बाहर स्थित होते हैं। जो भी पैसा वे कमाते हैं उसे वे कृषि के माध्यम से हुई आय के रूप में दर्शा कर आयकर लाभ उठा लेते हैं। इस चीज को हमें देश में शीघ्र ही रोकना होगा।

महोदय, किसान कौन है इसे मैं परिभाषित करना चाहता हूं। वह व्यक्ति किसान नहीं है जो बंगलौर या दिल्ली जैसे शहरों में वातानुकूलित कमरे में बैठा हुआ है, अपने फार्म हाउस में बैठा है और आयकर लाभ उठा रहा है। जो भी कर लाभ किसानों को दिया जाता है वह केवल इन्हीं लोगों को मिलता है। यह ठीक नहीं है। इसे रोकने के लिए हमें सुनिश्चित और ठोस योजना बनानी ही होगी। सरकार विभिन्न राजसहायताओं के रूप में 30,000 करोड़ रु. दे रही है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह राशि उन वास्तविक किसानों तक पहुंचे जो भूमि जोतते हैं और कृषि कार्य में लगे हुए हैं, न कि वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले तथाकथित किसानों तक। हमें यह नीति बदलनी होगी।

पशुओं हेतु दवाइयां पाने में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम जो दवाएं खाते हैं उनका मूल्य नियंत्रण है किन्तु पशुओं हेतु दवाओं पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। पशुओं की दवाएं हमारी दवाओं से महंगी हैं। अतएव हमें पशुओं हेतु दवाओं के लिए कोई मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था करनी होगी।

कीटनाशक दवाओं की महंगाई के कारण किसान अत्यन्त कठिनाई का सामना कर रहे हैं विशेषतः आंध्र प्रदेश में जहां गुंटुर और कृष्णा जिलों में कपास की खेती की जाती है और अन्य अनेक तटीय जिलों में ये कीटनाशक दवाएं बहुत महंगी हैं क्योंकि उन पर बहुत अधिक कर लगाए गए हैं। सरकार को इन कीटनाशक दवाओं पर कर कम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित मूल्य पर ये किसानों को उपलब्ध हों।

किसानों को दिए जाने वाले ग्रामीण ऋण के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जो भी ऋण बैंक दे रहे हैं वह निगम क्षेत्र को मिल रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण ऋण उन वास्तविक किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में ग्रामीण बैंक और ग्रामीण इलाकों में स्थित बैंकों से पैसा लेना चाहते हैं। सरकार निगम क्षेत्र को आठ से नौ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रही है जबकि किसानों को यह बारह से तेरह प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दे रही है। गांवों में किसानों को ग्रामीण इलाकों के बैंकों से उचित ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए।

उन्हें नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। ये हमेशा निगम क्षेत्र के बारे में सोचते हैं किसानों के बारे में नहीं। यदि ये किसानों की मदद करने की बात सोच सकें तो इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ी सहायता मिलेगी।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती करने वाले किसान कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार एक ऐसी नीति लेकर आयी है जिसमें इसने इस पर उत्पाद शुल्क

बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश में गुंटुर के किसान वर्जिनिया तम्बाकू की बेहतरीन किस्म उगा रहे हैं और लगभग डेढ़ लाख परिवार इस काम में लगे हुए हैं।

इस बजट में इन्होंने जो किया है उससे किसानों को नुकसान होगा। उन्हें तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क में थोड़ी कमी करनी होगी और यह देखना होगा कि इससे किसानों को थोड़ी राहत मिले।

महोदय, मैंने पहले भी कुछ बातें कही हैं, उन बातों के अलावा मैंने ये बातें कही हैं और अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के लिए राहत उपाय संबंधी गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर को धन्यवाद देता हूं।

खेतिहर मजदूरों और किसानों की समस्या यह है कि हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। किन्तु किसान कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा कि किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं यथा खेती से जुड़ी, बीज से जुड़ी, विपणन से जुड़ी, कृषि उत्पादों की कीमतों से जुड़ी, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी और क्षतिपूर्ति से भी जुड़ी समस्याएं। इन सभी पहलुओं पर हमारे किसान विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें विभिन्न कोणों से इस कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सर्वाधिक महत्व देना होगा। पिछले कुछ सालों में हमने जो कुछ देखा है और महसूस किया है वह यह है कि हमारे देश के किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह बेहद चिन्ताजनक स्थिति है। पहले एक पुरानी कहावत थी कि किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में ही मर जाता है। किन्तु अब हम जानते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। अपनी खेती के लिए उन्हें संस्थागत वित्त उपलब्ध हो रहा है। किन्तु अब भी निजी ऋणदाताओं की भूमिका समाप्त नहीं हुई है।

हम जानते हैं कि गत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक भी किसानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। गत कुछ दशकों में मेरे विचार से इसे घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है। किन्तु अब, यह अच्छी बात है कि संप्रग सरकार ने किसानों को बैंकों से वित्त उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब यह बढ़ रहा है।

हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार सरकार एक नीतिगत निर्णय लेती है और क्रियान्वयन स्तर पर उसे पूर्णत: लागू नहीं किया जाता है। अत: हमें इसकी मॉनीटिरिंग करनी होगी। सरकार को भी इसकी मानीटिरिंग करनी चाहिए कि सभी राष्ट्रीय बैंक और अन्य बैंक तथा सहकारी बैंक पर्याप्त मात्रा में किसान समुदाय को ऋण दें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धन की कमी और देनदारी के कारण किसानों को आत्महत्या करने को विवश होना पड़ा है।

ऋण मिलने के बाद यदि उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है तब असली समस्या शुरू होती है। हम समाचार-पत्रों में यह पढ़ते हैं कि हाल ही में अधिकांश किसानों ने देनदारी के कारण आत्महत्या की है। हमें यह देखना है कि किसानों को इस देनदारी से किस प्रकार बाहर निकाला जाए। यह एक गंभीर प्रश्न है। सरकार को कृषक वर्ग और किसानों को इस देनदारी से मुक्त करने को उचित महत्व देना होगा। हमें इस क्षेत्र पर बल देना होगा।

अब मैं विपणन की बात पर आता हूं। यदि किसान कम उत्पादन करते हैं तो वे देनदार हो जाते हैं, वे अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं और मुसीबत में रहते हैं। यदि वे अधिक उत्पादन करते हैं तो भी वे मुसीबत में रहते हैं। कृषक वर्ग मुसीबत में रहता ही है। यदि वे कम उत्पादन करते हैं, तो वे मुसीबत में रहते हैं। यदि वे अधिक उत्पादन करते हैं तो उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है। मुझे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई अन्य भागों के किसानों से काफी पत्र, अभ्यावेदन और टेलीफोन कॉल मिली हैं कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए सरसों के तेल को ही लें। आज सुबह हरियाणा के किसी व्यक्ति ने मुझे फोन पर बताया कि हरियाणा के किसानों को सरसों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यही बात अन्य फसलों के बारे में भी है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** पंजाब में भी यही समस्या है।

**श्री हन्नान मोल्लाह:** मैं पहले ही यह कह चुका हूं। उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। यही मुख्य बात है। उन्हें जो मूल्य मिलता है वह उनकी उत्पादन लागत से भी काफी कम होता है। अत: उन्हें

[श्री हन्नान मोल्लाह]

कम से कम न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए जिससे वे अपनी उत्पादन लागत की वसूली कर सके। यह सुनिश्चित होना चाहिए।

दूसरे, सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनके उत्पाद को खरीदे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाजार में हस्तक्षेप करे ताकि किसान, जिन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

एक अन्य पहलू प्राकृतिक आपदा का है। गत 3-4 वर्षों में, किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुसीबत का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में भारी ओलावृष्टि हुई। गत सप्ताह मैं कुछ स्थानों पर गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ओलावृष्टि हुई। यह सूचना किसान संगठन और अन्य संगठनों ने भेजी है। इन सभी राज्यों में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे उनकी सरसों, गेहूं, रबी की फसल और खरीफ की तैयार फसल बर्बाद हो गई। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिल सके। मुआवजे की दर भी पर्याप्त नहीं है। यह उनकी उत्पादन लागत से भी काफी कम है। सरकार को किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए।

अतः तत्काल और पर्याप्त मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुझे यह सूचना मिली है कि कल और उससे एक दिन पहले नादिया जिले और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य भागों में भारी ओलावृष्टि हुई है और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई मकान गिर गए है और कुछ लोग मारे गए हैं। अतः इस मौसम में यह होता रहेगा। यह सर्दी का मौसम है और इस प्रकार की ओलावृष्टि होती रहेगी। इस प्रकार की आपदाओं से फसलों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। कोई आकस्मिक योजना होनी चाहिए ताकि जब कभी ऐसा नुकसान हो तो किसानों की सहायता की जा सके। यह एक चिंता का विषय है।

दूसरी ओर किसानों और कृषक वर्गों के साथ-साथ कृषि कामगारों की समस्या है। आप जानते हैं कि वे दो स्तम्भों में से एक हैं। यदि कृषि कामगार काम नहीं करें तो काफी बड़ी भूमि की जुताई नहीं होगी क्योंकि सभी किसान स्वयं अपनी भूमि पर खेती नहीं करते हैं। छोटे, सीमांत और मध्यम दर्जे के कृषक वर्ग, किसान अपनी भूमि पर काम करते हैं। गरीब कृषक सारा समय अपनी भूमि पर काम करते हैं। किंतु मध्यम वर्गीय कृषक कोई भी काम कर लेते हैं चाहे वे इसमें पूर्णतया भाग न लें। वे कुछ कृषि मजदूर किराये पर ले लेते हैं। किंतु अमीर और बड़े किसान उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वे पूर्णतया कृषि मजदूरों पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में 15 करोड़ कृषि मजदूर हैं। उनको हमारा उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका है। किंतु दुर्भाग्यवश हमने देश में कृषि मजदूरों की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहां कोई उपयुक्त न्यूनतम मजदूरी दर नहीं हैं। जहां कहीं पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, वहां उसे उचित प्रकार से लागू नहीं किया गया है। यद्यपि यह सब कागज पर लिखा हुआ है वास्तव में कृषि मजदूरों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गयी राशि भी नहीं मिलती है। न्यूनतम मजदूरी के मामले में अलग-अलग राज्य सरकारों के अलग-अलग मानदण्ड हैं। एक समान मजदूरी दर लागू नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कृषि मजदूर अपनी मेहनत और पसीने से खेती करने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

हम काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। कृषि मजदूरों की एकमात्र समस्या यही नहीं है अपितु उनकी अन्य अनेक समस्याएं भी हैं। उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है। उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिलता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, कृषि का यांत्रिकीकरण होने से कृषि मजदूर तेजी से अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। उन्हें सारे वर्ष में 100 दिन का काम भी नहीं मिल पा रहा है। हमने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में कुछ सर्वेक्षण किए हैं। हमने यह पाया कि कुछ स्थानों पर कृषि मजदूरों को सारे साल अर्थात् 365 दिनों में केवल 50-60 दिन ही काम मिल रहा है। ये व्यक्ति, जो हमारे कृषि विकास के स्तम्भ हैं, किस प्रकार जीवित रह पाते हैं? अतः यह एक काफी गंभीर समस्या है और इसीलिए हम लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उनकी उचित मजदूरी और काम के पर्याप्त दिन सुनिश्चित किए जाएं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कम से कम 100 दिन तक काम देने का निर्णय लिया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं किंतु अभी केवल विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इस विधेयक पर काफी प्रश्न उठाए गए हैं। जब इस विधेयक पर चर्चा होगी तो ये प्रश्न उठाए जाएंगे। सरकार निश्चित तौर पर इस विधेयक को पारित कराने हेतु उपायों में तेजी लाएगी। इसके साथ-साथ इसमें कई खामियां

हैं। इसे 600 जिलों में से केवल 150 जिलों में लागू किया जाएगा। शेष जिलों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। अवसंरचना का निर्माण किया जाने वाला है। तत्पश्चात् हम कार्यान्वयन प्राधिकारण पर धन खर्च करेंगे।

परन्तु यदि हमारे पास शीर्ष स्तर से लेकर निचले स्तर तक कार्मिकों का एक अन्य ग्रुप होगा तो अवसंरचना पर भारी धनराशि खर्च होगी। वस्तुतः यह कृषि श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाएगा। जब विधेयक लाया जाता है तो हम इस पर चर्चा करेंगे तथा देखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं। हम सरकार से विधेयक को संसद में लाने व उस पर चर्चा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करते हैं ताकि विधेयक के उन भागों को बदला जा सके जो कृषि श्रमिकों के हित में नहीं हैं और तब इसे पारित किया जा सके। कृषि श्रमिकों के लिए यह विधेयक का एक पहलू है। हम मांग कर रहे हैं कि कृषि श्रमिकों हेतु एक व्यापक केन्द्रीय कानून होना चाहिए। मैं कृषि श्रमिकों की यूनियन के बीच काम करता हूं तथा मैं कृषि श्रमिकों की मांगों को उठाता रहा हूं। श्रीमती गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक समिति गठित की थी। ग्रामीण श्रमिकों हेतु भी एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि कृषि श्रमिकों हेतु एक व्यापक कानून होना चाहिए जिसमें उनके कार्यों, मजदूरी, सेवानिवृत्ति, चिकित्सा लाभ, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके आवास के संबंध में उल्लेख होना चाहिए। एक व्यापक कृषि श्रमिक विधेयक लाया जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से मैं इस सभा में हूं तथा मैंने 10 श्रम मंत्रियों को देखा है। मैंने उनके साथ इस मामले पर चर्चा की है। प्रत्येक सरकार ने वादा किया था कि एक कृषि श्रमिक अधिनियम होना चाहिए। किसी ने भी इस बात से इनकार तो नहीं किया, परन्तु इस संबंध में किसी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की।

श्रीमती गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रक्रिया की शुरुआत की गयी थी तथा प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत था कृषि श्रमिकों हेतु एक व्यापक अधिनियम होना चाहिए। आपके पास पशुओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम है, आपके पास पौधों के संरक्षण हेतु अधिनियम है, परन्तु आपके पास 15 करोड़ कृषि श्रमिकों के संरक्षण हेतु कोई अधिनियम नहीं है। यह क्या है? संसद के 55 वर्षों के इतिहास में, हम निर्धनतम लोगों को कानूनी संरक्षण देने विफल रहे हैं जो कि मात्र आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अतीव पिछड़े हैं। वे असंगठित क्षेत्र में हैं। उनमें से साठ प्रतिशत अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। सभी दृष्टिकोणों से वे दबे-कुचले हैं। वे भोजन, नौकरियां और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं। यहां तक कि यदि आप ऊंची जाति के लोगों के गांव में भी जाएं तो आप देखेंगे कि उनके पास नलकूप हैं। परन्तु यदि आप उस गांव से निकलकर गरीब कृषि श्रमिकों के किसी गांव में जाएं तो वहां आपको कोई नलकूल नहीं मिलेगा। उन्हीं गांवों में सड़कें मिलेंगी जहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं। परन्तु ये सड़कें गरीब कृषि श्रमिकों का गांव शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। यहां तक कि वहां बिजली के खम्भे भी नहीं मिलेंगे।

मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है जहां कृषि श्रमिक रहते हैं। कृषि श्रमिकों के गांव शुरू होते ही सभी सुविधाएं समाप्त हो जाती है। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम मांग कर रहे हैं कि एक व्यापक विधेयक लाया जाए। यदि हम पशुओं और वृक्षों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं तो आखिर हम 15 करोड़ अभागे कृषि श्रमिकों को संरक्षण प्रदान क्यों नहीं कर सकते हैं जो हमारी कृषि के स्तंभ हैं, जो खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पाद पैदा करने के लिए अपना पसीना बहाते हैं व इसमें हमें मदद करते हैं। मेरी मांग है कि इस संसद में कृषि श्रमिकों हेतु एक केन्द्रीय अधिनियम अवश्य लाया जाए। राष्ट्रीय श्रम आयोग और गुरुदास दासगुप्त की अध्यक्षता वाली एक समिति ने काफी कार्य किया है। अनेक अन्य समितियां हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि ऐसा एक अधिनियम आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इंतजार न करे। यहां तक कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह आश्वासन दिया गया है कि इसकी सरकार कृषि श्रमिकों हेतु एक अधिनियम लाएगी।

मैं मांग करता हूं कि कृषि श्रमिकों के संरक्षण हेतु एक व्यापक विधेयक इस वर्ष ही लाया जाए और पारित किया जाए ताकि हम कृषि श्रमिकों को संरक्षण दे सकें और उनकी मदद कर सकें। किसानों को मजबूत बनाने से हमारी कृषि फल-फूल सकती है। मैं सरकार से किसानों की कठिनाइयों पर गौर करने का अनुरोध करता हूं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

साथ ही साथ, हमें कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर गौर करना है। हमें इस वर्ग को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक व्यापक केन्द्रीय कृषि श्रम कानून लाना चाहिए।

संप्रग सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन सभी बातों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न इसके कार्यान्वयन का प्रश्न है। मैं सरकार से इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित

[श्री हन्नान मोल्लाह]

करने का अनुरोध करता हूं ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। यदि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारा देश मजबूत होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण इस संकल्प हेतु आवंटित समय समाप्त हो चुका है परन्तु इस संकल्प पर बोलने हेतु मेरे पास माननीय सदस्यों के नाम की एक लम्बी सूची है। यदि सभा सहमत है तो इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय को और एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हां।

**उपाध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद।

**श्री गुरजीत सिंह राणा** (जालंधर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

*[हिन्दी]*

आज किसान और खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हिन्दुस्तान की आबादी एक सौ करोड़ से ऊपर हो गई है। उसमें से 12 करोड़ किसान और 34 करोड़ मजदूर हैं। उन 34 करोड़ मजदूरों में से 24 करोड़ वे लोग हैं जो खेत में मजदूरी करते हैं। आज चिंता का विषय है कि अगर हमने 24 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है तो हमको उन 12 करोड़ किसानों को मजबूत करने, आर्थिक रूप से मजबूर करने की जरूरत है। किसान कर्जे में दबा पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि खेती में इनपुट आज बढ़ गया हैं। आज वह फसल को डीजल, कीटनाशकों, फर्टिलाइजर आदि की कास्ट काफी बढ़ गई है। जिससे मैं समझता हूं कि खेती आज उतनी वायबल नहीं है। आज किसान को चिंता है कि उसको कम्पीट करना पड़ेगा, दुनिया के पैदा किए हुए अनाज, सब्जी और फल से जो विदेशों से इम्पोर्ट होगा। इसके लिए आज हमें किसान की खेती के बारे में सोचने की जरूरत है। वह कैसे अपने आपको बचाएगा और उसके यहां जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका वेतन सही समय पर और सही मजदूरी उन खेतिहर मजदूरों को दे पाएगा। उसके लिए मैं समझता हूं कि अनुसंधान और विकास की जरूरत है। हमारे कृषि संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय उनके लिए ऐसा बीज तैयार करें जिससे क्वालिटीवाइज वे संसार से कम्पीट कर सकें। किसान की पैदावार बढ़नी चाहिए तभी किसान अपने परिवार और अपने मजदूर का ध्यान रख सकता है।

मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहूंगा कि आज पंजाब में हम किसान की बात करें तो किसान मजदूर जैसा ही है क्योंकि किसान की प्रति जमीन ऐवरज दो एकड़ की है और दो एकड़ में किसान अपना परिवार कैसे पाल सकता है। यह एक चिंता का विषय है। इसके लिए यू.पी.ए. सरकार ने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की है मैं उसका स्वागत करता हूं। जिस डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं। यह 1986 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वह पंजाब के कृषि मंत्री थे ने कही और 2002 में जब वे मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पर पूरे जोर शोर से काम किया। उससे मैं समझता हूं कि जो डाइवर्सिफिकेशन की नीति केन्द्र सरकार ने अपनायी है इससे किसान और खेती को फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन पर पिछले दो ढाई साल में बहुत प्रयास किया गया है। आज जरूरत है वैल्यू आफ क्राप की। उसके लिए फण्ड मुहैया कराना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बात करना बहुत आसान है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार मजदूर और किसान के बारे में सोचती है तो पहले पंजाब को पॉयलट स्टेट बनाकर उसमें इम्प्लीमैंट करके देखे। अगर वह वहां कामयाब होती है तब उसे बाकी हिन्दुस्तान में लागू करे।

जहां तक किसानों की बात है, 24 करोड़ मजदूर खेत में काम करने वाले हैं और दस करोड़ लोग अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल वेजेज और खेत में काम करने वाले मजदूरों की वेजेज और फैसीलिटीज की बात करें तो उसमें बहुत अंतर है। यह गैप तभी ब्रिज हो सकता है जब किसान खुशहाल होगा और मजदूरों को समय से और सही वेतन मिल पाएगा। इसके लिए क्राप डायवर्सीफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऐग्रो इंडस्ट्री कलस्टर फार्मेशन में होनी चाहिए ताकि गांवों में इंडस्ट्री लगी हो, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करें और किसान ऐसी फसल पैदा करें जो मार्किटेबल हो, प्रोसैसेबल हो। आज इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है।

बजट में सौ करोड़ रुपये की ग्रांट वर्ल्ड क्लास साइंटीफिक यूनीवर्सिटी के लिए दी गई है। यह सही कदम है। परन्तु इसके साथ ही हमें 70 प्रतिशत जनसंख्या का भी ध्यान रखना है। ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी को ग्रांट दी जानी चाहिए

ताकि रिसर्च एंड डैवलपमैंट हो और जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनको और खेत में काम करने वाले मजदूरों को कम्पीटिशन के थ्रू सहूलियत दे सकें। यह तभी हो सकता है जब लिब्रल तरीके से पंजाब ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी, जिसने ग्रीन रैवोल्यूशन में काम किया, को ग्रांट दें। जहां तक खेती से जुड़े हुए मजदूरों की बात है, वे ज्यादातर गांव में रहते हैं। अगर शहर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स या आम शहरी से उनकी तुलना करें तो गांवों में अस्पताल नहीं हैं और अगर हैं तो डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि अगर दो प्रतिशत सैस रूरल डैवलपमैंट फंड के तौर पर अनाज के ऊपर लगा सकते हैं, दो प्रतिशत मंडियों का लगा सकते हैं, ढाई प्रतिशत आड़तियों को दे सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रतिशत सैस खेत मजदूरों की हैल्थ इंश्योरैंस के लिए भी हिन्दुस्तान भर में लगा देना चाहिए। वह बंटा हुआ होगा। खेत में जो मजदूर काम करते हैं, उनको अपनी सेहत की चिन्ता करने की जरूरत नहीं होगी और हैल्थ इंश्योरैंस के थ्रू वे दवाइयों का बिल दे सकते हैं। मैं विनती करूंगा कि यह जरूर होना चाहिए।

जहां तक ऐजूकेशन की बात है, जो लोग गांवों में रहते हैं, चाहे वे मजदूरों से ताल्लुक रखते हों चाहे खेती से ताल्लुक रखते हों, उनके बच्चे गांवों के आम स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आज वहां के स्कूलों की हालत देखें, पंजाब, बिहार या हिन्दुस्तान का कोई और गांव हो, तो हालत बहुत चिन्ताजनक है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक-एक मास्टर दो सौ बच्चों को पढ़ा रहा है। जो 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, उनके बच्चों को सही एजूकेशन मिले और वे कम्पीटिशन में बैठ सकें, ऑफिसर बनें, इंजीनियर बनें, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हो यह रहा है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बन रहा है क्योंकि उसे पढ़ने के लिए फैसीलिटी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार लाचार है, असमर्थ है, उनके पास फंड का क्रंच है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को इस बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए ताकि उनको बेसिक ऐजूकेशन प्रोवाइड की जा सके।

जहां तक इंडस्ट्रियल वर्कर के मुकाबले आम वर्कर की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि यह तभी संभव हो सकता है जब यू.पी.ए. सरकार डायवर्सीफिकेशन की नीति डायवर्सीफाई करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऐग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे।

जो हमारा हार्टिक्लचर मिशन बना है, उसमें 630 करोड़ रुपये प्रोवाइड किये गये हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से 630 करोड़ रुपये कम हैं। ये रुपये और बढ़ाये जाने चाहिए। इस हार्टिक्लचर मिशन के जरिये हम हॉर्टिक्लटर और वेजीटेबल्स की अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करें तो वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा होगा।

अंत में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो लैंडलैस लोग हैं चाहे वे गांव में रहते हों, उनके लिए हाऊसिंग की बहुत प्रौब्लम है। आज पापुलेशन बढ़ रही है इसलिए एक कमरे में चार-चार शादी शुदा लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के समय में एक स्कीम बनायी गयी। एन.डी.ए. और उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, सबने उस स्कीम पर काम किया। उसके तहत जितने एस.सी. और बैकवर्ड क्लास के लोग है, उनको प्लाट दिया गया। मैं अपना प्वाइंट रेज करना चाहूंगा, आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि गांव से बाहर कॉमन जमीन पर एस.सी. और बैकवर्ड क्लास की कालोनी काट दी गयी। एक तरफ हम बराबरी की बात कह रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में सबको बराबरी का अधिकार है, हमने एस.सी. और बैकवर्ड क्लास के लिए एक कालोनी बाहर बना दी। पंजाब में हम इसे कालोनी कहते हैं। मैं समझता हूं कि एक हद तक यह बात ठीक थी लेकिन आज इसको सुधारने की जरूरत है।

हमारे मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की जो सोच है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनका कहना है कि एक क्लस्टर यानी चार-पांच गांव में सांझी जमीन को इकट्ठी करके एक गांव बनाया जाये जिसमें लैंड लैस लोगों को जमीन दी जाये चाहे वे एस.सी. हों या ब्राह्मण ही क्यों न हों।

(**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*)

**अपराह्न 3.12 बजे**

पहले सब लोग इकट्ठे रहते थे, इसी तरह का वह गांव बने। उस गांव में हर किस्म की फैसीलिटीज प्रोवाइड हों - वाटर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, धार्मिक संस्थाओं जैसे गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद के लिए जमीन, बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए जमीन हो ताकि फिर से बराबरी और इकट्ठे रहने का माहौल बने। मैं समझता हूं कि सेक्रीगेशन से भारत को नुकसान होगा क्योंकि सेक्रीगेशन ज्यादातर गांवों में हो रहा है। इसे इकट्ठा करने की बातचीत होनी चाहिए। हमारे समाज में किसान, मजदूर आदि के इकट्ठे रहने की भावना भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी इकोनामिक स्थिति जरूरी है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल** (टोंक): माननीय सभापति महोदय, आज जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है, यह बड़ा महत्वपूर्ण

[श्री कैलाश मेघवाल]

संकल्प है। इस संकल्प के दूरगामी परिणाम भी निकल सकते हैं। लेकिन संकल्प प्रस्तुतकर्ता मित्र ने जहां इसको महत्वपूर्ण बताया वहीं इसको यथार्थ स्थिति वाले घेरे से बाहर नहीं निकाल सके। इस संकल्प को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :-

> "कृषि क्षेत्र में आये अभूतपूर्व संकट जिसके परिणामस्वरूप कृषक और कृषिकर्म ऋण, बेरोजगारी और निर्धनता के कुचक्र में फंस गये हैं और बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए, यहां तक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी है, को रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त राहत उपलब्ध करायें तथा कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण के उपाय के साथ-साथ ऋण से राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम भी उठायें ताकि कृषि क्षेत्र को देश के अति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में पुनर्जीवित किया जा सके।"

एक बार आप कर्ज माफ कर दें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान फिर कर्ज में फंस जायेगा। एक बार कुचक्र से बचा लें तो कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह फिर कुचक्र में फंस जायेगा। क्योंकि आज जिस मुकाम पर खड़ा है, यह बहुत ही चुनौती पूर्ण स्थिति इस देश में आ गयी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक कहावत थी कि उत्तम खेती, अधम चाकरी, मध्यम काम व्यापार। यह उक्ति इस देश में चलती थी। उस समय देश में जिस तरह का वैभव था, जिस तरह की भौतिक सम्पदा थी, जिस तरह की बौद्धिक सम्पदा थी, उसको देखते हुए कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है।

यह अब इतिहास की बात हो गई है। भारत में घी, दूध की नदियां बहती हैं, यह भी अब इतिहास की बात हो गई है। अब तो केवल बच्चे पढ़ेंगे और इन कहावतों पर हंसी-मजाक ही करेंगे क्योंकि यह उस वक्त की बात है। पहले कहा जाता था कि 'उत्तम खेती, अधम चाकरी, मध्यम काम व्यापार' और आज यह उल्टा हो गया है। उत्तम चाकरी, आज सारा नौकरशाही जो हमारे देश में आ गई है, यह सबसे उत्तम है। मध्यम काम व्यापार और अधम काम खेती हो गया है। यह जो स्थिति आई है, यह स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जो किसान इस देश का पेट भरता है, कृषि करता है, रात-दिन मेहनत करता है, उसकी जर्जर हालत हो रही है। ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इनके लिए भी हमारी जो कृषि की व्यवस्था और हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वह जिस तरह से तहस-नहस हुई है और जिस तरह से सत्यानाश हुआ है, उसके लिए यह एक चेतावनी है और इस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए।

सभापति महोदय, क्या आपने कभी सुना कि किसी उद्योगपति, किसी सरमायेदार या किसी जागीरदार या किसी धनी पुरुष ने आत्महत्या की हो। ये लोग अरबों-अरबों रुपया हमारे बैंकों से कर्जा लेकर सरकारी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर अपना औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करते हैं, ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं और सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करते हैं। बाद में स्वयं सबसे ज्यादा तड़क-भड़क वाला जीवन जीते हैं। इनके यहां किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता। ऐसे किसी वर्ग को क्या आपने आर्थिक कारण से आत्महत्या करते हुए देखा है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये लोग कर्ज लेते हैं, दिवाला निकालते हैं, दिवाला नहीं निकालते तो सिक इंडस्ट्री घोषित करा देते हैं। एक के बाद एक इस देश की नीतियां, जैसा मैंने कहा कि इस व्यापारी वर्ग ने सारे तंत्र को इस तरह से जकड़ा है कि इसके साथ ही ये ऐश्वर्य का जीवन बिता रहे हैं। 80 प्रतिशत किसान दो एकड़ की जमीन का मालिक है। उसकी क्या हालत होगी? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश में जब अंग्रेज आए थे, उसके पहले की स्थिति और जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे यहां घी, दूध की नदियां बहती थीं, उस समय केवल 40 प्रतिशत आबादी खेती में लगी हुई थी। जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए, कई आक्रमणकारी आकर चले गये, भौतिकता के नाम से हमारे विश्वविद्यालय को नष्ट करके चले गये। हमारे यहां से सारी ज्ञान-गंगा को लेकर चले गये। लेकिन जिस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उस समय अंग्रेजों के यहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात शुरू हो चुका था। उस औद्योगिक क्रांति के कारण उनको अपनी इस खपत को बाजार चाहिए था और उन्हें सबसे बढ़िया बाजार हिन्दुस्तान मिला जो उनके कब्जे में आ चुका था। यहां की हर श्रेष्ठ चीज को उन्होंने नष्ट किया। यहां की संस्कृति कला को नष्ट किया, उसमें लगे हुए लोगों को कृषि की ओर धकेला। यहां की ललित कलाओं को नष्ट किया, उनमें लगे हुए लोगों को कृषि की ओर धकेला। यहां के ज्ञान-भंडारों को नष्ट किया और पठन-पाठन में लगे हुए लोगों को कृषि की ओर धकेला। यहां के कुटीर-उद्योगों को नष्ट किया और उनमें लगे हुए लोगों को कृषि की ओर धकेला। जो भी हमारे हस्त-शिल्प की चीजें थीं, उनमें लगे

हुए लोगों को खेती की ओर धकेला और धीरे-धीरे 1947 में जब अंग्रेज गये, उस समय इस देश की 85 प्रतिशत आबादी कृषि की ओर धकेली जा चुकी थी जो खेती में 85 प्रतिशत आबादी लगी हुई थी, उन लोगों को अंग्रेजों ने कभी अच्छी खेती करने की ओर प्रोत्साहन नहीं दिया। अंग्रेज जानते थे कि यह देश किसानों का देश है। किसान स्वाभिमानी हैं, इनमें जागृति आएगी और जागृति आएगी तो उनमें समृद्धि आएगी और वह उनके लिए चुनौती बनेगा। इसलिए किसानों को गरीब, अज्ञानी, अशिक्षित रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ है, जैसा कि अभी माननीय सांसद कह रहे थे, जो एक कहावत अब आई है कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह अंग्रेजों की देन है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद हमने जो रास्ता अपनाया, वह रास्ता औद्योगिक विकास करने का रास्ता था। औद्योगिक विकास करने के लिए हमारे यहां योजना आयोग का निर्माण किया गया।

योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य था योजनाबद्ध तरीके से हिन्दुस्तान का विकास। लेकिन किसानों की ओर तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। औद्योगिक घराने खड़े हो गए और उन्होंने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति आ गए तो कपड़ा कारखानों में बनने लगा और गांव में जो जुलाहे और कोली कपड़ा बनाने का काम करते थे, वे बेकार हो गए। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी। जूते बनाने के कारखाने खुले, बाटा के जूते बिकने लगे और गांवों में चर्मकार लोग चमड़े का काम, जूते इत्यादि बनाने का काम करते थे, उनकी रोजी-रोटी पर आक्रमण हुआ, उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गयी। टाटा के आने से गांवों में जो लोग लुहारी और सुथारी का काम करते थे और इससे संबंधित गांव की जरूरतों को पूरा करते थे, उन पर हमला हुआ। यही हाल दोना-पत्तल बनाने वालों का हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर कारखाने वालों का हमला हुआ और इसके परिणामस्वरूप लगातार ये हस्तशिल्प और उद्योग नष्ट होते चले गए। आजादी के बाद औद्योगीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। औद्योगीकरण का क्या लाभ मिला? औद्योगीकरण का यही लाभ हुआ कि आज आजादी के 55-56 सालों बाद भी हमारी जनसंख्या का 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं और मात्र 30 प्रतिशत लोगों को हम कृषि से बाहर निकाल पाए हैं। आज यह जो स्थिति बनी है, इसके लिए हमारी औद्योगीकरण की नीतियां जिम्मेदार हैं। महोदय, महत्वपूर्ण संकल्प है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन यथास्थितिवाद से अब काम चलने वाला नहीं है।

आज हम मैकालेवाद की आलोचना करते हैं। जब मैं विद्यार्थी था, तब से यह सुनता आ रहा हूं कि मैकाले ने देश में क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पद्धति बनाई। उसका उद्देश्य ऐसे क्लर्क और गुलाम पैदा करना था जो उनके शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए काम करें, जो मानसिक रूप से पूरी तरह उनके गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले हों। उसी शिक्षा पद्धति पर हम आज भी चल रहे हैं और इसीलिए आज भी पढ़े लिखे व्यक्ति का मन, उसकी भावना, उसके विचार कभी भी खेती की ओर, गांवों की ओर, कृषि और पशुपालन की ओर नहीं लगते। यही एक कमी है अन्यथा हमारे पास क्या कमी है? यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भूभाग है, जिस तरह की प्रकृति और भौतिक संसाधन यहां उपलब्ध हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हिमालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। गंगा और यमुना का यह पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। यहां की जो श्रेष्ठ जलवायु है, जो वनस्पतियां हैं, जो फल-फूल हैं, वे और कहीं नहीं मिलेंगे।

यहां बार-बार कहा जाता है कि बैंक किसानों को कर्ज देंगे, कम ब्याज लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैंकिंग व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ? इसका उद्भव पूंजीपतियों द्वारा किया गया और इसने पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया और हम इस व्यवस्था से उम्मीद कर रहे हैं कि वह हमारे किसानों के हित की बात करेगी। ये जो टुकड़े डाल रहे हैं, छोटे-मोटे कर्ज दे रहे हैं, उससे किसानों का भला नहीं होगा। यह व्यवस्था किसानों का कभी भी भला नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसका मूल ही उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित है। दुनिया के जो पैसे वाले धनिक देश हैं, ये इस देश की आर्थिक स्थिति को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और वह तभी हो सकता है जब ये पूंजीपति लोग गुलाम बन जाएं। पूंजीपति लोग गुलाम बनते जा रहे हैं, सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में खप रहे हैं। नेताओं के घरों के बच्चे, भले लोगों के घरों के लड़के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में जा रहे हैं। वे कहते हैं - वहां हर महीने पांच लाख रुपए वेतन मिलेगा।

क्या मिलता है, यह मिलता है, वह मिलता है। इस संस्कृति की ओर इस देश का आदमी बढ़ रहा है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनीज का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे

[श्री कैलाश मेघवाल]

तोड़ने के लिए साधारण तरीके से काम नहीं चलेगा। आज आपको टोटल उलट बांसी करनी पड़ेगी। टोटल उलट बांसी का मतलब है कि योजना आयोग से लगा कर नीचे तक आपको वे व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी, जिनकी धुरी इस देश का किसान हो। अगर देश को समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है, शक्तिशाली बनाना है, इस देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनीज या विदेशी ताकतों से बचाना है, उनके आर्थिक तंत्र से बचाना है, तो हमें टोटल यू टर्न करना पड़ेगा।

आप देखें कि आपकी नीतियों का क्या परिणाम हो रहा है। डालर आ रहा है बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के साथ। डालर आ रहा है, अच्छे-अच्छे डालर्स में बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हमारे सब लोगों को आकर्षित करती हैं। वे डालर में वेतन ले रहे हैं। डालर ला रहा है डिस्को डांस यानि संस्कृति पर हमला। डिस्को डांस के बाद आ रही हैं ड्रग्स और ड्रिंक्स। ड्रग्स और शराब का जो जाल फैल रहा है, आप सारी जगह घूम आएं, ऊपर से लेकर नीचे तक, सब तरफ देखिए क्या हालत हो गई है। ड्रिंक्स के बाद ड्रग्स आ रही हैं। ये सब डालर की उत्पत्ति हैं। ड्रिंक्स, ड्रग्स के बाद अंतिम डी है यानि डिस्ट्रक्शन। हमारे यहां थोड़ी बहुत बची हुई संस्कृति की जो विरासत है, हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी बौद्धिकता है, उसे पूरी तरह से तहस-नहस करके आर्थिक गुलामी की ओर यह देश जा रहा है। यह परिस्थिति पैदा की जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोक सभा के रिकार्ड में यह शब्द रहने चाहिए कि आज टोटल उलट बांसी है। सारे विश्वविद्यालयों के रूप में, महाविद्यालयों के रूप में, माध्यमिक विद्यालयों के रूप में, प्राथमिक विद्यालयों के रूप में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका नाम बदल दीजिए। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि माध्यमिक विद्यालय, कृषि प्राथमिक विद्यालय, पशु विश्वविद्यालय, पशु महाविद्यालय, पशु माध्यमिक विद्यालय और पशु प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। जब यह भावना होगी, तो इस देश का बच्चा कृषि विद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय या पशु विद्यालय में जाएगा और उनकी सेवा करेगा। यही हमारे यहां का धर्म है, यही हमारे यहां का वैभव है। इसलिए आज सरकार की नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं हुआ तो हम शासन के रूप में तो गुलाम हो गए हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनीज उदारीकरण और भूमंडलीकरण की बात करती हैं।

मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हम तुलना करना चाहते हैं उस अमेरिका से, जिसका भूभाग हमारे यहां से पांच गुना अधिक है और आबादी हमारे यहां से एक चौथाई ही है। उसमें से भी चार प्रतिशत आबादी अनाज पैदा करके सारे देशों को दे रही है, उससे हम तुलना करना चाहते हैं। हम रूस से तुलना करना चाहते हैं, जिसका भूभाग हमारे यहां से छः गुना ज्यादा है और आबादी एक चौथाई से भी कम है। यह तुलना बेकार है, बेमानी है। इसके कोई माने नहीं हैं। मैंने जैसा कहा - आज उलट बांसी हो गई है। जिस कामगार के काम को अधम माना गया, उस पर नौकरशाही हावी है। योजना आयोग को देख लें, वहां कोई पंडित नहीं मिलेगा। कृषि आयोग में कोई पंडित नहीं है। शीश राम ओला वहां नहीं बैठ सकेंगे, वहां आई.ए.एस. ही बिठाया जाएगा। क्षमा कीजिए, आपकी-हमारी मित्रता है, लेकिन मैंने आपको प्रतीक के रूप में किसान माना है। यह आई.ए.एस. की क्या व्यवस्था है, अंग्रेजों की गुलामी कायम रखी जाए, यही इनकी व्यवस्था है। थोड़ी सी स्मरण शक्ति के आधार पर, इंटेलीजेंस के आधार पर और इंटेलैक्चुएलिज्म के आधार पर एक बार परीक्षा में बैठे, पास हो गए, फिर क्या, सारी समस्याओं का हल इनके पास है। केन्द्रीय सचिवालय में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आई.ए.एस. बैठा है। प्रांतीय सरकारों में देख लें, हर क्षेत्र में आई.ए.एस. बैठा है। उसने क्या किया है, कैसे बना है। आज हम देखते हैं आई.ए.एस. बनाने वाले कुछ स्कूल्स खुल गए हैं। पूंजीपतियों, सरमायदारों और जागीरदारों के ये स्कूल्स हैं। वहां से निकलने वाला लड़का आई.ए.एस. होता है और वह सारे देश का भाग्यविधाता हर क्षेत्र में बना बैठा है।

मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ऐटॉमिक एनर्जी का सचिव आई.ए.एस. है, भई एटॉमिक एनर्जी में तुम क्या जानते हो, तुमने तो साइंस में नम्बर लेकर आई.ए.एस. पास की है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी आई.ए.एस. सचिव है। यह जो आई.ए.एस. की प्रथा चली है, मुझे अफसोस है कि इस देश में आई.ए.एस. की जिस बुनियादी तरीके से स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, विचार होना चाहिए था कि कौन किधर जा सकता है, वह नहीं हुआ। लेकिन इन सब समस्याओं की जड़ जैसा मैंने कहा - उलट बांसी है। कृषि आयोग बना है, कैसे काम करना है, उन्हें जानकारी नहीं हो सकती। योजना आयोग है, वहां भी आई.ए.एस. है जो राय देता है, एक सदस्य है। आज कृषि ऋण आयोग वगैरह सब नकारा हो गए। सारी व्यवस्था नकारा हो गई।

इस देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि के उन्नयन की ओर लौटना होगा। कृषि क्षेत्र में होने वाली आत्महत्याएं अभी कम हैं, आने वाली जो चुनौतियां हैं अभी तो कम हैं लेकिन जो व्यवस्था आज चल रही है, इस व्यवस्था में इन चुनौतियों का सामना करने का, इन चुनौतियों का हल नहीं है। यह समस्या आज कम है लेकिन कल ज्यादा होगी। आज भी हमारा आधा देश भूखा सोता है और देश की आधी जनसंख्या को पेटभर खाने को नहीं मिलता है, किसान को पेटभर खाने को नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं लेकिन आज भी करोड़ों लोग पटरियों पर सोते हैं, पटरियों पर जीते हैं और पटरियों पर ही मर जाते हैं और उनके लिए शैल्टर की व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए हैं। क्या यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारी संवेदनशीलता है? इस अवसर पर मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको कृषि को धूरी मानकर, ऊपर से लेकर नीचे तक समृद्धशाली बनाना है और इस देश को ज्ञान को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करना है तो ऐसे प्रयत्नों से ही हमारा देश आगे बढ़ सकेगा और हम समृद्धशाली बन सकेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। हमें अगर 21वीं सदी को हिंदुस्तान का बनाना है तो फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, बौद्धिकता का सिरमौर ओर दूध-दही की नदियां बहाने वाला देश पैदा करना होगा। आज कल जो चल रहा है कि थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा कर्जा माफ कर दो और गरीबी वहां की वहां, परनाला बहेगा वहां का वहां। इसको बदलने के लिए जैसा मैंने कहा कि हमें टोटल यू-टर्न लेना होगा और कृषि को धूरी मानने का संकल्प लेना होगा।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): सभापति महोदय, बहुत ही सही समय पर और जो आज भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है, उस पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव विचार के लिए आया है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में इसको लाकर एक अवसर देकर, सदन को और सरकार को, दोनों को ही कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य किया। भारत जैसे देश के लिए यह दु:खद बात है कि जिस भारत देश की वर्क-फोर्स का 62 फीसदी भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है, वहां पिछले तीन वर्षों से लगातार कृषि की पैदावार में गिरावट आ रही है। पिछले दो-तीन सालों का अगर हम सर्वेक्षण करें तो पायेंगे कि भारत की जनसंख्या डेढ़ से दो फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है और कृषि की उन्नति इतने ही अनुपात में नीचे की ओर जा रही है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। भारत की तरक्की 7 से 8 फीसदी के हिसाब से हो रही है, लेकिन हम ऐसा लक्ष्य मानते हैं कि 10वीं योजना के अंतिम वर्ष में हमारे देश की वार्षिक तरक्की की रफ्तार 8 से 10 फीसदी होगी। यदि हमने इसको 10 वर्षों तक कायम रखा तो हम 2020 तक, भारत के राष्ट्रपति जी की शुभकामनाओं के साथ दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन जायेंगे।

ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा यह आकलन किया गया है कि भारत 3 से 4 वर्ष के अंदर दुनिया की तीसरे नम्बर की ताकत बनने जा रहा है। हम चाहे ताकत तीसरे, चौथे या पांचवें नम्बर की बन जाएं लेकिन मानवीय गुणवत्ता के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया के 175 देशों में 143वें स्थान पर है। हमसे भी गरीब और कंगाल सार्क और अफ्रीका के थोड़े से देश हैं। कंगाली, दरिद्रता, रोग और निरक्षरता में हमसे गया बीता देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के शुभचिंतक और आकलनकर्ता इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पीछे धकेलकर, थोड़े से लोगों की तरक्की को सामने रखकर, इस देश की तरक्की का अहसास कराना चाहते हैं।

उस बात को हम अपने देश के अन्दरूनी हालात के बारे में देख सकते हैं। जिन राज्यों को हम सबसे अधिक तरक्की के पायदान में अगली कतार में देखते हैं, खास तौर से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, जब हम इन तरक्की वाले राज्यों को ठीक से कसौटी और तुला पर तोलने की कोशिश करते हैं तो दिखायी पड़ता है कि किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या इन्हीं राज्यों में की है जिस की संख्या साढ़े 2250 तक हैं। जिस राज्य को हाई टैक में उड़ान भरने का एक अवसर हमारे देश के नीति निर्माताओं ने दिया और यह कहा कि आई.आई.टी. इंडस्ट्री के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश छलांग लगा कर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और बैंगलौर शहर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा निर्यातक इस मामले में हो गया है लेकिन जब हम जमीनी धरातल पर जाते हैं तो उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि 2200, 850, 85 और 1200 तक किसान अपनी लाचारी और बेबसी के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? आप निजी अनुभव से देख सकते हैं कि जिन राज्यों में किसानों की आत्महत्या हो रही है उन्हें राज्यों में नक्सलवाद का प्रकोप

[श्री मोहन सिंह]

भी बढ़ रहा है। नक्सलवाद का रोग उन्हीं राज्यों में है। वहां बूढ़ा किसान ऋणग्रस्तता के चलते, अपनी लाचारी के चलते आत्महत्या करता है और उसी का बेटा जंगल में जाकर हाथ में हथियार लेकर अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में निकलता है। उसे हम लोग कहते हैं कि यह नक्सलवाद का रोग है। क्या हम इसे दमन के जरिए रोक सकते हैं? ऐसी सोच सही ढंग से देश की सारी समस्याओं को गम्भीरतापूर्व स्वीकार न करने के कारण है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने एक बयान दिया है कि उनकी विशेष पहल पर हिन्दुस्तान के व्यावसायिक और वाणिज्यिक बैंक किसानों को दो फीसदी कम रेट पर ऋण देने को तैयार हो गए हैं। आज तक वे तैयार क्यों नहीं थे? उन्हें इसकी तैयारी करने में इतना विलम्ब क्यों लगा और यह केवल व्यावसायिक बैंक क्यों करेंगे? व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं। पिछले 14 वर्षों से जब से हमने आर्थिक उदारीकरण की नीति चलायी, बैंकों में जब से ऑटोमेशन और कम्प्यूटराइजेशन की नीति का अनुसरण करना शुरू किया, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गांवों में जाना बंद कर दिया। उनकी शाखाएं वहां नहीं खुलती। हिन्दुस्तान के किसान का सीधा संबंध सहकारी संगठन के बैंकों, छोटे कपार्ट के बैंकों और नाबार्ड के बैंकों से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किसानों का संबंध है। ये बैंक नाबार्ड और कपार्ट से जिस सूद दर पर कर्ज लेते हैं, उसके दुगने रेट पर किसान को एक्सटैंड करते हैं। जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, किसी व्यक्ति को कार खरीदनी हो या बड़ा घर बड़े शहर में बनाना हो तो 7 फीसदी की दर से बैंक उनको कर्ज देने को तैयार हैं लेकिन क्षत्रीय ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक इस तरह के बैंक हैं जिन का किसान से रिश्ता है उनका रेट अभी भी किसानों के लिए साढ़े 11-12 फीसदी का है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति से कैसे निपटें?

भारत के वित्त जी ने इस साल का बजट पेश करते समय कहा कि हमारी धमाकेदार कोशिश कृषि क्षेत्र में निवेश करने की होगी। जब हमने बजट पढ़ा तो धमाकेदार पैठ किस क्षेत्र में हुई, उन्होंने पढ़ा कि 1 लाख 8 हजार करोड़ इस वर्ष हिन्दुस्तान की सरकार बैंकों के जरिए भारत के गरीब किसान को ऋण के रूप में देने वाली है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसानों को ऋणग्रस्त बना कर उनकी हालत को सुधारा नहीं जा सकता है। हिन्दुस्तान के किसान की कोई फसल ऐसी नहीं होगी, जिस फसल से वह हर महीने बैंकों की मासिक ऋण की किश्त को अदा कर सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सोच को बदला जाए। किसान की जो उपज है, उसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसान का जो निवेश है उस निवेश को सस्ता बनाया जाए। किसान की जिस पूंजी को हम खेती में लगाते हैं, उस पूंजी को आसान और सरल तरीके से किसान को आसान सूद दर पर मुहैया करके हम किसान की हालत को सुधार सकते हैं। किसानों की तरक्की के लिए और खेती की तरक्की के लिए भारत सरकार अपनी सोच को परिवर्तित करे। उसी परिवर्तन के लिए और विचार विमर्श के लिए ही यह प्रस्ताव आया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के लिए अपनी सोच में परिवर्तन करे और उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन्हें ऋण व्यवस्था से उबारने के लिए और उनको सहूलियतें देने के लिए ऋण नीति पर विचार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, कृषि क्षेत्र के मजदूरों हेतु राहत उपायों से संबंधित इस संकल्प में भाग लेना मेरा सौभाग्य है। हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट ने हमें 25 वर्षों से भी अधिक समय से प्रभावित कर रखा है। हम विगत 25 वर्षों से विभिन्न लोक सभाओं में इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं। इस संकल्प को लाने वाले श्री वासुदेवन नायक एक भले आदमी हैं, जिनके पास कृषि मजदूरों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित अनुभव है।

कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कामगारों में अंतर है। जब हम कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। संकल्प में। श्री वासुदेवन नायर ने ऋण जाल, किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने और कृषि मजदूरों की समस्याओं के बारे में सही ढंग से उल्लेख किया है और इस संबंध में सरकार को निदेश भी दिया गया है, कि कृषि क्षेत्र में भू-धारकों और उन खेती करने वाले मजदूरों जो खेतों में अपना खून-पसीना बहाते हैं इन दोनों के लिए सहायता के रूप में राज्य से किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी ग्रामीण जनता में प्राणों का संचार करने हेतु ऋण में

किस प्रकार की प्रभावी त्राण राहत प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 43 में कृषकों के संरक्षण हेतु उपबंध किए हैं जोकि कृषि सहित सभी मजदूरों की 'आजीविका मजदूरी' और कार्य की स्थितियों को सुनिश्चित करते हैं और 'सम्मानजनक जीवनयापन' करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

श्री मोहन सिंह के पूर्व बोलने वाले भाजपा के माननीय वक्ता ने सही उल्लेख किया है कि 55 या 56 वर्ष पूर्व जब संविधान बनाया गया था तो ग्रामीण जीवन बड़ा ही कष्टदायी था। लेकिन इसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। शिल्पकार के रूप में काम करने वाले लोगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसायों को बदल लिया है। अब लोगों की बजाय मशीनों अथवा उद्योगों द्वारा उत्पादन करा करके लोगों को कार्य कौशल और आगम उपलब्ध कराया जा रहा है।

पहले भारतीय कृषि समाज इस अर्थ में आत्मनिर्भर था कि जो भी उत्पादित हो रहा था वह लोगों द्वारा उत्पादित किया जा रहा था। अब, यह रूझान बिल्कुल उलटा है। अब जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन एक अकेला औद्योगिक घराना ही कर रहा है। यही वह अंतर है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि अर्थव्यवस्था को आय से अलग कर दिया है। यही प्रमुख कारण है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है।

जब हमारे पास संविधान में 'आजीविका मजदूरी' और 'सम्मानजनक रहन-सहन' उपलब्ध कराने हेतु खण्ड हैं, तो मेरे विचार से यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उपयुक्त संशोधन करे और इस हेतु उपयुक्त कानून बनाए।

राज्य को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे कि कृषि के अलावा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो सके। वर्ष 2001 का जनगणना के अनुसार 10.70 करोड़ कृषि मजदूर और 12.70 करोड़ मध्यम और बड़े किसान हैं।

कृषि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने की लंबे समय से लंबित मांग के मद्देनजर, राजग सरकार ने, वर्ष 2001 में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आरंभ की थी। ऐसा 1 जुलाई, 2001 से जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया गया था। प्रथम चरण में, योजना को 50 चुने हुए जिलों में कार्यान्वित किया गया था और पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक जिले में 20,000 मजदूरों को मिलाकर कुल 10 लाख कृषि मजदूरों को शामिल किया गया था। मजदूर को सरकार द्वारा 1 रुपए प्रति दिन अथवा 365 रुपए प्रति वर्ष, और 2 रुपए प्रति दिन अथवा 730 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान किया जाना था। यह योजना तीन वर्षों के लिए थी। हमें सरकार द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि इसने कितने और जिलों में उक्त योजना का विस्तार किया है। क्या यह केवल 50 चुने हुए जिलों तक ही सीमित है? क्या अभी भी यह योजना इसके पास है या इसने इस योजना को बंद कर दिया है? क्या यह इस योजना का विस्तार अन्य सर्वाधिक पिछड़े जिलों में करने की मंशा रखती है?

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 31 अक्तूबर, 2002 तक 1,00,074 कृषि मजदूरों को योजना में शामिल किया गया था। इसमें 60 वर्ष से ज्यादा की आयु के लिए वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और चिकित्सा बीमा भी उपलब्ध कराने का उपबंध किया गया था।

महोदय, जनश्री बीमा योजना नामक एक अन्य योजना भी थी, जिसे 10 अगस्त, 2000 को आरंभ किया गया था। इसमें स्वभाविक मृत्यु के मामले में 20,000 रुपए का, मृत्यु अथवा स्थायी पूर्णतः निःशक्तता के मामले में 50,000 रुपए और दुर्घटना के कारण होने वाली स्थायी निःशक्तता के मामले में 25,000 रुपए के बीमा का उपबंध किया गया था। इस हेतु आयु समूह को 18 से 60 वर्षों तक सीमित रखा गया था। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को भी सम्मिलित किया गया था। इसमें 25 या इससे अधिक आयु समूह के लोगों को भी शामिल किया गया था। सरकार ने इस योजना का कितना विस्तार किया है?

कृषि क्षेत्र के कामगार अपने सामान्य हितों के लिए कतिपय कमियों के कारण से स्वयं को संगठित नहीं कर सकते हैं। हम सब यह जानते हैं। पूरे देश में कृषि मजदूर एक समान रूप से वंचित वर्ग में आते हैं। अपने सामान्य हितों के लिए वे अपने आपको संगठित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बाधा यह है कि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा रोजगार की प्रकृति के मद्देनजर बहुत ही आकस्मिक है। उपेक्षा भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अशिक्षा और स्थापना के छोटे और बिखरे हुए आकार ने इस समस्या को और अधिक बढ़ाया है। असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ मजदूरों में से 23.7 करोड़ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, 1.7 करोड़ निर्माण क्षेत्र में हैं, 4.1 करोड़ विनिर्माण क्षेत्र में हैं और 3.7 करोड़ व्यापार और परिवहन, तथा संचार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह जनगणना की सूची के अनुसार है। इस प्रकार इनमें से बहुसंख्य कृषि मजदूर हैं। मेरे विचार से यह उचित समय

[श्री भर्तृहरि महताब]

है कि सरकार यह विधेयक लाये जो विधेयक श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा 2004 में तैयार किया गया था जब वह श्रम मंत्री थे। उनका इरादा न केवल राज्यों बल्कि हमारे देश के श्रम बल के हाथों को सुदृढ़ करने का था।

असंगठित क्षेत्र के भारी संख्या में कामगार गृह-केन्द्रित कामगार हैं। इनमें से कई बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, कपड़े सिलने तथा जरी और कशीदाकारी कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों के लिए कुछ कल्याण निधियां गठित की गई हैं। परन्तु यह मानक के अनुरूप नहीं हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कार्य करने तथा रहन-सहन की स्थितियां अभी भी अत्यंत दयनीय है।

आज मैं देखता हूं कि असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? यदि इसका मुख्य कारण पैसे की कमी है, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार जो हमेशा आम आदमी के भले की बात करती है इस प्रयोजन के लिए धनराशि उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है? वर्ष 2003-04 में इस योजना में 13.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। और इस वर्ष 2004-05 में विशेष रूप से यह 13 करोड़ रुपये रह गई। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह हमें बताएंगे कि वर्ष 2005-06 में कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है।

महोदय यह विशेष रूप से कृषि कामगारों सहित असंगठित ग्रामीण कार्यबल के अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान करने का सही समय है। इन्हें दो राज्यों केरल और त्रिपुरा में विधिक मान्यता दे दी गयी है। उन्होंने इस संबंध में विधि भी अधिनियमित कर दी हैं। केरल में मेरे विचार से 1974 में तथा त्रिपुरा में 1986 में कि ऐसा किया गया था। एक राष्ट्रीय कानून बनाने में निश्चित रूप से कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि केन्द्र सरकार कोई योजना या विधेयक लाती है तो विभिन्न राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। यदि यह कारण है तो कम से कम आप अपनी योजना तो पेश करें, आप कानून में जिस प्रकार का प्रावधान लाना चाहते हैं तथा ऐसे कौन से राज्य हैं जो पीछे हैं।

इसी के मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के विभिन्न भागों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी समस्या यह है कि ऐसा बड़े किसानों द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष एक मौसमी फसल उपजाने वाले किसान ऐसा नहीं कर रहे। यह वह किसान हैं जो नकदी फसलें लगा रहे थे, जिन्होंने बैंक से भारी ऋण लिया है वही आत्महत्या करने को बाध्य हैं।

अन्य मुद्दा, मानवीय पहलु भी है। वह यह है कि कृषि उपज का उचित दर पर विपणन नहीं किया जा रहा। इससे प्रोत्साहन कम हो जाता है और वह इस हद तक हतोत्साहित हो जाता है कि न केवल उसे आत्महत्या करनी पड़ती है बल्कि उसके पूरे परिवार को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। बैंक उन्हें पर्याप्त राशि प्रदान नहीं कर पाते जिससे उनका पुनरुद्धार हो और वह फिर से कृषि कर सके। इससे अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है।

इसीलिए किसान जिस कर्ज के जाल में फंस जाता है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा किसानों के साथ-साथ कृषि से जुड़े श्रमिकों के लिए एक संयुक्त योजना बनाई जानी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** श्री राम कृपाल यादव। क्या आपने अपनी सीट बदल ली है?

**श्री राम कृपाल यादव:** मैं अपने स्थान पर ही हूं।

**सभापति महोदय:** ठीक है। आप बोलिये।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं श्री पी.के. वासुदेवन नायर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने आज प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कामगारों को राहत के विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं भी अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र में कामगारों की क्या स्थिति है।

महोदय, कहा जाता है कि भारत एक देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70-75 प्रतिशत आबादी खेत-खलिहानों पर निर्भर करती है। आजादी के 57-58 साल के बाद भी किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसानों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर किसानों की हालत ठीक रहेगी तो खेत मजदूरों को मजदूरी ज्यादा मिलेगी और उनकी स्थिति भी सुधरेगी। दुर्भाग्य की बात है कि जैसे-जैसे हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ता गया, बहुत सारी जगहों पर हम अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, देश और

दुनिया में हमारा स्थान बहुत अच्छा रहा है, मगर जिस प्रकार हमने दूसरे क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया, उस प्रकार हमने खेत-खलिहानों की ओर ध्यान नहीं दिया। यदि हमारा ध्यान खेत-खलिहान की ओर गया होता तो निश्चित तौर पर जो छोटे और मझौले किसान हैं और उनसे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनकी हालत सुधर गई होती।

महोदय, मैं यह देखता हूं कि अभी तक जितनी भी सरकारें आईं, सब लोगों ने खेत-खलिहान और मजदूरों की बात की, पर उनकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। आज भी आप गांवों के हालात देखिये, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां आप जा नहीं सकते हैं, किसी सवारी से नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते। आज भी गांवों के हालात देखिये, कितनी दुर्दशा है गांवों की।

**अपराह्न 4.00 बजे**

सभापति महोदय, पानी का अभाव है, स्कूलों का अभाव है, सड़कों का अभाव है और बिजली का अभाव है। किसानों की इमेज बदलती जा रही है। खेत-खलिहान में काम करने वाले जो किसान हैं,...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया कुछ देर के लिए अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यो, इस संकल्प के लिए दिया गया समय पूरा हो गया है। इस संकल्प पर कई सदस्यों ने बोलना है। यदि सभा की सहमति मिले तो इस चर्चा का समय और एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़): उस स्थिति में सभा रात 8.00 बजे तक चलेगी क्योंकि इसके बाद हमें गैर सरकारी विधेयक पर विचार करना है जिसके लिए ढाई घंटे का समय रखा गया है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** हम इस विधेयक पर चर्चा पुनः शुरू कर सकते हैं और फिर अगले सत्र में इसे जारी रख सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** हमने इस विशेष संकल्प के लिए समय बढ़ाया है और सभा के समय को नहीं बढ़ाया है।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिस पर बहस चल रही है। इस पर बहुत से सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि वाद-विवाद के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** व्यवस्था के अनुसार सभा सायं 7.30 बजे तक चलेगी। सभा की बैठक को सायं 7.30 बजे से आगे बढ़ाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी):** इस संकल्प पर चर्चा अपराह्न 5.00 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद सभा गैर सरकारी विधेयक पर विचार करेगी।

**श्री पवन कुमार बंसल** : यह ठीक है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि किसानों की हालत बहुत ही खराब है। उनकी ओर आज तक पूरे तौर पर ध्यान देने का काम नहीं किया गया है।

महोदय, सभी लोगों का संगठन है, लेकिन किसानों का कोई संगठन नहीं है। नेताओं का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, दुकानदारों का संगठन है, लेकिन खेती में काम करने वाले मजदूरों का कोई संगठन नहीं है और न ही किसान संगठित हैं। किसानों के संगठित नहीं होने का फायदा सभी लोगों ने उठाने का काम किया है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि लगभग 10 करोड़ से भी अधिक असंगठित किसान हैं। मैं उन असंगठित किसानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन असंगठित किसानों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। वे लोग बड़े पैमाने पर दिनभर मेहनत करते हैं। चाहे फिर धूप हो, पानी हो, आंधी हो, ठंड हो, दिन हो या रात, बहुत कठिन मेहनत करते हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उनकी गरीबी इतनी अधिक है, यदि वे खेती में काम नहीं करें, तो वे अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। आज भी ऐसे अनेकों किसान और मजदूर हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं।

महोदय, धीरे-धीरे किसानों की संख्या कम होती जा रही है। जो पहले 10 एकड़ जमीन का मालिक था, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण जमीन बंटने से खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आ गया है। फिर चाहे बड़ा किसान हो, मंझोला किसान हो या छोटा किसान हो, वह आज खेतिहर मजदूर

[श्री राम कृपाल यादव]

की श्रेणी में आ गया है और दिन भर कमाने के बावजूद वह अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाता है, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता तथा रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं कर पाता है। हमें अपने संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार, पीने के पानी की व्यवस्था कराएगी, उनके लिए सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कराएगी, उनके लिए सरकार घर की व्यवस्था कराएगी, लेकिन इन बेसिक अमैनिटीज की व्यवस्था गांवों में आज तक नहीं हो सकी है और उन्हें उपलब्ध कराने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है।

महोदय, वैसे तो पूरे देश में असंगठित किसानों और खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति है, लेकिन मैं इस बारे में अपने प्रदेश, बिहार की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां प्रति वर्ष 30 लाख खेतिहर मजदूर रहे हैं। चूंकि बिहार की हालत ठीक नहीं है तथा कहीं बाढ़ है और कहीं सुखाड़ हो जाता है। इस कारण यदि वे दूसरे प्रदेशों में जाकर काम न करें, तो उनको रोटी मिलनी भी मुश्किल हो जाएगा।

खेतिहर मजदूर बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और असम, हर जगह जाकर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए काम करते हैं और किस तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। वैज्ञानिक युग आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम इस वैज्ञानिक युग में ट्रैक्टर और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां खेत में काम करने वाले दस मजदूर थे, वहीं अब एक मजदूर उस काम को कर रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसे हम रोकने का उपाय नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल न कीजिए। अगर देश उन्नति करेगा तो किसान भी उन्नति करेंगे, मगर ट्रैक्टर के इस्तेमाल से वे हाथ बेकार हो रहे हैं। पहले हल चलाया जाता था, मैं यह नहीं कहता कि आप ट्रैक्टर के माध्यम से काम न करें, मगर ऐसा कोई उपाय निकालें, ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि इस वैज्ञानिक युग में भी उन्हें काम मिल सके, उनकी बेरोजगारी कम हो सके। इसकी चर्चा इसमें की गई है। अगर इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से किसान, खेतिहर मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे।

महोदय, आज किसानों का खेती के प्रति आकर्षण घटने का मुख्य कारण यह है, आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, खेत-खलिहान में जो बीज एवं खाद डाली जाती है, उसकी कीमत इतने जोरदार ढंग से बढ़ रही है, लेकिन उसका रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने उत्पादित अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वे किसी तरह बैंकों और महाजनों से कर्ज लेकर अपने खेत में इनवैस्ट कर रहे हैं, मगर खेत में उत्पादन होने के बाद जब ये बाजार में बेचने जाते हैं तो उसका उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। ये कर्जदार हो गए, अब बैंक इंटरैस्ट माफ नहीं करेगा, महाजन से जो पैसा लिया है, वह कर्ज माफ नहीं करेगा तो उन्हें मजबूरीवश आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए ताकि खेतीहर मजदूर, किसानों को आप कर्ज देने का काम कर सकें। आप उन्हें कम रेट पर कर्ज देने का काम कीजिए, आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कोशिश की है कि खेत और खलिहान तथा किसानों की तरफ ध्यान देंगे। हमारा जो इनवेस्टमेंट है, आपने प्रतिशत बढ़ाया है, वर्तमान यू.पी.ए. सरकार ने 38 प्रतिशत किसानों के लिए अपने बजट में कृषकों के लिए व्यवस्था की है, मैं मानता हूं कि यह पर्याप्त है, लेकिन आप इसे 50 प्रतिशत करने का काम करें। आप बैंकों से कर्ज लेने जाइए, आप एहसास कीजिए कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है। बैंक में कितनी करप्शन है, वहां बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है। महोदय, आप खुद इस बात का एहसास करते होंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से जनता के प्रतिनिधि हैं। आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को आपने देखने का काम किया है। हजार रुपए कर्ज लेने के लिए 500 रुपए घूस देनी पड़ेगी, तब भी आपको कर्ज नहीं मिलेगा। चप्पल घिस जाएगी, बैंक के मैनेजर के पास आना-जाना लगा रहेगा, मगर बिना पांच-दस प्रतिशत कमीशन दिए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आपने इतनी फोरमेलिटीस कर रखी है - एक आम गरीब किसान, खेतिहर मजदूर आपकी फोरमेलिटीस को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे लोन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप आसान तरीके से उसे कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि किसान अपना जीविकोपार्जन कर सके, इनवैस्टमेंट करा सके। यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक आपके नीति-निर्धारण में होना चाहिए कि हम किसानों को इतनी राशि आबंटित करेंगे। जब तक खेत और खलिहानों में खुशहाली नहीं आएगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है।

महोदय, बहुत से लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चर्चा कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी कम्पनियां हैं। बहुत सारी कम्पनियां आकर यहां हमारे रोजगार पर असर डाल रही हैं। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम बाहर से चीजें मंगाएंगे। यहां नीतियां बन रही हैं, बाहर से फल, सेव, चावल, चीनी आ रहे हैं, सारा कुछ बाहर से लाने की व्यवस्था आपने खोल दी है। अगर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी उपजी हुई जो सामग्री है, आपकी वह सामग्री पड़ी रहेगी। आप बाहर से लाएंगे, क्योंकि उनका कम रेट है। हमारे किसान उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो रहे हैं और हमारा सामान वहीं बच रहा है और विदेशी सामान की खपत हो रही है। भारत आज एक बाजार बनकर रह गया है। भारत की एक अरब से अधिक की आबादी है, इस आबादी में खपत नहीं हो रही है। आप ऐसी पालिसी बनाने का काम करें, हम इतने सक्षम हैं, भारत के गांव के किसान और मजदूर इतने सक्षम हैं कि इतना अधिक उपज पैदा कर सकते हैं कि हम दूसरे देशों को खिलाने का काम कर सकते हैं, यह हमारी क्षमता और कूवत है।

हमारी बहुत सारी जमीन असिंचित पड़ी रहती है, हम उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें। हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे इलाके में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कल से ही इसकी चर्चा सदन में हो रही थी। जिस तरह से कभी ओलावृष्टि हो जाती है, जिस तरह से बाढ़ आ जाती है, जिस तरह से सुखाड़ आ जाता है, इन सब चीजों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा, जमीन को सिंचित बनाना पड़ेगा। सैंकड़ों वर्षों से कई नहरें ऐसी हैं, जिनकी आपने उढ़ाई कराने का काम नहीं किया है। वे नहरें कहीं से टूट गई हैं, कहीं भर गई हैं, उनकी उढ़ाई करने का काम करें। सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने का काम करें, पर्याप्त मात्रा में ट्यूबवैल देने का काम करें। अगर आप ट्यूबवैल नहीं दीजिएगा तो किसान पानी कहां से ले पाएगा।

मैं समझता हूं कि आप खाद की कीमत नियंत्रित करें, बीज को नियंत्रित करने का काम करें। इन सब चीजों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो किसान खुशहाल नहीं हो पायेगा।...*(व्यवधान)* मैं पांच मिनट और बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** सिर्फ दो मिनट।

**श्री राम कृपाल यादव:** दुर्भाग्य है कि जब मैं बोलता हूं तो समय उसी समय निर्धारित हो जाता है। इस नियम के तहत तो जितना जो बोल सकता है, बोलता है, मगर हमारे लिए आपने टाइम तय कर दिया।

**सभापति महोदय:** इस विषय पर बहुत स्पीकर्स हैं।

**श्री राम कृपाल यादव:** मैं आपसे कह रहा था कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार को विशेष तौर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो असंगठित मजदूर हैं, जिनकी चर्चा हम विशेष रूप से कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कीजिए। आज सारे किसानों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, आप उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए की हॉस्पीटल में उनका मुफ्त इलाज हो सके। डाक्टर्स गांवों में तो जाते ही नहीं हैं। एक भी डाक्टर गांव में नहीं जाता है, सब शहर में प्रैक्टिस करने का काम करते हैं तो आप इसे एन्श्योर करवाइये ताकि गांव में इलाज की व्यवस्था हो सके।

बच्चों की पढ़ाई गांवों में नहीं होती, जिसके बाप-दादा मजदूर थे, वह भी आज मजदूर है। कैसे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा, कैसे सामाजिक न्याय की बात आप कर पाएंगे? गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो किसी खास वर्ग और तबके के बच्चे ही पढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे क्या? इस तरह उनको न्याय नहीं मिल सकेगा तो आप इसके लिए समुचित व्यवस्था कराइये और उनको अधिक से अधिक स्कूल देने का काम कीजिए। उनके बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था करने का काम कीजिए। यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

मजदूरों की एक्सीडेंटल डैथ होती है, मजदूर मर जाते हैं, बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं, जैसी मैंने चर्चा की, वे पंजाब में जाते हैं, असम में जाते हैं, उनका आप जीवन बीमा करवाइये। आपने व्यवस्था उपलब्ध कराई है, मगर आप अधिक से अधिक असंगठित मजदूर कवर हो सकें, इसकी व्यवस्था कराने का काम कीजिए ताकि सारे असंगठित मजदूर उससे बिल्कुल कवर हो जायें।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पैंशन योजना आप लागू कराने का काम कीजिए। आज तो स्थिति यह है कि किसान और मजदूर खेत और खलिहान में कम काम करना चाहते हैं, वे देखते हैं कि उनसे खुशहाल तो पान और चाय वाला है, जितनी कमाई पान और चाय बेचकर एक व्यक्ति काम लेता है, उससे कम पैसा मजदूर कमा पाता है। वह समझता है कि पान और चाय बेचना ज्यादा अच्छा है। अगर यही मानसिकता रही तो खेत और खलिहान में जो काम करने वाले मजदूर हैं, अगर वे दूसरी तरफ चले जाएंगे तो खेत और खलिहान में उपज कौन कराएगा। जब हमारे देश में उपज नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे। हमारे देश की 70 से 75 प्रतिशत आबादी खेत और खलिहान पर निर्भर कर

[श्री राम कृपाल यादव]

रही है। यह गम्भीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, इसलिए खेत की तरफ आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, किसानों की तरफ आकर्षण पैदा करना पड़ेगा।

नहीं तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। हम साइंस और टैक्नोलाजी को आगे बढ़ाते रहें। हम रोज आकाश में जाते रहें लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत कम संख्या शहरों पर निर्भर करती है। हमारी बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है। आज इतने वर्षों के बाद भी हमें शर्म आती है कि हम पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं करा सके हैं। यू.पी.ए. सरकार ने प्रयास किया है और अब मिशन चला रहे हैं। राजीव गांधी पेयजल के नाम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात कही है। आज भी जब आप गांव में जाएंगे तो आपको लज्जा आएगी कि खेत शौच के लिए हमारी मां और बहनों को रात में क्यारियों में बैठा रहना पड़ता है। हम लोगों को खुद शर्म आती है। अगर देश के खेत और खलिहान, गांव और मजदूर की तरक्की करनी है, अगर देश की तरक्की करनी है और देश के आगे बढ़ाना है तो किसान पर और खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर की तरफ हमारा ध्यान ले जाना पड़ेगा। अन्यथा देश की तरक्की नहीं हो सकती है और देश की बहुत बड़ी आबादी गांवों में बसती है और खेती पर निर्भर करती है। जो हाथ बेकार होते जा रहे हैं उन हाथों को काम देना होगा और रोजगार की गारन्टी देनी होगी। तभी मैं समझता हूं कि हमारा देश तरक्की करेगा। हम देश और खेत, खलिहान को खुशहाल नहीं करेंगे, मजदूर और किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, उनके बच्चों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है और हम गांव की खुशहाली चाहते हैं तो हमें किसानों और मजदूरों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

**श्री अवतार सिंह भड़ाना** (फरीदाबाद): किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, जो कृषि पर निर्भर करती है। गत् 12 वर्षों में किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। किसान भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है। जहां एक ओर किसान महामारी, ओलावृष्टि और सूखा आदि से पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर किसान सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों की वजह से भी पीड़ित है। किसान कर्जे के बोझ से लदा हुआ है। अंधी प्रशासनिक नीति के कारण जहां हमारे देश में व्यापारी, उद्योगपति लोगों पर करोड़ों का बकाया होने के बावजूद भी वह शान से घूमता है। उसको ज्यादा से ज्यादा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और दूसरी फर्म के नाम से ऋण लेने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर किसान पर हजारों-लाखों का कर्ज होता है तो वही बैंक कर्मचारी उनके घर के चक्कर लगाते हैं। किसानों को बेइज्जत किया जाता है। उनके ट्रैक्टर, उनके बर्तन तक उठा कर ले जाते है। इस दोहरी नीति से किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिए। उसे सस्ती दर पर ऋण मिले और ब्याज से मुक्ति मिले। आपातकाल की स्थिति जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि की स्थिति में फसल नष्ट होने पर ब्याज माफ किया जाए एवं कर्जे की वसूली न की जाए तथा उनकी फसलों का बीमा किया जाए। वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य कई प्रदेशों में वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। इन क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक मदद के साथ-साथ नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। मेरी सदन से अपील है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि कृषि पर निर्भर 70 प्रतिशत आबादी का भविष्य सुरक्षित हो सके। "किसानों को ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस जो कृषि कार्य का प्रमुख साधन है पर उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर माफ किए जाएं ताकि हर किसान को ट्रैक्टर खरीदना संभव हो सकेगा।" कृषि पर लगे मजदूरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार की नीति किसानों के लिए लचीली होनी चाहिए। हमारे देश में किसान को एक लाख रुपये का कर्जा मुश्किल से मिलता है। कर्जा लेने के लिए उनको महीनों-महीनों तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

किसानों को काफी कठिनाइयों के बावजूद भी ऋण नहीं मिलता। सरकार की ऋण नीति में समानता हो और गरीबों के लिए उदार नीति हो। बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर हजारों-करोड़ों रुपये का बकाया होता है लेकिन उनका कुछ नहीं होता। मैंने मेरठ और फरीदाबाद क्षेत्र में देखा है कि अगर किसानों के ऊपर दो हजार रुपये, पांच हजार रुपये का कर्ज भी होता है तो उनको लॉक-अप में बंद कर दिया जाता है। सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे किसान बच सकें। किसान अपनी फसल पर ही निर्भर करता है। जब उसकी फसल अच्छी होती है तब वह अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। जब उसे गन्ने की फसल की पेमैंट मिलती है, तब वह अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। कहीं किसानों की तीन फसलें होती हैं लेकिन कहीं पर उन्हें दो फसलों पर ही निर्भर

करना पड़ता है। किसान के पास ऋण चुकाने के लिए हर महीने पैसा कहां से आएगा। जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उस सूरत में वह कर्ज कहां से दे सकता है। मैं सदन और आपसे कहना चाहूंगा कि यहां सब किसानों के नाम पर चुनकर आते हैं, इसलिए किसान के हित के लिए नीति बनाने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई नीति नहीं बनती। अगर इस देश में किसानों के हित में कोई नीति नहीं बनेगी तो यह देश कमजोर हो जाएगा। इस सदन में किसानों के नेता और किसानों के परिवार से आए हुए सांसद मौजूद हैं। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश नहीं बचेगा। नीतिकारों को चाहिए कि किसानों के हित में नीति बनाने का काम करें। यू.पी.ए. सरकार ने अच्छी नीति बनाई लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसानों की अनदेखी हमेशा हुई है। किसानों को न ही समय पर ऋण मिलता है, न ही खाद मिलती है। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हजारों-करोड़ों रुपये का कर्ज रातों-रात टेलीफोन पर मिल जाता है लेकिन अगर कोई किसान अपनी फसल के लिए लाख, दो लाख रुपये का कर्ज लेना चाहे तो उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मैनेजर के दरवाजे पर चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उसे कर्ज नहीं मिलता। जब तक वह बैंक के लोगों को रिश्वत नहीं देता, तब तक उसे पैसा नहीं मिलता। किसानों की फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजा ही नहीं मिले बल्कि उनका ऋण भी माफ हो, ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए। जो किसानों की पीड़ा नहीं समझते, उनकी मुश्किलें नहीं जानते, वे किसानों के लिए नीति तय नहीं कर सकते। इस देश में जब किसानों की पीड़ा जानने वाला किसान का बेटा कोई नीति तय करेगा तब इस देश का किसान बचेगा। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों के हित में नीति बनाने की बात सोचें ताकि किसान बच सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): सभापति जी, श्री पी.के. वासुदेवन नायर द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अनेक वक्ताओं ने देश के विभिन्न भागों की समस्याएं बताई हैं। अगर तटीय क्षेत्र का संबंध है तो वहां के किसानों की समस्याएं अलग हैं और अगर मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा आदि उत्पादक क्षेत्र हैं, तो उनके किसानों की अलग समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर विस्तार ने न जाकर कल से हिमालय क्षेत्र की चर्चा यहां पर हुई है। अब यह चर्चा प्राकृतिक आपदा के संबंध में आयी थी। हिमालय जो एक पर्वतीय क्षेत्र है, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यहां कृषकों की समस्याएं भिन्न प्रकार की हैं। वहां कृषि योग्य जो जोत है, वह बहुत छोटी है, सीढ़ीदार खेत हैं। वहां किसानों के पास कृषि भूमि एक एकड़ से अधिक नहीं है। दूसरे, किसानों के सामने काफी समस्याएं आती हैं जिसके कारण उनका पलायन तेजी से हो रहा है। वहां किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। इसके अनेक कारण हैं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। कृषि के अलावा वहां कोई उद्योग, उद्यम, रोजगार या कारखाना नहीं है। वे एकमात्र कृषि पर ही आधारित हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत फल-फूल, साग-सब्जी और पशु पालन पर आधारित रहकर अपना गुजारा करते हैं,।

इस देश के भीतर विशेष तौर पर मैं उत्तरांचल का जिक्र करूंगा जिसकी मुझे अधिक जानकारी है। जो नया राज्य उत्तरांचल बना है, उसके नौ पर्वतीय जिले हैं और तीन मैदानी क्षेत्र हैं। पर्वतीय जिलों में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं। हमारे यहां वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। उसके पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 पहले से लागू है। इसके तहत जंगल के भीतर जो जानवर हैं, उनका वध करना अपराध है। उस पर्वतीय क्षेत्र में जितने गांव हैं, उनकी खेती जंगल से लगी हुई है। चारों ओर जंगल और जंगल के बीच में वह ग्रामवासी जिन्हें मैं वनवासी मानता हूं, ये उन जंगलों में खेती का काम करते हैं। उनके छोटे-छोटे खेत हैं। उन जंगलों में जो पशु हैं खासकर सुअरों की आबादी वन्य जीव अधिनियम आने के बाद काफी बढ़ गयी है। सुअरों के झुंड के झुंड फसल खाकर उसे बर्बाद कर देते हैं।

**अपराह्न 4.28 बजे**

**(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)**

इस कारण लोग खेती छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, यह बहुत ज्वलंत विषय है। रात में सुअर और दिन में बंदरों की संख्या उनकी फसलें खराब करता है। बंदरों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है क्योंकि जंगल और गांव के बीच कोई बैरीकेटिंग नहीं है। सुअर हिंसक भी है। किसान सुअरों के झुंड को नहीं रोक सकता। वह अपनी बर्बादी को सामने खड़ा होकर देखता रहता है।

इसी के साथ-साथ ओलावृष्टि का विषय भी आया है।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

ओलावृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र अछूता नहीं रहता। मार्च-अप्रैल में ओलावृष्टि होने से फसल का नुकसान होता है। यदि बागवानी का काम होता है, तो फल-फूल का भी नुकसान होता है। अभी इस हफ्ते जो ओलावृष्टि हुई है, उससे बहुत बड़ा नुकसान उत्तरांचल क्षेत्र में हुआ है। तीसरे, वहां की उपज या खेती लाभकारी नहीं है। अगर किसान थोड़ा बहुत सब्जी-फल पैदा करता है तो उसे वे बेचने के लिए कहां ले जाये क्योंकि मंडी तक जाने के लिये सड़क नहीं है। प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है लेकिन हमारी समस्या उसमें भी अटकी हुई है। वन संरक्षण अधिनियम यह इजाजत नहीं देता कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगल से बाहर गांव तक पहुंचे। वह किसान पैदल 10-20 किलोमीटर मजदूरी करके या खुद मजदूर बनकर जाता है तो उसको भाड़े और दिन का जो खर्चा आता है, वह भी उसी में जुड़ जाता है। उसे बिक्री से कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा यहां लैंड स्लाइड और क्लाउड बर्स्ट का फिनॉमीना पिछले एक दशक से बन गया है। पहले ये परिस्थितियां नहीं होती थीं।

पुराने लोगों का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज का सारा सवाल आ रहा है, जिसके कारण यह लगातार बादल फटने की घटनाएं, लैंड स्लाइड की घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण खेतों में मिट्टी आ जाती है और चट्टानें आ जाती हैं। इसके कारण भी किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और फसल का नुकसान तो होता ही है। वहां के किसानों के लिए एक दिक्कत और है कि वे ट्रैक्टर से खेती नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वही हल और वही पुराने समय के उपकरण यानी छोटा हल चाहिए जिसको लेकर उसे छोटे-छोटे खेतों में खेती करनी है। उसके लिए उसको लकड़ी नहीं मिलती है। वन्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हरा पेड़ आप काट नहीं सकते हैं। बिना हरा पेड़ काटे हुए हल और औजार बन नहीं सकते। इस प्रकार से चारों ओर से संकट से वहां का किसान, काश्तकार घिरा हुआ है। किसान का यह है कि कभी थोड़ी बागवानी कर ली। इस प्रकार से भिन्न-भिन्न कार्य करके कुल आमदनी होती है, उसी से उसका परिवार चलता है। जहां तक उसके पशु धन का सवाल है, पशु धन में भी नस्ल सुधार का कार्यक्रम जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि एक एम्ब्रायो ट्रांसफर टैक्नोलॉजी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। मैंने अपने समय में स्वीकृति दी थी और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जो वर्तमान नस्ल है, उसमें सुधार हो और दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो।

अब सवाल यह आता है कि किसान की मदद कैसे की जाए। जंगली सुअर और बंदर के आतंक से जो किसान की फसल बर्बाद होती है, उसका विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे नीलगाय पर पहले प्रतिबंध था और नीलगाय को खेती के हित को ध्यान में रखते हुए संरक्षित पशुओं की श्रेणी से निकाल दिया गया था। उसी तरह से सुअर की प्रजाति को भी सूची से बहाल किया जा सकता है क्योंकि उसकी आबादी बहुत बढ़ गई है। कम से कम रात में जो नुकसान होता है, उससे किसान बच सकता है और दिन में बंदर को तो भगाया जा सकता है। पिछली सरकार में खेती के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्यक्रम हुए और इस बात को यू.पी.ए. के मित्र भी स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्री अजित सिंह जी भी मौजूद हैं। सरकार को अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहिए।

जो फसल बीमा योजना है, यह पहला कांसेप्ट था कि किसान के बारे में एक सोच थी। अगर उसमें कहीं खामियां हैं तो उनमें ठीक तरह से सुधार करना चाहिए। फसल बीमा लगभग तीन करोड़ किसानों को रिकार्ड समय में दिया जा चुका है। लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का फाइनेंस हुआ था, बड़ी अच्छी प्रक्रिया चली है और माननीय मंत्री जी इसे पूरा करा रहे हैं। उसकी ब्याज दरों में और कितनी गुंजाइश की जा सकती है, इसको देखते हुए, जैसे किश्त की बात आई थी कि आसानी से कि क्या माहवार होनी चाहिए या त्रिमाही होनी चाहिए या फसल की बिक्री का समय तय किया जाए। दूसरा, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड ये दो ऐसी योजनाएं थीं, जिनकी सराहना की जाती है, लेकिन फसल बीमा में हमारे लिए समस्या यह आ रही है कि फसलों का तो बीमा हो रहा है लेकिन जो फल है, जो ओले से नष्ट हो जाते हैं, फल और फूल इनके लिए कोई व्यवस्था इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा साइंस एंड टैक्नॉलोजी मंत्रालय से जिरेनियम की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की जाए। इसको न बंदर नुकसान पहुंचा सकता है और न सुअर नुकसान पहुंचा सकता है। मैं नहीं समझता कि वन्य सुरक्षा अधिनियम में अब कोई परिवर्तन आएगा। हमें यह विचार करना चाहिए कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो रही है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के रूप में इसे शुरू किया गया था और 80 करोड़ रुपये अकेले उत्तरांचल को मिले। लेकिन उसकी टर्म भी इस वित्तीय वर्ष में खत्म हो रही है। मैं माननीय

मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका अच्छा परिणाम आ रहा है और हम ऑरगेनिक खेती को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा फूड प्रोसैसिंग का प्रावधान है। इसकी यूनिट छोटे-छोटे इलाकों में लगाई जा सकती है ताकि रोड ट्रांसपोर्ट की समस्या से निजात मिल सके नहीं तो उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता है। इस तरह की वैल्यू एडीशन होकर किसान को अच्छा मूल्य मिल सकता है और उसकी सफल खेती हो सकती है।

इसके अलावा अगर हम किसान के हित में देखें तो वन संरक्षण अधिनियम के कारण सड़कें बनाने में जो रुकावटें आ रही हैं, उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र बार्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, खासकर उत्तरांचल जो नेपाल से लगा हुआ है, विशेष रूप से सेन्सिटिव हो गया है और माओवाद से सम्बन्धित कई घटनाएं वहां हो चुकी हैं, ट्रैनिंग कैम्प भी पकड़ा गया है। इस एप्रोच को लेकर अगर वन संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि वास्तव में आवश्यक है। किसान का उत्पादित माल सही समय पर मण्डी तक पहुंच सके और फिर जो पी.यू.आर.ए. अर्थात् प्रॉविजन ऑफ अर्बन एमेनिटिज इन रूरल एरिया का कार्यक्रम है, अब धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। यह माननीय राष्ट्रपति जी का कांसेप्ट था और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी कांसेप्ट था कि ग्रामीण क्षेत्र से होने वाले पलायन और बेरोजगारी को रोकने के लिए हम लोगों को वहीं गांवों में ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस दिशा में भी मेरी मांग है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए।

"एपिडा" के माध्यम से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट जोन्स बनाए गये हैं और अभी कुछ फसलों जैसे बासमती, फूलों, लीची आदि का विदेशों में निर्यात हो रहा है, उसमें और आइटम जोड़ने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं बीजों के विषय में मेरी कुछ चिन्ता है क्योंकि बीजों के विषय में अभी हमने पेटेन्ट एक्ट को दोनों सदनों पारित किया है और अब एग्रो कैमिकल, फूड और फार्मास्युटिकल्स - तीनों ही क्षेत्र प्रोडक्ट पेटेन्ट में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अब सीड्स बिल भी लाया जा रहा है और परम्परागत रूप से हमारे किसान जो बीज उत्पादित कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, सरकार को इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। प्रायः हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यह केवल एक या दो किसानों की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों किसान जो कृषि पर निर्भर हैं, उनके लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

कृषि विविधीकरण या डाइवर्सीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो कार्यक्रम है इसे पिछली सरकार ने शुरू किया था। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की मदद से चलाया जा रहा है लेकिन इसकी मियाद खत्म होने जा रही है और अभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि लोगों को अभी उतनी ट्रेनिंग और जानकारी नहीं है। जब भी हम ट्रेनिंग या हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन का काम करें या कृषि विविधीकरण की योजनाएं चलाएं, वहां जब तक काश्तकार विधिवत प्रशिक्षित न हो जाएं, उसे जारी रखा जाए और उसको रिफ्रेशर कोर्स के रूप में ऐसे हर क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की उपजों के अनुरूप होना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी ने अभी साइन्स और टेक्नोलॉजी की बात कही थी, लेकिन साइन्स और टेक्नोलॉजी का मतलब केवल हवाई जहाज बनाना ही नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान का उतना ही दखल है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था, उसमें यही भावना थी। इस प्रकार अब हमें एक स्वर्णिम त्रिभुज है - तीन लक्ष्य हमारे सामने हैं। उस विज्ञान के जरिए हम न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी विकास करना है। अभी आपने खाद्य सुरक्षा की बात कही है। वर्ष 2003 में जो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई गयी, उसमें प्रमुख रूप से देश की फूड सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है और उसकी उद्देश्यिका मे इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं यहां उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हमारा जो शोध क्षेत्र है, उसमें भी विस्तार होना चाहिए ताकि हमारे यहां नए बीजों की दिशा में होने वाली अनुसंधानों को इस देश की कंपनियां और काश्तकार पेटेन्ट करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि आप उदारतापूर्वक विशेष रूप से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत और बागेश्वर जिलों में ओला वृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उदारतापूर्वक सहायता देंगे।

उस पूरे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। मंत्री जी उदार हैं, वह निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देंगे और राहत देने का काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि देश में ऐसी नीतियों का निर्माण होगा, जिससे देश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** (बापतला): सभापति महोदय, मैं कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व संकट के बारे में श्री वासुदेवन नायर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। इस संकट के परिणामस्वरूप किसान कर्ज, बेरोजगारी तथा गरीबी में फंस गए हैं।

महोदय, यही तथ्य कि इस सभा में इस पर कई घंटों से तथा कई दिनों से चर्चा हो रही है तथा यह तथ्य कि इस विषय पर बहुत से वक्ता राजनीति तथा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चर्चा कर चुके हैं, यह इस विषय के महत्व को सिद्ध करता है तथा इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद का हिस्सा बनने पर मैं बहुत खुश हूं।

हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र ने 1.1 प्रतिशत की बहुत ही मामूली वृद्धि दर दर्ज की थी तथा आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्राप्त करना तथा इस प्रकार की मामूली वृद्धि से गरीबी उपशमन की बात करना एक सपना ही लगता है।

हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है तथा हमारी 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा वे अब भी कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसे बहुत-से कारण हैं जो किसानों के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा विस्तार में काफी कुछ कहा जा चुका है। महोदय, मैं यहां हर बात के विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें मैं यहां मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं।

पहली बात यह कि जल संसाधनों के बारे में हम सभी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि हमारे किसान आज भी मानसून के गुलाम हैं तथा हम जानते हैं कि मानसून काफी निराशाजनक रहा। हमने लगभग 13 प्रतिशत कम वर्षा का सामना किया। जब नदी के जल के बंटवारे की बात आती है तो हमारे देश में बहुत से अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के मामले को लीजिए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जल विवाद है। कृष्णा नदी का पानी तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बांटा जाता है। हमारे यहां बछावत न्यायाधिकरण हुआ करता था जिसने कि तीनों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया था। हालांकि 2002 से बछावत न्यायाधिकरण की बैठक नहीं हुई है तथा आज की तारीख तक उन्होंने बैठकर जल अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताएं बदल रही हैं तथा इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार के न्यायाधिकरणों की नियमित अंतराल पर आवधिक बैठकें होनी चाहिएं ताकि नदियों के जल बंटवारे का एक बार फिर मूल्यांकन किया जा सके।

तत्पश्चात् नल-कूपों की अंधाधुंध तथा अवैज्ञानिक खुदाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक नल कूप की खुदाई काफी महंगी होती है तथा इसके लिए प्रत्येक किसान पर लगभग 20,000 रु. से 25,000 रु. के बीच खर्च आता है तथा प्रत्येक नल कूप सफल भी नहीं होता, जिस कारण किसानों को काफी राशि खर्च करनी पड़ती है। एक कारण यह भी है जिससे कि किसान ऋण के जाल में फिर से फंस जाता है।

अब बात करते हैं नकली बीजों, कीटनाशकों तथा उर्वरकों की, ये सब बाजारों में आज भी उपलब्ध हैं तथा हमारा बीज अधिनियम अभी तक सभा में विचार हेतु तथा पारित किए जाने लिए नहीं आ सका है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत जल्द कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, नकली बीजों के बारे में इतनी बात होने के बावजूद हमारी सरकार मोनसैंटो के साथ समझौता ज्ञापन को फिर से बहाल करने अथवा उस पर पुनः हस्ताक्षर करने जा रही है। सरकार ने पहले भी उनके साथ बीटी कॉटन के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे तथा हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि बीटी कॉटन सफल नहीं रहा? कनाडा के विश्वविद्यालयों का कहना है कि बीटी कॉटन 'बुल-वोर्य रेसिस्टेंट' है, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। उससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं तथा यह सफल नहीं है। हमारे कृषि अनुसंधानकर्ताओं का भी मानना है कि बीटी कॉटन पर अब भी और अध्ययन किया जाना है। इस सबके बावजूद यह अच्छी तरह जानने के बावजूद की आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह सफल नहीं रहा, हम इसे अन्य राज्यों में फिर आरंभ करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें नए सिरे से इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या हमें इस पर फिर हस्ताक्षर करने चाहिएं। हम सब जानते हैं कि भारत में बीटी कॉटन बीजों का विपणन करने वाली कंपनी माईको है। मुझे लगता है कि हमें इसकी फिर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अब विपणन पर आती हूं। यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में बार-बार विफल रही है। इस पर दोबारा जोर दिया जाना चाहिए। कुछ कतिपय फसलें हैं तथा सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। कुछ कतिपय फसलें हैं, जिनका न्यूनतम समर्थन

मूल्य है तथा कतिपय फसलें ऐसी हैं, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, जैसे कि नकदी फसलें।

जब नकदी फसलों की बात आती है तो उनका एक न्यूनतम गारंटी मूल्य होना चाहिए, जिसमें निकायों को एक निश्चित धनराशि आवंटित की जाए तथा जब मूल्य तेजी से गिरें तो वे नकदी फसलों के मूल्यों में किसानों की सहायता कर सकें।

अगला है बाजार हस्तक्षेप योजना जिसके बारे में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बाजार हस्तक्षेप योजना के नियमों के अनुसार यदि खेती किया गया क्षेत्रफल दस प्रतिशत अधिक है अथवा यदि मूल्य दस प्रतिशत गिर जाता है तो केवल तभी केन्द्र सरकार के निकाय बाजार से उत्पाद को खरीदकर किसानों की सहायता खरीदेंगे। परन्तु जब हम वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्रफल थोड़ा ही अधिक हो, परन्तु उत्पादन अधिक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष आंध्र प्रदेश में ऐसा ही हुआ। मिर्च की खेती वाला क्षेत्रफल थोड़ा अधिक था, परन्तु उत्पादन बहुत ज्यादा था। इस अधिक उत्पादन के कारण, मिर्च के मूल्य में तेजी से गिरावट आई। आज आंध्र प्रदेश में परिदृश्य यह है कि मिर्च की खेती करने वाले किसान मिर्च को फेंक रहे हैं तथा उन्हें जला रहे हैं। एक किसान के लिए यह बहुत आसान नहीं है कि वह अपने उत्पाद को सड़कों पर फेंककर उन्हें जलाए। जब तक कि वह बहुत दुखी नहीं होगा, वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अपने उत्पादन में उसका खून-पसीना लगा होता है। मुझे लगता है कि यह चिंता के क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात फसल बीमा योजना की है। फसल बीमा के बारे में बहुत बात हो चुकी है तथा मैं नहीं जानती कि अब तक हम फसल बीमा को ग्राम स्तर तक नहीं लाए हैं। मैं समझती हूं गांव को एक इकाई माना जाए तथा इस इकाई तक बीमा की जानी चाहिए। अब, यह मंडल स्तर तक है तथा जब हम मंडल की बात करते हैं तो मंडल में लगभग 29 से 30 गांव होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक फसल सभी 29 से 30 गांवों में अच्छी हो। कई बांवों में कोई फसल अच्छी हो सकती है तथा कई फसलें अच्छी नहीं हो सकती हैं। तब, यह कहने की कोई बात ही नहीं है कि मैं आपको फसल बीमा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह अन्य गांवों में अच्छी रही है। इसलिए मैं समझती हूं कि इकाई के रूप में गांव पर विचार किया जाए तथा फसल बीमा में परिवर्तन किया जाए एवं इस पर पुनर्विचार किया जाए।

कृषि क्षेत्र में यह संकट न केवल कृषक समुदाय को प्रभावित कर रहा है बल्कि यह डेयरी क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यदि हम पुराने दिनों की बात करें तो सामान्य तौर पर लोग अपने आप को धनवान मौद्रिक परिसम्पत्तियों को ध्यान में रखकर नहीं मानते थे बल्कि अपने बहुत से पशुओं तथा बहुत से बच्चों के कारण वे अपने आप को धनवान मानते थे या समझते थे। मैं समझता हूं, आज इक्कीसवीं शताब्दी में, हम दोनों ही प्रकार से गरीब हैं। या तो हमारे एक या दो ही बच्चे होते हैं या गांवों के किसान पशुधन को सही प्रकार से नहीं रखते हैं। कारण यह कि वे उन्हें खरीद नहीं पाते हैं तथा अपने कृषि उत्पाद से भी उन्हें कोई आय नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के ओंगोल में पशु भ्रूण का अवैध व्यापार हो रहा है। ओंगोल के सांड विश्व में बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इन सांडों का भ्रूण का विपणन विशेषकर ब्राजील तथा अफ्रीका को किया जाता है। इससे हमारे यहां पशुओं की संख्या में तीव्रता से कमी हो रही है तथा अन्य देशों में बढ़ रही है। जो आज तक हमारा गौरव था वह आज किसी दूसरे देश का गौरव बन रहा है। यह एक क्षेत्र और है जिस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यक रूप से विचार करना चाहिए।

महोदय, मुझे समय सीमा का पूरा खयाल है कि आपके घंटी बजाने से पूर्व मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं तथा यह अवसर देने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

**श्री खारबेल स्वाई** (बालासोर): महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि केवल ग्रामीण ऋण की कमी के कारण ही किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं, से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं के कारणों का विस्तार से पता लगाने के लिए हमारी पार्टी द्वारा भेजे गए फैक्ट फाइंडिंग मिशन का एक सदस्य था।

हम लगभग 25 परिवारों से मिले जिनके कमाने वाले सदस्यों ने आत्म हत्या की थी तथा उनसे पूछा कि उनके कमाने वाले सदस्यों ने आत्म हत्या क्यों की। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि उन्हें ऋण नहीं मिल रहा था। उन्हें ऋण मिल रहा था...*(व्यवधान)*। उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा था बल्कि उन्होंने कहीं और से, साहूकारों से बहुत ऊंची दरों पर लगभग दो से तीन प्रतिशत प्रतिमाह पर ऋण लिया था...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** श्री स्वाईं, आप पहले इस विषय में बोल चुके हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैंने नहीं बोला।

**सभापति महोदय:** क्या आप इस संकल्प पर पहले बोले हैं?

**श्री खारबेल स्वाईं:** कब बोला हूं?

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। वस्तुत: आप इस विषयवस्तु पर पहले ही 17 मिनट बोल चुके हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** यह मुझे याद नहीं है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** अब, श्री शैलेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी): महोदय, मुझे नहीं लगता कि वे इस विषय पर बोल चुके हैं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** यदि आप इस पर 2-3 मिनट बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं लेकिन बोल चुके हैं। परम्परा यह है कि यदि इस विषय पर बोले हैं तो दोबारा नहीं बोलेंगे। यदि आप इस पर दो तीन मिनट बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मुझे नहीं याद है कि पहले इस विषय पर मैं बोल चुका हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं यदि मैं पहले बोल चुका हूं।

इन्होंने सभी ने कहा कि उन्हें ऋण मिल गया था। उन्होंने इसका उपयोग बोरवेल खोदने में किया लेकिन बोरवेल ने सही काम नहीं किया। उनकी फसल खराब होने का यह मुख्य कारण था। इसलिए यदि, उन्हें बैंकों से भी ऋण मिलता तो भी उनकी फसल खराब हो जाती। यह प्रमुख कारणों में से एक है।

मैं आपको एक बात और बताऊंगा। कपास के किसानों का ही उदाहरण लीजिए। कपास की दर 2700 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी हैं। सी.सी.आई. की गोदामों में ले जायी गयी तो उनकी पचास प्रतिशत कपास को अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से अपील करता हूं कि मामले पर ध्यान दें।

**सभापति महोदय:** अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं केवल एक अंतिम वाक्य बोलूंगा।

बुनकरों का भी उदाहरण लीजिए। वस्तुत: वे किसान नहीं हैं। कई बुनकरों ने आत्म हत्याएं की हैं क्योंकि उनकी डिजाइनों की बड़ी कंपनियों ने नकल कर ली तथा उन कंपनियों ने काफी सस्ती कीमत पर साड़ियां बना ली। इसके परिणामस्वरूप बुनकरों के पास कोई कार्य ही नहीं बचा। इसलिए महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि उनकी पारम्परिक डिजाइनों का पेटेंट किया जाना चाहिए ताकि बड़े उद्योग उनकी नकल न कर सकें तथा काफी सस्ती दर पर न बना सकें तथा पारंपरिक बुनकरों को भी काम मिल सके।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वासुदेवन नायर के संकल्प कृषि क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय के बारे में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

यह बात सत्य है कि आज किसानों के बड़े ज्वलंत विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। यह बात सही है कि कृषि क्षेत्र में किसान देश के विकास की रीढ़ हैं। आज पूरे देश में करीब 62 प्रतिशत किसान जो किसानी का काम करते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। किसानों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। मुझे याद है कि हम बहुत पहले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे।

हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी और इसकी सबसे बड़ी मार किसी के ऊपर पड़ी तो किसानों के ऊपर पड़ी। आज तक किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है चाहे वह खाद्यान्न का मामला हो, सब्जी का मामला हो या बागवानी का मामला हो। किसान रात दिन मेहनत करके खेती करता

है लेकिन उसे उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। किसान बहुत मजबूरी में ऋण लेता है, उसे उपज का मूल्य नहीं मिल पाता, हमेशा घाटे की खेती होती है। हम देखते हैं कि वह जब भी बैंक से, साहूकारों से, कोआपरेटिव बैंक से या तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लोन लेता है, जो तमाम दलाल और बिचौलिए होते हैं वे किसानों का शोषण करते हैं। ऋण लेने के बाद उसकी माली हालत इतनी खराब हो जाती है और अपनी उपज के मूल्य से वह ऋण की अदायगी भी कर नहीं पाता और बेरोजगारी और निर्धनता के कुचक्र में फंसकर पिसता रहता है। इस सदन में इस बारे में भी चर्चा हुई है और सभापति महोदय मैं आपका आंध्र प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर छः-साढ़े छः सौ किसानों ने ऋण अदायगी न कर पाने के कारण आत्महत्या की है। सरकार ऐसे परिवारों को गोद ले और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सही मायने में ऋण प्रदान करे और उनकी माली हालात को सुधारने का काम करे। आज किसान, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई दैवीय आपदा हो, उन्हें झेलते हुए मजदूरी करता है, मेहनत करता है। इसकी सबसे ज्यादा मार छोटे सीमांत खेतिहर मजदूर, जो रोज के कमाने-खाने वाले हैं, जो खेत में काम करते हैं, उनके ऊपर पड़ती है।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी महीने में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड एरिया में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बरबाद हुईं। हमारे माननीय सदस्यों ने, चाहे जीरो आवर हो, नियम 377 के अधीन मामले हों, प्राकृतिक आपदा की चर्चा हो, उन लोगों की समस्या को उठाने का काम किया है। मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि खास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ विशेष ध्यान दें। बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, अत्यधिक वर्षा हो या सूखा हो, इनकी चपेट में किसान हमेशा पिसता रहता है। उसे इतनी मार पड़ती है कि वह पुनः खेत की तरफ न आ कर गांव से पलायन कर शहरों में आता है और मेहनत करके अपने परिवार का जीवन चलाता है।

हम किसान बीमा की बात हमेशा करते हैं। हमने देखा है कि दैवी आपदा में किसानों की खेती नष्ट हो जाती है, उसका मूल्य नहीं मिल पाता है जिससे किसान की माली हालत बड़ी खराब रहती है और वह अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाता है। मुझे याद है अगर दैवी आपदा से किसी किसान की मृत्यु होती है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपए का प्रावधान किया है। मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। मुझे वह समय भी याद है जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिन किसानों ने दस हजार रुपए ऋण लिए थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी, जो अदायगी नहीं कर पा रहे थे, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक तरह से लड़ाई करके तमाम दस हजार के ऋणों को माफ करने का काम किया था। आज मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे किसान, जो राज्यों में आत्महत्या करने को मजबूर हैं, सरकार उनके ऋणों को माफ करे और उनकी माली हालत को देखते हुए उनका पुनर्वास करके रोजगार को बढ़ावा देने का काम करे।

**अपराह्न 5.00 बजे**

किसानों को सब्सिडी, खाद, बीज आदि नहीं मिलता है। बिजली और डीजल नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** शैलेन्द्र कुमार जी, यदि आप एकाध मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहे हों तो अपनी बात पूरी कर लीजिये अन्यथा हमें दूसरा विषय लेना है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** सभापति जी, मैं एक मिनट में पूरा कर रहा हूं। किसानों को बिजली और डीजल समय पर नहीं मिल पाने के कारण किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। अभी सदन में एक युवा सांसद ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान न किये जाने के मामले को उठाया था। उत्तर प्रदेश की चाहे जो स्थिति रही हो, आज भी हमारे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, राज्य सरकार ने फिर भी किया है। हम लोग समय-समय पर हमेशा केन्द्र सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** शैलेन्द्र कुमार जी, इस विषय पर ढाई घंटे का समय निर्धारित था जो अब समाप्त हो चुका है। अगर आप और बोलना चाहते हैं तो अगले निर्धारित समय पर तब बोल सकेंगे। आपका भाषण जारी रहेगा।

---

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय (डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय):** अब हम मद संख्या 26 को लेंगे। श्री चन्द्रकांत खैरे:-उपस्थित नहीं।

**अपराह्न 5.01 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

### (एक) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2005*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** (बापतला): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

**अपराह्न 5.01½ बजे**

### (दो) युवा कल्याण विधेयक, 2005*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोल बाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 24-3-2005 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.02 बजे**

### (तीन) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोल बाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

**अपराह्न 5.02½ बजे**

### (चार) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005* (धारा 304 आदि का संशोधन)

*[अनुवाद]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोल बाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 24-3-2005 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.03 बजे**

**(पांच) त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक, 2005***

*[अनुवाद]*

**श्री खगेन दास** (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि त्रिपुरा राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि त्रिपुरा राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री खगेन दास :** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

**अपराह्न 5.03½ बजे**

**(छह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2005* (धारा 8 का संशोधन)**

*[अनुवाद]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री मोहन सिंह:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 24-3-2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**अपराह्न 5.04 बजे**

**(सात) साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005***

*[अनुवाद]*

**श्री अजित सिंह** (बागपत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में साम्प्रदायिक संघर्ष से निपटने और देश में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय अन्तर-सामुदायिक शांति और न्याय आयोग के सृजन का तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि देश में साम्प्रदायिक संघर्ष से निपटने और देश में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय अन्तर सामुदायिक शांति और न्याय आयोग के सृजन का तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अजित सिंह:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 5.05 बजे**

**(आठ) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004-विचाराधीन-जारी**

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब सभा मद संख्या 34 को लेगी और अनिवार्य मतदान विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री भर्तृहरि महताब अपना भाषण जारी रखें।

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त ही कर रहा हूं। कल मैंने, अपने देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली का उल्लेख किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पचास वर्षों के दौरान 1947 से 1967 के दो दशकों में यह देखा गया कि मात्र 37 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले दल ने देश पर शासन किया जबकि 63 प्रतिशत लोगों ने उस दल के विरुद्ध मत दिए थे। 63 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले दलों ने कभी भी यह नहीं कहा कि वे 37 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले दल के विरुद्ध हैं हाल ही में

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 24-3-2005 में प्रकाशित।

[श्री भर्तृहरि महताब]

हमारे देश के एक राज्य में ऐसा ही वाक्या हुआ है। हर कोई कल्पना कर सकता है कि यदि 1950 अथवा 1960 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होती तो हमारे संविधान के निर्माताओं, जो उस समय जीवित थे और जो राज्यों अथवा संसद के विभिन्न सदनों के सदस्य थे, की क्या प्रतिक्रिया होती। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बावजूद मतदान का प्रतिशत कभी-कभार ही 60 प्रतिशत से ऊपर जाता है। अब भी नकली वोट डाले जाते हैं: चुनावों में अब भी हेरा-फेरी की जाती है, और पुनर्मतदान के द्वारा इसका पूरी तरह से सफाया नहीं किया जा सका है। खरीद-फरोख्त अब भी विद्यमान है। साफ शब्दों में कहूं तो निर्वाचित उम्मीदवारों को लोक-प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। यदि लोग अपनी इच्छा से निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार सरकार नहीं बना सकते। वास्तव में केवल दलों के उम्मीदवार ही सरकार बना सकते है। इसने वास्तव में निर्वाचन प्रणाली को कठिनाई में डाल दिया है।

हमारे समाज के कुछ वर्गों में व्याप्त स्वार्थवाद के बावजूद चुनावों के बाद भी गतिरोध बना रहता है। हमारे देश की अधिसंख्य जनसंख्या वोट देना चाहती है। मतदान हेतु एक वयस्क भारतीय के लिए यह आवश्यक है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो मतदाता सूची में सही ढंग से नाम दर्ज होना चाहिए। इसे हर कोई दैनिक कार्य समझ सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष 2004 में क्या हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसके जीते-जागते उदाहरण थे। पिछले आम चुनावों के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया में यह खबर थी कि मतदाता सूचियों में से बड़े पैमाने पर नामों को काटा गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 19.9 प्रतिशत लोगों के नाम काटे गए थे और श्रीकाकुलम जिले में 11.2 प्रतिशत लोगों के नाम काटे गए थे। संक्षेप में कहें तो लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया था।

आज क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है। यह दोबारा शुरू हो गया है। गुजरात में हमारे दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों अहमदाबाद के पार्थिव पटेल और बड़ौदा के इरफान पठान के नाम भी मतदाता सूची में नहीं थे।

उन्होंने अपना मत डाला। उड़ीसा में हमारे एक अग्रणी संपादक ने पाया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। पुलिस के एक सेवानिवृत्त महानिदेशक का नाम भी मतदाता सूची में नहीं था। ये सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हजारों हजार नामों को काटा गया था। उनसे किसी ने भी यह कहते हुए संपर्क नहीं किया था कि क्या आपका नाम यहां दर्ज है अथवा क्या आपने अपना नाम किसी अन्य स्थान पर दर्ज करा रखा है। लेकिन मतदाता सूचियों में से हजारों लाखों लोगों के नाम काटे गए थे जोकि मतदान के लिए आवश्यक है। और इस पर मतदान निर्भर करता है। चुनाव आयोग ने यह कहते हुए इस आरोप को बड़ी ही आसानी से प्रशासन, राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों पर डाल दिया कि मतदाता सूचियों में अपने मतदाताओं और समर्थकों के नाम सुनिश्चित करना उनका कार्य है न कि चुनाव आयोग का। लेकिन यह कोई विश्वसनीय कारण नहीं है। किसी भी मामले में मतदाता सूचियों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है न कि राज्य अथवा केन्द्र सरकार की।

यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग की इस अयोग्यता और अरुचि के प्रति अधिक रोष व्यक्त नहीं किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसके लिए चुनाव आयोग को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। ये इन विस्तृत शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते है? दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के नाम पर हमने एक गैर जिम्मेदार व्यवस्था सृजित की है।

मेरे माननीय मित्र श्री बची सिंह रावत ने भी एक अन्य संशोधन का प्रस्ताव किया है और इस संशोधन में मैं देखता हूं कि यह और अधिक न्यायसंगत है। उन्होंने इस संशोधन में उल्लेख किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वोट नहीं डालता है उसे दोषसिद्धि की तारीख से कम से कम छह वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने विधेयक में इसी संशोधन का प्रस्ताव रखा है। जब किसी व्यक्ति जिसे अधिकार दिया गया है उसे एक निश्चित हद तक अपने कर्त्तव्यों के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। इस संशोधन में यह पंक्ति भी जुड़ी हुई है।

वयस्क मताधिकार से हमारे देश के लगभग 55 करोड़ या उससे अधिक व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। परंतु कितने व्यक्ति वास्तव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? मैंने कल अपने पहले के भाषण में अनेक कारणों का वर्णन किया था। परंतु आज मैं अपने आप को इस बात तक सीमित रखना चाहता हूं कि विश्व में कतिपय लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर यह भार मतदाता पर होता है कि वह आएगा और अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए

अपने को रजिस्टर कराएगा। इसी प्रकार सूची तैयार की जाती है। यदि मतदाता वोट नहीं डाल पाता है या वोट नहीं डालना चाहता है तो उससे मताधिकार छीन लिया जाता है। इसके लिए उसे समुचित कारण बताना पड़ता है कि वह वोट डालने में क्यों असमर्थ रहा है। उसके बाद, उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। यदि वह अपना वोट नहीं डालता है तो छह महीनों या एक वर्ष की अवधि के लिए उसे उस देश में कोई सरकारी नौकरी या कोई भी रोजगार नहीं मिल पाता है। वहां उस देश के प्रति कर्त्तव्य की भावना पहले आती है। मेरे विचार से इसकी अधिक आवश्यकता है।

हमारे पास वयस्क मताधिकार है। जब हमें आजादी मिली थी उस समय हमने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जंग लड़ी थी और जनसमूह पूरे समाज को राजनीतिक आवरण के अंतर्गत लाना चाहता था। यह बात हमारे संविधान की नींव डालने वाले व्यक्तियों के दिमाग में भी थी। परंतु, यहां अभी तक इस देश के प्रति भी उत्तरदायित्व, कर्तव्य की भावना उस हद तक विकसित नहीं हुई है।

परंतु, ऐसे समाज में, मैं यही कहूंगा कि जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के उत्तरदायित्व की शिक्षा देते समय एक प्रयास उन अनुसूचित क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए जहां विकास उस स्तर तक नहीं हुआ है। वहां एक प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, परंतु अन्य स्थानों पर लोग हतोत्साहित न हों ऐसा प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

ये मेरी समापन टिप्पणियां हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के प्रस्तावक द्वारा लाए गए संशोधन का समर्थन करता हूं। परंतु, ऐसे में, हमारा देश, मेरे विचार से इतना बड़ा, इतना विशाल और इतनी विविधताओं वाला है कि हमें इस देश में अनिवार्य मतदान प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक की उस भावना को महत्व देता हूं जिसके साथ इसे अनिवार्य मतदान का उपबंध करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। परंतु, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, मैं अपने आपको इस विधेयक के उपबंधों से सहमत होने में असमर्थ पाता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने पिछले दो दशकों में अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए पर्याप्त कार्य किए हैं फिर भी इस दिशा में काफी कार्य किए जाने शेष हैं। चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी स्थिति के अनुसार आवश्यक हो, जब कभी हमें विद्यमान उपबंधों के कार्यकरण से नया अनुभव प्राप्त होता है तो हमें चुनाव संबंधी कानून में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे जैसे परिवर्तनीय और गतिशील समाज में कोई स्थाई कानून नहीं हो सकता और हमें अपने अनुभव से नए सबक सीखने और कमियों को दूर करने, कठिनाइयों को हल करने तथा एक ऐसा कानून जो कि वास्तव में किसी भी विषय पर कार्यकारी कानून को बनाने के लिए वैधानिक या अन्यथा कदम उठाने के लिए आवश्यक रूप से सदैव तैयार रहना चाहिए।

ऐसा कहने के बाद मुझे यह महसूस होता है कि जनता के लिए वोट डालने को अनिवार्य करने का सुझाव वर्तमान परिस्थितियों में, अपने आप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज में, एक सच्ची राजव्यवस्था में, मेरे विचार से इसे व्यक्ति विशेष पर छोड़ देने की आवश्यकता है कि वह किसे वोट देना चाहता है या वह वोट देना चाहता है या नहीं। और क्या वह बिल्कुल ही वोट नहीं देना चाहता है। यही महत्वपूर्ण है जैसे हम यह कहते भी हैं कि व्यक्ति को बिना किसी डर या दबाव जो भी हो उसके बिना वोट डालने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

**(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)**

**अपराह्न 5.19 बजे**

यदि एक व्यक्ति को इस तथ्य के बावजूद कि वह किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है और उसे अनिवार्य रूप से मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालने के लिए बाध्य करने वाला कानून बनता है तो मेरे विचार से यह स्वयं इस कानून का मजाक होगा। ऐसे मामले हो सकते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को वोट देना पसंद नहीं करते। क्या आप ऐसी परिस्थिति में मतदाता को उम्मीदवार के बारे में अपनी भावना अपने विचार या राय का ख्याल न करते हुए उसको इस बात के लिए बाध्य करना चाहते हैं कि उसे किसी न किसी को वोट अवश्य देना चाहिए? क्या यह लोकतांत्रिक तरीका होगा? यदि हमें इसके कारणों को जानना है कि हमारे चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहता है तो मेरे विचार से इसका स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलेगा कि यह अनिवार्य मतदान के प्रावधान के अभाव के कारण नहीं है।

महोदय, आप दुनिया में कहीं भी मतदान प्रतिशत के आंकड़े देख सकते हैं। मेरे ख्याल से भारत की स्थिति अन्य

[श्री पवन कुमार बंसल]

देशों से बेहतर है। यदि हम मतदान पद्धति का क्षेत्रवार या वर्गवार विश्लेषण करें तो मेरे विचार से कम पढ़े लिखे लोग, जो अशिक्षित हैं वे पढ़े लिखे लोगों की तुलना में अपने मतदान का प्रयोग करने के प्रति अधिक जागरुक हैं। ऐसा क्यों है? समाज के निचले तबके के लोग इसे एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं जब वह अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। अन्यथा उनके लिए लोकतंत्र के कोई और मायने नहीं हैं। हम हमेशा से एक सच्चा भागीदारी वाला लोकतंत्र लाना चाहते हैं किन्तु हम इसके निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं। समाज के उच्च वर्ग के लोगों में पूरी व्यवस्था के प्रति वितृष्णा की स्थिति है। इसे आप उदासीनता कहें या स्वार्थवादिता, कुल मिलाकर परिणाम यह है कि वे लोग मतदान करने जाना नहीं चाहते हैं।

जैसा मैंने कहा, राजनीतिज्ञों को एक खास वर्ग के रूप में देखने की भावना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। मैं इससे इंकार नहीं करता हूं। किन्तु अगर इस प्रश्न की हम बात करें कि क्या हमें यहां उनके लिए मतदान को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी कानून बनाना चाहिए तो मेरे विचार से अभी इसका समय नहीं आया है और इसके लिए समय एक मात्र परिस्थिति में या एक खास वातावरण में ही आ सकता है जिसके बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा।

मतदान को अनिवार्य बनाए जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें कुछ अन्य चीजें उपलब्ध करानी होंगी। हमें लोगों के लिए मतदान को सुगम बनाना होगा। आज क्या होता है? लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं किन्तु वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब मैं समाज के निचले तबके के लोगों की बात करता हूं - दुर्भाग्यवश जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं पाता हूं कि वे मतदान करना चाहते हैं किन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि वे मतदान नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिलती या स्थितियां ऐसी होती हैं कि वे मतदान करने हेतु निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। हमें यह करना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी मतदान करना चाहते हैं, जो भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वे बिना बाधा के या बिना भय के ऐसा कर सकें।

श्री रावत द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो आज की चर्चा का विषय है, उसमें अनिवार्य मतदान के महत्वपूर्ण विषय पर वापस लौटते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मतदान को अनिवार्य बनाना चाहते हैं तो उससे पहले एक शर्त होनी चाहिए। आप मतपत्र या मतदान मशीन में एक चीज अवश्य अनिवार्य बनाएं। उदाहरणस्वरूप यदि दस उम्मीदवार हैं तो एक ग्यारहवीं प्रविष्टि 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' की भी होनी चाहिए जिसे नकारात्मक मतदान कहते हैं। यदि आप यह उपलब्ध कराते हैं तो मेरे विचार से मतदान को अनिवार्य बनाए जाने में तब कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने, अपनी राय जाहिर करने के लिए सामने आएंगे। यदि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसन्द नहीं है तो उन्हें 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' के विकल्प पर मतदान कर सकते हैं।

हम लोग फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली को अपनाते हैं। इस मामले में मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं। मैं सूची प्रणाली (लिस्ट सिस्टम) के गुणदोष की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि तब बात कुछ और ही होती। यदि हम फर्स्ट-पास्ट-टू-पोस्ट प्रणाली को बरकरार रखते हैं और मैं अत्यधिक उचित कारणों से इसे बरकरार रखने के पक्ष में हूं - इस प्रणाली के प्रचलन में होने पर आप मतदान को केवल तभी अनिवार्य बना सकते हैं जब आप नकारात्मक मत की व्यवस्था करते है।

मेरे कहने का आशय यह है कि यदि मतदाता मतदान केन्द्र पर आकर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना नहीं चाहता है और यदि अधिकांश मत 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' श्रेणी को मिलते हैं तो मतदान को खारिज घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद उस चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार को उसके बाद होने वाले चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करने को तैयार है तो इस पद्धति को परखा जा सकता है।

यदि दुबारा चुनाव होते हैं, जैसा कि होना चाहिए, तो चाहे जितने उम्मीदवार मैदान में हों, यदि फिर से वही स्थिति दुहरायी जाती है तो उनमें से किसी को नहीं चुना जाना चाहिए। इस उपाय से हमारी राजनीतिक प्रणाली पर कुछ लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु यदि आप अनिवार्य मतदान को शामिल करना चाहते हैं और प्रत्येक आम नागरिक से अपेक्षा करते हैं कि वह जाकर मतदान करे तो इससे उद्देश्यपूर्ति नहीं होगी। बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा।

महोदय, इतना कहने के बाद आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि हम हमेशा प्रणाली को बेहतर बनाने की बातें करते हैं। इसी भावना के साथ श्री बची सिंह रावत यह संशोधन लेकर

आए हैं। हमारी निर्वाचन प्रणाली को साफ सुथरा बनाने; हमारी राजनीति को स्वच्छ करने; और हमारी प्रणाली को ऐसा बनाने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन्त और फले-फूले रहें और लोकतंत्र के बारे में वास्तव में गर्व कर सकें। संशोधन किए जाने वाले नियमों के अलावा यह किया जाना चाहिए।

हमें लोगों में लोकतांत्रिक व्यवहार की भावना भरनी चाहिए। यदि मूल लोकतंत्रात्मक भावना ही नहीं है तो यहां-वहां ये सब संशोधन केवल इर्द-गिर्द की बातें होंगी। इस क्षेत्र में हमारा यही अनुभव है। हमने अपने कानूनों में कई मौलिक परिवर्तन किए हैं। हमने जब प्रतिनिधित्व अधिनियम के खण्ड-8 में सुधार किया है, किन्तु फिर भी हम कहां हैं। हमने संविधान की दसवीं अनुसूची में निबद्ध दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किए हैं, किन्तु लोग फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं - जैसाकि मैंने पिछली बार कहा था - उसका उल्लंघन करने का नहीं बल्कि उसके पार जाने का। वे उससे बचके निकल जाते हैं और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यदि कोई इस्तीफा देना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। सरकार को अस्थिर करने में इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। अतएव मौलिक रूप से हम में लोकतंत्र की भावना का होना जरूरी है।

इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद इस विधेयक को लाने के लिए तथा इस पर अपने विचारों को व्यक्त करने का हमें अवसर देने के लिए निश्चित रूप से श्री बची सिंह रावत को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश मेघवाल** (टोंक): माननीय सभापति महोदय, माननीय बची सिंह जी रावत जिस बिल को लेकर आये हैं, यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है।

यह राजनीति शास्त्र का बहुत लम्बे समय से विषय रहा है और बहुत लम्बे समय से इस पर चर्चा होती रही है। राजनीति में, जहां हम काम करते हैं, इस तरह की चर्चाएं होंगी, इस तरह के प्रश्न खड़े किए जाएंगे और उनका कोई न कोई हल निकलता जायेगा। यह जो आज का हमारा जनतंत्र है और इस जनतंत्र में यह जो मत देने का अधिकार है, इसमें मतदान करने के लिए मतदाता को बाध्य किया जाये कि वह अनिवार्य रूप से मतदान करे, इस आशय का यह बिल है। इसलिए मैं थोड़ा सा मतदान और मतदाता की पृष्ठभूमि पर जाना चाहता हूं।

विश्व के विभिन्न भागों में शासन नाम की स्थापना हुई। राज्य कह दीजिए, चाहे राजा कह दीजिए। चाहे वह कबीले से विकसित हुई, कबीला प्रमुख होता था, जिसका आदेश कबीले के सब लोग मानते थे और एक व्यवस्था बनी रहती थी। चाहे वह धीरे-धीरे सिटी रिपब्लिक के रूप में विकसित हुई और धीरे-धीरे कई जगह मतदान शुरू हुआ, जहां आज हम पहुंचे हैं। मतदान का अधिकार कोई साधारण स्थिति में हमेशा नहीं मिल गया। यहां मोनार्की रही, राजशाही चली, धन के बल पर राज्य स्थापित हुए, बाहुबल के बल पर राज्य स्थापित हुए और उन राजाओं के हुक्म को मानना, उनके आदेश की पालना करना, यह सब लोगों के लिए आवश्यक था। कई जगह शुरू-शुरू में केवल पुरुष ही मतदाता होते थे।

उसमें भी एक विशेष सेक्शन के मतदाता होते थे। धीरे-धीरे ऐरेस्टोक्रेसी आयी। उसमें कुछ धनवान लोग ही मतदान करते थे। फिर मतदान की व्यवस्था आगे बढ़ी और जब सिटी रिपब्लिक्स थी, उस समय सब लोग सामूहिक रूप से अपनी सिटी का शासन चलाने के लिए एक व्यवस्था करते थे। बैठकर चर्चा करते थे। यह शासन का एक ऐसा स्वरूप माना गया, जिसमें आबिडियंस होगा। हरएक मतदाता अपने आपको नागरिक समझते हुए भाग लेगा। लेकिन जब सिटी रिपब्लिक से आगे बढ़े तो बढ़े-बढ़े राज्यों की स्थापना हुई और बहुत बड़ी जनसंख्या वाले राज्य स्थापित हुए और धीरे-धीरे मतदान का स्वरूप बदला।

सन् 1947 में हम आजाद हुए। सन् 1947 के पहले हमारी अथारिटी इंग्लैंड के राजा में थी और इंग्लैंड के राजा का जो भी आदेश होता था, वहां की पार्लियामेंट जो भी आदेश करती, उसके प्रति हमको समर्पित रहना पड़ता था। एक रात्रि में हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम प्रजा थे, गुलाम और सब्जैक्ट्स थे। हम मालिक बन गए। कुल-मिलाकर जो मतदाता है वह सोवरेंट लाइक नहीं करता है। राजनीति बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। आज की जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम आ कर खड़े हैं यहां पर सोवरनिटी लाइक करती है। मतदाता अपने आप में एक सावरियन है और सोवरन अपने सोवरनिटी की दृष्टि से दूसरे को समर्पित करता है। यह हमने व्यवस्था खड़ी की है। हर एक मतदाता का योग शासन को बदलने में लगना चाहिए। इस व्यवस्था से मतदान आया है।

[श्री कैलाश मेघवाल]

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र कर रहे थे कि 37 प्रतिशत मतदान से हम शासन चलाते हैं। कई प्रतिनिधि तो 15 या 20 प्रतिशत मतदान से जब प्रतिनिधि बनते हैं या जागरूक मतदाता का समर्पण लेकर जब प्रतिनिधि बनते हैं। लेकिन आज तक पूर्ण प्रतिनिधित्व किसी को नहीं मिला है। यह दलीय व्यवस्था हमने विकसित की है। इस दलीय व्यवस्था का भी इसी से संबंध है।

सभापति महोदय, किसी कवि ने कहा है कि "बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपनो, मुझ से बुरा न कोय" यहां सभी सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लाने का काम न करें, अगर हम लोग चुनाव में निवेदन करके उसको मतदान केन्द्र तक लाने की कोशिश न करें और मतदान केन्द्र तक लाने के जितने प्रजातान्त्रिक, जितने हथकन्डे हम अपनाते हैं। वह लाइन मैंने इसीलिए कही है कि आज इस मामले में हम सभी भागीदार हैं। यदि हम यह न करें तो हमारा लोकतन्त्र कहां खड़ा रहेगा और हम लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की जो बात की है। उस लोकतंत्र की स्थापना में किसका योगदान है। तो सोवरन का यह संबंध ही नहीं होगा। आज शराब पिलाने से वोट मिलता है। जातिवाद के दबावों से वोट मिलता है, बाहुबल से वोट मिलता है, धनबल से वोट मिलता है। तो यह जो हमारा लोकतंत्र खड़ा किया गया है, क्या यह एक स्वस्थ लोकतंत्र है। इसीलिए आज हम कहने के लिए कुछ भी कह दें, कुछ भी भाषण दे दें। पार्टी के आधार पर एक-दूसरे की प्रशंसा करने के लिए कुछ भी कह दें। लेकिन आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, वह एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिणाम नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र का परिणाम लेने के लिए एक कम्पलसरी मतदान का संशोधन करना चाहता हूं। वैध मतदाताओं का 51 प्रतिशत मत जब तक किसी वैध प्रतिनिधि को न मिले तब तक उसको वास्तविक प्रतिनिधि नहीं माना जाए। यह चर्चा चलती रहेगी। इसलिए जो पहला काम हमने करना है कि हमको मतदाता को जागरूक करना है और उन्हें बताना है कि तुम मतदाता हो और तुम्हारी हैसियत क्या है।

मतदाता पांच साल में एक बार वोट देकर अपनी हैसियत भूल जाता है। जो सौवरेन है, वह पांच साल के लिए सबॉर्डीनेट हो जाता है। पांच साल के बाद जब दोबारा वोट देने का अवसर आता है, तब वह फिर खड़ा हो जाता है। इस देश का मतदाता धीरे-धीरे राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बिल्कुल नाराज होता जा रहा है। हमने किस मामले में मतदाता को प्रसन्न किया है, यह डैमोक्रेसी उसकी सेवा कहां कर पाई है, कहां डैमोक्रेसी सारे देश में मोबोक्रेसी में बदल गई है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मतदाता को यह मालूम है कि मैं सौवरेन हूं तो उसे यह भी मालूम है कि यह लोक सभा मेरी है, लोक सभा के बाहर जो पब्लिक बस चलती है, वह मेरी है, जो ट्रेन चलती है, वह मेरी है। उसे यह भी मालूम है कि सारी सम्पत्ति समाज की सम्पत्ति है, लेकिन जब कोई आन्दोलन होता है, प्रदर्शन होता है, उस समय वही सौवरेन, मालिक इन चीजों को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए आगे आ जाता है। सारे देश में प्रदर्शन, आन्दोलन और राजनैतिक रैलियों के बाद जो तोड़-फोड़ होती है, उसका एकमात्र कारण है कि इस देश का मतदाता जागरूक इलैक्टर है। वह यह नहीं समझ पाया कि मैं इस देश का मालिक हूं, इस देश की सम्पत्ति मेरी है। क्या यह हमारी राजनैतिक व्यवस्था के विकारग्रस्त होने का कारण है? अगर यह कारण है, तो हमें इस पर गहनता से सोचना पड़ेगा। क्या आज प्रतिबद्धता है?

मैं इस मामले में श्री बची सिंह रावत को बधाई देता हूं कि एक बार कम्पलसरी वोटिंग का आधार बनने के बाद मतदाता महसूस करेगा कि मैं राज बना रहा हूं। उसमें राज के प्रति भक्ति, प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना होगी। सारी बुराइयों के बाद भी मतदाता गौरव का अनुभव करता है। मैंने अभी बताया कि मतदाता कितनी बुराइयों से निकलकर मतदान केन्द्र में जाता है। अगर हमने कम्पलसरी वोटिंग कर दी, तो उसके दो फायदे होंगे - एक, मतदाता को प्रभावित करने के लिए जितने तौर-तरीके काम में लाए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगेगा और दूसरे, धन का राजनीति में जिस तरह प्रवेश हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगेगा और मतदाता प्रतिबद्ध होगा कि यह शासन मेरा है, इसे मैं बना रहा हूं और इसका मालिक मैं हूं। उसमें निश्चित ही यह भावना आएगी। मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने और कम्पलसरी वोटिंग करने से जो परिणाम निकलेगा, वह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य के लिए उत्तम होगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में सभी पक्षों के सदस्य विचार करें। अगर यह कम्पलसरी कर दिया जाता है तो लोकतंत्र में आज जो बुराइयां आ गई हैं, उनसे पार पाने का समाधान मिलेगा। उस समाधान से हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही दिशा दे सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी राय देने का मौका प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक को लाने हेतु अपने मित्र श्री रावत को धन्यवाद देता हूं जिससे हमें इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिला है।

श्री रावत जिस विचार व भावना से इस विधेयक को सामने लाए हैं उससे मैं सहमत हूं। परन्तु मैं विधेयक की विषयवस्तु से सहमत नहीं हूं। श्री रावत का इरादा है कि अधिकतम संख्या में मतदाताओं को मतदान में भाग लेना चाहिए, परन्तु इसके लिए उनके द्वारा सुझाया गया तरीका बल प्रयोग है।

स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। बिना स्वतंत्रता के लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु, हम जनता को किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बल प्रयोग करना लोकतंत्र का खात्मा करना है, स्वतंत्रता का गला घोटना है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम किसी ऐसे तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते है जो कालांतर में लोकतंत्र की ही हत्या कर दे।

यहां मेरी राय मेरे मित्र की राय से भिन्न है। इस प्रकार, समस्या यहीं है। यह जीवन की एक सच्चाई है कि हमारे देश में काफी संख्या में मतदाता मतदान में भाग नहीं लेते हैं तथा मतदान की प्रतिशतता वर्ष-दर-वर्ष घटती जा रही है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह बात सभी राजनीतिक दलों, लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था रखने वाले लोगों तथा उन लोगों के लिए चिन्ता का विषय है जो इस लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली को मजबूत बनाना चाहते हैं। परन्तु ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न है। कुछ सहयोगियों ने कतिपय कारण बताए हैं। मैं उनके अनेक सुझावों से सहमत हूं।

पहला प्रश्न मतदान करने अथवा मतदान में हिस्सा लेने का है। मतदाता को यह पता होना चाहिए कि उसे मतदान करना जरूरी है व उसे मतदान क्यों करना चाहिए। उसे इस बात का भी पता होना चाहिए कि यदि वह मतदान नहीं करता है तो इससे देश पर क्या असर पड़ेगा। मतदाता के लिए इस संबंध में जागरुकता आवश्यक है। जैसा कि श्री बंसल बता रहे थे, हमारे देश के अनेक निर्धन व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक जागरुक हैं क्योंकि वे घर से बाहर निकलते हैं और अपना मत डालते हैं। परन्तु शिक्षित व धनी व्यक्ति कभी-कभी मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। हम सभी को पता है कि शिक्षा व साक्षरता समाज में क्यों जरूरी है। परन्तु मात्र शिक्षा से व्यक्ति सब कुछ नहीं समझ पाता है। इसलिए मात्र शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कैसे करे। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, लोगों को सिर्फ अपने अधिकारों का ही नहीं बल्कि अपने कर्त्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि मुझे मतदान करने का अधिकार है, इसलिए मतदान में भाग लेना मेरा कर्त्तव्य भी है। यदि हम मतदान नहीं करते हैं, यदि सदाशयी लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और मतदान नहीं करते हैं तो वैसे लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी जो मतदान का दुरुपयोग करना चाहते है और इस प्रकार से लोकतंत्र निश्चित रूप से शिकार बनेगा। यहां मैं कहना चाहता हूं कि हमें लोगों में जागरुकता पैदा करनी है। लोगों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें मतदान में भाग लेना चाहिए।

दूसरा, मतदाताओं को इस प्रणाली और अपने प्रतिनिधियों में विश्वास होना चाहिए। यह दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में लोग मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं जाते है क्योंकि लोगों का एक वर्ग अपने प्रतिनिधियों में विश्वास खो रहा है। ऐसा क्यों घटित हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग पाते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे है अथवा वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। अनेक अन्य कारण भी हैं। लोगों को पता है कि वस्तुतः क्या घटित हो रहा है। अधिकांश जनप्रतिनिधियों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। उनका एकमात्र इरादा सत्ता हासिल करना है तथा इस सत्ता का उपयोग देशहित के लिए न करके अपने व्यक्तिगत हितों के लिए करना है। जब जनप्रतिनिधियों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं तथा दुनिया के बाजार में अपने को एक सामान के रूप बेचकर अधिकाधिक पैसा अर्जित करते हैं। वे लोगों को भूल जाते हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर लोग अपने जनप्रतिनिधियों में विश्वास खोते जा रहे हैं। यदि हम लोगों का विश्वास पुनः हासिल कर लेते हैं तो लोगों को यह पता चल जाएगा और वे कहेंगे कि मेरा जनप्रतिनिधि जनाकांक्षाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वह देश का निर्माण कर रहा है और वह देश निर्माण अपनी भागीदारी निभा रहा है। इस प्रकार, इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी।

एक बात जो हमारे मित्र ने उल्लेख किया है वह यह है कि धीरे-धीरे यह लक्ष्य लुप्त हो रहा है। वे खरीद-फरोख्त

[श्री हन्नान मोल्लाह]

में लिप्त हो रहे हैं। यह हमारी प्रणाली की एक बहुत ही गम्भीर खामी है जो बढ़ती ही जा रही है।

यदि राजनीति व्यक्ति विशेष के अपने भाग्य खोलने का माध्यम बन जाए तो अधिक से अधिक संख्या में ऐसे ही स्वार्थी व्यक्ति राजनीति में आएंगे। यह एक अन्य क्षेत्र है जिसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए।

हमें जनप्रतिनिधियों में जनता का विश्वास बहाल करना है। जनप्रतिनिधियों के पास भी न्यूनतम मानदंड, न्यूनतम ईमानदारी, न्यूनतम देशभक्ति, न्यूनतम राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तथा देश और जनता के प्रति प्यार होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के पास यह लक्ष्य होना चाहिए। यह दूसरा क्षेत्र है जिसके बारे में हमें सोचना है।

हमें इस प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करनी है। लोग सोचते हैं कि हम अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। जब हमारे पास 'आया राम और गया राम' हों, जब जनप्रतिनिधि बाजार में पशुओं की तरह बिक रहे हों तो जनता सोचेगी ही कि आखिर वह किसे वोट दे। कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक चिन्ह के नाम पर निर्वाचित होता है तथा अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त करने पर किसी दूसरे दल में चला जाता है। हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो सुबह में किसी दल में होता है वह शाम होते-होते किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। जनप्रतिनिधियों की इस प्रकार की अवसरवादिता और बिकाऊपन को रोका जाना चाहिए। ये खामियां हमारी विश्वसनीयता को नष्ट कर रही हैं। हमें जनता के समक्ष अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी है। हमें लोगों को दिखाना होगा कि हम इस प्रकार के लोग नहीं है, हम अलग तरह के लोग हैं। यह भी आवश्यक है। जो लोग राजनीति में हैं उनके पास लक्ष्य होना चाहिए। यह एक नौकरी की तरह नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** इस विधेयक का समय समाप्त हो गया है। अभी 8 माननीय सदस्य और बोलने के लिए हैं। यदि सदन की सहमति है तो इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

**कई माननीय सदस्य:** जी हां। बढ़ा दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह:** इसलिए, यह उन व्यक्तियों का कर्तव्य है जो राजनीति में हैं कि वे जनता के दिल में अपना भरोसा कायम करें। यही अन्य प्रयास है कि हमें लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए।

चिन्ता का दूसरा विषय यह है कि लोग क्यों मतदान नहीं करते हैं। निर्धन व्यक्तियों को सामान्यत: मतदान नहीं करने दिया जाता है। यह भी एक कारण है कि मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है। इन लोगों को मतदान नहीं करने दिया जाता है। असमाजिक तत्वों और अपराधियों द्वारा जोड़-तोड़, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, आक्रमण किये जाते हैं। ये सभी बातें होती हैं। इन्हीं तत्वों के कारण निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग मतदान नहीं कर पाते हैं। मतदान में वृद्धि न होने के कारणों में से यह भी एक है। हमें इस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस विचार करना चाहिए।

बहुत अधिक संख्या में लोग अन्य स्थानों पर जाकर बसते हैं। हजारों की संख्या में बिहार के लोग कृषि श्रमिकों के रूप में बिहार से अन्य स्थानों पर जाते हैं। चुनाव के दौरान, वे मतदान करने के लिए वापस आने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप्रजित व्यक्तियों के साथ यही समस्या होती है। उनके नाम उस स्थान की मतदाता सूची में नहीं होते हैं जहां वे रह रहे होते हैं। हम उनके मतदान को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? वे लोग मतदान के समय अनुपस्थित रहते हैं। वे उन स्थानों पर मतदान नहीं कर सकते हैं जहां वे होते हैं। यह भी एक कारण है कि मतदान में क्यों कमी आती है। दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में ही नहीं मिलता है। उनके नाम काट दिये जाते हैं। जब लोग मतदान के लिए जाते हैं, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में नहीं मिलता है। इस प्रकार, कई प्रामाणिक मतदाता भी मतदाता सूची में नाम न होने के कारण मतदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए, समुचित मतदाता सूची भी अनिवार्य है। नागरिक उसके बिना अपने मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते है। यह भी चिंता का विषय है।

इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनका उल्लेख मेरे मित्रों ने किया है। इन कारणों की वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है। हमें कुछ रास्ते सुझाने होंगे, हमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। हम वह कैसे कर सकते हैं? हम उन कदमों के बारे में सोच सकते हैं जो हमें उठाने हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इतने शिक्षित हों कि वे विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों को पढ़ सकें और उसे समझ सकें। तब हम सभी अनिवार्य बातों का चयन कर सकते हैं।

दूसरा विषय सूचना का है। मतदाताओं तक किस प्रकार की सूचना पहुंचनी चाहिए? हम जानते हैं यहां कई समस्याएं हैं। हम चुनाव सुधार, चुनावों हेतु राज्य द्वारा वित्त पोषण करना आदि-आदि पर बातें कर चुके हैं। मतदाताओं को वे सारी सूचनाएं मिलनी चाहिए जिनके आधार पर वे अपना मन बन सकें। इसलिए, मतदाताओं को विभिन्न सूचनाएं पहुंचाना भी महत्वपूर्ण कार्य है। हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उस प्रकार का माहौल आवश्यक है जिसमें कोई बाधा न हो और निर्धन व्यक्ति भी अपनी इच्छा से मतदान कर सकें। हम चुनावों में असमाजिक तत्वों और अपराधियों की भूमिका के बारे में जानते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से हो और मतदाताओं को कोई परेशान न करे। यह भी विचारणीय मुद्दा है।

यदि मैं ही इस बारे में ऐसा सोचता हूं अथवा आप ही ऐसा सोचते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। हमें सबको मिलकर सोच-विचारना होगा कि तन्त्र को कैसे सुधारा जाए। यदि एक वर्ग इस मिशन का अनुपालन करता है और दूसरा अपराध का आश्रय लेता है तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। हम सभी राजनीति के अपराधीकरण से परिचित हैं। बहुत से अपराधी राजनीति में आ रहे हैं। यह विचारणीय मुद्दा है। हम जानते हैं पहले राजनेताओं द्वारा अपराधियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब अपराधी जागरूक हो गए हैं। वे अब यह प्रश्न उठाने लगे हैं कि राजनेता उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन अपराधियों ने राजनेताओं का साथ देना बन्द कर दिया है। वे स्वयं ही राजनेता बन गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, लोगों का विश्वास व्यवस्था के प्रति कैसे हो सकता है? इसके कारण लोगों का विश्वास व्यवस्था से भंग हो रहा है। हमें इस पर मिलकर विचार करना होगा।

हम देखते हैं कि अलग-अलग लोग व्यवस्था का अलग-अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मतदाताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। वे मतदाता जो दूर हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था ईजाद करनी होगी। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे वे अपने निवास स्थान से ही अपना मतदान कर सकें। ये कुछ उपाय हैं जिन पर हम सबको विचार करना होगा। संसद को इस पर संयुक्त रूप से और एकमत होकर विचार करना होगा। हमें इस पर एक राय तैयार करनी होगी। अलग-अलग दलों की अलग-अलग अवधारणाएं हो सकती हैं। हमें एकमत होना होगा जिससे कि सभी राजनैतिक दल सर्वसम्मत होकर विशेष प्रकार से कार्य कर सकें।

यह अनिवार्य है। इसके बिना, केवल कानून बनाने से, कुछ नहीं होगा।

चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति और इन्द्रजीत गुप्ता समिति सहित कई समितियां गठित हुई है। इनके प्रतिवेदन कार्यालयों में यूं ही पड़े हैं और उनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए, हमें इस पर विचार करना होगा।

यहां सुझावों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सुझाव तो हैं किन्तु हमें उन्हें लागू करने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। यदि हमारे पास इच्छाशक्ति हो और हम यह चाहते हैं कि राजनैतिक दल एक साथ मिलकर एकमत हो और कतिपय नियम बनायें और उन नियमों का अनुपालन करें तो निश्चित ही लोगों का विश्वास हममें और अधिक हो जायेगा। तभी, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

महोदय, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और कुछ सीमा तक तमिलनाडु में मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक हो गया है, किन्तु उत्तरी भारत में मतदान का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है हमें इस पर विचार करना होगा। यह देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

महोदय, हमारे यहां पश्चिम बंगाल में राजनैतिक मुद्दों पर लोगों में और राजनैतिक दलों में गहन प्रतिस्पर्धा है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई दिन जाता है जब दलों में और आम जनता में किसी-न-किसी राजनैतिक मुद्दे पर चर्चा न की जाती हो। कांग्रेस पार्टी कुछ कहेगी, सी.पी.आई. (एम) कुछ और कहेगी और तृणमूल पार्टी कुछ कहेगी। हम लोग सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह आम जीवन का एक अंश है। वहां राजनीति केवल चुनाव, जो केवल 10 से 15 दिन तक होते हैं, के दौरान नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में, राजनीति आम लोगों के लिए आम चर्चा का विषय है। ऐसी ही स्थिति केरल, त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों में भी है। वहां लोग जागरूक हैं। इसका कारण राजनीति और राजनैतिक मुद्दों पर गहन प्रतिस्पर्धा है। वे अपने विश्वास और निष्ठा के अनुसार मतदान करते हैं। यह हमारा अनुभव है।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

यदि पूरे देश में आम लोगों में इतनी तीव्र राजनीतिक चर्चा, बहस तथा जागरुकता हो तो मैं समझता हूं, कि प्रत्येक मतदाता अपना मत डालेगा। इसलिए मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम पाते हैं कि यह बहुत सी जगहों, देश के कई राज्यों में यह चीज नहीं है।

अंत में महोदय, मैं कहूंगा कि हम, सभी राजनीतिक दलों को, इस प्रकार के मुद्दों पर आम राय बनानी चाहिए। चुनाव सुधारों पर हमें आम राय बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें चुनाव प्रणाली में उचित संशोधन करना चाहिए। हमें कतिपय बातों पर सहमत होना चाहिए, आम राय बनानी चाहिए तथा उसी के अनुरूप चलना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारी प्रणाली सुदृढ़ हो जाएगी, जनता का प्रणाली में पुनः विश्वास कायम होगा तथा जनता को लगेगा कि उनके प्रतिनिधि उनके हित में, राष्ट्रहित में एक निश्चित तरीके से काम करेंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो लोगों का अपने मताधिकार का प्रयोग करने पर लोगों की राजनीतिक दलों पर जागरुकता, आस्था तथा विश्वास बढ़ेगा। अन्यथा, आप सभी जानते हैं हम कैसे तथा क्यों आधार खोते जा रहे हैं।

सब कुछ सम्भव है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि क्या हम पूरे देश में एक रूपता से कतिपय मानदंडों तथा पद्धतियों को क्रियान्वित करने में सभी प्रयास समग्रता तथा आम राय से एक साथ कर पाएंगे। इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि यदि बारे में हम गंभीरता से विचार करें, तो पूरे देश में हम स्थिति में सुधार ला पाएंगे।

**श्री सी.के. चन्द्रप्पन** (त्रिचूर): महोदय, ऐसा विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए मैं श्री बची सिंह रावत का धन्यवाद करता हूं जिससे हमें मत डालने, कि किस प्रकार मताधिकार का प्रयोग किया जाए, के गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो सका है।

विधेयक के उपबन्धों से भले ही मैं सहमत ना हूं लेकिन मैं उस सद्भावना से सहमत हूं जिससे श्री बची सिंह रावत ने इस सभा के विचारार्थ यह विधेयक रखा है।

अब, यह चुनाव संशोधनों के प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ है।

**सायं 6.00 बजे**

यह मुद्दा अलग से नहीं लिया जा सकता है। मेरे से ठीक पूर्व जो कॉमरेड बोल रहे थे वे चुनाव सुधार तथा उनके महत्व से जुड़े पहलुओं की व्याख्या कर रहे थे। अब, ऐसा नहीं है कि लोग मतदान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे मतदान करना नहीं चाहते है। उनके मतदान नहीं करने के पीछे बहुत से कारण हैं। उनमें से एक कारण हमारे चुनावों में धन तथा बाहुबल का उपयोग हो सकता है। इनका, विशेषकर देश के उत्तरी भाग में बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि दक्षिण बहुत साफ है। लेकिन तुलनात्मक रूप से ऐसा है। इसके ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। लेकिन मतदाता जब धन तथा बाहुबल का सामना करता है तो मताधिकार का प्रयोग करने में उसे बहुत कठिनाई होती है। चाहे वह जमींदार की नौकरी करने वाला या कंपनी में नौकरी करने वाला गरीब आदमी हो। कंपनी का मालिक या जमींदार यह बताता है कि उसे किस दल को वोट देना है, अन्यथा उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या उसे पीटा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मतदाता को कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। यदि वह राजनीतिक रूप से जागरूक है तो वह मतदान से दूर रहेगा। ऐसा होता है क्योंकि यदि वह अपना मत डालता है, तो या तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या उसे पीटा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि वह मतदान नहीं करेगा।

इसके और भी कारण हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना वोट डालना चाहता है लेकिन चूंकि वह उस स्थान से दूर कार्यरत हो सकता है जहां वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है। तो वोट नहीं डालता है। अब, केरल का ही उदाहरण लीजिए, जहां मतदान प्रतिशतता तुलनात्मक रूप से अधिक है। केरल में भी, लाखों लोग भारत के बाहर, विशेषकर पश्चिम-एशिया तथा खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। मैं समझता हूं कि सरकार सोच रही है कि उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। वे वोट देने का अधिकार रखते हैं लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। सम्भवतया, वे भारत नहीं आ सकेंगे, अपना वोट डाल सकें तथा वापस जा सकें। केवल कुछ धनवान व्यक्ति ही कर सकते है, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए, अच्छी तरह से जानते हुए कि वे वोट देने की इच्छा रखते हैं, उनमें एक निश्चित राजनीतिक समझ है कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए आदि, उनके वोट देने की इच्छा केवल इच्छा ही रह जाती है। यह केरल में लाखों लोगों के साथ होता है। यह वास्तविकता है। इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशतता बहुत अधिक है। इसका क्या तात्पर्य है? संभवतया, प्रत्येक व्यक्ति, जो वैध है - मेरे कहने का तात्पर्य शारीरिक रूप से ठीक है तथा जो वोट डाल सकता है - वोट डालता है। वे सभी अपना वोट डालते हैं।

इसके बाद राजनीतिक दलों के कार्यकलाप आते हैं। यहां, वे केवल लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक बनाते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के बारे में बताया गया कि लोग राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, वे दैनिक आधार पर सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। केरल में आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ता है संभवतया एक से अधिक। ऐसा नहीं है वह समाचार पत्र खरीदता है। लेकिन मालाबार क्षेत्र के जिलों में यह परंपरा है जहां बीड़ी कामगार बीड़ी बनाता है।

एक कारखाने में जहां संभवतया 50-60 व्यक्ति बीड़ी बनाने का काम करते हैं, वे एक व्यक्ति रखेंगे जो बीड़ी नहीं बनाता है, यह व्यक्ति जो बीड़ी नहीं बनाता है, उसका काम उनके द्वारा खरीदे गए सभी समाचार पत्रों को पढ़कर सुनाना है। वह सभी छोटी-छोटी राजनीतिक पुस्तिकाओं को पढ़कर सुनाएगा, यहां तक कि अच्छे उपन्यास पढ़कर सुनाएगा, वह अन्य प्रकार की पुस्तकें भी पढ़कर सुनाएगा। बाकी व्यक्ति काम करते हैं तथा जो वह बोल रहा है उसे सुनते हैं। वे काम करने तथा सुनने की क्षमता विकसित करते है। अपने वेतन में से वे वाचक को वेतन देते है।

एक उम्मीदवार के रूप में यदि आप जाकर उनसे बात करें तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि संभवतया आपको उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी उन्हें है। सामान्यतः वे इस पर अपना वोट नहीं देंगे। वे अपना वोट डालेंगे तथा उन्हें बहुत सावधानी से वोट देंगे। बाहुबल तथा धनबल से उन्हें रोकेना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनमें संगठन की शक्ति है। यह शक्ति उनमें है तथा वे अपना मत डालेंगे।

उस परिस्थिति में, एक ही चीज है कि यदि कोई उम्मीदवार यह समझा सके कि आप सही राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप सही उम्मीदवार हैं, तो आप उनके मत के लिए आश्वस्त रहें। उन मतदाताओं के बीच इस तरह की जागरुकता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

यह ऐसी चीज नहीं है कि आप एक ही दिन में ऐसा कर सकें; यह एक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से ये बीड़ी कामगार इस स्तर तक पहुंचे हैं। इसमें मजदूर संघों की भूमिका अदा करते है, राजनीतिक दल भूमिका अदा करते हैं। वे लोग कहेंगे कि उनके प्रतिनिधियों को संसद में क्या कहना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि कोई प्रतिनिधि संसद में उनके लाभ के लिए क्या कर सकता है। वे कहेंगे कि आपको संसद में इस तरह का विधेयक लाना चाहिए या आपको अमुक-अमुक चीजों के लिए संघर्ष लड़ाई करना चाहिए ताकि उनके अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित कर सकें।

क्या हम लोगों के बीच इस तरह का विकास या जागरुकता ला रहे हैं? यह एक प्रश्न है जिसे हम सबको अपने आप से करना चाहिए। यदि लोग उस स्तर तक जागरूक हैं, तो उन्हें बाध्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जानते हैं कि यह उनका अधिकार है और वे यह भी जानते हैं कि मतदान का अधिकार एक ऐसा साधन है जिससे वे पूरी प्रणाली बदल सकते हैं। इसी जागरुकता के साथ वे मतदान करेंगे। तब वे बड़ी संख्या में मतदान करेंगे।

संभवतः केरल में हमें मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करते हुए उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें केवल इतना ही आश्वत करने की आवश्यकता है कि आप ही सही उम्मीदवार हैं और आपका कार्यक्रम दूसरों से बेहतर है और उन्हें आपके लिए मतदान करना चाहिए। लेकिन उत्तर में, अंतर यह है कि अधिकांश लोग मतदान नहीं करते। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आजादी के लगभग 60 वर्षों के बाद भी अधिकांश लोग मतदान नहीं करते हैं। यह हमारी राजनीति का प्रतिबिम्ब है और शायद हमारे लोकतंत्र का भी। इसलिए, प्रश्न लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का है। लोकतंत्र को मजबूत करने का मतलब है सभी स्तर पर लोग - यहां तक कि पद दलित और निर्धन लोग भी यह समझ सकें कि उन्हें मतदान करने का अधिकार है और यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वे समाज को बदल सकेंगे।

यदि इस तरह की जागरुकता उनमें है तो वे अवश्य मतदान करेंगे। यहां तक कि यदि आपके यहां प्रावधान हो कि यदि कोई मतदान नहीं करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा तो इसके पीछे निहित इच्छा या मंशा तो अच्छी है कि वे मतदान करें, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इसके विपरीत हमें लोगों के बीच मतदान के अधिकार की महत्ता के बारे में जागरुकता पैदा करनी चाहिए इसे विकसित किया जाना चाहिए।

तभी स्थिति बदलेगी। स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। पुनः यह चुनाव सुधार का प्रश्न है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें मतदान के अधिकार को सब चीजों से अलग रखकर चर्चा करनी होगी। प्रश्न यह है कि चुनाव कैसे करवाया जाए, विधेयक कौन लाएगा, चुनाव का राज्य द्वारा वित्त पोषण का प्रश्न, सरकार के स्वामित्व वाली मीडिया के माध्यम से

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

प्रचार का प्रश्न। इन सब चीजों को पैकेज के रूप में लेना पड़ेगा और फिर हमें चुनाव प्रणाली में सुधार कैसे लाया जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए जैसी कि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की मांग है।

हमारा लोकतंत्र या फिर कोई भी लोकतंत्र चाहता है कि इसके नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यह प्राथमिक चीज है। लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया, तो हम यह नहीं सोचें कि यह लोगों की कमी है। ऐसा नहीं है। संभवतः यह हमारा दोष है। यदि राजनीतिक पार्टियां निम्न स्तर तक लोगों के बीच काम करें न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि पूरे साल, हर दिन, महीने और हर साल, उनकी जिदंगी से जुड़ी उनकी समस्याओं को उठाएं, और उनका समाधान करने की कोशिश करें तभी वे समझ पाएंगे कि राजनीति ही हमें मदद कर रही है। अन्यथा वे सोचेंगे कि यह व्यक्ति संसद सदस्य बनकर का लाभ उठाना चाहता है। वे समझते हैं कि यह उनका काम है, हमारा नहीं, उनको यह समझाने के लिए कि यह उनका काम है, हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे वे महसूस करें कि यह जनता की सरकार है। इस तरह की सोच केवल सरकार के कार्यों से ही उत्पन्न की जा सकती है।

केरल में सिर्फ भूमि सुधार शुरू करने के वास्ते भूमि सुधार नहीं शुरू किया गया। समाज का मूल ढांचा बदल गया। प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति, झुग्गी वासी, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह कुछ प्रतिशत भूमि का स्वामी बनेगा - अंततोगत्वा भूमि का स्वामी होना ही समाज में दर्जा दिलाता है - प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 10 प्रतिशत भूमि दी गई थी।

तब दूसरी परियोजना आई। आवास संबंधी इन सभी नई परियोजनाओं के आने से पूर्व भी केरल में हमने निर्धन लोगों के लिए एक लाख आवास इकाई प्रदान करने की योजना बनाई थी। और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने महसूस किया कि मतदान ही ऐसी चीज थी जिसके माध्यम से वे भूमि प्राप्त कर सकते हैं। मतदान का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक छोटी झोपड़ी के अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जिसे संभवतया उसके दादा या पिता कभी नहीं कर पाये। उन्हें ये सारी चीजें मतदान से ही मिल सकती हैं।

केरल में मतदान का मतलब साक्षरता भी है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार केरल ऐसा राज्य है जहां शत प्रतिशत साक्षरता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई जादू कर दिया है जिससे लोग साक्षर हो गए हों। पूरे समाज ने कार्य किया था। सरकार ने पहल की लेकिन पूरे समाज को भूमिका अदा करने में लगाया गया। समाज को निरक्षर लोगों को पढ़ाने के लिए कहा गया और लोगों ने ऐसा किया। परिणामस्वरूप केरल शत - प्रतिशत साक्षर हो गया। एक आम मतदाता के लिए मतदान का मतलब क्या है? इसका मतलब उसके लिए साक्षरता, उसके लिए आवासीय इकाई अथवा भूमि है। तब वह मतदान करेगा और किसी को जेल में नहीं डालना पड़ेगा या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब और कई चीजें हैं।

भूमि सुधार के पूर्व, केरल में यदि किसी बिना भूमि वाले व्यक्ति को अपने पुत्र या पुत्री की शादी करनी होती थी, तो अपने कमर में "अंग वस्त्र" बांध कर भू स्वामी के पास जाना पड़ता था और उससे अनुमति मांगनी पड़ती थी कि "क्या मैं अपने पुत्र या पुत्री की शादी कर सकता हूं।"

यदि वह 'हां' कहता तो आप शादी कर सकते थे और यदि वह 'नहीं' कहता तो शादी नहीं होगी। यह जमींदारी प्रथा थी। आज, वहां ऐसा नहीं है लेकिन इसकी कटु यादें आज भी वहां के लोगों में विद्यमान हैं। यदि आपका पुत्र शादी करता है, तो उसे अपनी पत्नी को गहनों के साथ भू स्वामी के समक्ष जाना पड़ता था - हम इसे पाडीपुरा कहेंगे - प्रवेश के समय। यदि वह समझता कि लड़की सुंदर है, तो उसे उसके कमरे में सोना पड़ेगा और उसका पति अकेला वापस जाएगा। यह जमींदारी प्रथा थी। अतः व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसका व्यक्तित्व तथा मानव के रूप में उसके अधिकार को सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में मतदान करके प्राप्त किया गया है। इस बात की अहमियत नहीं कि लोग वाम दलों के पक्ष में हैं या नहीं। लोगों ने यह समझा कि यह एक ऐसा हथियार है जिससे वे अपने समाज में मूलभूत परिवर्तन ला सकते हैं। इस बात को समझने के बाद वे वोट डालने के लिए आगे आए।

फिर दूसरा पक्ष भी सक्रिय हुआ। सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रोकने की इच्छुक ताकतों ने भी अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए अपने समर्थक इकट्ठे किए। इस प्रकार बिना किसी जोर, जबरदस्ती तथा बिना किसी दण्ड के शत प्रतिशत लोग चुनावों में भाग लेंगे। यदि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं तो राजनीतिक दलों को उनके पास उपलब्ध साधनों से लोगों के पास जाने की वचनबद्धता लेनी चाहिए। राजनीति में होने के नाते आपका यह दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी लोग अपनी वोट डालने की

भूमिका निभा पाएंगे। वे अपने अनुसार समाज में परिवर्तन लाएंगे। वे वाम पक्ष या दक्षिण पक्ष कहीं भी जा सकते हैं। यह एक अलग बात है। यदि वाम पक्ष लोगों की विचारधारा पर प्रभाव डालने तथा उन्हें आगे ले जाने के लिए शक्तिशाली तथा सुदृढ़ है तो राज्य वाम पक्ष की ओर जाएगा। यदि दक्षिण पक्ष सुदृढ़ और बलशाली है तो वे दक्षिण पक्ष की ओर जाएंगे। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचारों से चाहे वो वाम पक्षी हो या दक्षिण पक्ष से, यदि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और यदि वह यह सोचता है कि अपना वोट डालकर वह समाज में परिवर्तन ला सकता है, तो वह वोट डालेगा। यह जागरुकता, प्रयोजन बोध तथा यह समर्पण राजनैतिक दलों द्वारा दिखाया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों के लिए यह काफी बड़ी जिम्मेदारी है।

मेरे विचार से इस विधेयक को पुर:स्थापित करके रावत जी ने हमें अपने विचार दूसरों के साथ बांटने का अवसर दिया है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए यह इस सदन के लिए काफी अच्छा मौका है।

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सम्मानित सदस्य श्री बची सिंह रावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इस विषय पर आजादी के बारे से लगातार बहस होती रही है। यह प्रश्न चुनाव के बाद किया जाता रहा है कि इतने कम प्रतिशत से फलां उम्मीदवार जीत गया और इतने कम प्रतिशत वोट पाकर सरकार बन गई।

मान्यवर, जब से हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ है तब से यह बहस का विषय रहा है और आने वाले वर्षों में भी यह बहस का विषय रहेगा।

सभापति महोदय, हम किस सोच के तहत समाज के अंदर यह पहल करें कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। चुनाव के समय यह एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और आजादी की लड़ाई के समय के बारे में सोचें तो उस समय मतदान में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था। आजादी के बाद हमने कुछ लक्ष्य पाया। अगर आज के मतदान के प्रतिशत को देखें तो हमें लगता है कि उस समय मतदान का प्रतिशत आज से आधा था। जब सारा हिन्दुस्तान राष्ट्रीय आन्दोलन में लगा हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिये जूझ रहा था तो उस समय सारी दुनिया का खाका हमारे सामने आता है। दुनिया के देशों में कितने लोकतंत्र हैं और एक हमारे देश में लोकतंत्र है। दुनिया के देशों में मतदान का प्रतिशत कितना है? नेपाल में लोकतंत्र है, पाकिस्तान को देखा जाये, यूरोपियन देशों को देखा जाये, इंग्लैंड है, अमरीका है, जापान है, स्विटजरलैंड है। इन देशों में लोकतंत्र के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। हमारे देश का संविधान इंग्लैंड, अमरीका, स्विटजरलैंड, कनाडा के संविधान का मिला-जुला रूप है। हमारे देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये संविधान सभा के निर्माताओं ने इसकी संरचना की। उस समय यह कहा गया कि संविधान बनने के प्रारम्भ में एक बात आई कि हिन्दुस्तान के लोकतंत्र का जो स्वरूप होगा, उसमें 100 प्रतिशत शिक्षित लोग होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो महसूस होता है कि हिन्दुस्तान के अंदर, जहां समाज का सब से ज्यादा शिक्षित वर्ग है, मैं किसी प्रदेश विशेष की बात नहीं करता, केरल की बात नहीं करता लेकिन आज सदन में यह चर्चा हो रही है कि उत्तर भारत में मतदान का प्रतिशत कम होता है और दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में विगत वर्षों में ज्यादा मतदान हुआ है, यह सही बात है। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शिक्षित समुदाय ज्यादा है। वह व्यक्ति सरकार, विपक्ष और राजनेतां की भूमिका की चर्चा सब से ज्यादा करता है। वह सरकार की आलोचना करता है और सरकार का समर्थन भी करता है। वह साल के 365 दिन इन प्रतिक्रियाओं के बारे में, अच्छाइयों और बुराइयों की ज्यादा चर्चा करता है लेकिन समाज का जो इंटलैक्चुअल वर्ग है, चुनाव वाले दिन घर बैठकर छुट्टी मनाता है। इस प्रकार उसका रैस्ट डे हो जाता है। यदि इन सारी बारीकियों की ओर ध्यान दिया जाये तो यह महसूस होता है कि यदि आप निर्वाचन जरूरी कर दें, जो वोट देने की भावनायें हैं, उस पर आप प्रतिबंध करते हैं। उसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि मानवाधिकार कहीं न कहीं अंकुश लगाता है। आप वोट देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं हमें उन पहलुओं पर सोचना चाहिये कि से कौन से कारण हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में, जनपदों में, प्रदेश में लोग मत नहीं देना चाहते हैं।

यदि देते हैं तो उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। विगत वर्षों में एक चर्चा यह भी आई है कि जो बैलट पेपर हो या वोटिंग मशीन हो, उसमें एक कालम और बना दिया जाए कि हम इन उम्मीदवारों में से किसी को वोट नहीं देना चाहते। हम समझते हैं कि यदि इस तरह का संशोधन कर दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्र ऐसे भी होंगे, जहां से कोई

[डा. राजेश मिश्रा]

प्रतिनिधि निर्वाचित ही न हो पाये और वे क्षेत्र खाली रह जायेंगे, तब क्या होगा। यदि हम वोटिंग कम्पलसरी करते हैं तो जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, स्वरूप है, हमें इसे भी बदलना पड़ेगा और उसके बाद भी क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। हनें आज यह महसूस होता है कि आज जो कमियां आई हैं - चाहे वे राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में या जनप्रतिनिधियों में हों, हमें उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन सबका एक ही केन्द्र है, जो निर्वाचन कराता है, वह निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग इसमें कौन-कौन से सुधार कर सकता है, आज हमें उन पर भी बहस करनी चाहिए। हम सिर्फ इनडिविजुअल की कमी को न देखें कि फलां जनप्रतिनिधि ने अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं किया, इसलिए उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कम हुआ, ऐसी बात नहीं है। इसमें तमाम तरह की दूसरी परिस्थितियां भी हैं, आप उन पर भी ध्यान दें। जो पढ़ा-लिखा तबका है, वह चाहता है कि हम राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर वोट देंगे, हम राजनीतिक दलों की जो नीति होगी, उसकी नीयत के नाम पर वोट देंगे। आम मतदाता जब यह देखता है कि आज समाज के अंदर यदि जाति के नाम पर, पार्टियों का गठन होने लगेगा तो क्या उसमें मतदाता की भागीदारी हो सकती है, वह अपनी भागीदारी नहीं करना चाहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति उस मानसिकता से ग्रसित नहीं है। जहां साम्प्रदायिकता की बाता होगी, जहां राजनीतिक दलों का गठन साम्प्रदायिकता के कारण होने लगेगा तो हर व्यक्ति अपने सेन्टीमैन्ट्स को उससे इनवोल्व नहीं कर पायेगा और वह वोट देने नहीं जायेगा। जब सही मायनों में मतदाता के दिमाग में यह आ जाए कि फलां राजनीतिक दल का जो स्वरूप है, इसका स्वरूप भी राजनीतिक है, इसकी विचारधारा भी राजनीतिक है, इसके नेताओं की नीयत भी राजनीतिक है और जो इसके उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों पर यह विश्वास कर सकता है। जब इस तरह की अवधारणा मतदाता के मन में आये तो निश्चित रूप से आज जो लोगों के मध्य वोटिंग के नाम पर उत्साह में कमी हो रही है, वह दूर होगी और कहीं न कहीं लोगों में जो विश्वसनीयता का अभाव है, चाहे वह राजनीतिक दलों के प्रति विश्वसनीयता हो, उम्मीदवारों के प्रति विश्वसनीयता हो या हमारे पूरे सिस्टम के प्रति यदि कहीं से अविश्वसनीयता आ रही है तो निश्चित रूप से उसके उत्साह में कमी आयेगी। इसीलिए आज मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है।

सभापति महोदय, हमें यह महसूस होता है कि यदि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं, उन पर यदि दल अंकुश नहीं लगायेगा, न उस दल का नेता अंकुश लगायेगा और न उम्मीदवार लगायेगा, जो राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं, जिनका जिक्र संविधान में भी किया गया है। ईमानदारी के साथ यदि निर्वाचन आयोग उनके बारे में सोचे कि राजनीतिक दलों का स्वरूप क्या होना चाहिए। जिस भाषा का इस्तेमाल चुनाव के मध्य राजनीतिक दल के राजनेता या उम्मीदवार करते हैं, वह भाषा निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुरूप है या नहीं, तो उसमें अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव में बहुत सारे सुधार किये हैं। हर चुनाव में निर्वाचन आयोग एक प्रयोग करता है और उसके सकारात्मक परिणाम भी विगत वर्षों में आये हैं। लेकिन जितने अधिकार निर्वाचन आयोग को मिले हैं और जो संविधान प्रदत्त अधिकार निर्वाचन आयोग के पास हैं, यदि उन सबका वह पूरी तरह से प्रयोग करे तो यह अंकुश लगाया जा सकता है।

आज बड़ी चर्चा होती है कि राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दें। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अभी इस पर बहस समाप्त नहीं हुई है कि अपराधी की परिभाषा क्या है। हमें लगता है कि पिछले 10-15 सालों से सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हुई है कि अपराधियों को कोई राजनीतिक दल टिकट न दे, अपराधियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दल चाहें तो राजनीति में, संसद तथा विधान सभाओं में अपराधियों का प्रवेश रुक सकता है। हम कौन सी डैफिनिशन देंगे कि अपराधी कौन है? यह परिभाषा कोई दे सकता है तो जनता दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। जनता सर्टिफाइ कर सकती है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है। आपकी जो निर्वाचन नियमावलि है, उसमें उम्मीदवार की योग्यता-अयोग्यता के जो नियम हैं, उनमें स्पष्ट है कि यदि कोई न्यायपालिका द्वारा दंडित है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई सजायाफ्ता है तो वह चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन तमाम अपराधी ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ मुकदमे होते हैं, सजा नहीं होती। तमाम ऐसे अपराधी मिलेंगे, जिनकी दहशत इतनी होती है कि लोग एफ.आई.आर. तक नहीं कराते। आप किस कानून के तहत उसे खोलेंगे? जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, यह चर्चा होती है कि जब निर्वाचन आयोग अपराधियों के सवाल पर इस तरह की बैठक बुलाता है तो सारे राजनीतिक दल उस पर एक हो जाते हैं। इस पर भी लोग चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में जहां गठबंधन की सरकारों का युग है और एक एक सीट की जहां कीमत है, यदि कोई राजनीतिक दल और नेता जानता है कि हम फलां को टिकट दे दें चाहे वह कितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन यदि वह कानून के

घेरे में नहीं आएगा और चुनाव जीत सकता है तो उस दल की प्राथमिकता होती है कि हमें जीतने वाला कैंडीडेट चाहिए। इसलिए राजनीतिक दल टिकट देते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि यदि जनता ऐसे उम्मीदवारों पर अंकुश लगा दे और राजनीतिक दल यह जान जाएं कि अपराधियों को जनता वोट देने वाली नहीं है तो अपने आप अपराधियों के सदन में प्रवेश पर रोक लगेगी और कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देना बंद कर देगा।

पिछले चुनावों में और उसके पहले के चुनावों में हमने देखा कि कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है मगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है। लोग मतदान केन्द्र तक गए और पहचान पत्र के जो विकल्प हो सकते थे, वे घर से लेकर नहीं गए। उस समय मई और जून का महीना था। मतदाता पोलिंग बूथ पर जाता है और आपत्ति करने पर दोबारा पहचान पत्र लेने घर जाता है तो वापस नहीं आता है। उसका कोई इंटरस्ट नहीं रहता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस इंटरस्ट को जगाना पड़ेगा और उस इंटरस्ट को हम अपनी ईमानदारी से और अपने कर्तव्य का निर्वहन करके जगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है।

**सभापति महोदय:** अब आप कनक्लूड करें।

**डा. राजेश मिश्रा:** जी हां।

जब ईमानदारी के साथ कोई भी राजनीतिक दल देश को बनाने का काम करेगा, कोई जन प्रतिनिधि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो लोगों में यह भावना जगेगी कि हमें वोट देना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि वोट देना हमारा अधिकार है लेकिन उम्मीदवार और राजनीतिक दल उसकी भावनाओं को लोगों के बीच में बढ़ा देते हैं, तब उन इमोशंस में आकर मतदाता मतदान करता है, अन्यथा वह मतदान नहीं करता है। कभी-कभी लोग यह भी चर्चा करते हैं कि हमें वोट देने से क्या फायदा है। वे कहते हैं कि कोई भी सरकार बने, हमें क्या मिलेगा? आज इस तरह की भावना जो लोगों में पैदा हो रही है, जो नैगेटिव अप्रोच हमारे लोगों के दिलों में पैदा हो रही है, यह बहुत गंभीर बात है। इस विषय की गंभीरता को हम किसी कानून के दायरे में लाकर समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम जन प्रतिनिधियों, सभी राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग को मिलकर तय करना होगा कि हम कौन-कौन से ऐसे काम करें जिससे जनता में हमारी जो जवाबदेही है, उस पर हम खरे उतरें। इससे जनता में हमारा विश्वास बढ़ेगा और जब जनता में विश्वास बढ़ेगा, तब हमारे दल के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति, दल के सिद्धांतों के प्रति और दल के नेतृत्व के विचारों के प्रति जब आकर्षण लोगों में बढ़ेगा तो लोगों में स्वत: वोट देने के लिए भावनाएं जागृत होंगी। यह विषय निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, कल भी महत्वपूर्ण था और आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण रहेगा। एक सकारात्मक चर्चा के तहत इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (घाटल): सभापति महोदय, श्री बची सिंह रावत द्वारा देश में अनिवार्य मतदान विधेयक-2004 की चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

भारत प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। खास कर चुनावों को देखते हुए विश्व में हम लोग मिसाल कायम कर सकते हैं। वह चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो या राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव हों, बड़ी ही आसानी से डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है, जिसमें हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया जाता है। आज यहां पर तमाम पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने मतदान के महत्व को अनिवार्य करने के मत पर सुझाव दिए हैं और चर्चा की है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा कि जब भी कोई मतदान होता है, तब बहुत कम प्रतिशत मतदान होता है और यह कहा जाता है कि बहुत कम मतदान हुआ है और फलां पार्टी का उम्मीदवार बहुत कम वोटों से जीता है। पहले तो हम बैलेट पत्र पर मतदान करते थे, लेकिन वर्तमान में वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान करते हैं। कभी-कभी हमारे सामने यह भी बहुत बड़ा संकट आता है कि तमाम उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय दल हो, या प्रदेश स्तर के दल हों या अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हों, उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या होने के कारण उनकी सूची बढ़ जाती है तो बैलेट पत्र भी बड़े हो जाते हैं या वोटिंग मशीन से मतदान करने में भी दिक्कत आती है क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो डबल वोटिंग मशीन रखी जाती है। इससे भी मतदाता को मतदान करने में परेशानी आती है। इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि उम्मीदवारों की संख्या कम हो।

दूसरी बात मतदान करना अनिवार्य होना चाहिए जैसा कि श्री बची सिंह रावत द्वारा यह विधेयक लाया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि मतदान कम्पलसरी हो। इस ओर हम चाहे वह किसी भी दल के नेता हों, सब को बैठ

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

कर सोचना पड़ेगा और विचार-विमर्श करना पड़ेगा कि आम मतदाता का रुझान कैसे मतदान में बढ़े। इस ओर हमें सोचना पड़ेगा चाहे वह ग्राम पंचायत से ले कर देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव हों। हमेशा हमने देखा कि लोकसभा या विधान सभा के कोई भी चुनाव होते हैं तो कभी-कभी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण या अन्य ऐसे मौकों पर जब मतदान दोबारा कराने की स्थिति आती है तो पुनः मतदान कराया जाता है। उस कारण भी बार-बार मतदान करके जनता का रुझान इस ओर कम होता है। इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और खास कर इस बारे में जनता को जागरुक करना भी बहुत जरूरी है। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो जब उनका चुनाव हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सूझ-बूझ के तरीके से मतदान करना होगा।

सभापति महोदय, अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करना होगा। यह अवेयरनैस आनी चाहिए, यह रुझान होना चाहिए, आज मतदाता में ऐसी जागृति लाने की जरूरत है। मैं तो यह कहूंगा कि जब यह मतदान होता है, तब मेरे ख्याल से पूरे जनपद में सभी आफिसेस बन्द हो जाते हैं, आवागमन बन्द हो जाता है, बैरीयर्स लग जाते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि यदि मतदाता साइकिल पर अथवा किसी अन्य सवारी से मतदान करने जाता है, तो उसे रोका जाता है। इससे भी मतदाता में मतदान के प्रति रुझान कम होता है। अगर मान लीजिए पति-पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं और वे गाड़ी से मतदान करने जा रहे हैं, तो उनको जबर्दस्ती रोका जाता है। मतदान में मतदाता का रुझान कम होने का एक यह भी कारण है कि उसे बिना कारण के रोका जाता है।

महोदय, मतदान तो एक प्रकार से राष्ट्रीय पर्व होता है और राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही मतदान कराया जाना चाहिए। इस बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप अपने देश के भविष्य या अपने क्षेत्र के विकास के भविष्य को चुनने जा रहे हैं। आम जनता में यह धारणा लानी पड़ेगी। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जहां विकास कार्य नहीं हुआ है, वहां के मतदाता, मतदान का बहिष्कार कर देते हैं और वोट डालने नहीं जाते। वे बोर्ड लगा देते हैं कि विकास नहीं, तो वोट नहीं या सड़क नहीं, तो वोट नहीं। उन्हें समझाने चुनाव अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, नेता जाते हैं, राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जाते हैं और उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वे नहीं मानते और पूरे चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। मतदान के प्रतिशत के कम होने का यह भी एक कारण है।

महोदय, दैनिक वेतनभोगी, जो रोज मजदूरी करते हैं और अपने पेट भरने हेतु कमाते हैं, मतदान के समय छुट्टी होने से उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं और जो डेली कमाने-खाने वाले लोग हैं, वे भी सोचने लगते हैं कि हम वोट क्यों डालें अथवा वोट डालने से हमें क्या मिलेगा। हम गांवों में जाते हैं और जब उनसे कहते हैं कि फलां तारीख को चुनाव हैं और आप वोट जरूर डालें, तो डेली कमाने-खाने वाले लोग कहते हैं कि रोजाना चुनाव होते ही रहते हैं। अगर हम वोट डालने जाएंगे और कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या। इस तरह की भाषा गांवों में बोली जाती है। इसके कारण भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इन सब कारणों को देखते हुए, आज जरूरत इस बात की है कि तमाम दलों के लोग बैठें और इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें और सोच-विचार कर कोई रास्ता निकालें।

महोदय, पोलिंग बूथ का दूर होना भी एक मुख्य कारण है। हम देखते हैं कि दो-दो और तीन-तीन किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ होती हैं और कहीं-कहीं तो बहुत घुमाकर पोलिंग बूथ का रास्ता बनाया जाता है, कहीं पोलिंग बूथ के रास्ते में नदी और नाले भी आ जाते हैं या रास्ता बहुत घूम कर जाता है। इसलिए लोग मतदान नहीं कर पाते या उनमें मतदान के प्रति रुझान कम होता है। यहां सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं। सबके क्षेत्र में जूनियर विद्यालयों के भवन, सामुदायिक केन्द्र के भवन और पंचायत भवन अवश्य होंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग का नियम है कि जहां पर पक्का मकान हो, वहां पोलिंग बूथ बनाया जाए। इसलिए यदि आबादी के नजदीक पक्के मकान में पोलिंग स्टेशन बनाया जाए, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। इसे गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मोबाइल पोलिंग बूथ भी होने चाहिए। जिनमें पोलिंग यूनिट मोबालइल हो, चुनाव अधिकारी और दूसरे कर्मचारी जाएं, फोर्सेस जाएं, वे कुछ घंटे एक स्थान पर खड़े हों अथवा ग्राम में खड़े हों, वहां लोग जाएं और अपना वोट डाल सकें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना वोट डालने मतदान केन्द्र पर नहीं जा पाते हैं। यदि मोबाइल वोटिंग यूनिट की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो जो लोग नहीं जाते हैं, वे अपने वोट मोबाइल वोटिंग यूनिट के माध्यम से डाल सकते हैं और वोटिंग के बाद जो वोटिंग

मशीन है, उसे स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया जाए। इससे भी मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है।

महोदय, माननीय सदस्य ने, पहचान पत्र के बारे में बात कही। आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहा हूं, लेकिन सभापति जी मैं बताना चाहता हूं कि आज तक मेरा फोटो पहचान पत्र नहीं बना है। वोटर लिस्ट की सर्टीफाइड कॉपी लेकर मैं चुनाव आयोग में अपना नॉमीनेशन भरता रहा हूं। जो फोटो पहचान पत्र बनाए भी गए हैं, वे ठीक नहीं हैं। कहीं फोटो ऐसे खीचे गए हैं कि वे पहचान में नहीं आते हैं। कहीं फोटो आदमी का है, तो नाम औरत का है और कहीं फोटो औरत का है, तो नाम आदमी का है। जहां फोटो और नाम आदमी का, वहां नाम अशुद्ध लिखा गया है। इतना ही नहीं ऐसी खामियां भी पाई गई हैं कि जिन लेखपालों और तहसील के कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र बनाने के बाद बांटने का काम सौंपा गया, उन्होंने उन्हें बांटा नहीं गया, बल्कि पूरे के पूरे पहचान पत्रों को कुएं में झोंक दिया गया।

उन्हें कुएं में इसलिए फेंक दिया गया ताकि हमें बांटना न पड़े, किसी के घर में जाना न पड़े। इस तरह की बातों को हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हर मतदाता का पहचान-पत्र बनना अनिवार्य हो, क्योंकि उसका भी अपना एक महत्व है। वह एक तरीके से आईडेंटिटी कार्ड है, उसका महत्व इतना होना चाहिए कि देश की नागरिकता या कहीं भी, कोई भी सर्टिफिकेट की अगर जरूरत पड़े तो मतदाता पहचान-पत्र अनिवार्य एवं आवश्यक हो। इसलिए हर मतदाता को पहचान-पत्र बनवाना बहुत जरूरी एवं कम्पलसरी होना चाहिए।

महोदय, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही गई है, यह बात सत्य है। अभी थोड़ी देर पहले यह चर्चा हो रही थी कि हमारी वोटर लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि गांव, पंचायत से लेकर लोक सभा के चुनाव तक की एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। गांव में ऐसा होता है कि जलनवश हमें जो वोट नहीं दे रहे हैं, उनका वोट कटवा रहे हैं और जो हमें मतदान दे रहे हैं, उनका वोट बढ़वा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** अगर हाउस की सहमति हो तो इस बिल पर चर्चा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस बिल का समय समाप्त हो रहा है।

**कुछ माननीय सदस्य:** महोदय, इस बिल का समय बढ़ा दीजिए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** सभापति महोदय, हमारी जो वोटर लिस्ट है, वह बोगस वोटर लिस्ट है, इसलिए उसका भी बड़ी गंभीरता से अध्ययन एवं मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने गड़बड़ी की है। हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश है। यहां सब को अपना मत देने का अधिकार है, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। आज गांव की पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। आप देखेंगे, कि 99 प्रतिशत, सौ प्रतिशत, 95 प्रतिशत, इस प्रकार के मतदान वहां होते हैं, लेकिन जब लोक सभा और विधान सभा का चुनाव आता है तो पता लगता है कि 30-40-45 प्रतिशत ही केवल मतदान होते हैं। इसका क्या कारण है, इस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

महोदय, वोटिंग के लिए जो लोग लाईन में लगते हैं, उनके लिए वहां कई बूथों पर अलग-अलग से व्यवस्था हो और काफी जगह हो, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लाइनें लग जाती हैं। मैंने देखा है कि वहां बेचारे गरीब लोगों को कुछ नहीं पता होता कि हमारे मतदान देने से क्या फायदा होगा। उनके अंदर इतनी जागरुकता नहीं है, वे लाईन में खड़े होकर वोट दे देते हैं, लेकिन जो बड़े घरों के लोग होते हैं, उनकी बहू-बेटियों और उनके बाकी लोग चिल-चिल्लाती धूप में लाईन में खड़े होना पसंद नहीं करते, इस कारण वे चले जाते हैं और फिर दोबारा वे वोट डालने नहीं आते। यह भी मतदान कम होने का एक मुख्य कारण है। यहां हिंसा और बूथ केपचरिंग की बात कही गई है, इसे भी हमें गंभीरता से लेना होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे उम्मीदवारों की आयु फिक्स होनी चाहिए कि इस आयु तक के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए और तीसरी बात, जो कई माननीय सदस्यों ने चुनाव में अपराधीकरण की बात कही है, वह भी बहुत विचारणीय विषय है। यह आने वाले समय में प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक, खतरनाक एवं चिन्ता का विषय है।

महोदय, श्री बची सिंह रावत जी द्वारा, यहां जो मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने के विषय में विधेयक लाया गया है, उस विषय में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम दल के नेता लोग बैठ कर, इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श करके एक ऐसा रास्ता निकालें, जिससे कि सही जन-प्रतिनिधि का चुनाव हो और हमारा प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र मजबूत हो।

महोदय, अंत में, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री आलोक कुमार मेहता** (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद, श्री बची सिंह रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाने का काम किया और इस पर हमें चर्चा करने का मौका मिला। यह जो प्रस्ताव है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन इस बिल के आधार पर जो कुछ हम परिचर्चा में लाएंगे, वह एक महत्वपूर्ण विषय होगा। ऐसे मौके पर जो इनका बिल है, इससे सम्बन्धित सारे बिन्दुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इनका जो बिल है, यह इलैक्टोरल रिफोर्म्स की ओर इंगित करता है। मेरी समझ से अनिवार्य मतदान लागू करने से पहले विभिन्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि अनिवार्य मतदान ऐसी चीज है, जिसमें सिर्फ कानून बनाकर हम सुधार नहीं ला सकते हैं। उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है। विभिन्न भावनाओं से ऊपर उठकर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बिल पर चर्चा के क्रम में मैं इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसे अनिवार्य बनाने में एक प्रैशर महसूस किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉण्ड साइन करना पड़ रहा हो। इस तरह की चीजें जनता के ऊपर थोपा जाना बिल्कुल अनुचित होगा।

लेकिन मतदान अधिक से अधिक हो, यह आवश्यक है। इसके लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर चर्चा अवश्य किये जाने की जरूरत है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत गम्भीरता के साथ इन बिन्दुओं पर विचार किया है। मेरा भी मानना है कि जागरुकता को बढ़ाकर, जागरुकता अभियान चलाकर और वोटिंग के महत्व को आम जनता को समझाकर गांव के अन्तिम छोप पर रहने वाले और समाज के अन्तिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों तक जागरुकता अभियान चलाकर इस ओर हम सुधार के लिए अवश्य प्रयास कर सकते हैं। हम वोट मांगने जाते हैं तो जो अनएक्सपोज्ड मतदाता हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिसे हाल ही में वोट देने की स्वतंत्रता बिहार में और उस तरह के पिछड़े राज्यों में मिली है, उसे भी दिशा देने की आवश्यकता महसूस होती है। बिहार जैसे राज्यों की ओर मैं ध्यान इंगित करना चाहूंगा, कि वहां पर जमींदारों और सामन्तों के दबाव में राज्य की 70 प्रतिशत जनता काम करती थी। यह या तो उनकी जमीन पर काम करके या फिर उनकी दबंगता वाले इलाके में अपने आपको उनके एक 'बड़ाहिल', की तरह अक्षरश: उनकी इच्छा के गुलाम होकर काम करते थे। बड़ाहिल शब्द का इस्तेमाल वैसे ही 70 प्रतिशत लोगों के लिए होता था, जो इन जमींदारों की सेवा-सुश्रुषा में लगे रहते थे। ये जमींदार और सामन्त आजादी के 40-45 वर्षों तक बिहार के गांवों में स्वायत्त शासन चलाते रहे। किसी गांव में यदि 10 घर जमींदारों के हैं और 200 घर डिप्राइव्ड क्लास के लोगों के हैं तो जो छोटी जाति और जमीन वाले लोग हैं, उनके लिए 10 घर वाले सामंतों की मर्जी पर वोट की दिशा तय की जाती थी। 10 घर जमींदार वर्ग के लोग 200 घर के वोटों के बारे में कहते थे कि यह मेरा वोट है। जैसे एक हजार वोट हुए, उनमें से 750-800 वोट डिप्राइव्ड क्लास के हैं, लेकिन वे कहते थे कि ये मेरे वोट हैं, यानी जिधर वे दिशा देंगे, उधर ही उन्हें वोट डालना है। उनका एक तरीका होता था, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे कुछ माननीय सांसदों ने यह चर्चा उठाई है कि कहीं वोट नहीं डालने देते हैं और कहीं बूथ लूटिंग होती है।

बिहार की हकीकत को हमारे माननीय सांसद समझें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 वर्षों तक वैसे ही वोटिंग होती रही। गांव के दस घर वोट की दिशा को तय करते थे और 200 घरों की मजबूरी होती थी कि जहां कहा गया है, वहां वोट डालें। इसी तरह से वोटिंग होती थी। वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा नहीं होता था। पहले भी ज्यादा नहीं होता था लेकिन पिछले 15 वर्षों में बिहार में एक आंदोलन हुआ। पहले कहा जाता था कि बिहार में शांति थी, अब डिस्टर्बेंस हो गई है। वहां डिस्टर्बेंस कैसे हुई? सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी, उसको रोकने की कोशिश होती रही। उसको यथास्थितिवादी तत्व बदलने नहीं देना चाहते थे। 15 वर्ष पहले भी 85 प्रतिशत लोग 15 प्रतिशत वालों के डर से वोट डालने नहीं जाते थे या वे वोट डालना चाहते थे, वहां वोट नहीं डाल सकते थे। उनको बताए गए उम्मीदवार को ही वोट डालना पड़ता था और इन 15 वर्षों में जब जागरुकता आई, दबाए हुए लोगों ने अपनी आवाज उठायी और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 85 प्रतिशत के डर से ये लोग वोट डालने से कतराने लगे और उन्हें भी उस 85 प्रतिशत लोगों की दिशा की ओर मजबूर हो कर जाना पड़ रहा है। वोट का परसेंटेज अवश्य बढ़ा है। सदियों से दबे हुए लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। कहा गया कि डिस्टर्बेंस है और वहां पर विभिन्न तरह से वोट डालने में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा लेकिन डिगनिटी की बात कही जाती है। कुछ वैधानिक रोक भी है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के जो पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उनके डर से कहें या उनके तरफ से मैं इशारा तो नहीं करूंगा लेकिन

उनके डर से ही सही जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए और जो मशीनरीज थी उन्होने ही वोटरों के वोट देने की दिशा को तय करने का काम किया और बंदूक की नोक पर कहा जाने लगा कि इधर वोट डालो। मैं पिछले 10 वर्षों की बात कह रहा हूं। बंदूक की नोक पर कहा जा रहा है कि इस पर वोट डालो और नहीं तो यहां से जाओ। ऐसी भी स्थिति में वोट में कमी आई। एक बार वोट का ग्राफ बिहार का ऊपर गया और फिर वोट का ग्राफ नीचे जाने लगा क्योंकि जो एजेंसी या सेना वहां तैनात की गई थी और उन्हें दिशा दी जाती थी उसके डर से गरीब लोग वोट डालना कम करने लगे। मैं नहीं समझता कि किसी कम्पलसरी वोटिंग सिस्टम को लाने से यह बदलाव हो जाएगा। यह बदलाव जागरुकता से होगा। विकास और जागरुकता की दिशा बिलकुल सापेक्ष होती है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि बैनर लगे रहते हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं। जागरुकता आएगी तो जहां विकास नहीं हुआ है, वहां मांगें बढ़ेंगी। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। यह भी स्वतंत्रता है। हम इस स्वतंत्रता पर क्यों अंकुश लगाएं। हम यह कहना चाहते हैं कि जब कभी भी इस तरह की बातें होती हैं तो भाजपा के लोग हमेशा हिटलरशाही वाली बातें व्यक्त करने लग जाते हैं। यह समझ में नहीं आता। कम्पलसरी वोटिंग किसी की गर्दन पर बंदूक रख कर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से डेमोक्रेसी साउंड नहीं हो पाएगी। हम उनको वोट डालने के लिए कंविंस करें। हम लोगों में जहां विकास की कमी है, वहां विकास करने के लिए काम करें और जहां तक इस तरह की कमी है, बिहार के बारे में कहा है उससे कुछ सीखने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** बहस का स्तर दलगत भावनाओं से संबद्ध हो रहा है। आपने दूसरे सांसदों की बहस सुनी होगी। यह बहस दल के आधार पर नहीं हो रही है। पूरा सदन इस पर विचार कर रहा है।

**श्री आलोक कुमार मेहता:** महोदय, मैं दलगत भावना से प्रेरित हो कर ये बातें नहीं कह रहा हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने जो कहा है कि ग्रेजुएट होना या पी.जी. होना, इस तरह का प्रस्ताव है।

**सायं 7.00 बजे**

मैं समझता हूं कि आप इसके माध्यम से पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में जनता की इच्छा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सोशल हो, पोलीटिकल हो, जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से रख सकता हो, उनकी लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ सकता हो, तो इसके लिए मैट्रिक या ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। इस तरह की बाउंड्री लगाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह व्यक्तियों की फ्रीडम पर अंकुश लगाने जैसा है। उन्हें विकसित होने के लिए जगह दें। किसी को खींच कर बड़ा करने की कोशिश एक तरह की जबरदस्ती होगी। मैं समझता हूं कि वोटिंग परसैंटेज बढ़ाने के लिए इलैक्शन कमीशन जैसी संस्था को आगे आना चाहिए। सिर्फ इलैक्शन के समय ही कड़ाई करने के नाम पर बिहार में जो हुआ, वह सबको मालूम है।

मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो किसी दलगत भावना से प्रेरित नहीं है। मैं एक सांसद हूं। इलैक्शन के समय मेरी गाड़ी एक जगह खड़ी थी। वहां जो पदाधिकारी डिप्यूट किए गए थे, उन्होंने सामने खड़े होकर मेरे गाड़ी को सीज करवा दिया। मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा, एसपी से पूछा कि हमारी गाड़ी को सीज क्यों किया गया है, इसका कारण बतायें। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी खड़े थे, उन्होंने सीज करवा दी है। मैंने उनसे सीजर लिस्ट मांगी, एफ.आई.आर. की कापी मांगी, लेकिन वह मुझे आज तक नहीं मिली। मेरे ड्राइवर को भी जेल में डाल दिया गया। क्या यही इलेक्टोरल रिफार्म्स का तरीका हो सकता है? मैं नहीं मानता। यह दहशत फैलाने की कोशिश हो सकती है जिसके माध्यम से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। इलेक्टोरल रिफार्म्स के लिए देश की जनता को जागरूक करने का अभियान होना चाहिए। पांच वर्षों के अंतिम एक महीने में इलैक्शन कमीशन एक्टिव हो, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए विभिन्न जगहों पर सेमीनार आयोजित करने चाहिए। गांव और मोहल्ले में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे लोग भयमुक्त हों। विकास की शृंखला को जन-जन तक, कोने-कोने तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तब इलेक्टोरल रिफार्म्स भी उसी हिसाब से होगा। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी, विकास का माहौल बनेगा और हैल्दी डेमोक्रेसी की किरण दिखाई दे सकेगी। विकास और जागरुकता की दिशा सापेक्ष होती है। इस वर्ष बिहार के मतदान में फोटो पहचान-पत्र न होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में वोट नहीं डाले जा सके। फोटो के बदले जो चीज दिखाये जाने की बात की गयी थी, उसे पदाधिकारियों ने देखने से भी इंकार कर दिया और लोगों को बूथ से मारकर भगाने का काम किया गया। दबंगों के इलाके में कमजोर वर्ग के लोगों के मतदान बूथ बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसे चेंज करने की जरूरत है। इसे अपने-अपने इलाकों में बनाकर उन्हें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति

[श्री आलोक कुमार मेहता]

का एहसास कराये जाने की जरूरत है। इन्हीं सब माध्यमों से रिफार्म्स हो सकता है। बची सिंह रावत जी, इन्हीं सब माध्यमों से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया जा सकता है, आइडियल सिचुएशन लाई जा सकती है। यदि आप जबरन लोगों को पकड़कर वोट दिलवा देंगे तो इससे हैल्दी डेमोक्रेसी नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बची सिंह रावत जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से मुझे अपनी भावना व्यक्त करने का मौका मिला।

*[अनुवाद]*

**डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री बची सिंह रावत द्वारा लाये गए अनिवार्य मतदान विधेयक पर विचार करने संबंधी वाद-विवाद में भाग लेता हूं। जब उन्होंने उस दिन इस विधेयक को पेश किया जब मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था।

मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अध्यापन के मेरे लम्बे कार्यकाल के बाद वर्ष 2002 में मैंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। वो भी चुनाव से केवल 13 दिन पहले मैं उस प्रक्रिया में था। यह काफी दिलचस्प बात थी कि मेरे पक्ष में भारी संख्या में वोट डालने के इच्छुक लोगों ने चुनाव से दो या तीन दिन पहले ही अपना मन बदला। शायद हम सभी जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ।

जब हम इन सभी चीजों का विश्लेषण करते हैं, मैं इस विधेयक को लाते समय रावत जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की सराहना करता हूं। मेरे विचार से उन्होंने सभी की इस इच्छा को व्यक्त किया है कि सभी को मतदान करना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र होने के नाते भारत जैसे देश में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। महोदय कम संख्या में मतदान होना शायद उन कारणों में से एक है जिससे उन्हें ऐसा विधेयक लाने पर विचार करना पड़ा। परन्तु मुझे आशंका है कि देश में जहां संविधान द्वारा अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई अनिवार्य मतदान का अर्थ बाध्यता या किसी प्रकार का बल प्रयोग होगा। परन्तु मुझे आशंका है कि इस नकारात्मक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। शायद इसके लिए हमें थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा। इसके लिए हम मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की बजाय इसमें सुधार लाने के तरीके का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने अभी केरल से हमारे माननीय मित्र के विचार सुने। उन्होंने अपनी बात इतनी अच्छी तरह से बताई कि जब मतदाता यह महसूस करेगा कि मतदान की प्रक्रिया के द्वारा, प्रजातांत्रिक प्रणाली द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या पूरी की जा रही हैं तब शायद सभी मतदान के लिए आगे आएं। फिर भी यह कई चीजों पर निर्भर करता है। दो अवसरों नामतः विधान सभा तथा संसदीय चुनाव के समय और स्थानीय निकायों के चुनाव के समय को देखते हैं। स्थानीय निकायों के चुनावों में भारी मतदान होता है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उस चुनाव में उनकी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं क्योंकि क्षेत्र छोटा है और मतदाता अपने उम्मीदवारों को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। वे मतदान करने तथा उनका सही उम्मीदवार चुनने का हर प्रयास करते हैं।

इसलिए, अब बात आती है उम्मीदवारों की योग्यता की। मैं उम्मीदवारों की योग्यता की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ उम्मीदवारी पर ही निर्भर होता है। ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जिनको लोग वोट देना नहीं चाहते, परन्तु हम उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमारी प्रणाली ही ऐसी है। अतः इस प्रकार से हम अनिवार्य मतदान की ओर बढ़ रहे हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसे इस प्रकार कहूंगा कि मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा। मतदाताओं को समझने दीजिए कि यह उनका प्रमुख अधिकार है तथा सभी को मतदान करना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी आशा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक मतदाता को सुशिक्षित होना चाहिए। जब मैं सुशिक्षित होने की बात करता हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मतदाता को मेरी तरह पी.एच.डी. होना चाहिए अथवा उसे हमारे मित्र श्री कपिल सिब्बल की तरह वकील होना चाहिए। शिक्षा से मेरा अर्थ यह है कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों सहित सभी सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य होना चाहिए। उनमें यह समझने की क्षमता होनी चाहिए कि कुछ विशेष मुद्दों पर अन्य लोग क्या राय व्यक्त कर रहे हैं ताकि वे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें तथा लोकतंत्र की प्रणाली में शामिल हो सकें। यह बहुत अच्छा होगा।

इस संबंध में शायद सर्वशिक्षा अभियान कुछ हद तक सहायक सिद्ध होगा जिसके द्वारा हम 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में इस देश में हरेक अब तीन भाषा के फार्मूले की

बात कर रहा है। यह बहुत अच्छा है। मेरे राज्य में हमारी अपनी स्थानीय बोली, हिन्दी तथा अंग्रेजी है।

महोदय, मुझे बहुत खेद है कि मैं धाराप्रवाह हिन्दी नहीं बोल सकता हालांकि जब मेरे प्रिय मित्र हिन्दी में बोलते हैं तो मैं उसे समझ सकता हूं। यद्यपि हिन्दी अनिवार्य नहीं है, परन्तु अंग्रेजी अब एक अच्छी भाषा है। इस भाषा में हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर यदि एक छात्र को अपनी स्थानीय बोली का अक्षर ज्ञान अच्छी तरह आ जाए तथा अपने दिन-प्रतिदिन के परिकलन के लिए वह कुछ अंक गणित जानता है तथा देश की प्रणाली के बारे में कुछ ज्ञान रखता है तो शायद वह चुनाव प्रक्रिया में खुल कर भाग ले सकता है। यहां मैं शब्द 'अनभिज्ञता' का प्रयोग करूंगा। मतदाता बहुत ही अनभिज्ञ हैं, विशेषकर मेरे क्षेत्र में क्योंकि मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र हैं तथा केवल 10 प्रतिशत ही मैदानी क्षेत्र है। इस प्रकार से बहुत से अन्य राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र हैं। इस प्रकार हमारे सामने एक विलक्षण स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए गांव, मतदान केन्द्रों से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। ये केवल एक छोटी सड़क द्वारा जुड़े होते हैं। कई बार रास्ते में कुछ गुण्डे अथवा पैसे वाले लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि 'आप वोट डालने मत जाओ, तुम्हारी जगह तुम्हारे पूरे गांव की ओर से कोई और वोट डाल देगा।' ऐसे उदाहरण हैं जब संसद, यहां तक कि राज्य विधान सभा में कुछ माननीय सदस्य वास्तव में अपने नामांकन पत्र भरने से पहले ही अपने चुनाव जीत सकते हैं। आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो उन्हें चुनाव में खड़ा करती हैं तथा किसी मुकाबले के बिना उन्हें विजयी कराती हैं। वर्तमान प्रणाली में कतिपय बातें व्याप्त है। अतः उसके लिए हमें शत-प्रतिशत साक्षरता की आवश्यकता है, जोकि इस समय ज्यादा दूर नहीं है। मेरे मित्र श्री रावत सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मतदान को अनिवार्य बनाने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।

महोदय, कई अन्य बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मतदाताओं को शिक्षित करते समय हमें लोकतांत्रिक स्वभाव को मन में बैठा लेना होगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश ने प्रशासन सम्राटों तथा राजाओं से लिया है, तथा अब हम जनता की सरकार चला रहे हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें इस लोकतांत्रिक स्वभाव को मन में बैठाना होगा जैसा कि हमने वैज्ञानिक विकास के मामले में किया था।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं सरकार द्वारा चुनावों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाना चाहूंगा। चुनावों में सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जा सकता है। उम्मीदवारों को चुनाव में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल अपना बायो-डाटा, सामाजिक जीवन में अपनी गतिविधियों तथा इसी प्रकार की बातों का ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने का निर्णय ले सकते हैं। शायद, यह बहुत अच्छी बात है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में धन, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि चुनाव के लिए मुझे बहुत कम समय मिला था। मतदान से केवल दो दिन पहले पूरा परिदृश्य बदल गया था। मैं अध्यापन के क्षेत्र से आया था। चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था, परन्तु उसके बावजूद भगवान की कृपा से मैं जीत गया। यह बड़ा अजीब था। इसलिए धन समस्या उत्पन्न करता है। चुनावों में बिलकुल यही हो रहा है। मैं उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसके अंतर्गत 32 विधानसभा क्षेत्र हैं। हमारी जनसंख्या कम है। अतः विधानसभा में सीटें अनुपात में अधिक हैं। इसलिए एक पैसे वाला व्यक्ति वोटों को खरीद सकता है। यही वास्तविक समस्या है। एक बार जब सरकार द्वारा वित्तपोषण शुरू हो जाए तो उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों को चुनावों में धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, शायद यह एक अच्छी बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे मित्र श्री रावत जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, की भावनाओं के साथ-साथ उनके उद्देश्य की सराहना करता हूं। मेरा मानना है कि हमें इस पर और समय देना चाहिए। तत्पश्चात् शायद धीरे-धीरे सुधार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): धन्यवाद, महोदय।

मेरे विचार से, यह एक नेक इरादों वाला विधेयक है। संभवतः, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले श्री बची सिंह रावत की मंशा यह थी कि केवल अल्पसंख्यक मतों को प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही हमेशा जीतता है। मान लीजिए कि कुल 50 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है और उक्त 50 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत ने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। जिस उम्मीदवार को कुल मतों का मात्र 25 प्रतिशत मिला है वह, चुनाव जीतता है। संभवतः, इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

वस्तुतः, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग मतदान नहीं करते हैं, यह तो शिक्षित लोग हैं, जो लोकतंत्र और राजनीतिज्ञों के विरुद्ध निंदात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और मतदान नहीं

[श्री खारबेल स्वाईं]

करते हैं। इस देश के बुद्धीजीवियों और उच्च वर्ग के लिए राजनीति मलकुंड के समान है। उनकी यही सोच है।

संसद सदस्य के रूप में, मैंने कई चुनाव लड़े हैं। मैं पाता हूं कि गरीब लोगों के लिए चुनाव दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश बन गया है। शनैः - शनैः लोग यह समझ गए हैं कि चुनावों ने ही उन्हें अधिकार दिलाया है। उन्होंने महसूस किया है यही वह शक्ति है जो उनके पास है।

पिछले जम्मू और कश्मीर चुनावों के दौरान, मुझे स्मरण है कि एक पानवाले से यह पूछा गया था कि उसने चुनाव में क्यों मतदान किया और उसे अपनी जान का डर नहीं है क्योंकि आतंकवादियों ने मतदान नहीं करने के लिए लोगों को धमकी दी थी। उसने कहा कि पहले उसने सोचा कि वह मतदान के लिए नहीं जाएगा। वह एक तरफ आतंकवादियों और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के बीच पिसकर रह गया था। वह निःसहाय महसूस कर रहा था। परन्तु, अचानक चुनाव के दिन उसने सोचा कि उसके पास में कुछ शक्ति है, और उसकी यह शक्ति मतदान करने की है जिसे वह अवश्य करेगा। इस प्रकार, इस देश में गरीब लोग ही अत्यधिक संख्या में मतदान करते हैं परन्तु शिक्षित लोग, जोकि निंदात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, मतदान नहीं करते।

इस विधेयक में मतदान को अनिवार्य बनाने की मांग की गई है। हो सकता है हम इसे अनिवार्य बना दें, परन्तु मेरे विचार से विश्व के अधिकतर देशों में यह अनिवार्य नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव भी, 50 प्रतिशत से अधिक लोग मुश्किल से ही मतदान करते हैं। यूनाइटेड किंग्डम और अधिकतर पश्चिमी देशों में, जहां शिक्षित लोगों की संख्या अधिक है, उनमें से 70 प्रतिशत कभी अपना मतदान नहीं करते हैं। भारत में हम पाते हैं कि ज्यादातर लोग काफी संख्या में मतदान करने के लिए निकलते हैं, और कभी-कभी तो 80 प्रतिशत तक लोग मतदान करते हैं। इसलिए, मैं ऐसा नहीं सोचता कि इसे अनिवार्य बनाने से ज्यादा सहायता मिलेगी। दूसरी तरफ, इससे समस्या पैदा हो सकती है।

यदि कोई बीमार है अथवा दूर है, तो वह कैसे मतदान कर सकता है? यदि वह मतदान नहीं करता है तो क्या हम उसे इसके लिए दंडित करेंगे? यदि कोई उसे मतदान करने से रोकता है, तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। क्या हम प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे सकते हैं? धमकी केवल शारीरिक नहीं हो सकती है। यह मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। यह कोई व्यक्ति यह कहता है कि 'मतदान मत करो। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा यदि तुम आज मतदान करते है परन्तु कल मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और इससे लोग भयभीत हो सकते हैं।

ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपना मतदान नहीं कर पाए। खालिस्तान आंदोलन और उल्फा आंदोलन के दौरान, हमारे यहां ऐसी ही स्थिति थी। उस समय, जब मैं सरकारी सेवक था, मैं चुनाव ड्यूटी पर असम गया था क्योंकि असम के सरकारी अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी निभाने से इंकार कर दिया था। हमने उस दौर में देखा कि मुश्किल से दस से पन्द्रह प्रतिशत मतदाताओं में मतदान किया था।

इस मामले में, क्या हम किसी को इस आधार पर दंडित कर सकते हैं क्योंकि उसने मतदान नहीं किया? इस प्रकार, मेरे विचार से, यह उचित समाधान नहीं हो सकता। हमें तो मतदान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस कराने के लिए उनमें जागरुकता लानी होगी। इससे चुनावों में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी।

दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं, के द्वारा एक दूसरा मुद्दा यह उठाया गया था जो चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के बारे में है। क्या सरकार द्वारा धन देने से समस्या का समाधान होगा? यह कहना ठीक है कि सरकार सभी को कुछ धन मुहैय्या कराये परन्तु मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। लगभग प्रत्येक उम्मीदवार बूथ हथियाने के लिए कुछ धन व्यय करता है। यह चुनाव से बस एक या दो दिन पहले किया जाता है और इसका कहीं लेखा-जोखा नहीं होता है। यदि कोई मतदाता को लुभाता है तो आप इसका कैसे पता लगाएंगे? यदि सरकार भी धन दे रही है, तो भी कुछ कमियां रहेंगी। इस प्रकार, मैं ऐसा नहीं सोचता कि, सरकार द्वारा धन देने से इसका समाधान हो जाएगा।

चुनाव सुधारों के समस्त पहलुओं पर चर्चा के दौरान मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा जिन पर चर्चा की जा सकती है। पहला मुद्दा राष्ट्रीय पहचान पत्रों के प्रावधान से संबंधित है। यह सभी नागरिकों को दिया जाने वाला बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा जिससे कि भारत में घुसपैठिए नहीं आ सकें और यहां उपलब्ध सभी आर्थिक अवसरों को न हड़प लें। भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के लिए दुधारू गाय बन गया है। पाकिस्तान से काफी लोग क्रिकेट देखने के लिए

भारत आए थे। इनमें से 34 लोग गायब हैं। यह पता नहीं चला है कि वे कहां गए। ऐसा क्यों है कि जब पाकिस्तानी यहां आकर गायब हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि जब भारतीय पाकिस्तान जाकर वापस आ जाते हैं? यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए जिससे कि किसी बाहरी व्यक्तियों को कोई ऐसा लाभ न मिले जिसका वह पात्र नहीं है।

दूसरा मुद्दा यह है, जिस पर कि चर्चा की जा सकती है, कि क्या प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों को निर्वाचित किया जाए अथवा राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें सभा में निर्वाचित किया जाना चाहिए। जैसाकि हम अध्यक्ष को निर्वाचित कर रहे हैं। जिससे कि राज्यपाल के हस्तक्षेप और राज्यपालों के कार्यकरण अथवा के स्वाम्य का प्रश्न न उठे। इस प्रकार, इस पर वाद-विवाद किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा निर्णय लेना ही चाहिए परन्तु इस पर वाद-विवाद तो किया ही जा सकता है।

दूसरा मुद्दा जिस पर वाद-विवाद किया जा सकता है वह यह है कि क्या लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसाकि अमरीकी कांग्रेस में है। यदि आप सभा में प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्रियों को निर्वाचित करते हैं, तो आपको सभा का कार्यकाल निर्धारित करना होगा और इन्हें इससे पहले भंग नहीं किया जा सकेगा।

एक प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे यहां शासन की राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए? इस पर भी वाद-विवाद किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद भी। हम वाद-विवाद कर सकते हैं कि क्या हमें सरकार की प्रणाली बदलने की आवश्यकता है। आइए हम इस पर वाद-विवाद करें। यदि हम सहमत होते हैं, तो हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं।

क्या न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध लोगों को अपील करने के बाद भी चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए? हमेशा वे यही कहते हैं कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, यह न्यायालय में है, और उन्होंने अपील की है, ऐसा वह भी तब जब व्यक्ति को निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो और तीन या पांच वर्षों के लिए जेल की सजा दी गई हो। इस प्रकार, वह ऐसे में भी चुनाव लड़ने में समर्थ होता है। अतएव, इस मुद्दे पर भी वाद-विवाद किया जाना चाहिए।

मेरा तर्क यह है कि यह एक नेक इरादों वाला विधेयक है परन्तु इसको लागू करना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। इसलिए, इससे यह सिद्ध होता है कि भारत लोकतंत्र का एक उज्ज्वल उदाहरण है। मैं आशा करता हूं मेरे प्रस्तावों पर वाद-विवाद किया जाएगा। इस पर वाद-विवाद किया जाए ताकि इंग्लैंड और ब्रिटेन की तरह शनैः शनैः भारत भी लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र और अनुकरणीय लोकतंत्र का प्रतीक बन सके।

**श्री गिरिधर गमांग** (कोरापुट): सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री बची सिंह रावत जी द्वारा पुरःस्थापित विधेयक की भावना की प्रशंसा करता हूं।

मैं अपनी बात माननीय राष्ट्रपति जी के उस भाषण के साथ आरंभ करूंगा जो उन्होंने वर्ष 1999, 2000, 2001 और 2002 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर दिया था। मैं उद्धृत करता हूं:

> "संभवतः विश्व को जो बात आश्चर्य में डालती है वह भारतीय मतदाताओं की दूरदर्शिता और प्रगल्यता है जिन्होंने सदैव अपने जनादेश का उपयोग पूरी संवेदनशीलता और उत्साह के साथ किया है और इससे एक बार पुनः यह सिद्ध होता है, जैसा कि संविधान में कहा गया है, कि जनता सर्वोच्च है और उसी से शक्ति का प्रसार होता है।"

उन्होंने दो शब्द कहे हैं। एक विकासात्मक राजनीति है और दूसरा शब्द राजनैतिक राजनीति है। निश्चित रूप से ये दोनों शब्द हमें विकास का गंभीर विचार प्रदान करते हैं जिसका हमने देश के कई चुनावों के पश्चात् अनुभव किया है।

हमारे देश में तीन सरकारें हैं। एक केन्द्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी स्थानीय स्व-सरकार है। इसलिए, इन तीनों सरकारों के सदैव चुनाव होंगे। ये चुनाव पंचायत से संसद के स्तर तक होंगे। इसलिए, लोग पांच वर्ष में मतदान करने के स्थान पर पांच वर्ष अथवा उससे कम अथवा कई बार उससे भी कम अवधि में मतदान करेंगे। इसका कारण यह है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां निचले पंचायत स्तर पर चयनित निकायों को कोई स्मरण नहीं है।

लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य हैं क्योंकि सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होगी। आप चुनाव से बच नहीं सकते। लेकिन सभी स्तरों पर बार-बार होने वाले

[श्री गिरिधर गमांग]

चुनाव निश्चित रूप से लोगों के दिलों में घृणा उत्पन्न करते हैं। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार बार-बार होने वाले चुनावों से बच सकते हैं और यह भविष्य के लिए चर्चा का विषय है।

हम कई सरकारें देख चुके हैं। मतदाताओं ने अलग-अलग चुनावों में मतदान किया। लेकिन मतदान के प्रतिशत में अन्तर क्यों आ रहा है? हमने अलग-अलग चुनावों में मतदान के अलग-अलग प्रतिशत के साथ-साथ मतदान की अलग-अलग पद्धतियां देखीं।

यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनावों के दौरान पांच 'वी.आई.पी.' एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पांच 'वी.आई.पी.' निर्णय करते हैं कि कौन मतदान करेगा, प्रतिशत क्या होगा, आदि। ये वी.आई.पी. हैं: अति बुद्धिमान व्यक्ति, अति बौद्धिक व्यक्ति और अति प्रभावशाली व्यक्ति, अति निरक्षर व्यक्ति और अति असहाय व्यक्ति। फिर भी, अति विशिष्ट व्यक्ति भी मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन किसका मतदान अधिक है और किसका मतदान कम है, इसका मतदान की पद्धति जानने के लिए सर्वेक्षण करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बार-बार होने वाले चुनावों से बचा जा सकता है अथवा नहीं।

यह बहस का प्रश्न है। लेकिन अभी तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं।

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्य श्री गिरिधर गमांग जी, आप अभी बोल रहे हैं, इसलिए आप अपना भाषण अगली बार भी जारी रखेंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अब सभा सोमवार, 18 अप्रैल, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.30 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 18* अप्रैल, 2005/28 चैत्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*तत्पश्चात् राम नवमी के कारण 18, अप्रैल, 2005 को अवकाश घोषित किया गया और सभा 19 अप्रैल, 2005 को समवेत हुई।

## अनुबंध-I

### तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री मुन्शी राम | 301 |
| 2. | श्री रघुनाथ झा | 302 |
| 3. | श्री उदय सिंह | 303 |
| | श्री राजेश वर्मा | |
| 4. | श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' | 304 |
| 5. | श्री किन्जरपु येरननायडु | 305 |
| | श्री इकबाल अहमद सरडगी | |
| 6. | श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील | 306 |
| | श्री वी.के. ठुम्मर | |
| 7. | श्री सीता राम यादव | 307 |
| 8. | श्रीमती अनुराधा चौधरी | 308 |
| | प्रो. महादेवराय शिवनकर | |
| 9. | श्री हेमलाल मुर्मू | 309 |
| 10. | डा. चिन्ता मोहन | 310 |
| | श्रीमती जयाप्रदा | |
| 11. | श्री सुग्रीव सिंह | 311 |
| | श्री एकनाथ महादेव गायकवाड | |
| 12. | श्री रायापति सांबासिवा राव | 312 |
| 13. | श्री अधीर चौधरी | 313 |
| | श्री निखिल कुमार | |
| 14. | श्री डी. विट्टल राव | 314 |
| 15. | श्री बापू हरी चौरे | 315 |
| 16. | श्री रामदास आठवले | 316 |
| 17. | श्री असादूदीन ओवेसी | 317 |
| 18. | श्री संतोष गंगवार | 318 |
| 19. | श्री एम. अंजनकुमार यादव | 319 |
| | श्री बीर सिंह महतो | |
| 20. | श्री सी.के. चन्द्रप्पन | 320 |

### अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आदित्यनाथ, योगी | 3336 |
| 2. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 3355, 3392, 3393, 3419, 3439 |
| 3. | अहमद, श्री अतीक | 3291, 3402 |
| 4. | अनंत कुमार, श्री | 3335 |
| 5. | आठवले, श्री रामदास | 3397, 3431 |
| 6. | आजमी, श्री इलियास | 3377 |
| 7. | बैठा, श्री कैलाश | 3307, 3350 |
| 8. | बारड, श्री जसुभाई दानाभाई | 3349 |
| 9. | बर्मन, श्री हितेन | 3395, 3430 |
| 10. | बखला, श्री जोवाकिम | 3327, 3430 |
| 11. | भार्गव, श्री गिरधारी लाल | 3365 |
| 12. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 3358, 3407, 3432, 3435 |
| 13. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 3289, 3376 |
| 14. | बोस, श्री सुब्रत | 3296, 3395, 3430 |
| 15. | चक्रवर्ती, श्री अजय | 3313 |
| 16. | चन्द्रप्पन, श्री सी.के. | 3413, 3437 |
| 17. | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र | 330 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 3302 |
| 19. | चौधरी, श्रीमती अनुराधा | 3387, 3418, 3449 |
| 20. | चौधरी, श्री अधीर | 3373 |
| 21. | ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह | 3303 |
| 22. | गांधी, श्री प्रदीप | 3328, 3375, 3390 |
| 23. | गंगवार, श्री संतोष | 3447 |
| 24. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 3362, 3414 |
| 25. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 3315, 3328, 3384, 3451 |
| 26. | गोहेन, श्री राजेन | 3323 |
| 27. | गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश | 3457 |
| 28. | गुप्त, श्री श्यामा चरण | 3344, 3402 |
| 29. | हमजा, श्री टी.के. | 3284 |
| 30. | हसन, श्री मुनव्वर | 3349 |
| 31. | जय प्रकाश, श्री | 3365 |
| 32. | जगन्नाथ, डा. एम. | 3357 |
| 33. | जटिया, डा. सत्यनारायण | 3290 |
| 34. | झा, श्री रघुनाथ | 3372, 3396, 3422, 3445 |
| 35. | जोगी, श्री अजीत | 3368, 3418, 3438, 3453 |
| 36. | जोशी, श्री प्रहलाद | 3288, 3294, 3378, 3434, 3450 |
| 37. | कामत, श्री गुरुदास | 3346, 3404 |
| 38. | करुणाकरन, श्री पी. | 3281, 3374, 3421 |
| 39. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 3366 |
| 40. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 3347, 3393 |
| 41. | कोली, श्री रामस्वरूप | 3375 |
| 42. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 3282 |
| 43. | कृपलानी, श्री श्रीचन्द | 3292 |
| 44. | कृष्ण, श्री विजय | 3310 |
| 45. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 3326 |
| 46. | कुसमरिया, डा. रामकृष्ण | 3287, 3375 |
| 47. | मान, श्री जोरा सिंह | 3331 |
| 48. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 3305, 3385 |
| 49. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 3359, 3411, 3436 |
| 50. | महाजन, श्री वाई.जी. | 3283 |
| 51. | महतो, श्री बीर सिंह | 3350, 3354, 3406 |
| 52. | माझी, श्री परसुराम | 3329 |
| 53. | मंडल, श्री सनत कुमार | 3335, 3398, 3432, 3444 |
| 54. | मनोज, डा. के.एस. | 3364, 3416 |
| 55. | मेघवाल, श्री कैलाश | 3332, 3394 |
| 56. | मेहता, श्री आलोक कुमार | 3342, 3401 |
| 57. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 3340, 3450 |
| 58. | मिश्रा, डा. राजेश | 3343 |
| 59. | मुकीम, मो. | 3299, 3350, 3417 |
| 60. | मो. ताहिर, श्री | 3418, 3449 |
| 61. | मोहिते, श्री सुबोध | 3293, 3408 |
| 62. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 3339 |
| 63. | मूर्ति, श्री ए.के. | 3317 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 64. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 3389, 3450, 3454 |
| 65. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 3360 |
| 66. | नायक, श्री ए. वेंकटेश | 3440 |
| 67. | नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश | 3351 |
| 68. | ओराम, श्री जुएल | 3286, 3448 |
| 69. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 3399 |
| 70. | पलनिसामी, श्री के.सी. | 3314 |
| 71. | पण्डा, श्री प्रबोध | 3321 |
| 72. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 3309, 3380 |
| 73. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 3370, 3393 |
| 74. | पटैरिया, श्रीमती नीता | 3328 |
| 75. | पाठक, श्री ब्रजेश | 3348, 3420 |
| 76. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 3341, 3400, 3433 |
| 77. | प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर | 3317 |
| 78. | प्रसाद, श्री हरिकेवल | 3354, 3377 |
| 79. | प्रसाद, कुंवर जितिन | 3418 |
| 80. | राजेन्द्र कुमार, श्री | 3349, 3350, 3371, 3432 |
| 81. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 3370 |
| 82. | राणा, श्री गुरजीत सिंह | 3325 |
| 83. | राणा, श्री काशीराम | 3285, 3295 |
| 84. | राव, श्री के.एस. | 3301 |
| 85. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 3391, 3428, 3442, 3456 |
| 86. | राव, श्री डी. विट्टल | 3382, 3423 |
| 87. | रावत, श्री कमला प्रसाद | 3311, 3381 |
| 88. | रेड्डी, श्री जी. करुणाकर | 3350, 3432 |
| 89. | रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन | 3322 |
| 90. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 3324, 3385 |
| 91. | रेड्डी, श्री एन. जनार्दन | 3418 |
| 92. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम, गणपतराव | 3377, 3424 |
| 93. | साई प्रताप, श्री ए. | 3304 |
| 94. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 3391, 3409, 3423 |
| 95. | शैलेन्द्र कुमार, श्री | 3369 |
| 96. | शर्मा, डा. अरुण कुमार | 3352 |
| 97. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 3318, 3388, 3426 |
| 98. | सत्पथी, श्री तथागत | 3219, 3439 |
| 99. | शाहिद, मो. | 3312 |
| 100. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 3355, 3392, 3429, 3443 |
| 101. | शिवन्ना, श्री एम. | 3319, 3410, 3440 |
| 102. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 3387, 3418, 3449 |
| 103. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 3330 |
| 104. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 3345 |
| 105. | सिंह, श्री चन्द्रभूषण | 3361, 3412 |
| 106. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 3316 |
| 107. | सिंह, श्री दुष्यंत | 3320 |
| 108. | सिंह, श्री गणेश | 3453 |
| 109. | सिंह, कुंवर मानवेन्द्र | 3308, 3350, 3432 |
| 110. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 3306 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 111. | सिंह, श्री राकेश | 3300 |
| 112. | सिंह, श्री रेवती रमन | 3367 |
| 113. | सिंह, श्री सीताराम | 3342 |
| 114. | सिंह, श्री सुग्रीव | 3383, 3427, 3441, 3457 |
| 115. | सिंह, श्री सूरज | 3337 |
| 116. | सोलंकी, श्री भरतसिंह भाधवसिंह | 3356 |
| 117. | सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन | 3298, 3379 |
| 118. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 3333 |
| 119. | तुम्मर, श्री वी.के. | 3285 |
| 120. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 3370, 3393, 3446, 3457 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 121. | वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 3283 |
| 122. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 3334 |
| 123. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 3297, 3393, 3445 |
| 124. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 3349, 3371 |
| 125. | विनोद कुमार, श्री बी. | 3338, 3363, 3415, 3455 |
| 126. | वीरेन्द्र कुमार, श्री | 3328, 3353 |
| 127. | यादव, श्री एम. अंजनकुमार | 3424 |
| 128. | यादव, श्री सीता राम | 3386, 3425 |
| 129. | यास्खी, श्री मधु गौड | 3301 |

## अनुबंध-II

### तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | | 314, 317. |
| संस्कृति | : | |
| रक्षा | | |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | | |
| सूचना और प्रसारण | : | 301, 304, 316, 318, 319. |
| पंचायती राज | | |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | | 305, 307, 310, 312, 313. |
| रेल | : | 302, 303, 306, 308, 309, 311, 320. |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | | 315. |


### अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| नागर विमानन | | 3297, 3299, 3308, 3321, 3341, 3344, 3358, 3361, 3363, 3368, 3370, 3386, 3412, 3423, 3425, 3427, 3430, 3433, 3440, 3444 |
| संस्कृति | | 3289, 3301, 3316, 3319, 3335, 3347, 3352, 3383, 3405, 3416, 3417, 3436, 3455 |
| रक्षा | | 3283, 3284, 3286, 3296, 3300, 3313, 3317, 3334, 3345, 3353, 3355, 3373, 3392, 3393, 3397, 3404, 3413, 3435 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | | 3281, 3315, 3327 |
| सूचना और प्रसारण | : | 3295, 3306, 3324, 3332, 3336, 3338, 3360, 3371, 3374, 3376, 3382, 3387, 3395, 3398, 3402, 3406, 3407, 3426, 3431, 3457 |
| पंचायती राज | | 3282, 3315, 3384 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | | 3292, 3303, 3305, 3320, 3325, 3337, 3350, 3356, 3359, 3365, 3367, 3375, 3388, 3391, 3394, 3400, 3408, 3409, 3415, 3418, 3428, 3429, 3432, 3442, 3448, 3450, 3452 |
| रेल | | 3287, 3288, 3291, 3293, 3294, 3304, 3307, 3312, 3314, 3322, 3323, 3328, 3330, 3331, 3339, 3340, 3342, 3348, 3349, 3351, 3354, 3357, 3362, 3364, 3369, 3372, 3377, 3378, 3379, 3385, 3389, 3390, 3396, 3399, 3401, 3403, 3411, 3414, 3419, 3420, 3421, 3424, 3434, 3437, 3441, 3443, 3445, 3446, 3447, 3449, 3451, 3453, 3454, 3456 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 3285, 3290, 3302, 3309, 3310, 3311, 3318, 3329, 3333, 3343, 3366, 3380, 3381, 3410, 3422, 3439. |

## इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के याद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

**http:#www.parliamentofindia.nic.in**

### लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

### लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा याद-वियाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौज पुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।